छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा चतुर्दश सत्र

सोमवार, दिनांक 25 जुलाई, 2022

(श्रावण 03, शक सम्वत् 1944)

[अंक 04]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 25 जुलाई, 2022

(श्रावण 3, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत् हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरण दास महंत) पीठासीन हुए)

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रमन सिंह जी को कोरोना हो गया है और उनके बगल में आदरणीय नेता जी बैठते थे, तो मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा।

श्री अजय चंद्राकर :- कोरोना एक बहाना है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- नेता जी रमन सिंह जी के एकदम बगल में बैठते हैं। एक बार आप कैमरे में देख लें कि जो-जो उनके साथ बात करते व मिलते थे, कहीं उनको भी तो नहीं हुआ है ?

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हम सबको भी बचाइये। हम लोगों की भी उनसे बात हुई थी। आप हम लोगों को बचा लीजिए। (हंसी)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- इनको तो टोपी बचा रही है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आप कुछ विशेष लग रहे हैं।

<u>जन्मदिन की बधाई</u>

<u>श्री सौरभ सिंह, सदस्य</u>

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य, श्री सौरभ सिंह जी का आज जन्मदिन है, मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से उन्हें जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। उनके स्वस्थ्य, सुखी, सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पहला प्रश्न भी इन्हीं का है।

अध्यक्ष महोदय :- आज का पहला प्रश्न भी इन्हीं का है। मैं माननीय सौरभ सिंह जी को बहुत-बहुत बधाई देते हुए आशीर्वाद देता हूं। चलिये, सौरभ सिंह जी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग भी माननीय सौरभ सिंह जी को बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सौरभ सिंह जी बहुत होनहार हैं। हमें लगता है कि सौरभ सिंह जी विधायी, संसदीय परंपराओं के काफी ज्ञाता

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हैं। मैं अपनी ओर से भी बधाई देता हूं और चूंकि मुझे लगता है कि जांजगीर जिले का, एक जिले को कुछ असर हो गया है। आज आपका जन्मदिन भी है और आज आपने पहला प्रश्न भी लगा दिया है।

श्री अजय चंद्राकर :- इसलिए आज इनको लंबा बधाई भी मिला है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अच्छा। आपको बधाई हो।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सौरभ सिंह जी ने निश्चित रूप से अल्पकाल में ही बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त किये है और विषयों, खासकर टेक्निकल विषयों को उठाने में, जिन विषयों को बाकी लोग कम ही उठाते हैं, ऐसे विषयों में उनकी पकड़ भी बहुत अच्छी है। सौरभ सिंह जी ने विधानसभा में अपनी उपस्थिति नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाई है। आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई हो।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सौरभ सिंह जी को मेरी तरफ से भी बहुत-बहुत बधाई हो। भगवान आपको यशस्वी, सुखी और दीर्घायु रखें।

सभापति महोदय :- चलिये। सौरभ सिंह जी, आप तैयार हो जाइये।

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर</u>

<u>अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में रेडी टू ईट फूड की सप्लाई</u>

[महिला एवं बाल विकास]

1. (*क्र. 230) श्री सौरभ सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में माह अप्रैल, मई और 30 जून 2022 तक किस-किस आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितनी मात्रा का रेडी टू इट फूड की सप्लाई किस-किस एजेंसी द्वारा की गई हैं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में माह अप्रैल, मई और 30 जून 2022 तक आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट फूड की सप्लाई छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम रायपुर द्वारा की गई। आंगनबाड़ी केन्द्रवार प्रदायित मात्रा की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार** है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का जो मेरा प्रश्न है वह रेडी टू ईट फूड पर प्रश्न है और पूरे विपक्ष ने लगातार जिस बात की आशंका लगाई थी कि रेडी टू ईट फूड का संचालन यदि स्व-सहायता समूह से किसी और व्यक्ति के पास जाएगा तो कहीं न कहीं विसंगति और गड़बिड़यां चालू हो जाएंगी और प्रथम में ही गड़बिड़यां चालू हो गईं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और आपके जवाब में यह आया है कि अप्रैल माह में अकलतरा विधानसभा क्षेत्र और माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के प्रश्न में यह आया है कि पूरे छत्तीसगढ़ भर में रेडी टू ईट फूड की सप्लाई नहीं हुई। मैं आपसे

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

जानना चाहता हूं कि रेडी टू ईट फूड की सप्लाई आंगनबाड़ी केन्द्रों में क्यों नहीं हुई ? किसके कारण से नहीं हुई और आप उस पर क्या कार्रवाई करेंगी ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले सौरभ जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं।

श्री अजय चंद्राकर :- ते कतको बधाई दे ले, ओहा तोर से प्रश्न पूछही च। (हंसी)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- शुरू-शुरू में जब भी यहां पर। एक मिनट। राज्य शासन के आदेश दिनांक 26.11.2021 के विरूद्ध महिला स्व-सहायता समूह एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक वी.पी. सिविल नंबर 50, 63, 8 - 2021 में दिनांक 01.04.2022 को पारित अंतरिम निर्णय लंबित होने के कारण जांजगीर-चांपा जिले सहित राज्य के समस्त जिलों में माह अप्रैल, 2022 में रेडी टू ईट की सप्लाई नहीं की गयी।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि कोर्ट की कुछ बाधाएं थीं, जिसके कारण सप्लाई नहीं हो पाई। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कोर्ट ने एक और निर्देश दिया है और वह निर्देश यह है कि जिन समूहों का अनुबंध समाप्त नहीं हो रहा था, उन समूहों को आपको कार्य देना होगा। यह हाईकोर्ट का निर्देश है। आपने किस-किस समूह को क्या-क्या कार्य दिया ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- बिल्कुल, जिस समूह का अनुबंध समाप्त नहीं हुआ है उनका अभी भी बीज निगम के द्वारा सप्लाई के लिए उनसे अनुबंध है।

श्री अजय चंद्राकर :- तो फिर आप उनको दिये क्यों हों ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- उन समूहों को कार्य दिया जा रहा है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप छोड़िये।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इतना बड़ा सवाल है, पूरा छत्तीसगढ़ कुपोषण से पोषित है । एक महीने की सप्लाई नहीं हो पायी । हम यही चीज बोलते आ रहे हैं कि अगर इस तरह से [XX][1] के हाथ में चीजें जाएंगी । पहले रेडी टू ईट की सप्लाई छोटे-छोटे स्व सहायता समूह करते थे तो वह काम सुचारू रूप से चलता था । अब माननीय मंत्री जी का जवाब आ रहा है । हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि जितने समूह हैं, मैं जांजगीर-चांपा जिले का एक उदाहरण बताता हूं । वहां ऐसे 16 समूह हैं, जिनके अनुबंध समाप्त नहीं हुए थे । आप पूरे प्रदेश का न बताएं, चूंकि मेरा प्रश्न जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा विधान सभा क्षेत्र से संबंधित था । आप जांजगीर-चांपा जिले के 16 समूह के बारे में बता दें

[1] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

तो पूरे प्रदेश की कहानी साफ हो जाएगी । उन समूहों के लिए कार्य ही क्या व्यवस्था की गई है ? हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि इनको कार्य दिया जाये ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जिन 16 समूहों की बात कर रहे हैं, उनके साथ अनुबंध हो गया है और उन्हें काम दिया जा रहा है ।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कृपा पूर्वक बता दें कि उन समूहों के साथ किसी चीज का अनुबंध हुआ है और किस दर पर अनुबंध हुआ है ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रेडी टू ईट के वितरण का अनुबंध हुआ है । वे आंगनबाड़ी केन्द्रो में वितरण करेंगे ।

श्री सौरभ सिंह :- करेंगे या कर रहे हैं ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- जिनके साथ अनुबंध हो गया है, वे वितरण कर रहे हैं । जिनके साथ अनुबंध नहीं हुआ है, वह प्रक्रियाधीन है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बात वहीं आ गई । जिनके साथ अनुबंध हो गया है, वे वितरण कर रहे हैं । जिनके साथ अनुबंध नहीं हुआ है, वे वितरण नहीं कर रहे हैं । कहानी वही जाकर अटक रही है कि जिनके साथ अनुबंध नहीं हुआ है । अनुबंध क्यों नहीं हुआ है ? अनुबंध इसलिए नहीं हुआ है कि जो ट्रांसपोर्टिंग का ठेका है, ये उनको बोल रहे हैं कि बीज विकास निगम से जो इनका गोडाऊन होगा, जहां-जहां पर आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, वहां पर ट्रांसपोर्टिंग का ठेका उन स्व सहायता समूहों को दिया जाएगा । हाईकोर्ट ने 13 रूपए की दर से भुगतान की बात कही, विभाग 4 रूपए की दर से भुगतान करने की बात कह रहा है । जब 4 रूपए की दर से देंगे तो उनको जम नहीं रहा है, इसलिए अनुबंध नहीं कर रहे हैं तो वे बेरोजगार हो ही गए न । हमारा यह कहना है कि जिन्होंने अनुबंध किया, अनुबंध क्यों नहीं कर रहे हैं ? हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हमने उनको बेरोजगार कर दिया । उनका अनुबंध क्यों नहीं हो रहा है, मैं माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूं ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रियाधीन है । जहां पर अनुबंध नहीं हुआ है, उसमें वहां कार्यवाही कर रहे हैं । बीज निगम, कृषि विकास निगम द्वारा अनुबंध समूह के लिए उनको प्रतिमाह 15 हजार रूपए पड़ रहा है । प्लस एक रूपए प्रति किलो के हिसाब से परिवहन का भी भुगतान किया जा रहा है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी विधान सभा क्षेत्र में आप फ्लेट रेट के तहत अनुबंध नहीं कर सकते । आपको किलोमीटर के हिसाब से अनुबंध करना पड़ेगा । आपके वितरण केन्द्र से कोई जगह 2 किलोमीटर में है और कोई जगह वितरण केन्द्र से 25 किलोमीटर दूर है । सब जगह किलोमीटर के आधार पर भुगतान होता है । माननीय मंत्री जी बोल रही हैं कि फ्लेट रेट पर होगा । फ्लेट रेट पर कौन लेगा ? आप धीरे से उनको बेरोजगार कर देंगे । आज ही के एक प्रश्न में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय मंत्री जी की ओर से जवाब आया है कि बीज विकास निगम ने ट्रांसपोर्टिंग के लिए किसी और कम्पनी के साथ एक और अनुबंध किया है । एक तरफ आप किसी और कम्पनी के साथ अनुबंध कर रहे हैं और दूसरी तरफ महिलाओं को वह रेट नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण वह अनुबंध करके अपना जीवन-यापन कर सकें । यह तो उनको तकलीफ देने वाली बात है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी जानकारी के अनुसार अनुबंध हो चुका है ?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार जांजगीर-चांपा जिले में 6 लोगों के साथ अनुबंध हुआ है । बाकी 10 लोगों का अनुबंध नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप किसी और नये व्यक्ति के साथ अनुबंध की बात कर रहे हैं, वह हो चुका है क्या ? आपने जो पेपर में पढ़ा है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अभी बता दूंगा, आज की ही प्रश्नोत्तरी में जवाब आया है कि अनुबंध हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय :- किसी रेट में हुआ है, यह बता सकते हैं ?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी मंत्री जी देंगी ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, फिर छोड़िए। आराम से करेंगे ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता देता हूं । माननीय बृजमोहन जी के अतारांकित प्रश्न संख्या-56 में उत्तर आया है कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट की सप्लाई एवं परिवहन का कार्य छ0ग0 राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड रायपुर की संयुक्त उपक्रम कम्पनी छत्तीसगढ़ एग्रो फूड कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है । अब दो बात आ गई । उन समूहों को काम नहीं मिल रहा है, इधर एक अनुबंध हो गया है । अब अनुबंध हो गया है तो उनको तंग किया जा रहा है । वे उस रेट में काम नहीं कर सकते । अध्यक्ष जी, आप इस चीज को समझिए । उस रेट में वे काम ही नहीं कर सकते । फ्लेट रेट में कहीं पर काम नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं भी समझ रहा हूं, माननीय मंत्री जी भी समझेंगी । देख लेंगे कि उसमें क्या परेशानी है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के उत्तर जिस तरह से आ रहे हैं, उनका भगवान मालिक हैं । मैं आपको दो चीजें अवगत करवाना चाहता हूं। एक तो प्रश्न और विधि विधायी मामला है इसलिए एक चीज अवगत करवाना चाहता हूं । पहला यह कि यह 3 महीने का मामला है। पूरे प्रदेश में अप्रैल, मई और जून में ready to eat की सप्लाई नहीं हुई। ready to eat की सप्लाई नहीं है, मुख्यमंत्री जी का यह फ्लैगशिप प्रोग्राम है। हम कुपोषण से लड़ाई लड़ रहे हैं। यह छत्तीसगढ़ माडल है, उसका बहुत पैसे का विज्ञापन भी आता है। तो इन तीन महीनों तक ready to eat की सप्लाई के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, वह यह है कि आज के मेरे एक प्रश्न, जो अतारांकित में परिवर्तित हो गया है, चौथे नंबर के प्रश्न को देख लीजिये, इसमें मंत्री महोदया ने कहा है कि मेरे पिछले प्रश्न का उत्तर गलत था। मैंने पिछले सत्र में जो प्रश्न पूछा था, वह उत्तर गलत था, सही नहीं था, यह मंत्री जी स्वीकार की हैं। यह तो विधानसभा है। संसदीय कार्यमंत्री जी, आप उसको देख लीजिये। यह विधानसभा का मामला है इसलिए मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रही हैं कि पिछले सत्र का मेरा उत्तर गलत है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी ? मैं इसके लिए कौन सी प्रक्रिया में जाऊं, यह बता दीजिये। तो माननीय महोदय, आप देख लीजियेगा और आप व्यवस्था दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप परिवहन में भी देख लीजिये कि उनके द्वारा और इनके द्वारा क्या जानकारी दी गई है ? मैंने पूछा कि इन तीन महीनों तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बच्चों के लिए ready to eat की क्या व्यवस्था की गई थी ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मई, जून में तो सप्लाई हुआ है। मैंने अप्रैल के बारे में तो बता दिया है कि कोर्ट का मामला था, इसलिए नहीं हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप परिशिष्ट देख लीजिये, आप बृजमोहन जी वाले प्रश्न का परिशिष्ट देख लीजिये।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना क्लीयर उत्तर आया है इसमें और क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इस कारण से अप्रैल में नहीं हो पाया। मई-जून में तो सप्लाई किए हैं। इनको और क्या चाहिए ? इनको और क्या जवाब चाहिए ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप अपने प्रश्न में तो नहीं बोल पाते हो।

श्री अमरजीत भगत :- इतना क्लीयर उत्तर आया है। इसके बाद अनावश्यक रूप से ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बृजमोहन जी के प्रश्न के उत्तर में देख लीजिये इसमें 3 महीने, अप्रैल, मई और जून में सप्लाई जीरो है। आप परिशिष्ट देख लीजिये।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, अच्छा उत्तर आया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। मई, जून में सप्लाई हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, please.

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य के प्रश्न में उत्तर दी हूं मई, जून में सप्लाई हुआ है और अप्रैल में नहीं हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- तीनों महीने नहीं हुआ है, जीरो हुआ है, आप देख लीजिये, आप परिशिष्ट को देख लीजिये।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, ऐसा नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- इतना क्लीयर उत्तर है।

अध्यक्ष महोदय :- आप उनको कन्फ्यूज मत करिये, उनको जवाब देने दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह अपने उत्तरों में तो बोल नहीं पाते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मेरी बात सुनिये न।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह यह समझ रहे हैं कि मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं, ध्यान बंटा रहा हूं। यह हमारा बहुत ध्यान बंटा लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, यह आपकी सरकार का मामला है। आप भी बहुत सीरियस हैं, इसलिए सीरियसली प्रश्न उत्तर को होने दीजिये।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष जी, उसमें यही तो बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह चीज हुआ है। मई, जून में सप्लाई हुआ है, केवल अप्रैल में नहीं हो पाया है।

अध्यक्ष महोदय :- रहने दीजिये न, मंत्री जी सक्षम हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- हां, वह बिलकुल सक्षम हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अभी कोई आरोप नहीं लगाया है, हमने अभी पूछा बस ही है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, मंत्री जी, आप बताईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बृजमोहन जी के अतारांकित प्रश्न में देख लीजिये। इसी में अप्रैल, मई और जून तीनों महीने में ready to eat की सप्लाई जीरो है। तो उसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई ? मान लो, मंत्री महोदया अप्रैल महीने भर की बात करती हैं तो अप्रैल महीने में बांटा गया या नहीं बांटा गया ? उसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई ? इसमें सच क्या है ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अप्रैल महीने में कोर्ट का आदेश था, इसके कारण पेण्डिग था, इसलिए सप्लाई नहीं हुआ। मई, जून में सप्लाई किया गया था। हमारा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान निरंतर चल रहा था।

श्री अजय चन्द्राकर :- बहन जी, मैं वैकल्पिक व्यवस्था पूछ रहा हूं ? तीनों महीने में जीरो सप्लाई है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अप्रैल महीने में जो बच्चों में कुपोषण हुआ, आपने उसके लिए क्या व्यवस्था की थी ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान निरंतर चल रहा था।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सदस्य वही पूछ रहे हैं कि आपने अप्रैल महीने में ready to eat फूड नहीं दिया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- बता ही दो कि गरम भोजन चल रहा था |

श्री सौरभ सिंह :- गरम भोजन चल रहा था ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता तो रही हूं कि वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में गरम भोजन चल रहा था।

श्री अमरजीत भगत :- बाकी वैकल्पिक व्यवस्था में चल रहा था।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- उत्तर बता रही हैं, आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- गरम भोजन चल रहा था ?

श्री अमरजीत भगत :- चल रहा था। बाकी वैकल्पिक व्यवस्था में चल रहा था। आप मई, जून बोल रहे हो, केवल अप्रैल में नहीं हो पाया था, मई जून में सप्लाई हुआ तो है, बता तो रही हैं।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोग उत्तर सुन ही नहीं रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मान लो अप्रैल महीने में सप्लाई नहीं हुआ, बच्चों को ready to eat सप्लाई नहीं हुआ तो इस सरकार का गंभीर आपराध है, मानवीय अपराध है, बच्चों के साथ अपराध है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोर्ट का भी तो मामला है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आपको पूरे प्रकरण की संसदीय समिति से जांच करवानी चाहिए कि जो ट्रांसपोर्टिंग हुई है, जो सप्लाई हुआ है और एम.पी. एग्रो के साथ, बीज विकास निगम के साथ सरकार को ठेका देकर पैसा कमाने के लिए है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं बिलकुल इस पर विचार करूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्षम होदय, इसलिए संपूर्ण प्रकरण की संसदीय समिति से जांच करवाईये ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा, आप जबर्दस्ती आरोप लगा रहे हैं। पिछले शासनकाल में भी दूध के लिए भी बीज निगम को दिए थे तो क्या आप लोग भी पैसा कमाने के लिए किये थे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने पैसा कमाने शब्द का उपयोग नहीं किया है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आपने अभी उपयोग किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- बीज विकास निगम को पैसा कमाने, धंधा करने के लिए नहीं बनाया गया, मैंने यह कहा। आपको नहीं कहा।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक ये महिलाएं ready to eat चला रहीं थी, तब तक कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आई, आपूर्ति में दिक्कत नहीं आई। यह सारा गड़बड़ी कब से हुआ है जब से एक करोड़पति के साथ, बीज निगम तो नाम मात्र का है। रायगढ़ का तो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बीज निगम है, वह चल भी नहीं रहा है । आप थोड़ा सा परीक्षण करा लीजिए । वहां से रेडी टू ईट नहीं आ रहा है, पता नहीं कहां से लेकर आ रहे हैं । मैं पता कर लिया हूँ कि आपका रायगढ़ का बंद है । आप पता कर लेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उच्च स्तरीय मामला है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- इनका रायगढ़ का बीज निगम बंद है । जब तक महिलायें चला रही थी, तब तक दिक्कत नहीं आई । जब से करोड़पति को कान्टेक्ट किये हैं, बीज निगम को साईड कर दीजिए, बीज निगम का कुछ है ही नहीं, तब से यह गड़बड़ी आई है । गड़बड़ी आने के बाद आज रेडी टू ईट क्यों नहीं दी जा रही है, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है ? सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही है, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है ? सरकार ने जो निर्णय लिया है, यह निर्णय अनुचित है । उस दिन हम लोगों ने विरोध किया था । विरोध करने के बाद वह साबित हो रहा है, यह सरकार जानबूझकर करोड़पति को बेच दिये हैं, महिलाओं का हक छीने हैं, सप्लाई करने में असफल रही है, इसलिए माननीय मंत्री जी आपका कोई रोल नहीं है । किसने दिया है, आप तो अंदर से विरोध कर रही थी, मेरे को मालूम है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको उत्तर भर देना है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने उस समय कहा था कि इसको चलने दीजिए । यहां तो [XX] चल रहा है । इसमें भी [XX] [2] घुस गये हैं और घुसने के बाद में जो सप्लाई नहीं हो पा रही है, इसके लिए जो दोषी है, क्या उसके खिलाफ में कार्यवाही करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं इसका जवाब आपसे चाहता हूँ ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भण्डारण कहां हो रहा है, कहां से सप्लाई हो रही है, यह बता दीजिए ?

अध्यक्ष महोदय :- वह तो जवाब दे रहे हैं, सुन तो लो यार । भण्डारण को छोड़िये । उनसे जवाब सुन लीजिए । अब आगी कोन करा दे रेहेस, चुरहा कोन करा लगे हे, वोखरो जवाब देबे त अच्छा बात थोड़ी हे । भण्डारण कहां हो रहा है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, माननीय सौरभ सिंह जी का प्रश्न है, आदरणीय मंत्री जी समुचित उत्तर दे रही है, अप्रैल की सप्लाई के बारे में आपने कहा, उन्होंने स्वीकार किया । माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण लंबित होने के कारण जो भी निर्देश रहे होंगे, अप्रैल में सप्लाई नहीं हो पाई । आदरणीय अजय जी ने प्रश्न किया कि आपके पास अप्रैल का वैकल्पिक क्या व्यवस्था थी ? आदरणीय मंत्री जी ने उसके लिये भी उत्तर दिया कि अप्रैल में हम लोगों का गरम भोजन का कार्यक्रम चल ही रहा था । उसमें कूपोषण जैसी स्थिति नहीं हुई । लेकिन.. (व्यवधान)

[2] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप समर्थन में बोल रहे हैं तो रेडी टू ईट चालू करने बोलिये ना ? (व्यवधान)

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- जवाब तो सुनें । (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- आदरणीय मंत्री जी ने आपका दोनों उत्तर दिया । सौरभ जी ने जो प्रश्न किया, अप्रैल महीने का उन्होंने उत्तर दिया । आपने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या थी ? अब आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी जानना ....।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी...।

श्री रविन्द्र चौबे :- मुझे निर्देश हुआ है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं आपको बता देता हूँ । गरम भोजन गर्भवती महिलाओं के लिये रहता है, बच्चों के लिये नहीं रहता है ।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- बच्चों के लिये भी है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- जनता को धोखा देने का काम मत कीजिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- जानकारी नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपको जानकारी नहीं है तो इसको कल के लिये रख लीजिए । पूरी जानकारी कलेक्ट कर लीजिए । 16 हजार महिलाओं को बेरोजगार कर दिये हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- उनको पता नहीं है । आपका विभाग है, आप नहीं जानते हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- 1605 रेडी टू ईट समूह को हटाया गया । 16 हजार महिलायें बेरोजगार हो गई । छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं ।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- धोखा नहीं दे रहे हैं, आप जाकर देखिये गरम भोजन दे रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- बिल्कुल धोखा देने का काम कर रहे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- मंत्री जी जब बोल रही है कि बच्चों को ...(व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- उस समय हम लोगों ने विरोध किया था कि रेडी टू ईट चलाने में असफल है । इसलिए आप सदन की कमेटी से जांच करायें । ..(व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- सदन की जांच कमेटी बनवाईये । यह बहुत बड़ा मामला है । बहुत बड़ा ...(व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- बस्तर में ...(व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- आपका आ रहा है, आप चिन्ता मत करो । बैठ जाओ, थोड़ी देर में आपका है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 16 हजार महिलायें बेरोजगार हो गयी है । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- यह बहुत बड़ा मामला है । यह आपके जिले का भी मामला है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैं खड़ा हूँ, आप बैठ जाईये । माननीय मंत्री जी को मैंने नेता प्रतिपक्ष जी के प्रश्नों का जवाब देने के लिये कहा है, आप उनका जवाब दे दीजिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, हमारी आदरणीय मंत्री जी उत्तर देने में सक्षम है और उत्तर दे रही थी । माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने सप्लाई से लेकर, एग्रीमेंट से लेकर जिन बातों का जिक्र किया, पहने उनका प्रश्न तो हो जाये, आदरणीय मंत्री जी का उत्तर आ जाये । उसमें और कोई परिस्थिति पैदा होगी, जांच की बात होगी, आवश्यक होगा तो उसमें आगे बात किया जायेगा, लेकिन आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने केवल अभिभाषण कहा है । उन्होंने तो प्रश्न किया ही नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप प्रश्न कर दीजिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय इनका एग्रीमेंट हुआ, हमने उस समय विरोध किया था । हमने कहा कि महिलाओं के हाथों से छीनकर [XX] जो कायम है, रेडी टू ईट में भी [XX][3] घुस गये हैं । चौबे जी ने जो प्रतिशत तय किया है, 73 प्रतिशत व्यक्तिगत का है, उसका बचा हुआ आपका है। लेकिन आज जो सप्लाई नहीं हो रही है, उसका प्रमुख कारण है, इन्होंने रायगढ़ का बहुत बड़ा हवाला दिया कि रायगढ़ में हमारी फैक्ट्री हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आज सप्लाई नहीं हो रही है, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न केवल यह है कि अप्रैल में सप्लाई नहीं हो पाई। आदरणीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि अभी नियमित रूप से सप्लाई हो रही है।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं अप्रैल की ही बात कर रहा हूं। आज भी रायगढ़ में बंद है, रायगढ़ से आज भी सप्लाई नहीं हो रही है। जिसके माध्यम से आपने कांटेक्ट किया कि हमारे रायगढ़ में है, वह गुणवत्तापूर्ण रेडी टू ईट फूड की सप्लाई करेंगे। हम वहां से बना करके देंगे, वाहन से सप्लाई करेंगे। मेन जो गड़बड़ियॉ हैं, वह इनका रायगढ़ में बंद है और बंद होने के बाद में सप्लाई का सिस्टम अस्त व्यस्त हो गया है। मैं तो चौबे जी से पूछ रहा हूं कि आप बाहर जा करके एक बार रायगढ़ में बात करके बताईये। आप पूछ करके आईये। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब नहीं आ रहा है। वह कोर्ट का नाम ले रही हैं। कोर्ट में ऐसा कोई मामला लंबित नहीं है। कोर्ट में कोई स्टे नहीं है जिसके कारण इसका जवाब न आये। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि सदन की कमेटी से जांच करायें। यह प्रदेश के पौने तीन करोड़ लोगों का, महिलाओं का महत्वपूर्ण मामला है। अब यह लोग कितना महिलाओं के नाम पर लूटने का काम कर रहे हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने में है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न तो आया नहीं है।

---

[3] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी का जवाब नहीं आ रहा है। आप उसमें सदन की कमेटी से जांच के लिए निर्देश दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- अभी तो आपने प्रश्न ही नहीं किया।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने प्रश्न किया था कि क्या यह जो सारी अनियमितता हुई है और जो अनियमितता करने वाले हैं, उनके खिलाफ में आप जांच की घोषणा करेंगी और जांच में साबित होने पर क्या उनको दंडित करेंगी, कार्यवाही करेंगी?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है कि [XX][4] चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, [XX] शब्द को विलोपित करा दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां कोई [XX] नहीं चल रहा है। यहां सरकार काम कर रही है और महिलाओं से खाद्य वितरण करा रही है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप कितने में विलोपित कराओगे। [XX] तो साबित हो गया है।

अध्यक्ष महोदय :- हॉ करा देंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह महिलाओं का नहीं है, यह आपका [XX] है। वह तो हमारी मंत्री जी चला रही थीं, एक मंत्री छोड़ करके भाग गये हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है कि यहां [XX] चल रहा है। [XX] शब्द का विलोपित कराया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- मैं उसको विलोपित कर दूंगा। आप बार-बार क्यों कह रहे हैं?

श्री धरमलाल कौशिक :- यह प्रदेश की जनता को दिख रहा है। एक तो मंत्री छोड़ करके चले गये। अब तो मंत्री जी चलाना चाह रही हैं... (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, [XX] नहीं चला रहे हैं। [XX] शब्द को विलोपित कराया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। आप [XX] 10 बार बोल चुके हैं, वह एक बार बोले हैं। आप उसको विलोपित करने के लिए बोल रहे हैं और आप खुद 10 बार बोल रहे हैं। उसका क्या मतलब है?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी को विलोपित करने के लिए अनुरोध कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं विलोपित कर दूंगा।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अप्रैल में जो सप्लाई नहीं हुआ, वह कोर्ट का आदेश मेरे पास है। मई-जून में तो निरंतर सप्लाई हो रही है, वहां कहीं गड़बड़ी नहीं हो रही है। आप लोग यहां पर इस बात का उपयोग न करें कि वहां पर सप्लाई नहीं हो रही है। आप हर आंगनबाड़ी में जाकर निरीक्षण कर लीजिए।

---

[4] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा। एक प्रश्न में 23 मिनट हो गये हैं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इस बात को बता दें कि जो रेडी टू ईट फूड का पैकेट जा रहा है उसमें expiry date लिखी है या नहीं और किस दिन की manufacturing date है ? मैं यह सदन में दिखा नहीं सकता नहीं तो मैं इसे दिखा देता। जो रेडी टू ईड फूड सप्लाई हो रहा है उसमें manufacturing date लिखी है या नहीं, उसकी उपयोग की अवधि कितनी है और उसकी expiry date क्या है ?

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह 30 दिन के लिए रहता है और 03 महीने के बाद दूसरा सप्लाई हो जाता है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, manufacturing date तो लिखी रहेगी न, valid for 3 months, उसमें manufacturing date ही नहीं लिखी है कि इस तारीख को manufacture हो रहा है। valid for 3 months भी नहीं लिखा है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- जिस दिन रेडी टू ईट फूड आ रहा है वह तो उनका पता है न।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पीड़ा है, [XX][5] आता है तो इस ढंग से आम जनता का नुकसान करता है।

अध्यक्ष महोदय :- आप मुझे उसको कक्ष में दिखाईयेगा, मैं देखूंगा कि लिखा है या नहीं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ,विभाग प्रश्न का जवाब देने में कितना तत्पर है।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, 24-25 मिनट हो गये हैं, आप लंबा प्रश्न मत करिये। वैसे ही इसमें आधे घंटे की चर्चा हो गई है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। विभाग प्रश्न का जवाब देने में कितना गंभीर है। एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी लिखती हैं कि 22 मार्च 2022 के तारांकित प्रश्न क्रमांक 25 में प्रदेश के 81,955 महिला स्वसहायता समूह के ऋण माफी के आदेश जारी कर लागू करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने का तथ्य उल्लेखित किया गया है जो कि सही नहीं है। विधानसभा में जो उत्तर दिया गया है और दूसरे उत्तर में आप देख लीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय, एक मिनट रूको। मैंने रेडी टू ईट के पैकिंग का पूछ लिया तो उसका पैकेट लेकर, लाकर दिये हैं। यदि कल पानी खराब हुआ तो हम यहां पर बोतल को लेकर आयेंगे। यदि वर्मी कम्पोस्ट खराब हुआ तो हम वर्मी कम्पोस्ट की बोरी लेकर यहां पर आयेंगे और मंत्री जी को दिखायेंगे। आप इसके लिये अनुमति दें। हमने पूछा तो उसको लिखकर उत्तर देना चाहिये, लेकिन उसको पैकेट लाकर उसको दिखाने का ..।

---

[5] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, उसको दिखाया नहीं गया है, उसमें मेनुफेक्चरिंग डेट है।

अध्यक्ष महोदय :- उसको मैं बोल रहा हूं कि मुझे दिखाइये।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, दिया गया है, आप चेक करवा लीजिये। हम कल से खराब पानी की बोतल लेकर आयेंगे और खराब पानी की बोतल लाकर यहां पर दिखायेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये हो गया।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, यह सदन का मजाक है।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, हम वर्मी कम्पोस्ट को लाकर यहां पर डालेंगे।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रेडी टू ईट पहले से अच्छी क्वालिटी का आ रहा है और जनता खुश है। मैं खुद खाकर देखी हूं, पहले की अपेक्षा में बहुत अच्छा आ रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन के अंतर्गत विशेषाधिकार का मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- महाराज, क्या हो गया ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी स्वीकार कर रही है कि मैंने पिछले सत्र में विधान सभा में गलत उत्तर दिया है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था। मगर (व्यवधान) स्वीकार किया था। (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, 15 साल में कुपोषण दर बढ़े हवै। अभी हमन के सरकार में घटे हवै। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें गलत उत्तर दिया गया है। इसमें कोई जानकारी नहीं दी गयी है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- मेरे प्रश्न में मंत्री जी ने उत्तर दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- हो गया। मैंने बोल तो दिया कि जांच करायेंगे।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- अध्यक्ष महोदय, इनके शासनकाल में इतनी घटिया क्वालिटी का एकदम सड़ा गला रेडी टू ईट मिलता था। उसको लोग खाते नहीं थे, फेंक देते थे, गैय्या को खिला देते थे और आज कल जो रेडी टू ईट आ रहा है, वह बहुत अच्छी क्वालिटी का है।

श्री संतराम नेताम :- तुमन के राज में कुपोषण बढ़े हे, हमन के में घटे हें।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बैठिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, यदि विधान सभा में मंत्री जी गलत उत्तर दें और अगले सत्र में स्वीकार करें। उसके लिये कोई जिम्मेदारी निर्धारित होगी या नहीं होगी?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, गलत उत्तर देना और उसको स्वीकार करना आसंदी की अवमानना है। सरकारी संसदीय कार्यमंत्री, आप बताईये कि उसमें क्या होगा ?

श्री शिवरतन शर्मा :- कोई जिम्मेदारी निर्धारित करेंगे या नहीं करेंगे? मंत्री जी ने सदन में गलत उत्तर कैसे दिया ?

अध्यक्ष महोदय :- आप मेरी बात सुन लीजिये। शर्मा जी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिये। आप बहुत तेजी में मत बोलिये। यदि कोई उत्तर गलत आया है तो उसके लिये भी यहां पर नियम निर्धारित है कि आप उससे पूछिये। मुझसे निवेदन कीजिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, लेकिन उत्तर गलत नहीं आया है। मंत्री जी स्वीकार कर रही है कि मैंने पिछले सत्र में गलत उत्तर दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, आप के हिसाब से ही मंत्री जी उत्तर दें, इसके लिये आप बाध्य नहीं कर सकते ।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, उन्होंने स्वीकार किया है। मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि मैंने गलत उत्तर दिया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी खुद लिखकर दे रही है। इसमें कौन-सा (व्यवधान) है। मंत्री जी ने (व्यवधान) किया है। आप पेज नं. 34 देख लीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- यदि उत्तर गलत है तो आप जांच कराईये। आप मुझे दीजिये।

श्री अजय चंद्राकर :- लेकिन क्या यहां विधान सभा में कुछ भी लिखकर दे देंगे, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? क्यों सरकारी संसदीय कार्यमंत्री जी ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में कुछ भी लिखकर दे देने से थोड़ी न चलेगा।

अध्यक्ष महोदय :- हम करेंगे, कार्रवाई होगी। आप लिखकर दीजिये, हम करेंगे कार्रवाई।

श्री अजय चंद्राकर :- ठीक है, थैंक यू।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, यह बच्चों का मामला है, बहुत ही गंभीर विषय है।

अध्यक्ष महोदय :- इसीलिये तो हम कार्रवाई करेंगे।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे यही आग्रह है कि आप सदन की जांच कमेटी गठित करके इसमें जांच करायें।

अध्यक्ष महोदय :- मैं वह देखता हूं, यदि उसकी जरूरत पड़ेगी तो वह भी करायेंगे। श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

<u>धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में पेंशन के लंबित आवेदन</u>

[समाज कल्याण]

2. (*क्र. 640) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** धरसींवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायतों में दिनांक 31 मई, 2022 की स्थिति में पेंशन से सम्बंधित कितने आवेदन लंबित हैं लंबित आवेदनों का निपटारा कब तक किया जायेगा? **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में कितने हितग्राही पेंशन से वंचित हैं? जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : **(क)** कोई भी आवेदन लंबित नहीं है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** प्रश्न उपस्थ्ति नहीं होता।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूं।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। जब आप संतुष्ट है तो चुप-चाप बैठ जाईये। बिल्कुल आगे मत बढ़िये।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करती हूं कि वर्ष 2002-03 की सर्वे सूचि में जो बाध्यता है, उसकी वजह से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन नहीं मिल पा रही है। मैं उसके लिये निवेदन करती हूं कि केंद्र सरकार को सदन से पत्र जाएं और इसकी बाध्यता खत्म की जाएं।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

<u>रायगढ़ जिले की वृहद सिंचाई केलो परियोजना का निर्माण</u>

[जल संसाधन]

3. (*क्र. 455) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायगढ़ जिले की वृहद सिंचाई केलो परियोजना के निर्माण हेतु कब एवं कितनी लागत की स्वीकृति प्रदान की गई थी ? इसकी पूर्णता तिथि क्या थी ? **(ख)** प्रारंभ से लेकर 15 जून, 2022 तक इस परियोजना में कितनी राशि व्यय की गई है ? **(ग)** केलो परियोजना में कितने हेक्टेयर सिंचाई हेतु प्रस्तावित था ? वर्तमान में कितने हेक्टेयर रकबा में कृषकों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : **(क)** रायगढ़ जिले की केलो वृहद सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर द्वारा दिनांक 20.06.2003 को रू. 98.50 करोड की प्रशासकीय स्वीकृति, दिनांक 25.07.2009 को रू. 598.91 करोड की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति तथा दिनांक 18.02.2020 को रू. 891.01 करोड रूपये की पुनः पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रदान की गई थी। इसकी पूर्णताः तिथि प्रारंभ में मार्च 2009 प्रस्तावित थी। **(ख)** प्रारंभ से लेकर 15 जून, 2022 तक इस परियोजना में कुल राशि रू. 825.95 करोड व्यय हुआ है। **(ग)** केलो परियोजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 22810 हेक्टेयर है। वर्तमान में 5843 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषकों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रायगढ़ जिले के केलो परियोजना को लेकर है।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- कौन सा? हो गया, हो गया, आप तीनों अलग-अलग प्रश्न कर रहे हैं। आप लोगों में एकता नहीं दिखाई दे रही है। अब आगे बढ़ गया है। उस प्रश्न का उत्तर मैंने स्वयं दे दिया।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि इस परियोजना के निर्माण के लिये अब तक कितनी लागत की स्वीकृति हुई है? यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, इसमें समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केलो परियोजना बहुत वृहत परियोजना है। इसमें लगभग 22,810 हेक्टेयर का क्षेत्र स्वीकृत होना था, लेकिन अभी तक मात्र 5,843 हेक्टेयर का ही लाभ कृषकों को मिल पा रहा है। यह इतनी बड़ी योजना है और अभी तक इसका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इसलिये मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि यह कार्य कब तक पूर्ण होगा? आप संभावित तिथि बता दीजिये कि छः महीना, एक साल, कब तक हो जायेगा, यह बता दें?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने खुद कहा कि 22,810 हेक्टेयर के लिये यह डिजाईन किया गया है और 5,843 हेक्टेयर में सिंचाई होती है। जो मेन केनाल है वह लगभग 15.90 कि.मी., मेन केनाल का लगभग 100 प्रतिशत काम पूर्ण हो गया है। जो 07 नग वितरक नहर है, उसमें 70 प्रतिशत काम पूर्ण हो गया है, शेष कार्य Land Acquisition के लिये रूका हुआ है। आप Land Acquisition की स्थिति को जानते हैं। भू-अर्जन के लगभग 437 प्रकरणों में से 400 प्रकरणों का निपटारा किया जा चुका है। जो 50 शेष लंबित प्रकरण है वह उसमें सेक्शन 11 में 26, सेक्शन 19 में 6 और सेक्शन 21 में 14, इस तरीके से लंबित है और इसकी टोटल जो राशि है, वह जब लंबित प्रकरण, इसका एवार्ड पारित हो जाएगा। तब दिया जा पायेगा। मैं तो उम्मीद करूंगा कि बहुत लम्बे समय से लंबित है, जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए, मेरा आपसे भी आग्रह है, हमारा जो माईनर है, उसको पूरा कराने के लिए लोगों को तैयार करें। तभी हम यह जो आपका लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर पायेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग सभी किसान इसके लिए तैयार हैं कि इस परियोजना में जल्दी काम हो, लेकिन मुआवजे की राशि जो मिलनी है, वह नहीं मिल पा रही है। इसलिए अभी तक काम लटका हुआ है। आप लोग यह मुआवजा राशि कब तक दे देंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर किसान सहमत हैं तो पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं कलेक्टर और अपने विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश जारी करूंगा। अगर किसान सहमत हैं तो भूमि- अधिग्रहण की कार्यवाही और एवार्ड पारित करने की कार्यवाही शीघ्र हो जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस पर शीघ्र काम प्रारंभ कर देंगे।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान सहमत हैं। इस पर जल्दी काम शुरू किया जाये।

<u>दिव्यांग जनों के कल्याणार्थ शासन की संचालित योजनाएं</u>

[समाज कल्याण]

4. (*क्र. 685) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दिव्यांग जनों के कल्याण हेतु केंद्र एवं प्रदेश सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं ? योजना वार दिए जाने वाले लाभ की जानकारी देवें । **(ख)** जिला राजनांदगांव अंतर्गत दिव्यांगों द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं ट्राईसाईकिल हेतु कितने आवेदन वर्ष 2019-20 से दिनांक 30 जून, 2022 तक प्राप्त हुए हैं। इनमें से कितने आवेदनों का निराकरण किया गया है एवं शेष आवेदनों का निराकरण कब तक कर लिया जावेगा । विकासखंड वार जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश "ख" की अवधि में कितने दिव्यांगों को हस्त चलित एवं कितने को बैटरी चालित ट्राई साइकिल प्रदान की गई है ? **(घ)** प्रदेश में मानसिक दिव्यांग के पुनर्वास के लिए कौन-कौन से योजनायें संचालित हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : **(क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ**[6] अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-स** अनुसार है। **(घ)** प्रदेश में मानसिक दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए निम्नानुसार योजनाएं संचालित हैं :- 1. मानसिक रूप से अविकसित बच्चों का गृह 2. बौद्धिक मंद बालक/बालिकाओं का विशेष विद्यालय 3. घरौंदा योजना 4. हॉफ वे होम.

श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ शासन की संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी मांगी थी। जो 17 योजनाएं संचालित

[6] परिशिष्ट "एक"

हैं, माननीय मंत्री जी ने उनकी जानकारी दी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि घरौंदा योजना और हॉफ वे होम योजना कहां-कहां संचालित हैं और इसमें कितने लोग लाभांवित हो रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने घरौंदा योजना और हॉफ वे होम के बारे में जानकारी चाही है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के दो बिलासपुर और एक ही जगह यह हॉफ वे होम योजना संचालित है।

श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इस योजना से कितने लोग लाभांवित हो रहे हैं ? जो मानसिंक दिव्यांग हैं ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में बहु दिव्यांग 7 लाख 1 हजार 997 हैं। राज्य में बहु दिव्यांग हैं, जिसमें मानसिक रोगी भी हैं, उसमें कई प्रकार के रोग, जिसको मानसिक रूप से पूरा अविकसित, इस तरह के रहते हैं वह बहु दिव्यांग में आते हैं। पूरे राज्य में इतने लोग हैं।

अध्यक्ष महोदय :- इन्होंने तो केवल घरौंदा योजना के बारे में जानकारी चाही है। आपने हॉफ वे होम योजना में बता दिया कि बिलासपुर में संचालित हैं। घरौंदा योजना में कुल कितने हैं ? आप घरौंदा योजना की जानकारी चाहते हैं ?

श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी।

अध्यक्ष महोदय :- आप माननीय मंत्री जी के कक्ष में चले जाईयेगा, वह जानकारी दे देंगे।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी निकालकर, दे दूंगी।

अध्यक्ष महोदय :- अब हो गया। आप जब कक्ष में जायेंगे तो कुछ और काम भी हो जाएगा।

श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ दो मिनट समय देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. बांधी जी।

<u>कृषि विभाग में पदस्थ अधिकारियों के विरुद्ध जाँच</u>

[कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी]

5. (*क्र. 620) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- कृषि विभाग के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता व उच्च पदों पर पदस्थ किन -किन अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय , ईओडब्लू , एसीबी , या अन्य जाँच कब से चल रही है व प्रमुख आरोप क्या हैं ? विभागीय जाँच सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार कितने दिनों में पूर्ण की जानी चाहिए तथा कितने प्रकरणों में इस समय-सीमा में जांच पूर्ण नहीं हुई व क्यों तथा जांच अधिकारी कौन हैं, उनके विरुद्ध विलम्ब के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : जानकारी संलग्न प्रपत्र-'अ' अनुसार है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कृषि विभाग के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता व उच्च पदों पर पदस्थ किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय, ईओडब्लू, एसीबी और कितने अधिकारियों के विरूद्ध लोक आयोग में न्यायलीन प्रकरण है ? और कितने अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच चल रही है ? केवल इतना बता दें फिर मैं दूसरा प्रश्न करता हूँ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपके उत्तर के चार्ट में दिया गया है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप एक बार बता दीजिए। इस उत्तर में तो आया है कि जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। अभी आपने तात्कालीक तौर पर वितरण बॉक्स के माध्यम से जानकारी दी है। यहां कितने अधिकारी ऐसे हैं जिनके विरूद्ध ईओडब्लू चल रहे हैं ? जिनकी विभागीय जांच चल रही है ? कितने अधिकारियों के विरूद्ध लोक आयोग में न्यायलीन प्रकरण चल रहा है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ईओडब्लू के 4 प्रकरण, लोक आयोग के 10 प्रकरण, विभागीय जांच के 12 प्रकरण हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय,अब तक जिनकी जांच हुई है उनमें क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो बड़ा प्रश्न है। माननीय सदस्य किसी अधिकारी का पर्टीक्यूलर पूछे तो बताया जा सकता है। आप पूरे प्रदेश में कितने लोगों के खिलाफ लोक आयोग में क्या-क्या कार्यवाही हुई है...। यह कैसे संभव है।

अध्यक्ष महोदय :- आप ऐसा मत करिये। प्रश्नकाल इतना महत्वपूर्ण समय है। आप ऐसा छिछालेदर करेंगे तो कैसे काम चलेगा ?वहां कौन-कौन जांच करने गये थे। कौन-कौन फुल पेंट पहनकर गये थे, कौन हाफ पैंट पहनकर गये थे। आप छोटा सा प्रश्न करिये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं छोटा सा प्रश्न कर लेता हूँ आपने ईओडब्लू के 4 प्रकरण बतायें हैं। जिन अधिकारियों के विरूद्ध ईओडब्लू की जांच चल रही है, वर्तमान में वह अधिकारी कहां-कहां पदस्थ हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना उत्तर आ सकता है ?

अध्यक्ष महोदय :- आ सकता है। आपको ई.ओ.डब्ल्यू. से मतलब है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, अब मेरे को पूरा चार्ट खोजकर बताना पड़ेगा। मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा।

अध्यक्ष महोदय :- लीजियेगा।

प्रश्नोत्तर/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- ई.ओ.डब्ल्यू. का पहला प्रकरण आर.के.सिंह पूर्व प्रबंधक छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय :- Very Good .

श्री शिवरतन शर्मा :- सेवानिवृत्त कब हुए ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अब वह तारीख भी बता दूं। भाई, आप ही के चार्ट में लिखा हुआ है।

श्री रविन्द्र चौबे :- दूसरा, रियाजुद्दीन खान, उपसंचालक कृषि गरियाबंद, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तीसरा, माननीय अध्यक्ष जी, बहुत लंबा-चौड़ा चार्ट है, खोजना पड़ेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- चार ठिन नाम में काय ला खोजे ल पड़ही।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष जी, अब चार नामों में खोजना पड़ रहा है, आप खोज लीजिए। मैं एक और प्रश्न करना चाहता हूं। जो विभागीय जांच है, जिसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश दिए थे, उन निर्देशों के अनुसार कितने दिनों में कोई भी जांच पूर्ण की जानी चाहिए या कितने प्रकरणों में ऐसी समय सीमा तय है? सामान्य प्रशासन विभाग ने ऐसी जांच के प्रकरणों में कोई समय सीमा निर्धारित किया हुआ है क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- डॉ. तै हा बहुत कठिन प्रश्न पूछतस।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- फिर सरल कर लेते हैं, भैया।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, अब जी.ए.डी. का निर्देश खोजकर इनको पढ़कर सुनाना पड़ेगा।

श्री नारायण चंदेल :- तै विस्तार मा मत जाना।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, काला विस्तार में जाही, जोन हे तेला तो बताय ला पड़ही। आदरणीय डॉ. साहब जी.ए.डी. का निर्देश चाहते हैं। विभागीय जांच के मामलों में निर्धारित एक वर्ष की समयावधि में निपटाकर अंतिम आदेश पारित किया जाए। यह निर्देश है। अनुचित विलंब पर रोक लगाई जाए, यह दूसरा निर्देश है। विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर लघु शासकीय पारित किया जाए, यह तीसरा निर्देश है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष जी, लगभग एक वर्ष की समय सीमा है। कितने जांचों में एक वर्ष से ज्यादा समय हो गया, जो अभी तक लंबित है ?

रविन्द्र चौबे :- भैया, अधिकांश प्रकरण तो वर्ष 2018 के पहले का है। अब पूरा पढ़ना पड़ेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, वर्ष 2018 के पहले का मामला है तो आपको कार्रवाई कर देना चाहिए। उन अधिकारियों को क्यों बचा रहे हो ? आपकी सरकार को साढ़े तीन साल हो गए।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, बचा नहीं रहे हैं लेकिन मामला कब से लंबित है, मैं उनको बता रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- इसमें वर्ष 2013, 2014, 2015, 2016 मत चलाईए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं नहीं चला रहा हूं लेकिन लंबित है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप कार्रवाई करिए न। वर्ष 2018 के पहले का प्रकरण है तो भी कार्रवाई करिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, विभाग द्वारा 25 अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए दो-दो वेतन वृद्धि रोकी गयी है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, ममता चंद्राकर जी हैं। नहीं हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय :- अब छोड़िए न, हो गया।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष जी, ठीक है।

प्रश्न संख्या : 06 **XX** **XX**

विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर अंतर्गत ग्राम केकराभाट एवं कबारीपाली के घटोई डैम में प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा

[जल संसाधन]

7. (*क्र. 629) श्री रामकुमार यादव : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर अंतर्गत ग्राम केकराभाट एवं कबारीपाली तहसील डभरा, जिला जांजगीर चाम्पा के घटोई डैम में प्रभावित सभी कृषकों को मुआवजा राशि प्रदान कर दी गयी है यदि नहीं तो कितने शेष हैं ? विस्तृत विवरण देवें? तथा कब तक प्रदान की जावेगी?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर अंतर्गत ग्राम केकराभाठ एवं कबारीपाली तहसील डभरा, जिला जांजगीर-चांपा के घटोई डेम में प्रभावित सभी कृषकों को मुआवजा राशि नहीं दी गई है। छः कृषकों का मुआवजा भुगतान हेतु शेष है। मुआवजा हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है। विस्तृत **जानकारी संलग्न प्रपत्र[7] अनुसार है।** मुआवजा भुगतान एक जटिल अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, अतः इस हेतु समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय कृषि मंत्री जी ला पूछे रहेव कि केकराभाट एवं कबारीपाली तहसील डभरा में 40 साल पहले एक ठन डेम बने रिहिस अऊ आज तक ओखर पैसा नई मिले हे, तेखर संबंध मा प्रश्न पूछे हो। मैं माननीय मंत्री जी से ओखर जवाब चाहतहव।

अध्यक्ष महोदय :- ओ डैम के का नाम हे।

[7] परिशिष्ट "दो"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रामकुमार यादव :- घटोई डैम।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, 40 साल पहले का प्रश्न है, यह भी बहुत कठिन प्रश्न है। मैंने प्रपत्र में जो जानकारी दी है, उसमें लगभग 5 किसानों का मुआवजा शेष है। इसका मुआवजा प्रकरण बना ही नहीं था, 40 साल पहले का रिकॉर्ड ही नहीं है। अब आदरणीय रामकुमार भाई इसमें प्रश्न कर रहे हैं तो निर्देश देंगे। इसमें कबीरीपाली और केकराभाट के 6 कृषिकों का 1.423 हेक्टेयर अवार्ड पारित करने तथा वर्तमान में शेष छूटे हुए 3 कृषकों का मुआवजा प्रकरण तैयार करने की कार्रवाई हो रही है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, आपके जिला के मामला ए।

अध्यक्ष महोदय :- अब तैं ओला कुछु करबे ता। मोर जिला के मतलब थोड़े हे।

श्री रामकुमार यादव :- मैं कहात हव 40 साल देखा। कहूं मेर डेम बन जावत हे, कहूं मेर कंपनी बन जावत अऊ किंजरथे एती ले ओती, गरीब आदमी किसान कहां जाये। यहां तक कि कोर्ट ने ऑर्डर करे हे। ये कोर्ट के ऑर्डर ला भी अगर कहें तो मैं पढ़के, सुना हाईकोर्ट के...

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी बहुत समझदार मंत्री हैं। तोर निर्देश में काम हो जाही।

श्री रामकुमार यादव :- मेहा आपसे निवेदन करना चाहत हंव कि एमा 25, एमा कोर्ट ह लिखे हे The petiton of this court of .....

अध्यक्ष महोदय :-अंग्रेजी हरे का ?

श्री रामकुमार यादव :-एमा 120 डेज के मतलब 120 दिन में एला देबर ऑर्डर करे हे। न हाईकोर्ट के ऑर्डर पालन होवथे, न अधिकारी मन ह ध्यान देवथे। आपसे मोर निवेदन है कि वहां बहुत सारा कंपनी मन ला खोल देहे। वोकरो मुआवजा नहीं मिले हे। डेम बना देहे वोकरो मुआवजा नहीं मिले हे। बहुत समस्या हे, अभी मोर चंद्रपुर विधानसभा मा। आपसे मोर निवेदन है कि एक टीम गठित कर दव। अउ सबके साल्यूशन बना देवव। चाहे वो ह घटोई बांध के हो, चाहे बैराज के हो। ये जम्मो ल जांच करवा देव। काबर मोर मुख्यमंत्री किसान के भी आगे हे। किसान मन कहाथे कि अतका दिन ले भले नहीं मिलिस, 15 साल, लेकिन अब श्री भूपेश बघेल जी बने हे, कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे जी मिले हे। हमन ला जरूर मिलिह वोकर उम्मीद है,निवेदन है एक बार आप एकर बर टीम गठित करवा देव।

श्री शिवरतन शर्मा :- रामकुमार, रामकुमार। 15 साल से पहले 25 साल ले तुहर सरकार रिहिस हे।

श्री रामकुमार यादव :- 15 साल ले तुमन बना देहव।

श्री शिवरतन शर्मा :- 25 साल ले तुहर सरकार रिहिस हे अउ ये 40 साल पहिली बने हे। स्वीकार कर लव।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामकुमार यादव :- वो कंपनी ल पानी दे देव। पहिली तुमन ल सोचना चाहिये कि पानी देबो यहा डुबान में किसान ला मिलना चाहिये कि नहीं मिलना चाहिये ?पहिली कंपनी ला दे दे हव। अउ आज अलग बात करथस ।

श्री शिवरतन शर्मा :- बिल्कुल मिलना चाहिये। अभी जलेबी असन घुमाहि चिंता झन कर तोला।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, मोर आपस निवेदन है। चूंकि किसान के मामला हरे । एक टीम गठित करव । जतना चंद्रपुर में जतन जगह ... (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- रामकुमार जी, रामकुमार जी, यादव जी। मत गुस्सा हो, ए तरफ काहे गुस्सा थस। तैं ह 40 साल पहिलि के फाइल ल चौबे जी खोज के निकाल दिस वोकर बर धन्यवाद देना भैय्या वोला । अउ मुआवजा भी देवा दिहि । ए तरफ मत ध्यान दे कर यार ते अपन लक्ष्य ले मत भटक।

श्री रामकुमार यादव :- अभी 15 साल गरू हे न । उद्योगपति मन ला पानी देबर डेम बनाय हावे, आज तक वो मन ला मुआवजा नहीं मिले हावे।

श्री धर्मजीत सिंह :- महराज जी बोल तो देहे। 5 झन ला मुआवजा नहीं मिले हे ता अउ का करे। 40 साल के फाइल ला खुलवा ली एही बहुत हे। नहीं ते फाइले नहीं मिले।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है कि किसान के मामला हरे, पूरा प्रदेश देखत होही।

अध्यक्ष महोदय :- चौबे जी, ये 40 साल वाला मुआवजा कम से कम भुगतान करवा दीजिये।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष जी, यह तो केवल 6 किसान का मामला है। 40 साल पुराना प्रकरण है। विभाग ने तैयार कर लिया है। उस पर कार्यवाही तो हो ही रही है। माननीय रामकुमार जी की चिंता केवल ये 6 किसान नहीं है वह जांजगीर जिले में जितना लैंड एक्यूजेशन हुआ है, केवल इरीगेशन के लिये नहीं, अन्य विभागों के लिये, इंडस्ट्री के लिये। कितना इंडस्ट्री आप ही लोगों के कार्यकाल... इशारा 15 साल के करथ रेहस न।

श्री रामकुमार यादव :- 15 साल।

श्री शिवरतन शर्मा :- 15 साल पहिलि काकर सरकार रिहिस हे, बता देना गा ?वो 40 साल पहिलि के बात करथ हावे। वो 40 साल पहिलि काकर सरकार रिहस हे तेला बताना ?

श्री सौरभ सिंह :- वो समय भंवानीलाल बबा ह विधायक रिहिस हे। वो समय भंवानी लाल बबा ह चंद्रपुर के विधायक रिहिस हे। ते समय के बात ल करथ हावे 40 साल।

श्री रामकुमार यादव :- अउ ये 15 साल पानी देबर कोन बना रिहिस हे।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- 40 साल पहिलि पटवा और कैलाश जोशी जी के सरकार रिहिस हे।

श्री धर्मजीत सिंह :- सरकार जिसकी भी रही हो भैय्या। किसान को पैसा दिलवा दीजिये।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- पटवा सरकार 29 साल पहिलि रिहिस हे, 40 साल पहिलि नहीं रिहिस हे। 1990 में बनिस हे पटवा जी के सरकार ह।

श्री धर्मजीत सिंह :- वहां के किसानों को पैसा मिलना चाहिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी,प्रश्न यह नहीं है कि 40 साल में कौन-कौन आये और कौन-कौन गये। पटवा जी भी रहे, जोशी जी भी रहे, से लेकर हम भी रहे, आप भी रहे हैं । किसी ने ध्यान नहीं दिया। बधाई दीजिये रामकुमार जी को जो उन्होंने ध्यान दिया और मामला आया विधानसभा में ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं तो कह ही रहा हूं न।

श्री अजय चंद्राकर :- तो जलेबी काहे खिला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- श्री प्रमोद कुमार शर्मा।

प्रश्न संख्या : 8 XX XX

अध्यक्ष महोदय :- श्री अरूण वोरा जी।

<u>प्रदेश में अनाथ बच्चों को गोद लेने के प्राप्त आवेदनों का निराकरण</u>

[महिला एवं बाल विकास]

9. (*क्र. 558) श्री अरुण वोरा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ की कितनी संस्थाओं और आश्रमों में कितने अनाथ बच्चे हैं? जिलेवार जानकारी दें? **(ख)** 01 जनवरी, 2022 की स्थिति में इन्हे गोद लेने के लिए कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? इनमें से कितने आवेदनों पर कार्यवाही की गई? कितने आवेदन कब से लंबित हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : (क) छत्तीसगढ़ की 45 बाल देखरेख संस्थाओं में 413 अनाथ बच्चें हैं। जिलेवार**जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार**है। **(ख)** केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा केयरिंग पोर्टल के माध्यम से दत्तक ग्रहण के लिए आवेदन की ऑनलाईन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। 01 जनवरी 2022 की स्थिति में दत्तक ग्रहण के लिए राज्य के 852 आवेदकों द्वारा केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के केयरिंग्स पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीयन कराया गया। राज्य में संचालित विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों द्वारा 851 आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार कर केयरिंग्स पोर्टल पर अपलोड की गई। शेष 1 आवेदन दिनांक 5.04.2021 से लंबित है।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रदेश में अनाथ बच्चों को गोद लेने के प्राप्त आवेदनों के संदर्भ में और उसके निराकरण के संबंध में जानकारी चाही है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 1 जनवरी, 2022 तक 852 आवेदन किये गये हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन आवेदनों की अवधि में कितने वर्ष हो गये है, इन पांच वर्षों में ? 852 में से ऐसे कितने आवेदक हैं जिन्हें गोद लेने हेतु आवेदन 5 वर्ष से अधिक का समय हो गया है ?क्या विदेशों से भी आवेदन आये हैं ?अगर आये हैं तो किस-किस देश से आये हैं ?

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय अध्यक्ष जी, यह भारत गर्वनमेंट के पोर्टल में रहता है और हम लोगों को जो इसकी जानकारी मिली है कि 852 आवेदनों में 851 आवेदन हो गया है और 1 आवेदन लंबित है। यह 1 आवेदन उनके माता-पिता, पैरेन्ट्स का रूचि नहीं होने के कारण उनसे संपर्क नहींहो पा रहा है, उनसे बातचीत नहीं हो पा रहा है। इसलिये एक आवेदन लंबित है। यह बताना संभव नहीं है कि कहां-कहां से कैसे-कैसे आवेदन आये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- 851 आवेदन में तो आपने कार्यवाही कर दी है न। कुछ कार्यवाही चल रही है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- जी, 852 में से 851 अपलोड हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया है । वोरा जी, आपको क्या आपत्ति है ?

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आवेदन किये 5 वर्ष से अधिक समय किन-किनको हो गया है ? कितने आवेदनों को हो गया है ?

अध्यक्ष महोदय :- आपने जो प्रश्न किया है यह कौन से जिले से उद्भुत है ?

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो प्रदेश स्तर से पूछ रहा हूं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- नहीं, आपने जब से पूछा है अभी तक का मैंने उसका बता दिया है । उसके बाद तो यह गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के पोर्टल पर रजिस्टर्ड होता है और CARA का क्षेत्राधिकार है, इसकी जानकारी हम लोग नहीं दे सकते ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, पोर्टल दिखवा लीजियेगा फिर अगली बार कोई परेशानी हो तो अगली बार आईयेगा । श्री अनूप नाग ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप उस बारे में मुझसे बात करियेगा ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके आवेदन के लिये क्या-क्या दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने चाहिए क्योंकि बहुत से लोग भटकाव की स्थिति में रहते हैं और बहुत से गलत गोद ले लिये जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अनूप नाग हैं ?

अप्रवेशित/प्रकाशन के लिए नहीं

<u>अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नहर द्वारा सिंचित ग्राम</u>

[जल संसाधन]

10. (*क्र. 668) श्री अनूप नाग : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कितने ग्राम नहर से सिंचित है ? कितने ग्राम असिंचित हैं तहसीलवार गांव के नाम सहित जानकारी बताएं ? (ख) प्रश्नां श "क" के अनुसार क्या सभी सिंचित ग्रामों में वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के रबि फसल के दौरान सिंचाई हेतु पानी दिया गया था ? यदि हां तो कितने ग्राम लाभान्वित हुए और यदि नहीं तो कौन-कौन से गांव सिंचाई से वंचित हुए थे ? तहसीलवार ग्रामां के नाम सहित जानकारी देवें ? (ग) विधानसभा के सभी वितरक नहर कार्य पूर्ण होकर क्या उसमें लाईनिंग कार्य हो गया हैं?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 90 ग्राम नहर से सिंचित है तथा 60 ग्राम असिंचित है। तहसीलवार ग्रामों के नाम संलग्न प्रपत्र-अ[8] अनुसार है ।(ख) जी हाँ। प्रश्नांश 'क' के अनुसार सिंचित ग्रामों में वर्ष 2019-20 2020-21 एवं 2021-22 के रबी फसल के दौरान योजनाओं में रबी सिंचाई हेतु पानी दिया गया था, जिससे वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में रबी सिंचाई से लाभांवित ग्रामों की संख्या क्रमशः 56, 34 एवं 28 थे तथा वंचित ग्राम क्रमशः 34, 56, 62 थे। तहसीलवार ग्रामों का सूची संलग्नप्रपत्र-ब अनुसार है।(ग) विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्मित 1 मध्यम एवं 30 लघु कुल 31 योजनाओं में सभी नहरों की कुल लंबाई 288.95 कि.मी. है, जिसमें से 24.87 कि.मी. नहर में लाईनिंग कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 3.76 कि.मी. में लाईनिंग कार्य प्रगतिरत है। जानकारी प्रपत्र-सअनुसार है।

श्री अनूप नाग :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल माननीय कृषि मंत्री जी से मेरे अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो सिंचाई के नहर-नाली हैं उनके निर्माण के संबंध में था । माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा जवाब आया है कि कार्य प्रगति पर है ।

अध्यक्ष महोदय :- क्या आप उससे संतुष्ट हैं ?

श्री अनूप नाग :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा अंतागढ़ विधानसभा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां किसानों की कृषि फसल की सिंचाई के लिये कोई साधन नहीं है । परलकोट क्षेत्र में एक बांध है वहीं से परलकोट क्षेत्र में

---

[8] परिशिष्ट "पाँच"

कुछ किसानों को पानी मिलता है रही बात अंतागढ़ विधानसभा की तो वहां एक भी बांध नहीं है । एक कढ़ीखोदरा बांध जिसे कहते हैं उसमें नहर-नाली केनाल जो है बिल्कुल जर्जर हालत में है, वहां सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है । पूर्ववर्ती सरकार 15 साल पूर्व नहाकशा बांध बनाने के लिये तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री रामविचार नेताम जी और वहां के जनप्रतिनिधियों ने भूमिपूजन भी किया था लेकिन वह आज वैसा का वैसा ही है, वहां केवल पत्थर भर गड़े हुए हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- विधायक जी, आप तो पहले पुलिस अधिकार थे न तो सीधे-सीधे पाइंटेड प्रश्न करिए न ।

श्री अनूप नाग :- जी । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर अंतागढ़ में नहाकशा बांध बन जाता है तो वहां के किसानों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई हेतु सुविधा मिलेगी । तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री रामविचार नेताम जी के द्वारा भूमिपूजन किया गया था । आज 15 वर्षों से उसमें कोई कार्य नहीं हुआ, पत्थर लगे हुए हैं । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अब हमारी सरकार आयी है तो उस नहाकशा बांध पर विचार किया जाये और जो केनाल बन रहे हैं उसको गुणवत्ता के आधार पर बनाया जाये । मेरा बस इतना ही निवेदन है ।

अध्यक्ष महोदय :- वेरीगुड । चलिये, विचार किया जाये को छोड़ दीजिये, गुणवत्ता से बनायी जाये को याद रखिये ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संदर्भ में निर्देश जारी कर दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद ।

<u>जिला- मुंगेली में संचालित गोठान</u>

[कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी]

11. (*क्र. 734) श्री धर्मजीत सिंह : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) मुंगेली जिला क्षेत्र में पशुधन की संख्या कितनी है, इसकी गणना कब की गई ? ब्लागकवार बतावें ? (ख) कंडिका "क" के क्षेत्र में कितने गोठान कहां-कहां संचालित हैं, ब्लॉ कवार बतावें ? (ग) कंडिका "क" के क्षेत्र में गोधन योजना के तहत योजना प्रारंभ से जून, 2022 तक कितनी मात्रा में गोबर की खरीदी की गई, उसमें कितनी मात्रा में वर्मीखाद तैयार कराया गया, और इन मदों में कितना-कितना खर्च किया गया ?

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :(क) वर्ष 2018-19 की पशुधन गणना अनुसार मुंगेली जिला क्षेत्र में कुल 3,76819 पशुधन है। ब्लाकवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ[9] अनुसार है।(ख) जिला मुंगेली अंतर्गत कुल 181 गोठान संचालित है, ब्लाकवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) मुंगेली जिले में गोधन न्याय योजना के प्रारंभ दिनांक 20 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2022 तक 1,83,802.98 क्विं. गोबरकी खरीदी की गई, गोबर खरीदी हेतु राशि रू. 367.61 लाख खर्च किया गया। 30 जून 2022 तक 26,479.64 क्विं. वर्मीखाद तैयार कराया गया ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत ही सामान्य सा है । माननीय मंत्री जी आपने बताया है कि मुंगेली जिले में 181 गौठान हैं और उसमें 1,83,802.98 क्विंटल गोबर खरीदी में 26,479.64 क्विंटल वर्मीखाद तैयार किय गया है । मैं आपसे एक-साथ 2-3 प्रश्न पूछ देता हूं, आप उसका जवाब दे दीजियेगा । पहला क्या आप मुझे 2-3 गौठान, जो भी आपने लिस्ट दी है उसमें से देखने के लिये अपने अधिकारियों को बतायेंगे कि मुझे दिखा दें ? दूसरा यह है कि मेरे जंगल के क्षेत्र में अर्थात् फॉरेस्ट एरिया में यदि कोई गौठान बना हो तो उसको भी दिखवा देंगे और एकाध-दो अगर मान लो वहां जरूरत पड़ी तो उसके लिये भी बोलूंगा तो उसको विचार कर लेंगे ? तीसरी बात, मेरे हिसाब से एक किलो वर्मी खाद बनाने के लिये ढ़ाई किलो गोबर की जरूरत पड़ती है लेकिन आपके जवाब में 7 किलो गोबर में एक किलो वर्मीखाद बन रहा है तो यह अंतर जो मैं बता रहा हूं वह सही है या आपका जो आंकड़ा बोल रहा है वह सही है, यह बता देंगे ? वर्मी खाद बनाने में उसके मैनुफैक्चरिंग की डेट उसमें पड़ती है कि नहीं पड़ती है ? और इस खाद की गुणवत्ता कितने दिनों तक रहती है ताकि उसका उपयोग यदि किसान करे तो असर करेगा या कितने दिनों बाद उसका असर नहीं होता है ? आप यह जानकारी मुझे दे दीजिये क्योंकि मैं इसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हूं, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, धर्मजीत भइया ने एक साथ पांच प्रश्न कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं उसको एक प्रश्न में बदल देता हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, पांच प्रश्न नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं उसको एक प्रश्न में बदल देता हूं । आपने जो पांच प्रश्न किया है, मैं उसको एक प्रश्न में बदल देता हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- जी हां, कर दीजिए ना सर ।

---

[9] परिशिष्ट "छ:"

अध्यक्ष महोदय :- आप कृपया बता दें कि एक किलो वर्मी खाद बनाने के लिए कितने किलो गोबर चाहिए । बहुत सामान्य सा प्रश्न है और जो वर्मी खाद बनेगा उसमें कितने दिनों तक गुणवत्ता रहेगी ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, पहली बात तो यह है कि माननीय धर्मजीत भइया ने कहा कि मुझे गौठान दिखाने के लिए निर्देश जारी कर दीजिए । मैं अभी गोधन न्याय मिशन के प्रमुख और वेटनरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, उनको निर्देश जारी करूंगा कि माननीय धर्मजीत भइया के निर्वाचन क्षेत्र में जो बेहतर गोठान हैं, उनको भी दिखाएं और जहां बेहतर करने की संभावना है, उनको भी दिखाएं । दूसरा, आपने कहा कि फॉरेस्ट एरिया में, तो आवर्ती चराई केन्द्र को हम लोगों ने गौठान के रूप में विकसित किया हुआ है । उसके बावजूद भी आप वहां जाना चाहें तो आदरणीय वन मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि जहां भी ऐसी स्थिति है, आपको उसकी सूची जारी कर देंगे । आप जहां प्रस्ताव देंगे हम वहां भी आवर्ती चराई केन्द्र प्रारंभ कर देंगे । तीसरी बात, पूरे लोरमी का गोबर से वर्मी बनाने के बारे में आपने पूछा है सामान्यत: हम लोग मानते हैं कि टोटल गोबर का 30 से 35 प्रतिशत वर्मी कम्पोस्ट बनता है । लेकिन कभी बरसात में गोबर में पानी अधिक होता है, ठंड के दिनों में पानी कम होता है, यह वेरियेशन होता रहता है । आपके जिले का टोटल वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन के आंकड़े जो दिये गये हैं, वह टोटल गोबर कलेक्शन का लगभग 30 प्रतिशत के आसपास है । आपने एक किलो के अनुपात में आपने कहा, वह विक्रय वाला वर्मी कम्पोस्ट है । अभी टंकियों में जो वर्मी कम्पोस्ट है, उसको आपने जोड़ा नहीं । लगभग 30-35 प्रतिशत का हिस्सा होता है । क्वालिटी के बारे में हम अपने यूनिवर्सिटी से टेस्ट करवाते हैं और गोबर के वर्मी कम्पोस्ट के एक्सपायरी के बारे में अभी कोई निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए ।

श्री रामकुमार यादव :- गोबर जतके जुन्ना होवत हे, ओतके बढ़िया रथे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था । हजारों गौठान बन गए, 5 गौठान निकाल कर दिखा दो ।

अध्यक्ष महोदय :- यह कृषि मंत्री जी का प्रश्न है, आप कृषि मंत्री जी से पूछिये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- 5 गौठान घुमा दो सबको, गौठानों की दुर्दशा पूरा प्रदेश देख लेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- लखेश्वर बघेल का पहला प्रश्न आ रहा है, बस्तर का आदमी है, उसे पूछने दीजिए । अनिला भेंडिया जी तैयार रहिए, प्रश्नकाल समाप्त होने वाला है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में कुपोषण की स्थिति

[महिला एवं बाल विकास]

12. (*क्र. 675) श्री बघेल लखेश्वर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला बस्तर में विगत 03 वर्षों में कुपोषण नियंत्रण हेतु कुल कितनी राशि आंबटित एवं व्यय की गई ? तथा कुपोषण कम करने हेतु क्या-क्या कार्यक्रम बताए जा रहे हैं ? जानकारी देवें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : कुपोषण पर नियंत्रण हेतु विगत तीन वर्षों में बस्तर जिले को कुल 88,41,77,034 रूपये का आबंटन प्राप्त हुआ था तथा 85,26,03,708 रूपये व्यय किये गये हैं। कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवाओं तथा संबंधित विभागीय योजनाओं के माध्यम से विविध प्रयास किये जा रहे हैं। इनमें पूरक पोषण आहार का प्रदाय, टीकाकरण, संदर्भ सेवा, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, महतारी जतन योजना, सुपोषण चौपाल एवं मुख्यमंत्री सुपोषण योजना प्रमुख है।

श्री लखेश्वर बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बस्तर संभाग में कुपोषण की स्थिति के संबंध में था । माननीय मंत्री महोदया का उत्तर आया है । लेकिन आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से प्रश्न करना चाहूंगा कि 2020-21 और 2021-22 के कुपोषण का आंकड़ा क्या था ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, कुपोषण का आंकड़ा 17.47 और 19.65 । आपने 2020-21 का पूछा है ना ?

श्री लखेश्वर बघेल :- आंकड़ा मतलब, बस्तर जिले का ब्लॉकवाइस बताने का कष्ट करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- ब्लॉकवाइस मत जाओ यार । ब्लॉकवाइस लम्बा उत्तर है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- मैंने आपको बस्तर ज़िले का बताया है, ब्लॉकवाइस आपको भेज दूंगी ।

अध्यक्ष महोदय :- और बताइए ।

श्री लखेश्वर बघेल :- इन्होंने 85 करोड़, 26 लाख रूपए व्यय बताया है और विभिन्न योजनाएं चल रही हैं । लेकिन बस्तर ज़िले के आंकड़े के मुताबित आज की स्थिति में लगभग 14 हजार कुपोषित हैं, मेरा विधान सभा मैदानी क्षेत्र है, सबसे जयादा वहां कुपोषण है । बस्तर ब्लॉक में 4 हजार कुपोषित हैं, बकावंड ब्लॉक में 3500 कुपोषित हैं । इतनी प्रभावशाली योजनाएं चलाने के बावजूद भी 2020-21, 2022-23 में केवल 1 प्रतिशत कम होने से प्रश्न चिह्न लगता है । मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि कुपोषण दूर करने के लिए इसमें और कुछ विशेष अभियान चलाएंगे क्या ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एन.एफ.एच.एस.-4 में कुपोषण दर 50.6 प्रतिशत था और एन.एफ.एच.एस.-5 में 45 प्रतिशत था। कुपोषण दर में तो कम से कम 5.5 प्रतिशत की

कमी आई है। हम लोग आगे भी कुपोषण को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी योजनाएं हैं, वह निरंतर जारी रहें।

श्री अजय चंद्राकर :- आपकी कुपोषण दूर हुई?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप लोगों का कुपोषण पहले दूर करेंगे।

श्री बघेल लखेश्वर :- मैंने खासकर अपने विधानसभा क्षेत्र की बात किया था।

अध्यक्ष महोदय :- विधायक महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि विधासनभा सत्र के पश्चात् मंत्री जी को अपने क्षेत्र में बुलाईये और वहां जाकर सब प्रश्न करिये। श्री धनेन्द्र साहू जी।

<u>महानदी पर निर्मित ऐनीकट एवं बैराज मे बडे पैमाने पर जमे रेत और मिट्टी, शील्ट</u>

[जल संसाधन]

13. (*क्र. 550) श्री धनेन्द्र साहू : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सही है कि, महानदी पर निर्मित ऐनीकट राजिम ऐनीकट , रावड़ ऐनीकट पितईबंध ऐनीकट, टीला ऐनीकट एवं निसदा समोदा बैराज में बडे पैमाने पर रेत और मिट्टी, शील्ट के रूप में जमा होने के कारण क्षमता से कम मात्रा में जल का भराव हो रहा है? यदि हॉ, तो जमा हो रहे शील्ट को निकालने हेतु विभाग द्वारा अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी देवें?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : **(क)** जी नहीं, एनीकट/बैराज में रेत और मिट्टी, सिल्ट के रूप में जमा होना एक सामान्य एवं प्राकृतिक प्रक्रिया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में महानदी पर 6-7 ऐनीकट बने हैं। मैंने उसमें पूछा था कि शील्ट के रूप में जमा होने के कारण उसमें क्षमता से कम मात्रा में जल का भराव हो रहा है। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया है कि जल भराव क्षेत्र में कमी नहीं आई है और साथ ही उन्होंने शील्ट जमा होने को सामान्य प्रक्रिया बताया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा यह पूरा तकनीकी विषय था। मैं समझता था कि ...।

अध्यक्ष महोदय :- तकनीकी जवाब आयेगा।

श्री धनेन्द्र साहू :- Proper तकनीकी जवाब आयेगा। माननीय मंत्री जी नहीं जानते हैं कि सारे एनीकट एवं बैराज में बड़े पैमाने पर शील्ट जमा हो रहा है। 8-10 साल में आधी मात्रा से ज्यादा सिल्ट जमा हो गया है, उसके कारण जल का भराव काफी कम हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि आप उसका जांच करा लीजिये कि कितना शील्ट जमा हुआ है, कितना जमाव हो रहा है और क्यों जमाव हो रहा है? इनके कार्यकाल में सारे एनीकट एवं बैराज बने हैं और उसके गेट ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, सब गेट खराब पड़े हैं। बारिश में जिन गेट को खुलने चाहिये, वह गेट नहीं खुल रहे हैं। मेरे यहां दुलना

एनीकट से लेकर दुलना एनीकट, राजिम एनीकट, पितईबंध ऐनीकट, टीला ऐनीकट एवं निसदा समोदा बैराज, ये सारे के सारे ऐनीकट में आधे से ज्यादा शील्ट जमा हो गये हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- मेधा और बड़े करेली ऐनीकट भी।

श्री धनेन्द्र साहू :- मेधा और बड़े करेली ऐनीकट को भी जोड़ देता हूं। आपने जो गेट बनाये हैं, वह संचालन नहीं हो रहे हैं, बारिश में गेट खुल नहीं रहे हैं, उसके कारण हमारे खेतों में डूबाव अलग आ रहा है, बड़े पैमाने दुलना ऐनीकट और रावड़ ऐनीकट में फसल डूब रहा है, वहां पर सिल्ट जमा हो गया है। मेरा माननीय मंत्री जी से आशय यह था कि एक तो सारे गेट को मरम्मत दें, बारिश में सारे गेट को खोलने का निर्देश दे दें। बारिश में गेट बंद रहता है, जिसके कारण और शिल्ट जमा होता है। जो शिल्ट जमा हो गया है, वहां पर रेत है। आप अनेक जगहों पर नदी में रेत उत्खनन की अनुमति दे रहे हैं तो जहां पर ऐनीकट और बैराज की साईड पर रेत जमा हो गया है, वहां की पर्यावरण के अनुपरूप खदान के रूप में आप जल संसाधन विभाग से recommend कर दीजिये। मेरा प्रश्न था कि बारिश के मौसम में ऐनीकटों के गेट का संचालन करा दीजिये और शील्ट को निकालने के लिए आप खनिज विभाग को सौंप दें। वह लोग जमा शील्ट को निकाल देंगे तो दोनों समस्या ठीक हो जायेगी।

श्री अजय चंद्राकर :- खनिज विभाग वाले तो ऐनीकट को तोड़ देंगे। खनिज विभाग वाले किसी की सुनते नहीं है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, आदरणीय धनेन्द्र भैया ने अपने लगभग राजिम, रावड़, पितईबंध, टीला और रिसदा समोदा बैराज ऐनीकट ...।

अध्यक्ष महोदय :- आप धनेन्द्र भैया को एक मिनट में संतुष्ट करिये। प्रश्नकाल का समय होने वाला है।

श्री रविन्द्र चौबे :- उन्होंने तकनीकी बात कहा है तो वह तकनीकी बात को मेरे से ज्यादा समझते हैं। विभाग ने जो जानकारी दी है, जितनी जल भराव के लिए डिजाईन किया गया है। हालांकि शील्टिंग होती है, यह हम सब लोग जानते हैं, लेकिन विभाग का उत्तर है कि अभी उतना जल भराव हो रहा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न आगे बढ़ जाये।

श्री रविन्द्र चौबे :- जहां तक आपने गेट खोलने की बात कही है, वह भी निर्देश रहता है कि बरसात में गेट खोल दिया जाये, लेकिन अभी भी गेट ऑपरेट नहीं हो रहा होगा तो ...।

श्री धनेन्द्र साहू :- सभी ऐनीकट के गेट बंद हैं, सिर्फ 5 से 10 प्रतिशत ऐनीकट के गेट ही खुले हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं विभाग को निर्देश जारी करूंगा कि सारे गेट खोल दिये जाये और माननीय धनेन्द्र साहू जी के पत्र के आधार पर हम लोगों ने कलेक्टर व माईनिंग

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डिपार्टमेंट को पत्र लिखा हुआ था। जैसा आपने कहा कि शिल्टिंग में एन.जी.टी. का जो गाइडलाईन है, उसके अलावा ...।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनिय, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1994) की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 13 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 20201-2022 पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम जी।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन 1 अप्रैल , 2020 से 31 मार्च, 2021 पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। ध्यानाकर्षण सूचनाएं।

पृच्छा

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल शुरू हो गया है।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी जमाने में छत्तीसगढ़ की पहचान शांति के टापू के रूप में होती थी, पर आज छत्तसीगढ़ की स्थिति यह बन गई है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- क्या आप लोगों में कार्य विभाजन हो गया है कि शून्यकाल को आप उठाएंगे और इस विषय को वह उठाएंगे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- जी माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के बीच कार्य विभाजन हो गया है। हम लोगों की अपनी इंटरनल व्यवस्था है। पूरे छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था की स्थिति समाप्त हो गई है। कल रायपुर में जो घटना घटित हुई है वह घटना आज के समाचार पत्र में प्रमुखता से छपी है। एक शर्मनाक घटना, जिसमें एक नाबालिग लड़की ने एक मूक बधिर व्यक्ति की रायपुर के मेन रोड में हत्या कर दी। कंकाली पारा में बीच सड़क में एक नाबालिग लड़की ने एक मूक बधिर की हत्या की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर चाकू की घटनाओं के लिए पूरे प्रदेश में और पूरे देश में विख्यात हो चुकी है। आज प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ हत्या के मामले में चौथे स्थान पर है।

श्री अजय चंद्राकर :- सरकारी संसदीय कार्यमंत्री जी, यह क्या हो रहा है।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- प्रश्न हो रहा है। यह शून्यकाल है और वह पूछ रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- कम से कम आप तो ऐसा मत कीजिए। गृहमंत्री कौन हैं और कहां हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- देश के रिकॉर्ड के अनुसार 1 लाख की आबादी में 3.50 मर्डर के केस दर्ज किये जाते हैं। पूरे देश का औसत 2.22 का है। मतलब, देश में हत्या के जो मामले दर्ज होते हैं उसके औसत से 1.28 ज्यादा है। दुनिया में ऐसा कोई अपराध नहीं है जो दुनिया में घटित होता हो और वह अपराध छत्तीसगढ़ में घटित न होता हो।

अध्यक्ष महोदय :- क्या आप शून्यकाल में बोल रहे हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शून्यकाल में बोल रहा हूं। कानून-व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई है। आपके जिले में और अकलतरा में यह घटना घटी। दिल्ली में जो निर्भया काण्ड हुआ था, उससे भी ज्यादा विभत्स घटना घटी। महिला के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार के पश्चात्...।

अध्यक्ष महोदय :- ये सब बातें एक बार, दो बार, तीन बार आ चुकी हैं। आप उसी-उसी बात को शून्यकाल में उठा रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, वह घटना कहां आई ? यह आप जानते हैं कि एक महिला के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार करने के पश्चात् किस विभत्स ढंग से उसकी हत्या की गई।

अध्यक्ष महोदय :- यह शून्यकाल का नहीं है। आप अभी की बात बताइये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर हमारा स्थगन प्रस्ताव है। आपसे आग्रह है कि आप हमारे स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करके उस पर चर्चा कराएं।

अध्यक्ष महोदय :- हां, तो आप ऐसा कहिये न।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर, दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि अब रायपुर का नाम समाचार पत्रों में चाकूपुर लिखा जाने लगा है।

अध्यक्ष महोदय :- चाकूपुर। कब से लिखा जाने लगा है ? (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पिछले 1 महीने से समाचार पत्रों में चाकूपुर लिखा जाने लगा है और जब से यह सरकार आई है तब से तो ऐसी बुरी हालत है कि यहां पर बात-बात पर चाकू चल रहे हैं। कानून-व्यवस्था की स्थिति बर्बाद है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- भैय्या, आप रायपुर का नाम बर्बाद मत कीजिए। किसने रायपुर को चाकूपुर कहा है ? आप रायपुर का नाम बदनाम क्यों कर रहे हों ?

श्री अजय चंद्राकर :- भैय्या, आप हमारे स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करवा लो न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सत्तू भैय्या, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां समाचार पत्र में छपा है। आप बोलेंगे कि समाचार पत्रों को मत दिखाओ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप हमारे स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करवा लो न।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- आप छत्तीसगढ़ का नाम बदनाम मत करो। आप रायपुर के विधायक हों।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब ऐसी बुरी हालत है और अभी पूरे छत्तीसगढ़ में रायपुर की ऐसी हालत हो रही है।

श्री अरूण वोरा :- अग्रवाल जी, अभी रामराज्य चल रहा है तो रायपुर को रामपुर कहा जा सकता है रायपुर का नाम चाकूपुर नहीं हो सकता है। छत्तीसगढ़ में अभी रामराज्य चल रहा है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर का नाम फुटपाथपुर है।

श्री अजय चंद्राकर :- आपके दुर्ग जिले में तो सामूहिक बलात्कार होता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरा छत्तीसगढ़ दहसत में है। बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं। दिल्ली में एक निर्भया काण्ड होता है तो पूरा देश उबल पड़ता है फिर छत्तीसगढ़ में तो ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन यहां कोई निर्भया काण्ड नहीं हो रहा हो, किसी नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हो रहा हो, उसके साथ वीभत्स घटनाएं नहीं हो रही हों, हत्या, लूट हो रही है । मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज है या नहीं ? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यहां हैं, पर आपकी जानकारी में बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं कि ऐसा क्यों रहा है, सरकार के जूतों की धमक क्यों सुनाई नहीं दे रही है ? अपराधी बेखौफ होकर क्यों घूम रहे हैं ? बाहर से आकर यहां अपराध करके अपराधी क्यों भाग रहे हैं ? जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, इसके बारे में हम चाहते हैं कि आप इस सदन में चर्चा करवाएं । यह मानसून सत्र है, यह मानसून सत्र

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में तो बरसात के कारण ठंडा होना चाहिए, परन्तु समाचार-पत्र इस संदेश से भरे पड़े हैं कि यहां पर चाकू चला, यहां पर बलात्कार हुआ, यहां पर हत्या हुई । अगर अपराधियों में खौफ नहीं होगा तो फिर लोगों का जीवन असुरक्षित हो जाएगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि कानून व्यवस्था की स्थिति के ऊपर में आप चर्चा करवाएं । माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है कि आप अपने प्रशासन को लगाम कसिए, नहीं तो छत्तीसगढ़ की जनता आपको माफ नहीं करेगी । पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत बुरी हालत है । आदिवासी क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में कभी अपराध नहीं होते थे। वहां अपराध का प्रतिशत जीरो होता था, अब बाहरी लोग जाकर वहां पर अपराध कर रहे हैं । अध्यक्ष जी, इसके बारे में हमको चिन्ता करनी चाहिए इसलिए हम चाहेंगे कि आप इसके ऊपर में चर्चा करवाएं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष जी, आपके राज में भी कांकेर क्षेत्र में झलियामार की घटना हुई थी ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 जुलाई की रात्रि को अकलतरा के पोड़ीभाठा में 23 वर्षीय महिला के साथ में जिस प्रकार का वीभत्स कृत्य किया गया, वह घटना पूरे छत्तीसगढ़ को दिल दहला देने वाली घटना है । खरौद में बच्ची का अपहरण होने के बाद 2-3 दिन उसकी डेड बॉडी मिलती है, कंकाल मिलता है । 14 जुलाई को भोजपुर, चांपा में 30 वर्षीय युवक की हत्या हुई, उसकी भी डेड बॉडी संदिग्ध परिस्थिति में मिलती है । कल रायपुर की जो घटना है, वह पूरे देश के समाचार-पत्रों में है, सोशल मीडिया में है, इलेक्ट्रानिक मीडिया में है। छत्तीसगढ़ का ग्राफ तेजी से अपराध की तरफ बढ़ रहा है । जिन प्रदेशों की ख्याति अपराध के नाम से थी, छत्तीसगढ़ उन प्रदेशों को पीछे छोड़ता जा रहे है । इसलिए कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है । इस महत्वपूर्ण विषय पर हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है । आसंदी से निवेदन है कि इस स्थगन को स्वीकार करके उस पर विस्तार से चर्चा करवाएं ।

समय :
12:08 बजे **(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए)**

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे वक्ताओं ने कुछ बात कही कि कानून-व्यवस्था गिर रही है, खराब हो रही है । मैं उसमें असहमति व्यक्त करता हूं । इस प्रदेश में कानून व्यवस्था तो है ही नहीं । माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश से बाहर जाते हैं तो एक बयान आता है कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है और उस मॉडल में गोबर खरीदी और गो मूत्र वाली बात होती है तो इसको भी पूरी दुनिया में बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और अब एक कार्यक्रम यह चलाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के लोग अपनी आत्मरक्षा खुद करें, यहां कल्याणकारी राज्य की समाप्ति हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व

में एक अराजक राज्य की स्थापना हो चुकी है । अब लूट, चाकू, हत्या की बात तो छोड़ दीजिए । निर्भया के जैसे एक घटना हुई, पर सरकार का एक नुमाइंदा वहां नहीं गया। संवेदनशीलता समाप्त हो गई है । हमारे उधर के साथी बड़ी-बड़ी बात करते हैं तो उधर के एक सदस्य भी वहां नहीं गए । आप पूछ लीजिए । एक और नये तरह के अपराध आ रहे हैं । फाईव स्टार होटल में 11 लड़कियां बरामद हुईं । ये कब से चल रहा होगा, क्या पुलिस को मालूम नहीं होगा ? ऐसा नहीं हो सकता । सभापति जी, ब्लैकमेलिंग और लूट, छत्तीसगढ़ में यह नई चीज आई है । शैलेन्द्र नगर निवासी 56 वर्षीय एक महिला की अश्लील फोटो खींचकर 20 लाख रूपए नगद, 40 तोला सोना और 4 किलो चांदी की लूट गई, ऐसा अपराध छत्तीसगढ़ में कभी नहीं घटी । रायपुर जिले में जी.ई. रोड़ में इंटरनेशनल स्विमिंग पुल में प्रशिक्षण लेने गई किशोरी से पुरूष ट्रेनर ने अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया और उससे ब्लैकमेलिंग की । तपकरा में मानव तस्कर 4 किशोरियों के साथ, एक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से काम के लिए गई थीं, ऐसी कई घटनाएं हुई। जब प्रदेश अध्यक्ष थे, ये जब इधर बैठते थे तो जय वीरू जोड़ी बोलते थे, आजकल ठाकुर और गब्बर सिंह हो गए हैं, ऐसा बोलते हैं, भाई पेपर में छपता है, मैं नहीं जानता। तो ठाकुर-गब्बर सिंह की जोड़ी इतने लोगों को संख्या बताती थी कि दो लाख गायब हैं, तीन लाख गायब हैं, चार लाख गायब हैं, जो इनके मन से आंकड़ा निकल जाये, वह गायब हैं। मैं तो प्रमाणिक रूप से चार ही लोगों का नाम ले रहा हूं ।

सभापति महोदय :- अपनी बात संक्षिप्त में कहिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- जी, मैं कम्पलीट ही कर देता हूं। आप देखिये कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में सबसे पहले आदमी के जीवन की रक्षा, जो सारी व्यवस्था खड़ी की जाती है, आप जो सारे सुख-सुविधा के इंतजाम करते हैं, सड़क बिजली, स्कूल, शिक्षा, अस्पताल से लेकर सड़क बिजली, पानी सब की व्यवस्था करते हैं। वह बैठे हुए हैं, हमारे माननीय बार-बार खड़े होते थे। सुकमा जिले में अभी 2 लोगों की हत्या हुई । नक्सल वेश में आकर दो सरपंचों की हत्या कर दी जाती है। सभापति महोदय, आपने बात खत्म करने के लिए कहा है तो मैं कहना चाहता हूं कि जो अवधारणा संवैधानिक थी, वह खत्म हो गई। अराजक सरकार की स्थापना हो गई। जब सरकार अराजक हो जाती है तो उस सरकार के लिए एक ही रास्ता बचता है कि वह इस्तीफा दे दें। यदि थोड़ा भी पानी है तो छत्तीसगढ़ में नहीं, दिल्ली बहुत जा रहे हैं, हिमाचल से गोडवाया की तरह, सिंगापुर से यह सरकार इस्तीफा भेज दें। यह सरकार असफल हो चुकी है, अराजक हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के लोगों की आत्मरक्षा के लिए अलग से ट्रेनिंग दे, स्किल डेवलपमेंट की तरह यहां कोर्स बनना चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, गृहमंत्री जी कहां हैं ?

सभापति महोदय :- उन्होंने अधिकृत किया है।

अप्रकाशन/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह बड़ा गंभीर मामला है। विधानसभा के चलते हुए 2-2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित नहीं हैं। विधानसभा को भी जानने का अधिकार है कि ऐसा कौन सा आवश्यक काम है ? विधानसभा सबसे बड़ी जनप्रतिनिधि सभा, लेजिसलेटिव असेम्बली है, इसके लिए चुनकर आते हैं। उसमें 2-2 वरिष्ठ मंत्री, बिना आवश्यक कार्य के पूरे सत्र में नहीं हैं। घर में कोई गमी हो जाये तो समझ में आता है और कोई दुर्घटना हो गई तो समझ में आता है। परन्तु राजनैतिक कामों से सदन को छोड़कर जाये तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा कभी नहीं होता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- बृजमोहन जी, क्या है कि एक वरिष्ठ मंत्री ठाकुर तो गब्बर को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके लिए दिल्ली में बैठे हैं। दूसरा जय-वीरू खोज रहे है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, बहुत गंभीर बात है। मंत्रीगण सिर्फ अपने प्रश्न दिवस और अपने प्रश्न के समय में ही उपस्थित रहते हैं। यह भी बहुत गंभीर बात है।

सभापति महोदय :- स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने विधिवत अधिकृत किया है। माननीय धर्मजीत सिंह जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- गृहमंत्री जी को वायरल फीवर है।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं उन आदिवासी गांव के आदिवासियों की समस्या के लिए आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे वाले विभाग के मंत्री भी कहां चले गये, अभी बैठे थे।

माननीय सभापति जी, लोरमी ब्लाक में एक गुनापुर और परसवारा गांव है, वहां उन्हें 1990-95 के पास कृषि सहकारी साख समिति का पट्टा मिला हुआ है। किसान उस पट्टे पर खेती कर रहे हैं। लेकिन अब उसमें एक व्यवस्था और नियम आया है कि जो-जो किसान जमीन पर काबिज हैं, आप उन्हें सरकारी प्रावधान, नियम के तहत दो एकड़, ढाई एकड़, तीन एकड़, का पट्टा दे दीजिये। वे लोग रोज भटकते हैं। रोज तहसील आफिस आते हैं, मेरे पास आते है, मैं उनको कलेक्टर के पास लेकर जाता हूं। यहां बोलने का आशय यह है कि यहां माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उन लोगों को मुख्यमंत्री जी से मिलवाना चाहता हूं, उन्हें बोलकर रखा हूं। तो कृपा करके आपकी थोड़ी सी पहल करेंगे तो पचासों लोगों का भविष्य सुधर जायेगा। सरकारी व्यवस्था में, सरकारी नियम में, सरकारी जमीन को उन आदिवासी लोग पा जायेंगे, जो उस गांव में वर्षों से उसमें खेती कर रहे हैं। तो कृपा करके आप इस पर जरूर ध्यान दीजियेगा।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में कोयला, लोहा और डीजल चोरी का माफिया पनप रहा है। जहां-जहां पर कोयले की खदानें हैं, संगठित गैंग उन कोयले की खदानों से डीजल चोरी कर रहे हैं, लोहा चोरी कर रहे हैं, कोयला चोरी कर रहे हैं। वह गैंग इतने sophisticated हो गये हैं, नेशनल हाइवे में चलती गाड़ियों में जो डीजल रहता है, बड़े-बड़े ट्रकों में जो

अभिलेख/प्रकाशन के लिए नहीं

डीजल रहता है, उस डीजल को निकाल लेते हैं। माननीय सभापति महोदय, बड़ी-बड़ी बलेरो बनी हुई है, जिन बलेरों में डीजल के केंटर लगे हुये हैं, डीजल के केन लगे हुये हैं, वह तुरन्त केन को निकाल देते हैं । माननीय सभापति महोदय, चोरी एक तरह हो रही है, चोरी के कारण यह जो [XX][10] पनप रहा है, वह [XX] आने वाले समय में जब हम सिनेमा देखते हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर, धनबाद, इस ढंग की स्थिति छत्तीसगढ़ में निर्मित हो रही है, वह गैंग स्टर जाकर अपने गांव में अपराध कर रहे हैं, गांव के [XX] बन गये हैं, गांव में जाकर तरह-तरह के गलत काम कर रहे हैं । आपसे आग्रह है कि हमने जो स्थगन दिया है, उस पर ग्राह्य करके इस पर चर्चा करायें ।

सभापति महोदय :- बांधी जी ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- माननीय सभापति महोदय, हमने कई मुद्दों पर स्थगन दिया, जो छत्तीसगढ़ के हित में है । आज भी हमने कानून व्यवस्था पर स्थगन दिया हुआ है । सभापति जी, कानून व्यवस्था पर एक बात कहना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से, जिस नियत के कारण, जिस सोच के कारण पुलिस का मनोबल कम हो गया है और उस मनोबल के कारण अलग-अलग प्रकार के ऐसे अपराध आ रहे हैं, सभापति महोदय, आप सुनेंगे तो आश्चर्य होगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मनोबल तो पुलिस का भी गिरा हुआ है । उनकी मांगे पूर्ति नहीं हो रही है । उसमें यह भी जोड़िये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है, सरकार से धोखा खाये हुये हैं ।

सभापति महोदय :- कृपया आप अपनी बात पूरी करिये ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, छोटे-छोटे बातों में, एक जशपुर का छोटा सा घटना बता देता हूँ, पति-पत्नी दोनों को पिस्तौल से मार दिये, यह कोकड़चौकी का जशपुर जिले की घटना है, केवल इस बात के लिये कि शराब है या नहीं है, उसने नहीं बोल दिया और गोली मार दिया । दोनों को मार दिया । स्थिति ऐसा है । माननीय बृजमोहन जी ने कहा कि रायपुर शहर में तो स्थिति ही बदली हुई है । ऐसे में हम उन तथ्यों को, उन प्रमाणों को आपके समक्ष लाना चाहते हैं, जिसमें आपका विभाग सक्षमता से विचार करेगा और अच्छी कानून व्यवस्था बनाने में काम आयेगा । आपसे आग्रह है कि इसको स्वीकार कर लीजिए । यह ज्वंलत है, बहुत सारी ऐसी घटनायें हैं, बलात्कार, अपहरण, उठाईगिरी, ड्रग जैसी बहुत चीजें इसके अंतर्गत है । छत्तीसगढ़ के हित में है, कृपया इस स्थगन को स्वीकार करके चर्चा कराईये ।

सभापति महोदय :- श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू ।

[10] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय सभापति महोदय जी, आज प्रदेश के जो कानून व्यवस्था है, उसे लेकर आज हमने स्थगन दिया है । यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने इस व्यवस्था को लेकर एक बार नहीं, बल्कि कई बार सरकार का ध्यान इस विषय में कराया है, उसके बाद पूरे प्रदेश की जनता को ऐसा लगा कि अब सरकार एक नये एक्शन मोड में आयेगी, नई प्लानिंग के साथ सामने आयेगी और कहीं न कहीं यह जो अपराध हो रहे हैं, अपराधों पर काबू पाया जायेगा । लेकिन माननीय सभापति महोदय जी, हुआ बिल्कुल उल्टा, हमारी सोच गलत निकली । जनता के विचारों पर सरकार खरा नहीं उतर पाई । अब हुआ ये कि लगातार साढ़े तीन वर्षों में सबसे ज्यादा यदि इजाफा हुआ, तो केवल और केवल अपराधिक घटनाओं पर इजाफा हुआ है, पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी है, लगातार यह देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन को जिस प्रकार काम करना चाहिये था, कहीं न कहीं वह अपने कार्यों पर खरा नहीं उतर पा रही है । माननीय सभापति जी, डोंगरगढ़ की अभी तीन-चार दिन पहले की घटना आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। महज 14 साल की बच्ची जो केन्द्रीय विद्यालय में अध्ययनरत् थी, सामूहिक बलात्कार उस बच्ची के साथ किया गया, (शेम-शेम) अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गये हैं, डोंगरगढ़ की घटना है, सामूहिक बलात्कार के बाद उस बच्ची की हत्या कर दी गई और उसके नग्न शरीर को ले जाकर फेंक दिया गया । यह घटना हमारे प्रदेश में हो रही है । माननीय सभापति जी, अकलतरा की घटना किसी से छिपी नहीं है । जिस प्रकार से उस महिला के साथ रेप किया गया, उस महिला की हत्या कर दी गई, शासन और प्रशासन का एक भी व्यक्ति उसकी हालत, उनकी स्थिति पूछने नहीं गया । परिवार पर क्या बीत रही है, क्या उनकी स्थिति होगी, शासन का कोई व्यक्ति वहां पर नहीं गया । माननीय सभापति महोदय जी, यदि जनवरी से लेकर मई तक 5 महीने में साईबर घटना की बात करें तो 250 ऐसी घटनायें हुई है, लेकिन तब भी पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी है । हुआ यह है कि एक भी घटनायें ऐसी नहीं है, जिसका निराकरण किया गया होगा । किसी भी व्यक्ति को अभी तक उनके साथ जो घटनायें हुई है, न तो उनका पैसा उनको वापस मिला है, जितनी अपराधिक घटनायें हो रही है, एक भी घटनाओं पर काबू पाने के लिए पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई काम नहीं किया है ।

सभापति महोदय :- अब समाप्त करें ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, दो मिनट है । पुलिस प्रशासन अपने दोनों मोर्चे पर फेल है । पहला तो जो घटनायें हो रही है, उन घटनाओं पर काबू नहीं पा रहे हैं । दूसरा, इनको जो एक्शन प्लॉन के तहत जो काम करना था घटना हो ही न तो यह उस पर भी खरा नहीं उतर पा रहे हैं। कहीं न कहीं यदि पुलिस प्रशासन मौन बैठी है तो उसकी भूमिका भी बहुत संदिग्ध है। सरकार के साथ-साथ पुलिस विभाग पर यह प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है कि आपने क्या किया और आप क्या कर

रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आगे की चर्चा रोक करके इस विषय पर चर्चा कराई जाये।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, आज हमने एक महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य लगभग पौने तीन करोड़ की आबादी वाला राज्य है। यदि हम पूरे देश में देखें तो जहां 8-10 करोड़, 20-23 करोड़ की जनंसख्या है, नेशनल क्राईम ब्यूरो की जो रिपोर्ट आ रही है, उसमें छत्तीसगढ़ जो ढाई-तीन करोड़ की जनंसख्या वाला राज्य है, हत्या, अपहरण, डकैती, सामूहिक दूराचार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बच्चियों के साथ दूराचार में टॉप पर है। और अभी जो सबसे खतरनाक ट्रेंड चल रहा है कि स्कूल का बच्चा स्कूल जाता है, उससे 04 लड़के अंग्रेजी में पूछते हैं और वह लड़का जवाब नहीं देता तो उसकी हत्या कर दी जाती है। नाबालिक लोगों में यह जो विकृति आई है, अपराध का बोध आया है, बाकी को छोड़ दें, छत्तीसगढ़ में नाबालिक लोगों की अपराध की दर इतनी अधिक हो रही है तो यह निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है। बाकी सब बातों का जिक्र हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस स्थगन को स्वीकार करें। इसमें निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ की बहुत सारी घटनाओं का जिक्र आयेगा और इसका परिणाम अच्छा होगा और इससे जागृति भी आयेगी।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में चाहे जशपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, कवर्धा, दंतेवाड़ा, बस्तर या दुर्ग हो, इन सभी जगहों पर हत्या, बलात्कार, लूटपाट की वारदात हुई है। नक्सलियों ने बस्तर में हत्या कर दी है। इन सभी बातों के ऊपर हमारे सभी माननीय सदस्यों ने स्थगन दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें सख्त कार्यवाही हो। कौन-कौन अपराधी पकड़ाये, कहां गये और उसमें कौन-कौन सी धारा लगी और वह अपराधी कहां के हैं? इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार अक्षम है। सरकार अपनी अक्षमता को ठीक करके पूरी कार्यवाही करे और इस स्थगन में चर्चा हो, ऐसी मांग करता हूं।

श्री ननकीराम कंवर (रामपुर) :- माननीय सभापति जी, आज मुझको इसलिए बोलना पड़ रहा है कि सामने मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। एक बार वह मुझसे प्रश्न किये थे। वह बोले कि भाटो अगर तोर लइका अपराध करत हे तो का कार्यवाई करबे? मैंने जवाब दिया था कि उसके लिए भी कार्यवाई होगी। यह उस समय जवाब दिया था, जब मैं गृहमंत्री था। आज मुझको तकलीफ होती है कि वह साले साहब सामने मुख्यमंत्री बने हुए हैं और इतना अपराध बढ़ गया है। आज मैं आपको बतला दूं कि आज मुझको मंत्री को भी अपराधी कहने में तकलीफ नहीं हो रही है। [XX][11] आप यह बता दीजिए कि आपने उत्तरप्रदेश में कितना खर्च किया? आपने खर्च किया तो उसका क्या परिणाम हुआ? आप जितना भी कमा लें, छत्तीसगढ़ की स्थिति वही होगी। अपराध में कितनी कमी आई है, डॉ. रमन सिंह जी के समय

[11] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

में अपराध में कमी आई थी, वह 10 सालों तक अपराध में कमी थी। आज हर क्षेत्र में, हर विषय में अपराध में बढोत्तरी हो रही है। यहां तक की ट्रक चोरी हो रहा है और रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। शासकीय संपत्ति की चोरी की जाती है। आपको नहीं मालूम है कि कोरबा में खदान में लोग कोयला चोरी करते थे और आपके एस.पी. देखते रहते थे। पत्रकारों को मार पड़ी थी, चोर लोग पत्रकारों को मारे थे। इस तरह से घटनायें हो रही हैं। आप मुख्यमंत्री बने हैं, मुझको बहुत अफसोस हो रहा है। क्योंकि मुझको साला कहने में भी तकलीफ होती है। आप अपराध में कमी कीजिए और कम से कम दो साल में रिपोर्ट बतला दीजिए। अभी आपके पास डेढ़ साल बचे हुए हैं। तब आप मुख्यमंत्री कहने के लायक हो पायेंगे। अन्यथा मैं बतला रहा हूं, उस दिन अपने भांचा के लिए बोले थे कि मैं उसको गिरफ्तार करूंगा। आपको ताज्जुब होगा ऐसे-ऐसे लोग हैं, जिनको आप बचा रहे हैं, मैंने जिनके विरूद्ध जांच करवाई, आप उनके नाम पूछ लीजिये। वह व्यक्ति माननीय अध्यक्ष जी के भी पास आया था। वह बोले कि मैं कार्रवाई नहीं करवाऊंगा, तुम्हारे विरूद्ध जो अपराध होगा उसमें कार्रवाई होगी। मेरे पास तो बहुत सारे केसेस हैं, जिसमें अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखी गयी है। उस व्यक्ति के लिये जो ई.ओ.डब्ल्यू. में काम कर रहा है, उसके विरूद्ध रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, ऐसे-ऐसे थाने हैं। आप चाहे उरवा में देख लीजिये, रामपुर में देख लीजिये। कोरबा के हर क्षेत्र में उस व्यक्ति की एक न एक रिपोर्ट दर्ज है।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कितना अपराधीकरण हो रहा है। मैं बता रहा हूं कि राजस्व में तो खुलेआम नक्शा बदला जाता है। मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी कहा कि यह नक्शा बदला गया है उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती। माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, यह शायद उनका निर्देश तो नहीं होगा कि ऐसा करें। लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम जहां-जहां अपराध हो रहे हैं, आप उन अपराधों को रोकिये। हर विभाग में अपराध में बढ़ोत्तरी हुई है।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात पूरी करें।

श्री ननकीराम कंवर :- सभापति महोदय, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको ग्राह्य कीजिये और चर्चा करवाईये। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय डमरूधर पुजारी जी।

श्री डमरूधर पुजारी (बिन्द्रानवागढ़) :- सभापति महोदय, यह छत्तीसगढ़ नहीं, यह अपराधगढ़ है। जब से यह सरकार आयी है, प्रदेश में अपराध बढ़ गये हैं। मेरे क्षेत्र की एक समस्या है, एक लड़की को कहां से बहला फुसलाकर ले गये हैं और थाना में रिपोर्ट किये हैं। आज तक पुलिस वाले उसकी इन्क्वायरी नहीं किये हैं और लड़की की खोजबीज नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, जब से यह सरकार आयी है लूटपाट और अपराध बढ़ रहे हैं। उड़ीसा से शराब आ रही है और हमारे छत्तीसगढ़ से लड़कियों को उड़ीसा ले जाया जा रहा है। उसके लिये हमारी पुलिस और सरकार गंभीर नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें मेरे स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करके चर्चा कराई जाये। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में अपराध में वृद्धि हो रही है। पूरे प्रदेश में तेजी के साथ चोरी, हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, अनाचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। गृहमंत्री जी के द्वारा एक दिन अपराध के संबंध में समीक्षा बैठक ली जाती है। फिर चीफ सेक्रेटरी के द्वारा बैठक ली जाती है और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी समीक्षा बैठक ली जाती है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि समीक्षा बैठक के बाद भी पुलिस के ऊपर इसका असर क्यों नहीं हो रहा है? अपराध में नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है? जिस प्रकार से प्रदेश में लगातार घटनाएं घट रही हैं। आखिर पुलिस का मनोबल क्यों गिरा हुआ है? छत्तीसगढ़ में अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है? इतनी समीक्षा बैठक के बाद कहीं तो यह बात आनी चाहिये कि अपराध में कुछ कंट्रोल हुआ। आप केवल दिखाने के लिये समीक्षा बैठक करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, आज जिस प्रकार से प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करेंगे, तो प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी नहीं है, कानून व्यवस्था है ही नहीं। आज गृहमंत्री जी सदन में नहीं है, मैं नहीं तो गृहमंत्री जी से पूछता कि इतनी वारदात होने के बाद भी आप समीक्षा बैठक लेने के लिये कभी रायपुर से निकलकर बिलासपुर, कभी कोरबा, कभी अंबिकापुर, कभी जगदलपुर चले जाते हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि आप जगदलपुर में जाकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आखिर गृहमंत्री जी इतने घबराएं हुए क्यों है? जब गृहमंत्री स्वयं घबरायेंगे तो उनकी पुलिस का मनोबल कैसे बढ़ेगा? हमने जगदलपुर के सीलगेर की घटना के बारे में बताया था कि वहां न तो मुख्यमंत्री जी पहुंचे और न ही गृहमंत्री जी पहुंचे। आज यह उसी का परिणाम है, जिसने कहा है कि छत्तीसगढ़ चाकूपुर है, वह गलत नहीं है, हंसने की बात नहीं है। ऐसा कोई दिन नहीं है कि प्रदेश में चाकूबाजी की घटना न हो।

माननीय सभापति महोदय, यह तो ठीक है। लेकिन आज के पेपर में जो दृश्य आया है उससे माननीय मुख्यमंत्री जी तो संतुष्ट होंगे। लड़के तो हत्या कर ही रहे हैं, लेकिन अब जो नाबालिग लड़कियां हैं, वह भी हत्या कर रही है। मैं यह नहीं जानना चाहता कि किस परिस्थिति में हत्या हुई। लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, वह निश्चित रूप से प्रदेश को शर्मिंदा करने वाली बात है। किशोरों के द्वारा की गई हत्या की बात की जाये तो पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है। आखिर ये जो किशोर हैं, ये हत्या करने के लिये क्यों विवश हो रहे हैं? ये किशोर अवसाद की स्थिति में क्यों जा रहे हैं? किशोर अवसाद की स्थिति में जाकर जो आत्महत्या या हत्या कर रहे हैं, उसमें पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है। जब मैं हत्या की बात करूं, तो पूरे देश में छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीति आयोग के द्वारा Sustainable Development Goal के सर्वे अनुसार छत्तीसगढ़ हत्या के मामले में चौथे स्थान पर है। प्रदेश में प्रति एक लाख की आबादी में 3 लाख 350 लोगों की हत्या दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत 2.22 से 1.28 ज्यादा है। मतलब आपने

राष्ट्रीय औसत को भी पार कर दिया है। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ यह यह नीति आयोग का Sustainable Development का जो रिकॉर्ड है और उसके अनुसार यहां पर जो हत्याएं हो रही हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं जब गिनाने के लिए शुरू करूंगा तो 9 जुलाई जशपुर की घटना से शुरू करूंगा तो हम लोगों के पास जशपुर से लेकर अंबिकापुर तक सारे रिकॉर्ड हैं और इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि यहां पर जिस प्रकार से हत्याओं, लूट का दौर चल रहा है। इसलिए मैं सरकार के संरक्षण में बोल रहा हूँ कि वहां पर जो डीजल की चोरी हो रही है, यह सरकार के संरक्षण में चोरी हो रही है। उनके ऊपर कार्यवाही नहीं हो रही है, आखिर वे लोग कौन हैं? जो कोयले की चोरी कर रहे हैं? वह लोग कौन हैं जो वहां पर डीजल की चोरी कर रहे हैं? और उसके साथ में मैं आपको पूरे प्रदेश में एक नई घटना बताना चाहूंगा। उत्तरप्रदेश में माननीय योगी जी के आने के बाद वहां के जितने गुण्डे बदमाश थे, वह दहशत में आये हैं और उन्होंने दहशत के कारण उत्तरप्रदेश छोड़ दिया और छत्तीसगढ़ प्रदेश उनकी शरणस्थली बन गई है। (शेम-शेम की आवाज)यहां आकर वह शरण ले रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आप भी शहर में ही हैं। यहां से अभनपुर दूर नहीं है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी ने चाकू घोंपा और उसके बाद उसका विडियो बनाये और विडियो बनाककर वायरल करे। यह छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यही आपका गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है ? मैं कह सकता हूँ कि यदि आप उनका परीक्षण करवायेंगे तो वह लोग छत्तीसगढ़ के नहीं निकलेंगे। वह दूसरे प्रदेश की सरकार के दबाव में भागे हुए लोग हैं, छत्तीसगढ़ में वह आकर, इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं। इसलिए मेरे पास पूरे रिकॉर्ड हैं। आप इसको ग्राह्य करके, हमें चर्चा का समय दें। यह स्थगन ग्राह्य हो जाए तो हम इस पर चर्चा करेंगे, इस विषय में दोनों पक्ष की ओर से चर्चा हो, हम पूरे विषय तथ्य के साथ रखेंगे। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश किस दिशा में जा रहा है ? पहले उड़ता पंजाब के बारे में कहा जाता था । आज उड़ता छत्तीसगढ़, पंजाब से आगे हो गया है। यही सब घटनाएं कारण हैं, जो उनकी जन्मदाता है। आज इस प्रदेश में नशे के कारण यह सभी लूटपाट और अन्य घटनाएं हो रही हैं। तो हमें आप चर्चा के लिए समय दें और इस स्थगन को ग्राह्य करें। इस स्थगन को ग्राह्य करने के बाद, चर्चा करायें। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- मैंने आप सब की बातें सुनीं। मैंने आपके द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है। लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है। सरे आम लूट हो रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, इतना महत्वपूर्ण मामला है। इसकी गंभीरता को देखते हुए, आपको इस स्थगन पर चर्चा करानी चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, सरे आम लोगों को चाकू मारा जा रहा है। आप उस पर चर्चा नहीं करायेंगे। इस प्रदेश में महा पंचायत में चर्चा नहीं होगी तो कहां चर्चा होगी ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि इस स्थगन को ग्राह्य करके, आप चर्चा करायें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अगर विधान सभा के चर्चा नहीं होगी, जो यहां आयातित लोग आये हैं .. (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, भाटापारा में बीच सड़क में 33 लाख रूपये की लूट हो गई। एक महीने से अपराधी फरार है, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, वह आयातित लोग हैं। छत्तीसगढ़ के लोग ऐसा नहीं करते हैं। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, पहली बार छत्तीसगढ़ में नाबालिक लड़की के द्वारा अपराध किया गया। (व्यवधान)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, यह महत्वपूर्ण विषय है इस पर चर्चा करायी जाये। प्रदेश में रोज लूट, हत्याएं हो रही हैं। इस अग्राह्य न किया जाये। इस पर चर्चा करायी जाये तो अच्छा रहेगा।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, इससे महत्वपूर्ण विषय नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, लड़कियों के द्वारा अपराध हो रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, इस विषय पर चर्चा हो। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, ऐसा कौन सा काम है जिसमें छोटा-मोटा अपराध नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, इतना महत्वपूर्ण विषय है। इस स्थगन पर चर्चा करवायें। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, विपक्ष यह बताये कि ऐसा कौन सा काम है जिस पर छोटा-मोटा अपराध नहीं होता। (व्यवधान) आप लोगों के कार्यकाल में भी हुआ है। (व्यवधान)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, इस प्रदेश में रोज ही ऐसी घटनाएं होती हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, यह महत्वपूर्ण मामला है। इस विषय पर चर्चा करायी जाये।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, पूर्व में भी बड़ी-बड़ी घटनाएं हुई हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

सभापति महोदय :- आपको इस विषय में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में अवसर मिलेगा। आप उस समय पर्याप्त बात कर सकेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इस प्रकार से (व्यवधान)

सभापति महोदय :- अभी हमने इसको अग्राह्य कर दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अपराधियों को शरण देने वाला छत्तीसगढ़ प्रदेश है। छत्तीसगढ़ में अपराधियों को बुलाकर..। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आपको इस विषय में चर्चा करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव में पर्याप्त समय मिलेगा। आप इस समय चर्चा कर लीजिएगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आपके रायपुर में रहते यह क्या हालत हो गई है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, रायपुर के लोगों को लज्जा आती है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, सरे आम एक नाबालिक लड़की हत्या करती है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, विधायक के यहां चोरी होती है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, आखिर यहां सरकार नाम की कोई चीज है या नहीं है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, बलात्कार का गढ़ छत्तीससगढ़ है ।

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित ।

(12.35 से 12.45 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

12:45 बजे **(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए)**

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, आज प्रदेश में..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में सरकारी अधिकारी, कर्मचारी पिछले दो, तीन दिनों से आने वाले 7 दिनों तक आंदोलन पर हैं...।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- 5 दिनों के लिए।

श्री नारायण चंदेल :- 5 दिन तक।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पूरे छत्तीसगढ़ का सरकारी कार्यालय 9 दिन बंद रहने वाले हैं। आज सुबह स्कूल में बच्चे गये तो स्कूलों में ताला दिखाई दिया। लोग कलेक्ट्रेट में गये तो वहां ताला दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ के पूरे अधिकारी, कर्मचारी इस सरकार की वादाखिलाफी के कारण, उनको D.A. नहीं दिया गया, उनको H.R.A नहीं दिया गया, जो इनके जन घोषणा पत्र में वायदे किये गये थे, एक भी वादे पूरे नहीं किये गये। यह शायद पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार होगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- छत्तीसगढ़ में पूरा ताला लगा हुआ है। यह आपको बताना जरूरी है। सब लौट-लौटकर आ रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, सभी प्रकार के शासकीय कार्यालयों में ताला लगा हुआ है। गांव से लोग शहर में आ रहे हैं, कलेक्टर कार्यालय में आ रहे हैं। वे काम करवाने के लिए घूम रहे हैं। परंतु उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इस सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में वे आंदोलन कर रहे हैं। हम आपसे चाहते हैं कि हमने इसके ऊपर स्थगन दिया हुआ है, आप इसके ऊपर में चर्चा करवाएं। आज यह स्थिति है। हमने तो वादा नहीं किया था कि हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रेगुलर करेंगे। हमने नहीं कहा था कि जितने शासकीय कर्मचारी हैं, उनकी वेतन विसंगति को दूर करेंगे। उनका जो D.A है वह बढ़ाया जाएगा, उनका मकान भत्ता बढ़ाया जाएगा। आज यह सरकार एक भी वादे पूरे नहीं कर रही है और उसको लेकर पूरे प्रदेश में सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हम चाहते हैं कि आप इसके ऊपर में चर्चा करवाएं।

श्री ननकीराम कंवर :- यह सरकार कोई काम के लायक नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने जन घोषणा पत्र को आत्मसात किया है और जन घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख है कि हम कर्मचारियों की, शिक्षकों की जो वेतन विसंगति है, उनको दूर करेंगे, दैनिक वेतनभोगी को रेगुलर करेंगे, संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करेंगे, पुलिस विभाग के पुलिस कमर्चारियों की समस्या का निराकरण करेंगे। इस सरकार को पौने चार साल हो गये और जनता से जो वादा किया, कर्मचारियों से जो वादा किया, उसको पूरा करने में यह सरकार असफल रही है। आज छत्तीसगढ़ में चार लाख से ज्यादा अधिकारी, कर्मचारी हड़ताल पर हैं। छत्तीसगढ़ में सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। जनता परेशान है। हमने इस विषय पर स्थगन दिया है, आप इस स्थगन पर चर्चा कराएं। हम आपसे निवेदन करते हैं।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर चापा) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है...।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- एक दिन में कितना स्थगन ?

श्री शिवरतन शर्मा :- आप दोनो स्थगन ग्राह्य करके चर्चा करा लीजिए। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- दोनों ग्राह्य कर लीजिए। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आपमें अगर सामना करने का साहस है तो इस स्थगन पर चर्चा कराईए। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आप ग्राह्य करिए न, किसी न किसी रूप में उस पर चर्चा करेंगे। आप बोल दीजिए न कि किसी न किसी रूप में चर्चा करेंगे । (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- हां तो विनियोग लगाते क्यों नहीं, भाई। (व्यवधान) चर्चा से कौन भाग रहा है, हम सब चर्चा करने आए हैं लेकिन आप लोग लगाते क्यों नहीं? (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- उस दिन भाग गये थे। किसान की चर्चा से भाग गये थे। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आप ग्राह्य करके चर्चा करिए न। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- ग्राह्य करने की हिम्मत नहीं थी। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- हर दस मिनट में एक स्थगन लेकर खड़े हो जाते हो। इसमें हिम्मत की क्या बात है ? (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- सरकारी संसदीय कार्य मंत्री जी,....।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, शायद विधान सभा के इतिहास में यह भी पहली बार हो रहा होगा कि हम चार स्थगन पर चर्चा करना चाहते हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- 4 स्थगन ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- एक दिन में चार स्थगन।

श्री रविन्द्र चौबे :- लो चलो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- छत्तीसगढ़ की हालत इतनी बद्तर है कि हम चार-चार स्थगन पर चर्चा करना चाहते हैं। सरकार ने छत्तीसगढ़ को (व्यवधान) बनाया है। कानून व्यवस्था कुछ नहीं है। (व्यवधान) हम चार-चार स्थगन पर चर्चा करना चाहते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप लगाईए, चर्चा संभव है तो। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- भाई, चार स्थगन पर कैसे संभव है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- संभव है, संभव है। आपकी सरकार में सब संभव है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- तोर 15 साल में एको दिन होय रिहिस हे का।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपकी सरकार में बच्चियों के साथ बलात्कार संभव है। आपकी सरकार में चापा वाला बलात्कार संभव है। आपकी सरकार में निर्भया कांड संभव है। जो आज तक नहीं हुआ है, वह आपकी सरकार में संभव है।

सभापति महोदय :- आप लोग बैठ जाईये। माननीय नेता प्रतिपक्ा जी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- बृजमोहन जी, नींद से जागिए। कांग्रेस की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे हैं, बैठ जाईए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, हत्या...।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है कि पूरे छत्तीसगढ़ में....।

सभापति महोदय :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे हैं। आप लोगों की बात हो गयी, आप लोग बैठ जाईये।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय सभापति महोदय, यह विविध भारती और रायपुर स्टेशन दोनों एक साथ लग गया है। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- यह बोलेंगे, फिर मैं बोलूंगा न।

श्री शिवरतन शर्मा :- विविध भारती और ...?

श्री भूपेश बघेल :- रायपुर स्टेशन (हंसी)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक):-माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेशभर के और जो हमारे मंत्रालय के कर्मचारी हैं, आज सभी सड़कों पर हैं और एक दिन के लिये नहीं हैं,कार्यालय में ताला लगा हुआ है। ताला लगाकर के सब सड़कों पर हैं। मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई है कि इतने दिनों के लिये ताला लगाकर के कर्मचारियों को बैठना पड़े। पूरे प्रदेश में अफरा-तफरी मची हुई है। सरकारी कार्यालय पूरा बंद है। आखिर जनता कहां जाये ?उनके काम हैं वे कहां जायें ? और इसके जो कारण है वे सरकार है। सरकार ने उनको आश्वासन तो बहुत दिया है। वोट भी उनसे लिया है और सरकार में आने के बाद में ये भूल गये कि तीन साल का समय निकल चुका है। धैर्य की सीमा टूटती जा रही है। आखिर कितनी प्रतीक्षा करें ? अपनी मांगों को लेकर वे बैठे हुये हैं और ताला लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाकर करके उनसे बातचीत करनी चाहिये। मंत्रियों को जाकर उनसे बातचीत करनी चाहिये। क्योंकि उससे पहले तो बड़े-बड़े केम्पों में जाकर कर के घोषणा करके आये हैं कि हम आपके साथ खड़े हुये हैं। अब सरकार में आने के बाद उनको बोलिये कि हम आपके साथ खड़े हुये हैं। अगर आप यह आश्वासन उनको देते तो ताला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस स्थगन परहमारा यह महत्वपूर्ण विषय है। प्रदेश का विषय है और प्रदेश के हित में है, उनके अधिकारियों-

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कर्मचारियों के हित में है। इस पर चर्चा करायें। ताकि हम सारी बातों को उसमें रख सकें और जनहित की उनकी बातों को यहां पर सरकार से मनवा सकें। तो माननीय सभापति महोदय, हमने स्थगन दिया है।

सभापति महोदय :- आप सबकी बात आ गई है। कृपया कार्यवाही में सहयोग दें। अब ध्यानाकर्षण पर चर्चा होनी है। अब मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चर्चा हेतु लूंगा। माननीय श्री धर्मजीत सिंह, माननीय श्री सौरभ सिंह ....।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीगण इतने अनुपस्थित हैं कि पूरे समय मुख्यमंत्री जी को सदन में बैठना पड़ रहा है। चुनाव अलग देखना पड़ रहा है, उसका पूरा प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ रहा है। जो मंत्रीगण है वे अभी तक मंत्री नहीं बने हैं। वे अपने विभाग के समय रहते हैं। अपने विभाग के उत्तर के समय रहते हैं, बाकी समय गायब रहते हैं और दिन में भी गायब रहते हैं। और मुख्यमंत्री जी को रहना पड़ता है दिनभर। ओवरलोड हो जा रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह सरकार ओवरलोड की ही सरकार है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मुख्यमंत्री जी को बूस्टर डोज दे दीजिये न। (हंसी)

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, ध्यानाकर्षण ।

श्री अजय चंद्राकर :- मुख्यमंत्री जी को बूस्टर डोज दीजिये न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मोदी जी का जो बूस्टर डोज है वह देने की आवश्यकता है। (हंसी)

एक माननीय सदस्य :- अच्छा (हंसी)

समय :
12:53

<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>

<u>(1) प्रदेश में भू-माफियाओं द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना</u>

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण):-माननीय सभापति महोदय,मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :-

प्रदेश में शासकीय जमीनों के अतिक्रमण पर प्रचलित गाइड लाईन का 152 प्रतिशत राशि लिया जाकर अतिक्रमणधारी को उक्त जमीन का भूमि स्वामी हक प्रदान किया जा रहाहै, जिसके कारण पूरे प्रदेश में कीमती शासकीय जमीन पर अतिक्रमण किये जाने की परंपरा बढ़ती जा रही है।जिसके कारण प्रदेश में भविष्य में किसी भी शासकीय योजना के लिये जमीन की आवश्यकता होती तो शासकीय जमीन उपलब्ध नहीं हो पायेगी। प्रदेश के विकास कार्य जिसमें खेल मैदान, स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी, अस्पताल, सड़क, विद्युत स्टेशन, सहित शासकीय योजनाओं के लिये जमीन उपलब्ध नहीं हो रहा है। पूरे प्रदेश में राजस्व अमला शासकीय जमीन से अतिक्रमण न तो हटा रहा है और न ही

अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट दी जा रही है तथा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही समय सीमा में नहीं किया जा रहा है। शासकीय जमीन पर अतिक्रमण होने पर राजस्व अमला जैसे राजस्व निरीक्षक, पटवारी एवं तहसीलदार निष्क्रिय हो गये हैं। जिला कोरबा के ग्राम बरबसपुर प.ह.नं. 22, खसरा नं. 359/1 पर रातों रात अतिक्रमण कर शासकीय जमीन पर राखड़ डालकर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया गया है। जिसकी रिपोर्ट न तो हल्का पटवारी न ही राजस्व निरीक्षक द्वारा दी गई और न ही संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। जिला कोरबा के अतिक्रमण प्रकरण में अगर इसी प्रकार अतिक्रमण हटाने पर राजस्व अमला निष्क्रिय रहेगा तो जिला एवं प्रदेश के जनमानस में असंतोष व्याप्त होगा। रायपुर शहर के शहीद चंद्रशेखर आजाद वार्ड मठपुरैना, डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड चंगोराभाठा, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्डभाठागांव संतोषी नगर रायपुर सहित राजीव पाण्डेय वार्ड, बोरियाखुर्द, बोरियाकला, डूंडा, मुजगहन, काठाडीह, सेजबहार, अभनपुर, कुरूद, धमतरी, दुर्ग, भिलाई, पाटन, राजनांदगांव, बिलासपुर, मुंगेली, महासमुंद सहित प्रदेश के सभी जिलों में भू-माफिया शासकीय जमीनों पर खुलआम कब्जा कर रहे हैं। स्थिति यह है कि प्रदेश में जनहित के शासकीय योजनाओं के लिये जमीन नहीं बचा है, आने वाले भविष्य में शासकीय योजनाओं के लिये शासकीय जमीन का न होना चिंतनीय है। अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही नहीं होने के कारण जनमानस में भयंकर असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल):- माननीय सभापति महोदय, यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश में अतिक्रमित शासकीय भूमि पर प्रचलित गाइडलाईन का 152 प्रतिशत राशि पर अतिक्रमणधारी को भूमिस्वामी हक प्रदान करने के कारण कीमती शासकीय जमीन पर अतिक्रमण किए जाने की परम्परा बढ़ती जा रही है । शासन के निर्देशानुसार 20 अगस्त 2017 के पूर्व के कब्जेदार ही पात्र हैं, उक्त तिथि के पश्चात् किये गये अतिक्रमण व्यवस्थापन हेतु पात्रता नहीं रखते अत: भू-माफियाओं द्वारा कीमती शासकीय जमीन पर नवीन अतिक्रमण किये जाने की परम्परा बढ़ने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

प्रदेश में शासकीय जमीनों के अतिक्रमण पर प्रचलित गाईडलाईन का 152 प्रतिशत राशि लिया जाकर अतिक्रमणकर्ता को उक्त जमीन का पात्रतानुसार भूमिस्वामी हक आवश्यक जांच/परीक्षण करने के पश्चात् प्रदाय किया जा रहा है । शासन के निर्देशानुसार ऐसी अतिक्रमित शासकीय भूमि का ही व्यवस्थापन किया जा सकेगा जिसकी लोकबाधा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, लोक प्रयोजन, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सुरक्षित रखने की आवश्यकता ना हो एवं व्यवस्थापन की कार्यवाही विकास योजना अंतर्गत निर्धारित भू-प्रयोजन के अनुसार ही किया जायेगा अत: प्रदेश के विकास के लिए शासन के पास

खेल मैदान, स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी, हॉस्पिटल, सड़क, विद्युत स्टेशन सहित शासकीय योजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है ।

समय :

12.56 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

प्रदेश में भू-माफियाओं या अन्य अतिक्रामकों द्वारा किये जा रहे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही विधि अनुरूप किया जा रहा है । प्रदेश में राजस्व वर्ष 2021-22 में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के विरूद्ध कुल 18030 प्रकरण दर्ज किये गये हैं, जिसमें से 8199 प्रकरण निराकृत किये गये हैं एवं 9831 प्रकरण नियमानुसार प्रक्रियाधीन हैं अत: यह कहना सही नहीं है कि शासकीय जमीन पर अतिक्रमण होने पर राजस्व अमला जैसे राजस्व निरीक्षक, पटवारी एवं तहसीलदार निष्क्रिय हो गये हैं।

जिला कोरबा के ग्राम बरबसपुर स्थित खसरा नंबर 359/1 के संबंध में पूर्व में ही जांच की गई है, जिसमें से खसरा नंबर 359/1 रकबा 0.186 हे. शासकीय घास मद की भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर दिनांक 09.06.2022 को हल्का पटवारी के प्रतिवेदन पर तहसील में संहिता की धारा 248 के अंतर्गत उचित शीर्ष में राजस्व प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार न्यायालयीन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । धारा 248 के तहत् जिला कोरबा में राजस्व वर्ष 2021-22 में 605 प्रकरण दर्ज हैं जिनमें से 346 निराकृत की जा चुकी हैं एवं 259 में न्यायालयीन कार्यवाही की जा रही है ।

कार्यालय कलेक्टर जिला रायपुर के प्रतिवेदन अनुसार, रायपुर शहर के शहीद चंद्रशेखर आजाद वार्ड मठपुरैना, डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड चंगोराभाठा, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड, भाठागांव, संतोषीनगर रायपुर सहित राजीव पाण्डेय वार्ड, बोरियाखुर्द, बोरियाकला, डूंडा, मुजगहन, काठाडीह, सेजबहार, अभनपुर में भू-माफियाओं द्वारा शासकीय जमीन पर खुलेआम कब्जा करने का कथन सही नहीं है । तहसील रायपुर के तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी, नगर निगम व ग्राम पंचायतों के सक्रिय सहभागिता से विगत् दिनों में ग्राम डूण्डा में 02 प्रकरण में 1.8 हे., बोरियाखुर्द के 01 प्रकरण में 4320 वर्गफीट, पिरदा के 01 प्रकरण में 0.17 हे. बनरसी के 04 प्रकरण में 0.34 हे. भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है । शहीद चंद्रशेखर आजाद वार्ड मठपुरैना में 01, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड भाठागांव में 02, राजीव पाण्डे वार्ड बोरियाखुर्द में 04, बोरियाकला में 02, डूण्डा में 02, मुजगहन में 01, काठाडीह में 05 एवं सेजबहार में 05 अतिक्रमण के प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है । धारा 248 के तहत् जिला रायपुर में राजस्व वर्ष 2021-22 में 870 प्रकरण दर्ज हैं जिनमें से 299 निराकृत एवं 571 में न्यायालयीन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

कार्यालय कलेक्टर जिला धमतरी के प्रतिवेदन अनुसार, धमतरी जिले में शासकीय नजूल भूमि पर अतिक्रमण के 101 प्रकरण कुल क्षेत्रफल 86 डिसमिल (37309 वर्गफीट) पर व्यवस्थापन की कार्यवाही

नियमानुसार की जा रही है । जिला धमतरी के तहसील धमतरी में 22 अतिक्रामकों का कुल खसरा 14 रकबा 0.23 हेक्टेयर से अतिक्रमण हटाया गया है, तहसील कुरूद में 34 अतिक्रामकों का कुल खसरा 5 रकबा 7.10 हेक्टेयर से अतिक्रमण हटाया गया है एवं तहसील मगरलोड में कुल खसरा 3 रकबा 0.11 हेक्टेयर से अतिक्रमण हटाया गया है । इस प्रकार जिला धमतरी में अतिक्रमण के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की गई है । धारा 248 के तहत् जिला धमतरी में राजस्व वर्ष 2021-22 में 178 प्रकरण दर्ज हैं जिनमें से 121 निराकृत एवं 57 में न्यायालयीन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

कार्यालय कलेक्टर जिला दुर्ग के प्रतिवेदन अनुसार, शासकीय जमीन पर अतिक्रमण होने पर अतिक्रमण होने पर राजस्व अमले के निष्क्रिय होने का कथन सही नहीं है । बल्कि अतिक्रमण हटाने हेतु छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के तहत् जिला दुर्ग में राजस्व वर्ष 2021-22 में 1022 प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें से 292 निराकृत एवं 730 में न्यायालयीन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

यह कहना भी सही नहीं है कि राजनांदगांव जिले में राजस्व अमला शासकीय जमीन से अतिक्रण न तो हटा रहा है, न ही अतिक्रमण होने की रिपोर्ट दी जा रही है, बल्कि रिपोर्ट प्राप्त होने पर अतिक्रमण हटाने हेतु धारा 248 के तहत् जिला राजनांदगांव में राजस्व वर्ष 2021-22 में 1088 प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें से 298 निराकृत एवं 890 में न्यायालयीन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

कार्यालय कलेक्टर जिला बिलासपुर के प्रतिवेदन अनुसार, शासकीय जमीन पर अतिक्रण होने पर अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व अमला जैसे पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार सक्रिय हैं । धारा 248 के तहत् जिला राजनांदगांव में राजस्व वर्ष 2021-22 में 1088 प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें से 298 निराकृत एवं 890 में न्यायालयीन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

कार्यालय कलेक्टर जिला मुंगेली के प्रतिवेदन अनुसार समय-समय पर शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही राजस्व अमले के द्वारा की जा रही है एवं सक्रियता से कार्य किया जा रहा है । धारा 248 के तहत् जिला मुंगेली में राजस्व वर्ष 2021-22 में 201 प्रकरण दर्ज हैं जिनमें से 109 निराकृत एवं 92 में न्यायालयीन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

कार्यालय कलेक्टर जिला महासमुंद के प्रतिवेदन अनुसार, जिले में शासकीय योजनाओं के लिए जमीन की समस्या नहीं हो रही है एवं जिले के अंतर्गत राजस्व अमला द्वारा शासकीय जमीन पर अतिक्रमण होने पर विधिवत् कार्यवाही की जा रही है । धारा 248 के तहत् जिला महासमुंद में राजस्व वर्ष 2021-22 में 1213 प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें से 522 निराकृत एवं 691 में न्यायालयीन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

इसी तरह प्रदेश के सभी जिलों में राजस्व अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण के विरूद्ध नियमानुसासर कार्यवाही किये जाने से जनमानस में इस इस विषय पर किसी प्रकार का असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में अतिक्रमण का मामला है, हमने आपसे पूछा है और आपने केवल 2021-22 का जवाब दिया है । मैं आपसे यह जानना चाहता हूं पिछले पौने चार सालों में जब से भूपेश बघेल जी की सरकार आई है तब से कितने लोगों ने अतिक्रमण किया है ? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी हैं, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि लोग कब्जा कर रहे हैं और तहसीलदार या कलेक्टर को किसी प्रकार का प्रकरण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है । वे जान बूझकर प्रकरण दर्ज करते हैं जिससे कि मामला लम्बा चले और उसका अतिक्रमण हटे नहीं । अगर आपने तय किया कि 2017 के बाद के कब्जों को हटाया जाएगा, 2017 के पहले के कब्जों को पट्टा दिया जाएगा, यदि वे कोई सड़क की सीमा में नहीं आते हैं, स्कूल की सीमा में नहीं आते हैं या सार्वजनिक उपयोग की सीमा में नहीं आते हैं । पहली बात तो यह है कि अतिक्रमण में प्रकरण दर्ज करने की आवश्यकता ही नहीं है, उसको सीधे तोड़ना चाहिए । मैंने, मेरे क्षेत्र में भाठागांव में कॉलेज के लिए 25 एकड़ जमीन सुरक्षित रखी। मैं दो साल से कलेक्टर को पत्र लिख रहा हूं कि आप उस कॉलेज के लिए जमीन दे दीजिए, जमीन दे दीजिए । आपने पांच करोड़ रूपए स्वीकृत कर दिया । परंतु कुछ भू-माफिया उस जमीन को 152 परसेंट पर अपने नाम पर पट्टा लेना चाहते हैं । उसके कारण कॉलेज के लिए जमीन आरक्षित नहीं हो रही है । स्कूल के लिए जमीन आरक्षित नहीं हो रही है । हमारे मठपुरेना क्षेत्र में बड़ी-बड़ी गिट्टी की खदानें हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे शुरूआत में कहा था कि वह सिंचाई के काम आएंगी, उनका पानी प्यूरीफाई किया जाएगा । उन खदानों मिट्टी भरकर, मुरम भरकर वहां पर अतिक्रमण किया जा रहा है । मैंने कलेक्टर को 10 पत्र लिखे हैं कि मठपुरेना, संतोषी नगर, भाठागांव यहां पर कितनी जमीन रिक्त हैं, जिनका सार्वजनिक उपयोग किया जा सकता है ? आज तक जवाब देने की फुर्सत नहीं है । अगर सरकारी जमीनों की ऐसी ही लूटमार होगी, सरकारी जमीनों पर ऐसे ही अतिक्रमण होगा तो आने वाले समय में सार्वजनिक उपयोग के लिए हमारे पास जगह बचने वाली नहीं है । माननीय मंत्री जी, मैं आपसे जानकारी चाहता हूं आपने 2021-22 की जानकारी दी है । ज़रा आप यह जानकारी दे दें कि 2017 के बाद रायपुर शहर में कितने अतिक्रमण हुए हैं ? मेरे पास नक्शा है, आपने तो बहुत कम बता दिया, मेरे पास एक-एक स्थान के नक्शे हैं कि कितना अतिक्रण हुआ है । यह मठपुरेना का नक्शा है (नक्शा दिखाते हुए) । यह पूरी खाली जमीन है इस पर अतिक्रमण हो गया है, यह नक्शा गिट्टी खदान का है, पूरी गिट्टी खदान के ऊपर में अतिक्रमण, जो बड़े-बड़े 100-100 फीट के गड्ढे थे, उसमें मिट्टी भरकर कब्जा कर लिया गया है। इसके बाद में नागरची भवन, संतोषी नगर का मामला है, वहां पूरा कब्जा हो गया है। यदि मैं निजी तौर पर यह नक्शा प्राप्त कर सकता हूं तो आपके पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर क्या कर रहे हैं? मेरे पास में पूरे शहर के नक्शे हैं। पहले शहर खाली था, अब बेशकीमती जमीनें हैं। सिर्फ आपके कोरबा की बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में यह एक अभियान चल गया है। जिस दिन से आपने तय किया कि 152 प्रतिशत पैसा

पटाकर कोई भी अपनी जमीन नाम करवा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया की रक्षा करनी है तो माफिया लोग इन जमीनों को ना खरीद लें। इसके ऊपर में हमको चिंता करने की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 2016, 2017 के बाद अभी तक कितनी जमीनों पर कब्जा हुआ है? गोकुल नगर के एक गौठान में आप गये थे, उसके आगे हिस्से में कब्जा कर लिया गया है। आखिर हमारे छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति हो गई है? इसी प्रकार से यदि पैसे वाले, माफिया वाले, बिल्डर लोग पूरी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे तो माननीय मंत्री जी बतायें कि आप कब तक इसकी जांच करवा देंगे और 2017 के बाद जो कब्जे हुए हैं, उसको कब तक रिक्त करवा लेंगे, आप जरा इसका जवाब दें?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वर्ष 2021-22 की Detail में जानकारी दी है। माननीय सदस्य जो रायपुर की बात कर रहे हैं, उसके बारे में वह मुझे विधिवत पूरी डीटेल दे दें कि कहां-कहां कब्जा हुआ व हो रहा है? क्योंकि 30 अगस्त, 2017 के पहले जो कब्जे हैं, उसमें व्यस्थापन का सरकार की जो आदेश हुआ है, उसके मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद में यदि कब्जे कर रहे हैं तो उसकी आप जानकारी देंगे तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करायेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, मैं समय-सीमा पूछ रहा हूं। यह बेशकीमती मामला है। इसमें आपके कोरबा का भी मुद्दा आया है। बाकी पूरी छत्तीसगढ़, रायपुर, कुरूद, धमतरी का मुद्दा, मैं तो आपसे सिर्फ एक जानकारी चाहता हूं कि यह जो सरकारी जमीन है, यह किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह आपकी, हमारी और सरकार की भी जमीन नहीं है, यह जमीन जनता की है। इसको जन-उपयोग के लिए रोका जाना चाहिये। माननीय मंत्री जी मैं तो आपको मानता हूं कि आप सक्षम मंत्री हैं। यहां मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं। जिस दिन से आपने 152 प्रतिशत पर जमीन एलॉट करने का जिस निर्देश जारी किया है, क्योंकि 152 प्रतिशत से भी दस गुना ज्यादा रेट पर उन जमीनों का मार्केट रेट है। कलेक्टर रेट बहुत कम है, क्योंकि वह अतिक्रमण की भूमियां हैं। उन भूमियों पर भू-माफिया, बाहरी लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग आकर कब्जा कर उनका पट्टा बन रहा है। यहां तक की जो सरकारी जमीने हैं, उन जमीनों के भी पट्टे बन रहे हैं, जो निजी जमीने हैं, उन जमीनों के भी पट्टे बन रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक हजार से ज्यादा रोहिंग्या लोग आकर बस चुके हैं। इतनी बुरी स्थिति हो रही है।

माननीय मुख्यमंत्री जी, इसको सिर्फ वोट से नहीं देखना चाहिये। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का यह बहुत बड़ा कारण है। मैं तो आपसे यह जानकारी चाहता हूं कि वर्ष 2017 के बाद में इन जमीनों पर जो अतिक्रमण किया गया है। मैं आपकी जानकारी में ला रहा हूं, मैं भी राजस्व मंत्री रहा हूं। मैंने कहा था कि छोटे-मोटे मामलों में आप प्रकरण दर्ज मत करिये, उसको सीधा उखाड़कर फेंकिये। नालों के ऊपर में कब्जा कर लिया गया है, बस्तियां नालों के पानी से भर रहे हैं। वर्ष 2017 के बाद के जो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अतिक्रमण हैं, उनके ऊपर केस दर्ज करने के बजाय उन सभी अतिक्रमणकारियों को हटाया जायेगा क्या, आप जरा इसका जवाब दे दें?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो वर्ष 2017 के बाद अतिक्रमण की बात कही है, उसकी जानकारी मैं अलग से उपलब्ध करवा दूंगा। वर्ष 2017 के बाद यदि कोई अतिक्रमरण कर रहा है, यदि वह उसको बतायेंगे तो हम लोग उसमें विधिवत कार्रवाई करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरे constituency में यह हो रहा है। आपके पटवारी के पास में तो रिकॉर्ड होता है। आपने तो अब खसरावाईज पटवारी नियुक्त कर दिया है। यदि आपकी पटवारी सरकारी जमीन की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? अब तो पटवारियों की संख्या बहुत बढ़ गई है, अब खसरावाईज पटवारी हो गये हैं, पहले 10-10 खसरे पर एक पटवारी होता था। वह रिकार्ड में इंद्राज करता है या नहीं करता या फिर हल्कावाईज हो गया है? वह रिकार्ड में इंद्राज करता है या नहीं करता है कि 2015 पर कौन काबिज था? यह रिक्त है या रिक्त नहीं है? 2016 में कौन काबिज था? आपका सालाना रिकार्ड अपडेट होता है या नहीं होता है? आपने जो कानून लाया है कि वर्ष 2017 के पहले जो लोग काबिज हैं और वह सरकारी उपयोग या कोई बाधा में नहीं आते हैं तो हम उनको 152 प्रतिशत में पट्टा देंगे। यह नियम भी गलत है परंतु आपने यह नियम बना दिया है। तो वर्ष 2017 के बाद जिन्होंने अतिक्रमण किया है क्या आप उनको हटाने की कार्रवाई करेंगे और कोई निर्देश जारी करेंगे और सरकारी उपयोग के लिए उन जमीनों को सुरक्षित करेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय अग्रवाल जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का अभी तक जवाब नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आपके प्रश्न का जवाब यह आया है कि आप उन जमीनों की जानकारी दे दीजिए तो मंत्री जी उसकी जांच करेंगे और उस पर कार्रवाई होगी। मंत्री जी ने तो यह कह दिया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, यह मेरी जानकारी नहीं है बल्कि यह पूरे प्रदेश की जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने पूरे प्रदेश के बारे में भी कह दिया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह प्रश्न पूरे प्रदेश को और पूरे छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। मंत्री जी उसको भी कर लेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके भी क्षेत्र में है...।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या प्रदेश में बेजा कब्जा सिर्फ वर्ष 2017 के बाद हुआ है या इसके पहले भी हुआ है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप उसको भी हटाइये।

अध्यक्ष महोदय :- बेजा कब्जा हर सरकार के कार्यकाल में हुआ है। आपकी सरकार थी और जब आप राजस्व मंत्री थे, तब भी बेजा कब्जे हुए हैं और अभी भी हुए होंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना तो यही है और मैं तो आपको चैलेन्ज करता हूं कि वर्ष 2017 के पहले के भी कब्जे हैं तो छत्तीसगढ़ बनने के दिन से आज तक जितने अतिक्रमण हुए हैं आप उन सबको हटाइये। आप उन सबको हटाइये।

श्री अजय चंद्राकर :- छत्तीसगढ़ राज्य खुद सन् 2000 में बना है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बढ़िया है। धर्मजीत सिंह जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम आपका समर्थन करेंगे। हम समर्थन करेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- आप इसमें समय बढ़ाइये।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- आप क्यों नहीं हटाये ?

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपको समय दूंगा न।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- आपकी सरकार थी। 15 सालों तक आपकी सरकार थी तो उस समय आपने क्यों नहीं किया ? आपको किसने मना किया था ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी ध्यानाकर्षण सूचना का मूल कारण यह है कि सरकार ने एक कानून लाया कि वर्ष 2017 के पूर्व के जितने काबिज लोग हैं उनको 152 प्रतिशत लाकर उनको पट्टा दे दिया जाएगा और उसके कारण लोग तहसीलदार, पटवारी, आर.आई. से लेनदेन करके, उनसे सेटिंग करके जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। मतलब, लोग जमीन को कल कब्जा करके उसको वर्ष 2017 का दिखा देते हैं और उसके कारण...।

श्री अजय चंद्राकर :- सब आयातीत माफिया लोग कर रहे हैं।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैंने इतनी कोई व्यवस्था नहीं की...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, ऐसा हो रहा है। माननीय मंत्री जी, मेरे पास 10 नक्शे हैं और मैं आपको ये नक्शे दे देता हूं। यह सब नक्शे वर्ष 2020 के बाद के कब्जे हैं।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- ठीक है। आप मुझे उन नक्शों को दे दीजिए, मैं उन सबकी जांच करा लूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह वर्ष 2020 के बाद के कब्जे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप वह पेपर मंत्री जी को दे दीजिए न।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- आप मुझे उन नक्शों को दे दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह चाहता हूं और क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ की लेजिस्लेटिव असेम्बली में बैठे हैं। हमको छत्तीसगढ़ की चिंता है कि वर्ष 2017 के बाद से जितने भी अतिक्रमणकारी हैं, आप उनकी जांच करवा लीजिए। माननीय मंत्री जी, यह पटवारी, तहसीलदार, आर.आई. अपने स्वार्थों के लिए उसकी जांच नहीं करते हैं और उनको रोकते हैं तो वह वर्ष 2017 के बाद के अतिक्रमणरियों पर प्रकरण दर्ज कर लेते हैं और वह प्रकरण 20 साल चलता है इसलिए

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वर्ष 2017 के बाद के अतिक्रमणकारियों पर प्रकरण दर्ज करने के बजाय आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आपने मंत्री जी का ध्यानाकर्षित कर दिया है। यह ध्यानाकर्षण सूचना है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को केवल यह बताना चाहता हूं कि बृजमोहन जी और धर्मजीत जी बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अभी धर्मजीत जी नहीं बोले हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- हमारे यहां के क्षेत्र में।

अध्यक्ष महोदय :- आप सुनिये न।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां के क्षेत्र में जो सरकारी जमीन है उसमें तहसीलदार का साहस इतना बढ़ा हुआ है कि उस सरकारी जमीन को प्राइवेट नाम में कर दिया और उन्होंने उस जमीन को बेच भी दिया। वह समय में पकड़ में आ गया तो मंत्री जी तहसीलदार को सस्पेण्ड किये। यह एक मामला नहीं है यह पूरे प्रदेश में है। यह जो वर्ष 2017 के बाद का कब्जा बता रहे हैं न तो यह वर्ष 2017 का कब्जा कुछ नहीं है। जो लोग अभी कब्जा कर रहे हैं वह लोग उसको पहले का बता देंगे तो वह सब उस जमीन को झोंकने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इसलिए यदि इस पर कानून ला रहे हैं और यदि प्रदेश की जमीन को बचाना है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, इस पर विचार करेंगे। धर्मजीत सिंह जी, आपका इसमें ध्यानाकर्षण है। आप इसमें बताइये।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- जी माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा के अनुरूप 152 प्रतिशत राशि लेकर के किसी के घर के आस-पास या आजू-बाजू में यदि इन्क्रोचमेन्ट या सरकारी जगह है तो उसको देने का प्रावधान है। खैर, नियम तो ठीक है लेकिन इससे जितने भी बड़े-बड़े जमीन की खरीद-फरोख्त करने वाले लोग हैं, वह सब सक्रिय हो गये हैं और पटवारी, रेवेन्यू इन्सपेक्टर को बैठा कर पूरे बिलासपुर, रायपुर, बिलासपुर और कोरबा में, इन सब जगहों में अपना घर बनवाने लगे। यदि आपके घर के सामने खाली प्लॉट है तो आप सोच रहे होंगे कि यह खाली प्लॉट है लेकिन यह उसमें नाम व कब्जा दूसरे का लिख दिये। जमीन उड़ने लगीं। यदि आपकी जमीन सामने है तो वह पीछे चली गयी और पीछे वाली जमीन आगे आ गई। तो वहां पर इस तरह के बहुत तमाशे हुए हैं। बिलासपुर में तो यह बहुत हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि मैं पूरे प्रदेश भर का तो पढ़ और समझ नहीं पाऊंगा लेकिन आपने बिलासपुर में इस स्कीम के अंदर कितने लोगों को कहां-कहां प्लॉट एलार्ट किया और कितने लोगों की अभी पेंडिंग है ? क्योंकि मेरी जानकारी में तो एक ही आदमी का 27

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जगहों में भाई के नाम से, पत्नी के नाम से, भतीजे के नामे से अलग-अलग आवेदन लगा हुआ है। तो आप मुझे थोड़ी-सी इसकी जानकारी दे दीजिएगा। अब हम इसमें लिखे हैं कि आपके बरबसपुर पटवारी हल्का 22, 359/1 में रातों-रात अतिक्रमण कर शासकीय जमीन पर राखड़ बांध दिया। आप उसको देखने भी गये थे। यह कार्रवाई राजस्व विभाग के अधिकारियों ने क्यों नहीं की ? जब उनको मालूम था कि यहां बेजा कब्जा हो रहा है तो प्रकरण चला देने से नहीं होता । अगर कोई बेजा कब्जा करके कुछ बनाया है तो उसको तोड़ दीजिए । उनको तत्काल भगा दो, तोड़ दो, गिरफ्तार कर लो, धारा 151 लगा दो या कुछ-कुछ कार्रवाई करिए । इसमें आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आप खुद गए थे । जब राजस्व मंत्री वहां जाकर इस बेजा कब्जा को नहीं रूकवा सक रहे हैं तो पूरे प्रदेश में बेजा कब्जा कहां रूकेगा । आप तो यह बताईए कि इस स्पेशिफिक प्रकरण में हमने जो मामला दर्ज किया है, आप दोषी अधिकारियों को निलंबित करेंगे क्या बाकी की सूची देंगे क्या ? कोरबा के बरबसपुर में कौन-कौन पटवारी, आर.आई. और तहसीलदार हैं, मैं उनके बारे में बोल रहा हूं ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, ग्रामीणों की तरफ से मुझे सूचना मिली थी कि बरबसपुर में शासकीय जमीन पर बेजा कब्जा करके दीवाल बनाई जा रही है । उसके लिए मैंने राजस्व विभाग के तहसीलदार, एस.डी.एम. को निर्देश दिए थे कि जांच करने के बाद कार्रवाई करें । यह बात सही है कि दीवाल अभी तक नहीं हटी है और वहां पर आर.आई., पटवारी को भी मौके पर बुलाकर बोला गया था। यह बात सही है कि इस प्रकरण में आर.आई., पटवारी की लापरवाही हुई है । मैं आर.आई और पटवारी को निलंबित करता हूं और इसमें जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपने पटवारी और आर.आई. को निलंबित कर देंगे? और जो बेजा कब्जा है, वह वैसे का वैसा ही रहेगा ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- उसको हटाएंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- ऐसा बोलिए न ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप उसको हटाईए । मंत्री जी, यह इसलिए जरूरी था कि कम से कम सरकार की अच्छी नीयत में किए गए फैसले का कोई अपने तरीके से परिभाषा मत बदलें, परिभाषा मत बदलने दीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी, आप छोटे कर्मचारी को तो निलंबित कर रहे हैं, पर कलेक्टर, एस.डी.एम., तहसीलदार जो बड़े अधिकारी हैं, अगर इतने बड़े अतिक्रमण के लिए कोई दोषी हैं तो ये बागड़-बिल्ला लोग दोषी हैं। आप आर.आई., पटवारी छोटे लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हैं । अगर उसमें कलेक्टर, तहसीलदार, एस.डी.एम. दोषी हैं तो उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, आप यह बताएं । मैं तो चाहूंगा कि रायपुर में जो अतिक्रमण हो रहे हैं, आप उसमें क्या कार्रवाई करेंगे ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रारंभिक तौर पर पटवारी, आर.आई. की जवाबदारी है । पटवारी आर.आई. को जानकारी देता है । अगर कोई अतिक्रमण करता है तो पटवारी की जवाबदारी बनती है इसलिए हम उनको दोषी मानकर उन पर कार्रवाई कर रहे हैं और बाकी मामलों की जांच करवा देंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- रायपुर में अतिक्रमण हो रहे हैं, उसके लिए कौन दोषी है । पटवारी, आर.आई ध्यान नहीं दे रहे हैं । उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे ?

श्री धर्मजीत सिंह :- जो ध्यानाकर्षण में स्पेशिफिक लिखा है उसको हमने पूछा है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी, आपने कहा कि तहसीलदार और एस.डी.एम. को निर्देश दिए थे तो पहले उनको निलंबित करो ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैंने तहसीलदार और एस.डी.एम. को निर्देश दिए थे । मैंने कहा कि जो बाकी लोग दोषी होंगे, हम उसकी जांच करा देंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बरबसपुर में आप अतिक्रमण हटवा रहे हैं और बाकी प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है ? आपका विधान सभा क्षेत्र है, उसमें आप कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी जगह नहीं कर रहे हैं । ऐसा नहीं होता ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, आपने पटवारी और आर.आई. को निलंबित कर दिया । आपको तहसीलदार और एस.डी.एम. के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा करनी चाहिए ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, जैसा की बृजमोहन भैया ने रायपुर के बारे में बताया कि मेरे पास नक्शा है तो उसको आप हमें दे दीजिए । वर्ष 2017 के बाद जो भी अतिक्रमण हुआ होगा, हम उसकी जांच करा लेंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मुझे देने की जरूरत नहीं है । आप सरकार में हैं, आप मुझसे मत मांगिए । आप स्वयं यह बोलिए और 15 दिन में कलेक्टर को निर्देश दीजिए । यह सरकार है । सरकार निर्देश देगी तो क्या कलेक्टर की हिम्मत होगी कि वह नहीं देगा ? रायपुर में कितने अतिक्रमण हुए हैं, वह बताईए ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात के लिए पहले ही कहा कि 2017 के बाद जो भी अतिक्रमण हुए होंगे, उसकी जानकारी मैं ले लूंगा । मैं कलेक्टर साहब को निर्देश कर दूंगा । उसकी जानकारी लेकर आपको बता भी देंगे और जो विधिसम्मत कार्रवाई होगी, वह की जाएगी ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि पटवारी और आर.आई. के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पर यह कहीं पर नहीं कहा कि तहसीलदार और एस.डी.एम. के खिलाफ कार्रवाई करेंगे । अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि मंत्री जी जी.ए.डी. का नियम देख लें कि वे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं ? कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

क्योंकि यह सारा प्रकरण हो रहा है, सारे जिले में हो रहा है, विशेषकर कोरबा जिले में हुआ है, यह कलेक्टर के संरक्षण में हुआ है । राजस्व संहिता से अंग्रेज के जमाने से लेकर आजतक सारी शासकीय भूमि का रखवाला कलेक्टर है, राजस्व का रखवाला कलेक्टर है । कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए । जिस दिन एक कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई होगी तो सारा बेजा कब्जा बंद हो जाएगा । उनके संरक्षण में, उनके कारण और उनके ज्ञान में यह सारे कार्य हो रहे हैं । आर.आई और पटवारी पर क्या कार्रवाई करेंगे ? वह तो निर्देश का पालन कर रहे हैं । माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि अगर कार्रवाई करना है तो कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करिए । आप जी.ए.डी. में नियम देख लीजिए कि आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते और कार्रवाई कलेक्टर के खिलाफ करिए ?

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें 4 तरह के ध्यानाकर्षण को मिलाकर एक साथ एक ध्यानाकर्षण बनाया गया है। उसमें कुरूद का भी मामला है और छत्तीसगढ़ के बहुत जगहों का भी मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें 6 लोगों का ध्यानाकर्षण था, हमने अलग-अलग नहीं किया, इसी में ले लिया। समय कम है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, जी। मैं इसमें एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। जयसिंह जी की नीयत सही है। आपने रूचि भी ली। उन्होंने कोरबा में कार्रवाई की घोषणा भी कर दी। मैं आपसे एक आग्रह करता हूं और एक समय-सीमा की मांग करता हूं। वह इसलिए कि सरकारी संसदीय कार्यमंत्री जी जो हैं, आश्वासन समिति में आज तक साढ़े तीन साल में जितने आश्वासन मंत्रियों ने दिए हैा, संसदीय कार्यमंत्री जी, उसको जाकर एक बार देख लें। यदि मंत्री सदन में आश्वासन देता है तो उसकी कोई कीमत ही नहीं है, इस सरकार में तो कीमत नहीं है। इसलिए मैं माननीय जयसिंह जी से आग्रह करूंगा कि जो प्रकरण इस ध्यानाकर्षण के माध्यम से ध्यान में लाये गये हैं।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, मेरी आपत्ति है। आप ध्यानाकर्षण में चर्चा कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- कर रहा हूं न।

श्री रविन्द्र चौबे :- अब आप एक मिनट बैठ जाईये, तो आप माननीय राजस्व मंत्री जी से प्रश्न करिये। पूरे विधानसभा के आश्वासनों पर जवाब चाहते हैं और सरकारी संसदीय, इसका क्या तारतम्य है भाई ?

श्री अजय चन्द्राकर :- हम चाहते यह हैं कि आपके कार्यकाल में..।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, इस तरह से बातें नहीं होनी चाहिए। सारी बातें विलोपित होनी चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसमें क्या विलोपित होना चाहिए ?

श्री रविन्द्र चौबे :- लेकिन आप ध्यानाकर्षण में प्रश्न करिये न।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके कार्यकाल में सरकारी संसदीय कार्यमंत्री महोदय, ..।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप प्रश्न करिये न।

श्री अजय चन्द्राकर :- कर रहा हूं न। आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ?

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं उत्तेजित नहीं हो रहा हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप प्रश्न करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने जानकारी दी है कि संसदीय क्या है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं इसमें कहां आश्वासन आ गया ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं बड़ी विन्रमता के साथ, आपकी कीर्ति गाया हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- और कीर्ति गाओ, बखान करो।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने क्या बना रखा है ? इस सदन के अंदर बोलते हैं तो आपकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मिश्री भईया, आप इस सरकार के संसदीय कार्यमंत्री हैं या नहीं ? इस सरकार के संसदीय कार्य मंत्री हैं या नहीं, बता दो ?

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- ये 15 साल में कितने कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई किये थे ? एकाध पर कार्रवाई किए थे क्या, बताओ ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने रूचि भी ली और माननीय मंत्री जी ने कहा। मैं आशवासन का किसलिए उल्लेख किया, मैं उसके बारे में बाद में चर्चा कर लूंगा। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि जांच तभी प्रभावी मानी जाती है और हाऊस की गरिमा बढ़ती है। क्या आप समयावधि बताने का कष्ट करेंगे जो आपने आज हाऊस में दिया है कि वर्ष 2017 के बाद के ज्ञात जितने मामले दर्ज हैं, वह सब बिना प्रकरण दर्ज किए डिमालिस किये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- ऐसा कैसे आश्वासन दे सकते हैं ? बिना डिमालिस किए, बिना प्रकरण दर्ज किये ? उन्होंने जांच करा लेंगे कहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- निश्चित समयावधि ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- सुनिये, सुनिये चन्द्राकर जी, यू.पी. का बुलडोजर हम यहां लोगों के ऊपर नहीं चलायेंगे, जो आप चाह रहे हैं। वह वहां से अपराधियों को छत्तीसगढ़ भेज दिए तो यहां बोलने के बजाय योगी जी से निवेदन कर लेते कि अपराधियों को मत भेजो तो हमारा छत्तीसगढ़ सुरक्षित रहता।

श्री अजय चन्द्राकर :- देखिये साहब, यह प्रदेश भर का ध्यानाकर्षण है और यदि आप बरबसपुर के बारे में घोषणा करते हैं, कोरबा भर के बारे में घोषणा करते हैं तो मैं इसमें व्यक्तिगत तौर पर आरोप लगा सकता हूं कि यदि आप प्रदेश भर में नहीं करेंगे तो इसको फिर राजनीतिक इन्टेंशन माना जायेगा।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- आपकी उसमें संलिप्तता है क्या, जो आरोप लगा रहे हैं ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- आप प्रदेश भर का नाम लिखिये।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- आप कार्रवाई चाह रहे हैं या नहीं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, यदि पूरे ध्यानाकर्षण में सिर्फ एक जगह की घोषणा करेंगे तो इसको राजनीतिक माना जायेगा।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- नहीं-नहीं राजनीतिक नहीं। तो आर.आई. पटवारी को नंबर वापस कर दूं ? नहीं, आप बता दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप एक जगह की घोषणा कर रहे हैं और बाकी जगहों के लिए चुप रहते हैं तो राजनीतिक माना जायेगा।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मुझे जहां पर ग्रामीणों ने कहा, मैं स्वयं गया था, मैंने इस बात को बताया। जानकारी दिया हूं कि जो दोषी पाये गये, उन पर कार्रवाई की।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह राजनीतिक माना जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपसे चर्चा करूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होता किसी एक पर कार्रवाई हो और बाकी को छोड़ दें।

अध्यक्ष महोदय :- ननकीराम जी, आप पूछिये। please आप बैठिये, मंत्री जी एक मिनट।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आप नेता प्रतिपक्ष जी से पूछ लीजिये जब मुझे बिलासपुर के बिल्हा के बारे में जानकारी मिली तो मैं बिलासपुर गया। मैंने तहसीलदार को भी सस्पेण्ड किया था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो आपको क्षमतावान मानता हूं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि Time being बताईये, मैं क्यों इस तरह की बात करूंगा ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- कलेक्टर को कहां से सस्पेण्ड करेंगे, भाई ? कलेक्टर पर कार्रवाई थोड़े ही कर देंगे। जो दोषी थे, उस पर कार्रवाई कर दिए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने हमारे मंत्री जी को बताया तत्काल सस्पेण्ड किया। यह बात अलग है, बहाल करके उसी क्षेत्र में फिर पदस्थ कर दिया।

श्री ननकीराम कंवर (रामपुर) :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति का पहले कब्जा था, झोपड़ी बना हुआ था और उसने आपको आवेदन भी दिया था क्या ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, नहीं, मुझे उसमें कब्जे और एप्लीकेशन की जानकारी नहीं है । गांव के 50, 60 लोग आये थे, मैं स्पॉट में गया था, तहसीलदार, एस.डी.एम. आर.आई. उपस्थित थे, वहां पर जो ग्रामीणों ने बताया, उससे उसकी पुष्टि हुई, इसमें कार्यवाही की गई है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, यह 152 परशेंट पर जमीन लेने के लिये कितने लोगों ने प्रदेश में आवेदन किया है और कितने लोगों को जमीन आवंटित हो चुकी है ।

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण में इतनी लम्बी बात मत करो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- पूरे प्रदेश का मामला है, सूची पटल पर रख दें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमारे भाषण की शुरूआत हमने 152 परशेंट से की है ।

अध्यक्ष महोदय :- 152 की बात तो सभी कर रहे हैं ना ?

श्री शिवरतन शर्मा :- जमीन कितने लोगों को आवंटित हो गयी ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- शर्मा जी, मैं आपको पूरे प्रदेश का अलग से उपलबध करा दूंगा । दूसरी चीज, आप लोग बिल्कुल भी गलतफहमी में मत रहिये कि जो भी आवेदन किया है, उसको आवंटित कर दिये । बहुत कम संख्या में आवंटन हुये हैं । आप चाहेंगे तो पूरे प्रदेश की जानकारी जिला वाईज दे दूंगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप सूची उपलब्ध करा दीजिए । ठीक है । सूची पटल में रख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने जो कहा है 152 परशेंट में पूरे छत्तीसगढ़ में टोटल कितने लोगों ने आवेदन किया है और कितने लोगों को एलॉट हो गई है, कितने का आवेदन निरस्त किया गया है, कितना प्रक्रियागत है, इसकी सूची हम चाहते हैं । इस ध्यानाकर्षण के माध्यम से आप सदन के पटल पर रख दें, जिससे छत्तीसगढ़ का भला हो सके, छत्तीसगढ़ की जमीन बच सके, छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक उपयोग के लिये जमीनों का उपयोग हो सके । इसके लिये हम चाहते हैं कि सदन के पटल पर आप यह जानकारी रख दें ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, जमीन की जितनी चिन्ता माननीय सदस्यों की है, उतनी चिन्ता सरकार की भी है । किसी भी प्रकार से बेजा कब्जा कराने के लिए हम लोग नहीं लगे हुये हैं । हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेजा कब्जा न हो । उसमें बार-बार जिला कलेक्टरों को निर्देश भी दिये गये हैं, जिस प्रकार से आवंटन की बात है, मैंने पहले ही बताया कि बहुत ही नॉमिनल, अगर मान लीजिए, कोई 100 आवेदन आये तो जरूरी नहीं है कि 100 को आवंटित कर दिया गया हो । कोई 5, 4, 3 को आवंटित हुआ होगा । आपको मैं पूरी सूची बता दूंगा ।

एक माननीय सदस्य :- अध्यक्ष जी, आपका हमेंशा बात मानता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, उत्तर आ गया । बहुत लोग का हो गया । आप मेरा कहते हो तो कहा बैठ जाओ । श्री सत्यनारायण शर्मा । इसीलिए तो बोला ना, तुम्हारे यहां भी जांच करा देंगे ।

अप्रमाणित/असंशोधित के लिए नहीं

(2) शिक्षा के अधिकार अधिनियम का लाभ गरीब एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को नहीं मिलना

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना इस प्रकार है :-

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सभी बच्चों को शाला प्रवेश कर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है । इस अधिनियम के तहत स्कूल शिक्षा विभाग में पालकों के द्वारा आवेदन किए जाते हैं, जहां से उन्हें शाला में प्रवेश दिया जाता है । शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शाला प्रवेश हेतु जो आवेदन पत्र लिये जाते हैं, उसमें तीन शाला के चयन का विकल्प होता है । इन तीन शालाओं में से किसी में बच्चे का प्रवेश न हो पाने की स्थिति में गरीब एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को शाला प्रवेश से वंचित रहना पड़ता है और उन्हें शिक्षा के अधिकार अधिनियम का लाभ नहीं मिल पाता । इसी तरह से जिन विद्यार्थियों के परिवार किसी स्थान पर झुग्गी बस्ती अथवा किसी अन्य प्रकार से निवासरत् थे, उन्हें विकास एवं निर्माण तथा अन्य कारणों से किसी अन्य स्थल पर विस्थापित किया गया । इन परिवार के बच्चों को अन्य स्थल पर शाला प्रवेश में कठिनाई हो रही है, क्योंकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत यह अवसर केवल एक बार के लिए ही है । शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उपरोक्त खामियों के कारण गरीब एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है और शिक्षा का अधिकार होने के बाद भी वे शिक्षा से वंचित है । उपरोक्त कारणों से गरीब एवं कमजोर वर्ग के परिवारों में असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत शाला प्रवेश हेतु आवेदन में केवल 03 विद्यालय का विकल्प होता है, बल्कि सत्य यह है कि बसाहट से 1 किलोमीटर की परिधि में स्थित सभी निजी शालओं के लिए वे आवेदन कर सकते हैं । यदि किसी कारणवश बालक का प्रवेश इन शालाओं में न हो सके तो उन्हें द्वितीय चरण में अन्य विद्यालय हेतु आवेदन में संशोधन का अवसर भी दिया जाता है, जिससे वे अपनी पसंद के किसी अन्य निजी विद्यालय में प्रवेश ले सकें । यह कहना भी सही नहीं है कि विकास एवं निर्माण तथा अन्य कारणों से किसी अन्य स्थल पर विस्थापित विद्यार्थियों को शाला प्रवेश में कठिनाई हो रही है, क्योंकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत एक बार प्रवेश मिल जाने के उपरांत स्कूली शिक्षा की पढ़ाई पूरी होने तक विद्यार्थी उसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं । यह कहना सही नही है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में खामियों के कारण गरीब एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह कहना भी सही नहीं है कि वे शिक्षा से वंचित हैं। गरीब एवं कमजोर वर्ग के परिवारों में किसी भी प्रकार का असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 02 में सम्मिलित ध्यानाकर्षण क्रम संख्या 02 पर चर्चा पूर्ण होने तक भोजनावकाश के समय में वृद्धि की जाये।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को एक बार शाला में प्रवेश मिल जाने के बाद उन्हें किसी अन्य कारणों से दूसरे शाला में प्रवेश लेना पड़े तो क्या शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत उन्हें अन्य शाला में देने का प्रावधान है?

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत स्कूल में प्रवेश की लॉटरी निकलती है, उसके बाद पुनः जब लॉटरी निकाली जाती है तो अगर वह बच्चा शिक्षा से वंचित रहता है तो उसमें स्कूलों को प्रवेश करने का भी अधिकार रहता है। 1 किलोमीटर की परिधि में जितने भी 5-6 स्कूल होंगे, उन स्कूलों में उन बच्चों को प्रवेश की पात्रता रहती है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, झुग्गी-झोपडियों में रहने वाले बच्चे और अक्सर दूसरी जगह पुलों के नीचे जो लोग रहते हैं उनको पुनर्स्थापन के समय दूर-दूर जगह एलॉट की जाती है या दूर की जगह मिलती है। तो वहां पर क्या यदि एक बार एक बच्चे को एक स्कूल में admissionमिल गया तो क्या उन शालाओं में उनको दोबारा admission देने की पात्रता है? मैं यह निवेदन करना चाह रहा था।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो कानून बने हुए हैं, उसमें एक बार किसी स्कूल में प्रवेश ले लिया तो जब तक उसकी पढ़ाई होती है तब तक वहां पर रहता है। अगर किसी अगर से उसका ट्रांसफर हो जाता है या दूसरी जगह चला जाता है तो इसमें ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं रहता है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धन्यवाद।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शर्मा जी ने जो प्रश्न उठाया है, मैं उसी प्रश्न पर कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी आप यह मत बोलिये कि ट्रांसफर करने का अधिकार नही है। आज रायपुर में लगभग 20 हजार लोगों को झुग्गी-झोपड़ियों को हटाकर मकान एलॉट किये गये हैं और मकान एलॉट करने के कारण वह अपने मूल स्थान से 10-10

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किलोमीटर दूर चले गये हैं। 10 किलोमीटर दूर जाने के बाद उनके बच्चों को नजदीक की स्कूल में admission नहीं मिल रहा है। यह अधिकार आपके पास में है। बहुत सारी निजी स्कूलें बंद हो गई हैं और निजी स्कूलें बंद होने के कारण उन बच्चों का admission समाप्त हो गया है और अब उनको दूसरी स्कूल में admission चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है। आपको तो उनके आवेदन लेकर दूसरी स्कूल में admission के लिए उनको अनुमति देनी है और यह अधिकार आपके पास में है। इसके ऊपर में कोई प्रतिबंध नहीं है। आप ऐसे आदेश जारी कर दें। अगर स्कूल बंद हो गई है उसके कारण या उनका विस्थापन हो गया है, उनको दूर जाकर रहना पड़ रहा है, कोई ट्रांसफर हो गया है उसके कारण admission नहीं मिल रहा है तो उसको दूसरी स्कूल में जहां पर भी रिक्त सीटें हैं, उसके तहत उसको admission लेने का अधिकार है। रायपुर में लगभग 5 हजार से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको किसी स्कूल में admission नहीं मिल रहा है और जो कमजोर, आर्थिक रूप से गरीब हैं, वह शिक्षा से वंचित हो जायेंगे। आप ऐसे निर्देश जारी कर दें कि आर.टी.ई. के तहत अगर उनको दूर मकान मिल गया है, अगर उनकी स्कूल बंद हो गई है तो उनको दूसरी स्कूल में admission दिया जा सकता है। रायपुर शहर में अभी भी 10 हजार सीटें रिक्त हैं तो इन रिक्त सीटों में admission दिया जाये।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि अगर एक बार किसी स्कूल में admission हो गया तो जब तक स्कूल में जिस कक्षा तक उसकी पढ़ाई होती है, वहां तक पढ़ाई करेगा। लेकिन अगर कोई बसाहट या पुनर्स्थापन के कारण दूर चला गया है तो उन क्षेत्रों में 1 किलोमीटर के तहत जो भी स्कूल होंगे, उन स्कूलों में उनको प्रवेश की पात्रता रहती है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप ऐसे निर्देश जारी कर दें।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- इसके लिए निर्देश हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि इसके लिए निर्देश जारी होना चाहिए।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए निर्देश हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गरीब बच्चों के भविष्य का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय :- वह बोल रहे हैं कि इसके लिए उनके पास निर्देश हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्देश जारी करवा दें, निर्देश नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही भोजन अवकाश के लिए अपरान्ह 3.00 बजे तक के लिए स्थगित।

(1.34 से 3.02 बजे तक अंतराल)

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

3.02 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, कोरम के अभाव में छत्तीसगढ़ विधान सभा आज तक स्थगित नहीं हुई है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी-भी नहीं हुई है। बृजमोहन जी आ गये।

श्री अजय चंद्राकर :- आप देख लेना क्योंकि आपसे ज्यादा हम लोग उपस्थित है। अभी मत विभाजन हो जायेगा तो फिर राम लाल को पकड़ के लाने वाला कार्य हो जायेगा।

सभापति महोदय :- श्री नारायण चंदेल, श्री शिवरतन शर्मा, श्री सौरभ सिंह, सदस्य। श्री नारायण चंदेल जी का नाम प्रथम में है, इसलिये मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह ध्यानाकर्षण सूचना पढ़े।

श्री शिवरतन शर्मा :- वह नहीं है।

सभापति महोदय :- श्री शिवरतन शर्मा जी।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप उनका कैसे पढ़ोगे?

श्री शिवरतन शर्मा :- वह मूल रूप से बड़े हैं, ओखर खातिर पहले पढ़ूंगा।

श्री अजय चंद्राकर :- ट्रांसफर नीति फाईनल होगी तो और कोरम का अभाव हो जायेगा।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग मेला लगाकर उद्योगपतियों से एम.ओ.यू. किया गया है। जिन क्षेत्रों में उद्योग को स्थापित किये जाने का एम.ओ.यू. किया गया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के सिर्फ 6 लोग उपस्थित है। यदि 70 सदस्यों में 6 लोग उपस्थित है तो क्या भूपेश बघेल जी के खिलाफ में अभी से अविश्वास आ गया है? क्या इस सरकार के खिलाफ अविश्वास आ गया है?

श्री अजय चंद्राकर :- अभी विधायकों को खोजने भेजे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, यह बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है, यह तो इस सदन का अपमान है।

सभापति महोदय :- यहां संसदीय कार्यमंत्री जी उपस्थित है। आप चिंता न करें।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, ये एक दिन के लिये अल्पसंख्यक है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी हम लोग 11 सदस्य उपस्थित है।

सभापति महोदय :- देखिये और सदस्य आ गये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- संसदीय कार्यमंत्री जी, क्या आपको गिनती नहीं आती?

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री देवेन्द्र यादव :- आप अभी-भी गिनती करेंगे तो हम आपसे ज्यादा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- संसदीय कार्यमंत्री जी, आप पीछे मुड़कर देख लीजिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- पीछे क्यों देखूं। हम सामने गिन रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यजनक है, बहुत शेमफूल है कि सत्ता पार्टी के 71 विधायक होने के बाद भी सदन में 6-7 विधायक ही उपस्थित रहे। आपको आसंदी से प्रताड़ित करना चाहिये कि यह सरकार सदन के प्रति कितनी गंभीर है। माननीय शिवरतन शर्मा जी ध्यानाकर्षण पढ़ रहे हैं, उद्योग विभाग का प्रमुख सचिव कहां हैं? सचिव कहां हैं?

श्री कवासी लखमा :- वह तो बैठे हैं।

सभापति महोदय :- अधिकारी यहां बैठे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं है। प्रमुख सचिव नहीं है।

श्री कवासी लखमा :- प्रमुख सचिव आज छुट्टी में है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सचिव कहां है?

श्री कवासी लखमा :- यह दाढ़ी वाले बैठे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह सचिव नहीं है। जो सचिव होते हैं वह आई.ए.एस. होते हैं।

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन शर्मा जी, आप ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, क्या यहां उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव हैं ?

सभापति महोदय :- यहां अधिकारीगण हैं। यहां अधिकारी दीर्घा में अधिकारी हैं। यहां माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष दोनों नहीं हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आप भी मंत्री रहे हैं और मैं भी मंत्री रहा हूँ।अगर कोई भी आई.ए.एस.अधिकारी छुट्टी पर होता है तो दूसरे आई.ए. एस. अधिकारी को चार्ज देकर जाता है, लिंक सेक्रेटरी होते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, लिंक सेक्रेटरी होते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, यहां अधिकारी दीर्घा में लिंक सेक्रेटरी होना चाहिए। माननीय उद्योग मंत्री जी खड़े होकर बोल रहे हैं। माननीय उद्योग मंत्री जी उद्योग विभाग का जवाब भी आप ही दीजिएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, आपका प्रमुख सचिव कौन है ?

सभापति महोदय :-यहां अधिकारी दीर्घा में उद्योग विभाग के माननीय सचिव जी हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय,यहां पर सचिव जी नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- मैंने देखा है कि उद्योग विभाग के माननीय सचिव महोदय हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, यहां उद्योग विभाग के माननीय सचिव जी नहीं हैं। प्रमुख सचिव के यहां लिंक अधिकारी कौन हैं ?

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी, यहां अधिकारी दीर्घा में उद्योग विभाग के सचिव जी हैं। मैंने खुद देखा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह सदन जानकारी चाहता है कि उनके लिंक सचिव कौन हैं ? उनके लिंक अधिकारी कौन हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, और उनके विभागाध्यक्ष कौन हैं ?

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी, यहां पहले से उद्योग विभाग के सचिव जी हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, उनके विभागाध्यक्ष कौन हैं?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, उद्योग विभाग के लिंक अधिकारी कौन हैं ? विभागाध्यक्ष कौन है ?

सभापति महोदय :- देखिए, माननीय बृजमोहन जी, चन्द्रशेखर गुप्ता जी, सचिव उद्योग हैं वह यहां सदन में अधिकारी दीर्घा में बैठे हैं। मैंने देख लिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, हम बिना अधिकारी के ले लेंगे।

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन शर्मा जी आप अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़े। नहीं तो मैं दूसरा नाम पुकारूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप दूसरा नाम पुकार लीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आप दूसरा नाम पुकार लीजिए। अगर सदन को ऐसे ही चलाना है।

सभापति महोदय :- माननीय सौरभ सिंह जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, अगर आपको सदन को ऐसे ही चलाना है तो आप चला लीजिए।

सभापति महोदय :- देखिए, आपने जिस अधिकारी की बात की है। यहां अधिकारी दीर्घा में अधिकारी हैं। मैं निश्चित तौर पर बोल रहा हूँ कि अधिकारी दीर्घा में अधिकारी हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, उद्योग विभाग का लिंक अधिकारी होना चाहिए। इस सदन की गरिमा बढ़े। आप कम से कम एक निर्देश जारी कर दें, हम संतुष्ट हो जाएंगे। आप व्यवस्था कर दें।

सभापति महोदय :- मैं आपको बता रहा हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, अधिकारी दीर्घा में उद्योग विभाग का लिंक अधिकारी उपस्थित रहे।

सभापति महोदय :- अधिकारी दीर्घा में उद्योग विभाग के माननीय सचिव बैठे हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष कौन है ? आप बता दीजिए।

सभापति महोदय :- यहां अधिकारी दीर्घा में सचिव हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी बता दें ? सरकार की ओर से उत्तर आ जाये।

श्री ननकीराम कंवर :- भईया, सरकार तो ऐसे ही चलता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, आप बता दीजिए ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, देखिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी बता दें कि उद्योग विभाग के विभागाध्यक्ष और प्रमुख सचिव उपस्थित हैं। हम चुप बैठ जायेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आप यह बता दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, सबसे सम्मानजनक रास्ता यह है कि आप सदन 5 मिनट के लिए स्थगित कर दीजिए और सबको बुलवा लीजिए, फिर सदन शुरू करवा दीजिए। हम इतना लम्बा बहस कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- अभी सदन स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने माननीय शिवरतन शर्मा जी का नाम पुकार लिया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, तो क्या हो गया, इनको बैठा दीजिए। अभी आपने नाम पुकार दिया है उनको बैठा दीजिए और फिर शिवरतन शर्मा जी का नाम पुकार लीजिएगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हम आपसे व्यवस्था चाहते हैं कि सरकार को चलाने । माननीय सभापति महोदय, हम आपसे व्यवस्था चाहते हैं हमारा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय :- संसदीय कार्य मंत्री जी आप दिखवा लें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप इसमें बता दीजिए। प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष कौन हैं ?

सभापति महोदय :- मैं निवेदन करता हूं कि कार्यवाही चलने दें। आप लोग सहयोग करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय,पहले ऐसा कई बार हुआ है।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय सभापति महोदय, इनके जो प्रमुख सचिव हैं वह श्री मनोज पिंगुआ साहब हैं। और अभी कार्यभार श्री चंद्रशेखर गुप्ता जी के पास है, वह छुट्टी पर गये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, उनके लिंक से यह उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव हैं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- वह छुट्टी पर गये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि श्री मनोज पिंगुआ साहब के लिंक सेक्रेटरी कौन हैं ? वह यहां पर अधिकारी दीर्घा में उपस्थित हैं क्या ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, अभी उनको कार्यभार दिया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- देखिए साहब, आप दूसरी बार के मंत्री हैं। मनोज पिंगुआ साहब के लिंक सेक्रेटरी कौन हैं ? वह यहां अधिकारी दीर्घा में उपस्थित हैं क्या?

श्री मोहम्मद अकबर :- उनकी अनुपस्थिति में यह काम देखते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह पूछ रहा हूँ कि उद्योग विभाग के लिंक सेक्रेटरी कौन हैं?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मोहम्मद अकबर जी, आप भी दूसरी बार मंत्री बने हैं। अगर हमेशा प्रमुख सचिव छुट्टी पर जाते हैं तो अपना लिंक अधिकारी नियुक्त करके जाते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, उद्योग विभाग के लिंक सेक्रेटरी कौन हैं?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, उनके जो उद्योग विभाग के लिंक अधिकारी हैं, वह आवश्यक रूप से उपस्थित हों। विभाग के सचिव हों।

श्री अजय चन्द्राकर :-माननीय सभापति महोदय, अधिकारी दीर्घा में विभागाध्यक्ष हों।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, परंतु उनको भी लिंक अधिकारी को भी अधिकारी दीर्घा में उपस्थित रहना चाहिए। यह सदन की गरिमा है। आप और हमारे सबके लिए यह सदन से बड़ा और कोई दूसरा काम नहीं होता है। अगर इस प्रकार से अधिकारी सदन की उपेक्षा करेंगे तो यह औचित्यपूर्ण नहीं है। इसलिए यह बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है और ऐसी स्थिति में आपको संज्ञान लेकर, माननीय धर्मजीत सिंह जी ने कहा कि आप सदन 5 मिनट के लिए स्थगित कर दें। आप सदन स्थगित न करें। हम चाहते हैं कि आप व्यवस्था करें। कि भविष्य में ...।

सभापति महोदय :- देखिए। अब ए.पी.एस. भी आ गये हैं। यहां अधिकारी दीर्घा में सब जिम्मेदार अधिकारी हैं। माननीय बृजमोहन जी मैं निवेदन करता हूँ कि आप सहयोग करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, नहीं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आप सदन 5 मिनट के लिए स्थगित कर दीजिए।

सभापति महोदय :- सदन स्थगित नहीं होगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप सहयोग करिये। मैंने माननीय शिवरतन शर्मा जी का नाम पुकार लिया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हम आपसे केवल यह चाहते हैं कि आप निर्देश दें दें कि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति न बने। इस सदन की गरिमा बढ़ेगी। हम आपसे इतना ही आग्रह करना चाहते हैं।

सभापति महोदय :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- सभापति जी, हालांकि आदरणीय अकबर भाई ने कहा कि अधिकारी दीर्घा में जिनको जवाबदारी दी गयी है, वे उपस्थित हैं। बावजूद इसके, आदरणीय बृजमोहन जी ने प्रश्न उठाया। हम चीफ सेक्रेटरी को निर्देश करेंगे, जिनके विषय में चर्चा हो हमारे अधिकारी सदन में निश्चित रूप से उपस्थित रहें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चलिए, धन्यवाद।

समय :
3:10 बजे

(3) सिमगा तथा अकलतरा में स्पंज आयरन उद्योग लगाये जाने का ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जाना।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा), श्री नारायण चंदेल, श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग मेला लगाकर उद्योगपतियों से एम.ओ.यू. किया गया है, जिन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए जाने का एम.ओ.यू. किया गया है उन क्षेत्रों में किसानों और वहां के नागरिकों द्वारा उद्योग स्थापित किए जाने का विरोध किया जा रहा है।

सिमगा विकासखंड के ग्राम केसदा, कामता, झिरिया, चौरेंगा तथा अकलतरा में स्पंज आयरन उद्योग लगाने हेतु एम.ओ.यू. हुआ है, एम.ओ.यू. करने वाले उद्योगपतियों द्वारा किसानों की भूमि को कम दरों पर खरीदा गया है। ग्राम पंचायतों के पंच, सरपंच व सचिवों को प्रलोभन देकर पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने का प्रयास किया जा रहा है। कामता पंचायत में ग्रामवासियों को जब जानकारी हुई कि उनसे उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर कराकर स्पंज आयरन संयंत्र लगाने का ग्राम सभा में प्रस्ताव पास कर लिया गया है। तब ग्रामवासियों ने इसका विरोध किया।

पूर्व में सत्र 2005-06 में ग्राम चौरेंगा में स्पंज आयरन का संयंत्र स्थापित हो चुका था और प्रारंभ होने की स्थिति में था, ग्रामवासियों ने संयंत्र स्थापित होने का विरोध किया तथा विरोध इस स्थिति तक बढ़ा कि ग्राम के दो लोगों की हत्या हो गई। बाद में इस स्पंज आयरन संयंत्र को उद्योगपति द्वारा अन्यत्र ले जाया गया, किन्तु संयंत्र चालू नहीं हो सका।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आज भी ग्रामीण संयंत्र स्थापित किये जाने का विरोध कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का कथन था कि उद्योगों की स्थापना का निर्णय ग्राम सभा द्वारा लिया जाएगा। सरकार ग्राम सभा के निर्णय को स्वीकार करेगी, किन्तु क्षेत्र में ग्राम सभा होने के पूर्व सरकार जन सुनवाई करा रही है। ग्राम केसदा में कचरे के निष्पादन हेतु भी प्लांट लगाया जा रहा है। जन सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों ने इसका विरोध किया, किन्तु प्लांट लगाने की अनुमति शासन द्वारा प्रदान कर दी गई। ग्राम सभा के पूर्व जनसुनवाई कराने के शासन के निर्णय से ग्रामवासियों के मन में शासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय सभापति महोदय, यह सत्य है कि शासन द्वारा राज्य में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए एम.ओ.यू. निष्पादित किए गये हैं। एम.ओ.यू. निष्पादन करने वाले कुछ निवेशकों द्वारा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा विकासखण्ड ग्राम केसदा, कामता, झिरिया, चौरेंगा तथा अकलतरा आदि में उद्योग की स्थापना में रूचि ली गई है। किन्तु इन क्षेत्रों में किसानों से कम दर पर भूमि खरीदने के संबंध में शिकायत तथा प्रलोभन देकर पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने का प्रश्न है अब तक शासन को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

ग्राम पंचायत कामता के आश्रित ग्राम-घुघवाडीह (विरान ग्राम) में प्रस्तावित संयंत्र की जन सुनवाई 04 अगस्त, 2022 को प्रस्तावित है। ग्राम-झिरिया में प्रस्तावित जन सुनवाई तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है। जबकि ग्राम-अकलतरा में प्रस्तावित जन सुनवाई दिनांक 22 जून, 2022 को निर्धारित थी, किन्तु यह स्थगित हो गई है तथा इसकी कोई आगामी तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

यह भी सही है कि नियमों में यह प्रावधान है कि उद्योग स्थापना का निर्णय ग्राम सभा के सहमति के बगैर संयंत्र की स्थापना नहीं किया जाना है। ग्राम-केसदा में प्रस्तावित संयंत्र की स्थापना के संबंध में भी सभी नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए तथा क्षेत्रीय आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा प्रदेश के सभी विकासखण्डों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ताकि राज्य के पिछड़े क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हो सके तथा प्रदेश के राजस्व में वृद्धि हो एवं प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर उपलब्ध हो सके। उद्योगों की स्थापना के लिए शासन द्वारा निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का पालन नियमानुसार सुनिश्चित किया जा रहा है। शासन के इस निर्णय से कहीं भी जन आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि ग्राम केसदा में प्रस्तावित संयंत्र की स्थापना के संबंध में सभी नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। संयंत्र लगने का काम शुरू हो गया। जब जनसुनवाई हुई, उस जन सुनवाई में मैं स्वयं भी उपस्थित था और बलौदाबाजार के विधायक आदरणीय प्रमोद शर्मा जी भी उपस्थित थे। सारे लोगों ने

जन सुनवाई में उस प्लांट को लगाने का विरोध किया। वहां जो राजस्व विभाग के अधिकारी एस.डी.एम. उपस्थित थे, उन्होंने ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया है कि जनसुनवाई में हम आपकी आपत्ति दर्ज करके यहां जनता विरोध में है इस रिपोर्ट को देंगे। यह सार्वजनिक बयान दिया है। परंतु उसके बाद क्या हुआ ? उनको एन.ओ.सी. दे दी गई और काम शुरू हो गया, जबकि पूरी गांव की जनता उसके विरोध में है। उसके लिये ग्राम सभा आज तक आयोजित नहीं हुई है। शिमगा ब्लॉक में एक ऐसा प्लांट है जो चालू होने की स्थिति में आ गया है। आज तक न उसकी जनसुनवाई हुई है और न ही ग्रामसभा की बैठक हुई है। उसके बाद 5 स्पंज आयरन के प्लांट लगाने के लिये लोगों ने जमीन खरीद ली है और पंचायतों में पंचों को प्रलोभन देकर के एन.ओ.सी. लेने का प्रयास कर रहे हैं। एक पंचायत में तो एन.ओ.सी. पैसा देकर उन्होंने ले ली, लेकिन बाद में गांव के पंचायत में उपसरपंच ने सबके सामने 1,50,000 रूपये लाकर रख दिया कि एन.ओ.सी. लेने के लिये एक-एक पंच को 1,50,000 रूपये दिया गया है। कुल मिलाकर हर गांव में विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सार्वजनिक स्टेटमेंट आया था कि ग्रामसभा जो तय करेगी उसे हम स्वीकार करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कोई भी जनसुनवाई होने के पहले क्या संबंधित गांव में ग्रामसभा की बैठक आयोजित करेंगे ?और ग्रामसभा के निर्णय के बाद जनसुनवाई की व्यवस्था करेंगे क्या ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय सभापति महोदय, नियम तो यह है कि जब कोई जनसुनवाई होती है। जनसुनवाई के बाद ग्रामसभा किया जाता है। कंसेंट टू इस्टेब्लिस निर्माण प्रारंभ करने के पहले जनसुनवाई होना जरूरी है,लेकिन जनसुनवाई के बाद ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, मैंने आपके सामने जनसुनवाई का एक उदाहरण केसदाका रखा है। मैं स्वयं भी हाजिर था और प्रमोद शर्मा जी भी थे। सारे लोगों ने विरोध किया । मानो जनसुनवाई की स्थिति ऐसी थी कि उसको किले के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। लोगों को अंदर गुसने नहीं दिया जा रहा था। जैसे बॉर्डर में तार लगाया जाता है। वैसी 15 फीट ऊंची जाली लगाई गई थी ताकि कोई अंदर न गुस पाये। जब मैं पहुंचा तो जनसुनवाई में जनता नहीं जायेगी तो सुनवाई का मतलब क्या है ?बड़े विवाद के बाद हम लोग अंदर गये और वहां नोट कराये उसके बाद काम शुरू हो गया। जब ग्राम सभा की अनुमति के बिना निर्माण कार्य नहीं हो सकता है तो जनसुनवाई के पहले ग्रामसभा आयोजित करने में सरकार को क्यों आपत्ति है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, पहले से नियम निर्धारित है और जो जनसुनवाई का विषय है, वह अलग-अलग क्राइटेरिया है। बड़े उद्योगों का ए और छोटे उद्योगों का बी क्राइटेरिया में। लेकिन जो भारत सरकार की तरफ से अनुमति आती है, जनसुनवाई करने का निर्देश प्राप्त होता है तो पर्यावरण संरक्षण मंडल की तरफ से जिला कलेक्टर को सूचित किया जाता है और उस समय हमारे पर्यावरण के अधिकारी वहां उपस्थित होते हैं और जिनको उद्योग लगाना है उनके प्रतिनिधि

उपस्थित रहते हैं तथा कलेक्टर या एस.डी.एम. द्वारा मनोनीत कोई भी अधिकारी होता है। जो भी जनसुनवाई के दौरान ऑब्जेक्शन आयेगा, जो बात आयेगी तो जो प्रतिनिधि उद्योग के होते हैं वे उसका रिप्लाई देते हैं और यह पूरा रिकार्ड किया जाता है। यह सब पूरा भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है। जिसके आधार पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। इसका निर्णय वहां से होता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, जनसुनवाई करने के पहले ग्रामसभा करने का निर्णय तो राज्य सरकार के पास है। आपको ग्रामसभा करने में क्या तकलीफ है । यह निर्णय करने का अधिकार तो आपके पास सुरक्षित है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी ने बताया है कि नियम पहले के बने हुये हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- जनसुनवाई के संबंध में उन्होंने नियम बताये हैं और जो रिकार्ड भेजने की बात है। कुल मिलाकर पर्यावरण विभाग के अधिकारी जो रिपोर्ट देते हैं उस रिपोर्ट के आधार पह ही केंद्र सरकार कार्यवाही करती है। यहां की रिपोर्ट ही पॉजिटिव बनाकर भेज दी जाती है। मैं केसदा का उदाहरण बता रहा हूं। मैं स्वयं उपस्थित था और श्री प्रमोद शर्मा जी भी उपस्थित थे। प्रमोद शर्मा जी के खिलाफ नॉनबेल आफेंस कायम हो गया। सारे लोग विरोध में थे। जनसुनवाई के नाम पर तो पूरी तरह से नौटंकी होती है। मेरा कहना सिर्फ यह बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि ग्रामसभा के निर्णय को हम स्वीकार करेंगे तो सरकार ग्रामसभा कराने में पीछे क्यों हट रही है। आप अपने राजस्व अधिकारी की उपस्थिति में ग्रामसभा करा दीजिये। ग्रामसभा जो निर्णय करे, उस निर्णय को स्वीकार कर लें।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति, नियम पहले से निर्धारित हैं। जो जनसुनवाई होगी, जनसुनवाई के बाद अनेक ऐसे प्रकरण होते हैं कि जनसुनवाई के बाद अनुमति नहीं मिलती है कि यह नहीं लग सकता। इसलिये ये नियम ग्रामसभा करने का जनसुनवाई के बाद है। जिसमें यह तय हो जाता है कि जो उद्योग लगेगा फिर कंसेट टू इस्टेब्लिस यानी निर्माण करने पूर्व ग्रामसभा करना है। ये इसका विषय है।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, नियम पहले के बने हुए हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, नौटंकी कैसी है, मैं उसका एक उदाहरण बताता हूं । कल 24 तारीख को कामता गांव में एक किसान महापंचायत का आयोजन था । वहां लगभग 50 गांव के किसान इकट्ठे होने वाले थे और बाद में किसान पंचायत को शासन ने इस आधार पर अनुमति नहीं दी कि कोविड का पालन करना है और कोविड के चलते ग्राम सभा करना उपयुक्त नहीं होगा। मेरे पास शासन के उस आदेश की कॉपी है, जो कल उन्होंने किसान महापंचायत को स्थगित करने का आदेश दिया था और इसी गांव में 4 तारीख को उद्योग लगाने के लिये जनसुनवाई आयोजित है । कुल-मिलाकर सरकार सीधे-सीधे दोतरफा बात करती है कि एक तरफ हम ग्रामसभा के निर्णय को

स्वीकार करेंगे और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि जनसुनवाई पहले होगी । देखिये, यह सीधा-सीधा जनता को धोखा देने वाली बात है । आपने एम.ओ.यू. किया है, आपने उत्तर में भी स्वीकार किया है कि सिमगा क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिये लोग सामने आये । आपने जिन गांवों में उद्योग लगाने के लिये एम.ओ.यू. किया है तो क्या आपने एम.ओ.यू. करने के पहले उस गांव की सहमति ली ? शासन को कोई भी एम.ओ.यू. करने के पहले गांव की सहमति लेनी चाहिए थी ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, एम.ओ.यू. करने के पहले गांव से सहमति लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, कुल-मिलाकर सरकार की मानसिकता गांव के विरोध के बाद वहां उद्योग लगाने की है । माननीय मंत्री जी, मैंने अपने ध्यानाकर्षण में एक विषय लिखा है । ग्राम केसदा में स्पंज आयरन का प्लांट लगकर तैयार हो गया था, खाली चालू करना था और पूरे गांववासियों ने उसका इस कदर विरोध किया । उस विरोध का यह परिणाम हुआ कि वहां दो लोगों की हत्या हो गई । बाद में 53 लोगों को...।

सभापति महोदय :- केसदा का नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- जी, चौरेंगा का है । माननीय सभापति महोदय, दो लोगों की हत्या हो गयी । गांव के 53 लोगों के खिलाफ 302 का मामला हुआ, पूरा गांव बर्बाद हो गया और फिर से उसी गांव चौरेंगा में स्पंज आयरन लगाने के लिये प्रस्तावित है । कामता में, झिरिया में, अकलतरा में, पौंसरी में, सारे गांव के लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध करने के बाद आप उस गांव की बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं । आप पहले ग्रामसभा करा लें । ग्राम सभा जो तय करे उसको स्वीकार करें और सरकार के पास पहले ग्रामसभा कराने का इतना अधिकार है ।

श्री अजय चंद्राकर :- किसी भी विषय में कभी भी ग्राम सभा हो सकती है ।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, नियम पहले से बने हुए हैं ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, तत्कालीन सरकार के समय भी यही नियम था । एम.ओ.यू. हो गया, एम.ओ.यू. होने के बाद कुछ जन-सुनवाई भारत-सरकार के निर्देश पर, कुछ राज्य सरकार के निर्देश पर जन-सुनवाई हुई और जन-सुनवाई में यदि यह तय हो गया कि यहां उद्योग नहीं लगना है तो ग्राम सभा की जरूरत ही नहीं है । अब जहां यह तय हो गया कि यहां लग सकता है तब ग्रामसभा होगा तब स्टेबलिस किया जायेगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय ।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, 3 प्रश्न हो गये हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, गांव के जो मतदाता हैं । उसके 10 प्रतिशत लोग लिखकर के विशेष ग्रामसभा के आयोजन की मांग कर सकते हैं । नियम में यह बात है । 3 गांव

के लोग ऐसे हैं जिसमें 10 प्रतिशत लोगों ने विशेष ग्रामसभा के लिये मांग की है । उन्होंने एस.डी.एम. को भी उसका पत्र दिया है, कलेक्टर को भी पत्र दिया है और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को भी दिया है । जब गांववाले विशेष ग्रामसभा की मांग कर रहे हैं तो इस सरकार को इस विषय में विशेष ग्रामसभा आयोजित कराने में क्या आपत्ति है ? ग्राम पंचायत में नागरिकों को जो पंचायत एक्ट के अंतर्गत अधिकार प्राप्त हैं उस अधिकार के अंतर्गत ग्राम सभा की अनुमति आप क्यों नहीं दिलवा रहे हैं ?

सभापति महोदय :- शर्मा जी, सारी बातें आ गयीं । नारायण चंदेल जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं-नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। चूंकि 10 प्रतिशत लोग विशेष ग्रामसभा की मांग कर सकते हैं और जब 10 प्रतिशत लोगों ने विशेष ग्रामसभा की मांग की है तो विशेष ग्रामसभा बुलायी जानी चाहिए, उसको भी नहीं बुला रहे हैं ।

सभापति महोदय :- यह तो पंचायत का सवाल है, पंचायत का विषय है न ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है । पंचायत मंत्री बैठे हैं, उसमें क्या है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, उसी बात को बार-बार घूमाकर पूछा जा रहा है और उसी चीज का बार-बार उत्तर दिया जा रहा है । ग्रामसभा की जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से ग्रामसभा हो रही है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं ।

सभापति महोदय :- चलिये, शिवरतन जी बात आ गयी ।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिये । माननीय सभापति महोदय, आप विशेष ग्रामसभा की मांग कर रहे हैं । हमारा यह कहना है कि इस प्रक्रिया में जो ग्रामसभा हुई या विशेष ग्रामसभा होगी, जो भी तो दोनों में यदि विरोध करना है तो इसमें भी विरोध हो जायेगा और उसमें भी विरोध हो जायेगा तो अलग-अलग की क्या जरूरत है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं-नहीं । माननीय सभापति महोदय, यह तो पंचायत का अधिकार है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मेरे दोनों प्रश्न अलग-अलग हैं ।

सभापति महोदय :- शिवरतन जी, काफी चर्चा हो गयी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मेरे दोनों प्रश्न अलग-अलग हैं । मैंने पहला प्रश्न किया है कि आप जनसुनवाई के पहले ग्रामसभा करा लें ।

सभापति महोदय :- उसका नियम ही नहीं है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया । मैंने दूसरा प्रश्न यह किया कि जब गांववाले नियमानुसार एप्लीकेशन लगाकर विशेष ग्रामसभा की मांग कर रहे हैं तो उनको जो अधिकार है उस अधिकार के हिसाब से विशेष ग्रामसभा क्यों नहीं होगी ? अगर आप विशेष ग्राम सभा आयोजित नहीं कर रहे हैं तो आप पंचायत एक्ट का उल्लंघन कर रहे है। जब पंचायत एक्ट में प्रावधान है तो पंचायत एक्ट का पालन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?

सभापति महोदय :- शर्मा जी, कलेक्टर परीक्षण कराते हैं, उसके बाद होता है। मैं समझता हूं..।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, प्रावधान यही है कि जब निर्माण कार्य किया जाना है, उसके पहले ही ग्राम सभा होती है और पूरा नियमों का पालन किया जा रहा है।

सभापति महोदय :- नारायण चंदेल जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने विशेष ग्राम सभा की मांग की है। माननीय मंत्री जी, मैंने पंचायत एक्ट के अंतर्गत विशेष ग्राम सभा की बात की है और जब 10 प्रतिशत लोग विशेष ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, विशेष विषय पर आपको बुलाने की बात कर रहे हैं तो सरकार को सहमति देनी चाहिए, पर कलेक्टर के ऊपर, एस.डी.एम के ऊपर, सी.ई.ओ. के ऊपर दबाव है कि लोगों की मांग पर ग्राम सभा न हो।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, आपकी बात आ गई।

श्री शिवरतन शर्मा :- सीधा-सीधा सरकार उद्योग चालू करने के लिए दबाव डाल रही है। माननीय सभापति जी, उद्योग सचिव का पत्र सी.ई.ओ. और एस.डी.एम. को जाता है कि फलां-फलां उद्योग लगाने के लिए चौरेंगा में एम.ओ.यू. हो गया है। आप व्यवस्था करें कि ग्रामवासियों को इनकी एन.ओ.सी. मिल जाये। क्या उद्योग सचिव को सी.ई.ओ. को और एस.डी.एम. को एन.ओ.सी. दिलाने के लिए पत्र लिखने का अधिकार है? मेरे पास पत्र की कॉपी है, मैं पटल पर रखने के लिए तैयार हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- पटल पर रख देते हैं। आप अनुमति दे दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आप अनुमति दे दीजिए, मैं पटल पर रख दूंगा। जो पत्र अनिल टुटेजा जी ने लिखा है।

सभापति महोदय :- अलग से माननीय मंत्री जी को बता दीजिए। नारायण चंदेल जी। शर्मा जी काफी चर्चा हो गई। आपकी सारी बातें आ गई हैं। माननीय चंदेल जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, पूरा गांव विरोध में है। वातावरण अशांत हो गया है। पूर्व में हत्या की घटना हो चुकी है और इस प्रकार जबर्दस्ती उद्योग लगाने से फिर गांव में विवाद की स्थिति बनेगी। कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होगी तो सरकार को विशेष ग्राम सभा आयोजित करने में क्या तकलीफ है? आप मुझे यह बता दीजिए। पंचायत एक्ट के अंतर्गत जनता की मांग पर विशेष ग्राम सभा आयोजित करने का प्रावधान पंचायत एक्ट में है या नहीं?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज के संबंध में तो कोई काम हो नहीं रहा है। बात उद्योग की है। अब उद्योग लगाने के लिए यदि जनसुनवाई हो चुकी है तो फिर बंधनकारी है कि उसके लगाने के पहले उसका ग्राम सभा होना है।

सभापति महोदय :- सही बात है। माननीय नारयण चंदेल जी।

श्री मोहम्मद अकबर :- एक मिनट आप सुन तो लीजिए न। और जिसको विरोध करना है तो चाहे ये ग्राम सभा हो, चाहे वो ग्राम सभा हो, विरोध क्यों नहीं किये? विरोध करना चाहिए। अब आप पंचायत के ऊपर आरोप भी लगायेंगे कि उनको लेन-देन करके उनसे कराया जा रहा है। तो दोनों बात नहीं हो सकती।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं इसलिए विशेष ग्राम सभा बुलाने की बात कर रहा हूं।

श्री मोहम्मद अकबर :- आपने इसमें लिखा है। आपके ध्यानाकर्षण के विषय में लिखा हुआ है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने विशेष ग्राम सभा बुलाने की बात की है और माननीय सभापति जी, आप जो बोल रहे हैं न, एक प्लांट कामता में लगकर और केसदा में लगकर तैयार हो गया है। न ग्राम सभा हुई है और न जनसुनवाई हुई है और प्रोडक्शन चालू करने की स्थिति में आ गया है। आप पता करवा लो। जांच करवा लो और मैंने आपसे कहा कि आपने जनसुनवाई के बाद ग्राम सभा कराने की बात की। मैंने आपको पंचायत एक्ट के प्रावधान बताये कि पंचायत एक्ट में प्रावधान है कि विशेष ग्राम सभा की मांग की जा सकती है और जब विशेष ग्राम सभा की मांग कर सकते हैं तो पंचायत एक्ट का पालन करके इस विषय पर ग्राम सभा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?

सभापति महोदय :- शर्मा जी, आपकी सारी बातें आ गईं। माननीय चंदेल जी।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, जो नियम है, उसका पालन किया जा रहा है।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की बात है। जहां भी उद्योग लग रहे हैं। सरकार ने जो एम.ओ.यू. किया है, जो करार किये हैं, वास्तव में ग्राम सभा के माध्यम से पहले गांव की सहमति लेनी चाहिए थी। ये पंचायत एक्ट में बहुत स्पष्ट प्रावधान है, लेकिन जान-बूझकर पहले ग्राम सभा नहीं होती और जनसुनवाई पहले की जाती है, लेकिन जनसुनवाई में भी आमतौर पर हम देखते हैं चाहे वह बलौदाबाजार जिले का मामला हो या जांजगीर जिले का मामला हो। जनसुनवाई में उतने पुलिस की क्या आवश्यकता है? जितने नागरिक नहीं रहते, जितने गांव वाले नहीं रहते, जितने ग्रामीण जन नहीं रहते, उससे ज्यादा पुलिस रहती है और इसीलिए मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि आपने जो एम.ओ.यू. किया है, अगर ग्राम सभा से प्रस्ताव नहीं गया है। अगर ग्राम सभा विरोध कर रही है, अगर गांव वाले विरोध कर रहे हैं तो इस एम.ओ.यू. को निरस्त करेंगे क्या?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- 4 गांव के बारे में बात रखी गई है। आप कौन से एम.ओ.यू. की बात कर रहे हैं? कौन से एम.ओ.यू. को निरस्त करने की बात हो रही है? आप यह बताइए।

श्री शिवरतन शर्मा :- केसदा, कामता, झिरिया, चौरेंगा।

श्री नारायण चंदेल :- जिस एम.ओ.यू. के बारे में, जिस फैक्ट्री के बारे में अभी ध्यानाकर्षण लगा है। जिसका आप उत्तर दे रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं।

श्री मोहम्मद अकबर :- 4 स्थानों का है, आप कौन से स्थान की बात कर रहे हैं ।

श्री नारायण चंदेल :- सिमगा विकासखंड के केसदा, कामता, झिरिया, चौरेंगा, अकलतरा में जो स्पंज आयरन उद्योग लगाने की बात है, उसकी चर्चा कर रहा हूं । जब तक ग्राम सभा का प्रस्ताव नहीं आ जाता, तब तक उसको निरस्त करेंगे क्या ?

श्री मोहम्मद अकबर :- सभापति महोदय, नियम बहुत स्पष्ट है ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी पहले बता चुके हैं ।

श्री मोहम्मद अकबर :- जनसुनवाई के बाद फैक्ट्री लगाने के पहले, ग्राम सभा होना अनिवार्य है । जब ग्राम सभा होगी उसके बाद ही फैक्ट्री लगेगी ।

श्री नारायण चंदेल :- सभापति जी, उसमें कितनी सरकारी और कितनी निजी जमीन है ? जो निजी जमीन है उसमें कितने किसानों को उसमें कितना मुआवजा दिया गया है ? उस एम.ओ.यू. के तहत कितने लोगों को नौकरी दी जाएगी, यह भी बता दें ?

श्री मोहम्मद अकबर :- सभापति महोदय, ध्यानाकर्षण में लिखा है कि कम दर में जमीनों को खरीदा गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है । शासकीय जमीन के बारे में ध्यानाकर्षण में कोई विषय नहीं है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- जो खरीदा गया वह किस नियम के अंतर्गत है । अधिग्रहण नियम के अंतर्गत खरीदा गया या किसी अन्य नियम के अंतर्गत ?

सभापति महोदय :- बांधी जी ध्यानाकर्षण में आपका नाम नहीं है, मैं आपको अनुमति नहीं देता।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- सभापति महोदय, मैं बिल्कुल खुलकर बता रहा हूं कृष्णा आयरन स्टील एण्ड पावर लिमिटेड केसदा जिसके बारे में बात कर रहे हैं । ये एनवायरमेंट असेसमेंट रिपोर्ट है, जिसके आधार पर जनसुनवाई होती है । उस एनवायरमेंट असेसमेंट रिपोर्ट को ही गलत दिया जा रहा है । जब एनवायरमेंट असेसमेंट रिपोर्ट ही गलत दी जाएगी तो जनता उस पर अपना क्या अभिमत रखेगी? जन सुनवाई पर्यावरण के नियमों के लिए होती है । तो जो पर्यावरण नियमों के लिए एनवायरमेंट असेसमेंट रिपोर्ट पढ़ी जा रही है तो एनवायरमेंट असेसमेंट रिपोर्ट में। मेरे पास एनवायरमेंट असेसमेंट रिपोर्ट है, उस एनवायरमेंट असेसमेंट रिपोर्ट में गलत जानकारी दी गई है । उसमें लिखा गया है कि पानी का उपयोग किया जाएगा, कहीं पर यह नहीं लिखा गया है कि कितने पानी का उपयोग किया

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

जाएगा ?पानी कहां से आएगा, अंडरग्राउंड वाटर होगा या सरफेशियल वाटर होगा ? दूसरी चीज, ई.आई.ए. की रिपोर्ट में कहीं पर यह नहीं लिखा गया है कि अगल-बगल कितने उद्‌योग हैं?

सभापति महोदय :- प्रश्न करिये ।

श्री सौरभ सिंह :- सभापति जी, मैं प्रश्न की तरफ जा रहा हूं । मैं टेक्नीकल प्रश्न कर रहा हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वे टेक्नीकल प्रश्न कर रहे हैं, अगर आप उनको नये सदस्य की तरह रोकेंगे तो कैसे चलेगा ?

श्री सौरभ सिंह :- मैं बता रहा हूं ई.आई.ए. रिपोर्ट में नजदीक के उद्‌योगों का कोई उल्लेख नहीं है । इसका मतलब कि उस एनवायरमेंटल सिस्टम की क्या केयरिंग कैपेसिटी है, उसके बारे में जनता को कोई जानकारी नहीं दी गई है । सभापति महोदय, शिवनाथ नदी से कितना डिस्टेंस होगा, चूंकि वह शिवनाथ नदी के इलाके में लग रहा है, इसलिए शिवनाथ नदी से कितना डिस्टेंस होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है । एयर, वाटर, सॉलिड वेस्ट, लिक्विट वेस्ट का पॉल्युशन इम्पैक्ट आएगा उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है । आयरन ओर और कोल रोड से ट्रांसपोर्ट होगा या रेल से ट्रांसपोर्ट होगा, उसका क्या एनवायरमेंटल इफेक्ट होगा, कुछ नहीं बताया गया । मेरा यह आग्रह है कि यह गुमराह करने वाली जानकारी दी गई है उसका काम तत्काल प्रभाव से रोका जाए और ग्राम सभा की जाए और ग्राम सभा में फिर से जनसुनवाई की जाए, अगर जनसुनवाई हो गई है तो, जनता को इस बात को जानने का अधिकार है । इन बातों को एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रिपोर्ट से छिपाया गया है, यही मेरा आग्रह है ।

श्री मोहम्म्द अकबर :- सभापति महोदय, जब पर्यावरण की तरफ से अनुमति या सम्मति जारी की जाती है तो उसमें सारी शर्तों का उल्लेख होता है । उन शर्तों का उल्लेख होने के बाद उसका पालन प्रतिवेदन भी लिया जाता है कि इन शर्तों को माना गया है या नहीं माना गया । उस पालन प्रतिवेदन के आधार पर यदि काम नहीं हो तो उसको प्रारंभ करने की अनुमति नहीं दी जाती । एक कंसेंट टू इस्टेबलिस और दूसरा कंसेंट टू ऑपरेट । एक लगाने के लिए और दूसरा शुरू करने के लिए । सारी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही उसको अनुमति दी जाती है और जो भी हो रहा है, नियम कायदे से हो रहा है ।

श्री सौरभ सिंह :- सभापति महोदय, मैंने तो उन्हें 6 बिंदु बताए हैं । इन 6 बिंदुओं में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है । उद्‌योगपति ने जनसुनवाई में जनता को गुमराह किया है । मेरा स्पष्ट आरोप है इसलिए उद्‌योगपति के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे ? इस तरह की अगर रिपोर्ट आएगी, न सिर्फ इस स्थान बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में । तो जनता को इम्पैक्ट के बारे में कैसे पता चलेगा ? मेरा 6 प्वाइंट का स्पष्ट आरोप है और ई.आई.ए. रिपोर्ट में 6 प्वाइंट पर कोई जानकारी नहीं दी है। अगर ई.आई.ए. रिपोर्ट में कोई जानकारी नहीं है तो आपके पास यह अधिकार है कि आप जनसुनवाई को फिर से करवा सकें । आप फिर कैन्सिल कर दें, उसकी सारी प्रक्रियाओं को फिर से करवाएं, यही मेरा आग्रह है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति जी, सौरभ जी ने यह कहा कि उद्योगपति ने गुमराह किया है। आप प्रक्रिया को समझ लीजिये। वहां कलेक्टर का एक प्रतिनिधि और उद्योग का एक प्रतिनिधि, दो लोग रहेंगे। पर्यावरण संरक्षण मण्डल की तरफ से एक अधिकारी होगा। वह सिर्फ वहां पर उपस्थित रहेगा। अब जो भी Objection ग्रामवासियों के द्वारा किया जायेगा, वह सारे Objection का निराकरण का जवाब उद्योग का प्रतिनिधि देगा। इस पूरी चीजों को रिकार्ड करके भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा। उसके बाद निर्णय भारत सरकार को लेनी है। जब निर्णय भारत सरकार को लेनी है और यदि उनके द्वारा निर्णय आ गया कि इनको उद्योग खोलने की अनुमति दी जाती है तो उसके बाद ग्राम सभा होगी और ग्राम सभा होने के बाद consult to establish और शर्तों का पालन करने के बाद consult to operate, यह उसकी प्रक्रिया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मेरा मंत्री जी से साफ कहना है कि माननीय मंत्री जी प्रक्रिया बता रहे हैं, यह प्रक्रिया हमको भी पता है। मेरा यह कहना है कि जो गुमराह किया है, आप जनसुनवाई के लिए जा रहे हैं, जनसुनवाई के लिए यह environment assessment का जो पत्रक होता है, वह जनपद पंचायत में भी जाता है, ग्राम सभा में भी जाता है, कलेक्टर के ऑफिस में भी जाता है, इसी के आधार पर जनता अपना अभिमत देगी। यदि यही गलत है तो जनता अपना क्या अभिमत देगी?

श्री ननकी राम कंवर :- सभापति महोदय, इसमें लिखा है कि यदि सरकार और उद्योगपति की मिलीभगत हो तो उसमें कोई कानून नहीं लगता।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, माननीय नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा और सौरभ सिंह जी ने जो प्रश्न पूछा है, environmental impact report, यह तो आपको जनसुनवाई में सामने रखना है। यदि जनसुनवाई में इन सब reports को नहीं रखा गया है कि प्रदूषण कितना होगा? आसपास में कौन सी नदी है? कितना प्रदूषण होगा? ट्रांसपोर्टिंग कैसी होगी? गांव के लोग निर्णय कैसे करेंगे? दूसरा, आपने कहा कि इसका नियम है कि जनसुनवाई के बाद में ग्राम सभा होगी। यह छत्तीसगढ़ सरकार की नियम है, यह नियम केन्द्र सरकार की नियम नहीं है। तो क्या आप इसको चेंज करेंगे कि जनसुनवाई पहले होगी? दूसरा, पंचायत अधिनियम की नियम है कि यदि गांव के 10 प्रतिशत लोग लिखकर देते हैं तो विशेष ग्राम सभा हो सकती है। यदि ग्राम सभा के लोगों ने लिखकर दिया है तो विशेष ग्राम सभा क्यों नहीं हो रही है? तो क्या यह छत्तीसगढ़ की सरकार गांव के लोगों के लिए काम कर रही हैं या उद्योगपतियों के लिए काम कर रही हैं? क्योंकि इन तीनों प्रश्नों का जवाब नहीं आ रहा है।

सभापति महोदय :- मंत्री जी ने जवाब दे दिया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी को इन तीनों प्रश्नों का जवाब देना चाहिये कि क्या पंचायत अधिनियिम में इस बात का उल्लेख है या नहीं है? या 10 प्रतिशत लोग लिखकर देंगे तो विशेष ग्राम सभा होगी? क्या इस बात का उल्लेख environmental impact report में है या नहीं है? जो जनसुनवाई होगी, उसमें environmental impact report को हमको गांव वालों के सामने रखना पड़ेगा? तीसरा, क्या आप उस नियम में परिवर्तन करेंगे ताकि हमारा छत्तीसगढ़ अशांत नहीं हो। पहले भी दो लोगों की हत्या हो चुकी है और गांव-गांव में इसके कारण अशांति का वातावरण हो रहा है। अभी हमने देखा है कि हसदेव अरण्य में किस प्रकार का आंदोलन चला और सरकार को झुकना पड़ा, परंतु फिर वहां पर खोदाई शुरू हो गई। तो पूरी छत्तीसगढ़ को अशांत करने के बजाय हम नियमों को इतना कड़ा बनाये, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता का जीवन दु:खी होने के बजाय सुखी हो सकें। नहीं तो वे बीमारियों से मर जायेंगे, टी.बी. की बीमारी से मर जायेंगे, उनका ईलाज नहीं हो पायेगा। सभापति जी, यह छत्तीसगढ़ के environmental का मामला है।

सभापति महोदय :- इस पर 36 मिनट चर्चा हो गया है। सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर माननीय मंत्री जी दे चुके हैं। अब मैं नियम 267 'क' के अधीन शून्यकाल की सूचना लूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, इससे 50 गाँव प्रभावित होने वाली है।

(विपक्ष के सदस्यों के नारे लगाये गये)

समय :
03:39 बजे

<u>नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएँ</u>

सभापति महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभाग को भेजा जायेगा :-

1. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू,
2. श्री सौरभ सिंह,
3. श्री लालजीत सिंह राठिया,
4. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा,
5. डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सरकार का समुचित जवाब नहीं आया है, इसके विरोध में हम बहिर्गमन करते हैं।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

03:39 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>शासन के उत्तर के विरोध में</u>

(श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

सभापति महोदय :- प्रतिवेदनों की प्रस्तुति। माननीय अजय चंद्राकर जी। माननीय श्री अजय चंद्राकर जी, लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, यदि आप इन सब चीजों का जवाब दे देंगे तो मंत्री जी किस चीज का जवाब देंगे? मंत्री जी को जवाब देने दीजिये।

सभापति महोदय :- मंत्री जी ने सब जवाब दे दिया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, पंचायत अधिनियम का पालन नहीं हो रहा है, वहां के निवासियों के मांग पर ग्राम सभा नहीं करा रहे हैंफ सिर्फ आपने उद्योग लगाने का ठेका ले लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक बयान क्यों देते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ग्राम सभा का तय कौन करेगा, इसका सार्वजनिक बयान क्यों देते हैं?

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी, कृपया आप अपना प्रतिवेदन पढ़ें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह परंपरा है कि अगर वाकआऊट होता है तो उतनी देर सभापति जी या चेअर इंतजार करते हैं।

सभापति महोदय :- मैंने इंतजार किया है। बहुत देर तक इंतजार किया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह तो लेजिस्लेशन का विषय है और विधानसभा का विषय है। यदि उस विषय पर सदस्य कुछ बोलते हैं तो आप उनको बोलने दीजिए।

सभापति महोदय :- मैंने काफी विचार किया है और मैं 3-3 बार बोल चुका हूं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, उद्योग लगने से गांव के लोगों को बिजली के तौर पर लाभ नहीं मिलता है, नौकरी के तौर पर भी उनको लाभ नहीं मिलता और न...।

सभापति महोदय :- डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी, आप बैठिये। इसमें आपका नाम है। मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नाम नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का इंकम टैक्स...। पर टन पैसा लिया जा रहा है। क्या लोहे वालों को कम-कम पैसा मिल रहा है। पर टन पैसा नहीं मिल रहा है और उद्योगपतियों ने गांव वालों के हितों को मारकर...।

अप्रवेक्षित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- खेला होगे।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी, बैठिये-बैठिये। माननीय अजय चंद्राकर जी। शिवरतन जी, यह ठीक नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- गांव वालों के हितों को मारकर उद्योगपतियों के हितों को संरक्षण दिया जा रहा है।

सभापति महोदय :- यह उचित नहीं है। यह कतई उचित नहीं है। मैं आपको इसकी अनुमति नहीं देता हूं। मैं आपको बोलने अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह विधानसभा नागरिकों की रक्षा के लिए है और यदि नागरिकों का हक छीना जाएगा तो हम चुप कैसे रह सकते हैं ? यदि यह सरकार ग्रामवासियों का हक छीनने का काम कर रही है तो हम कैसे चुप रह सकते हैं ?

सभापति महोदय :- कृपया करके आप बैठिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सदन में छत्तीसगढ़ के गांवों के लोगों का हक छीना जाएगा और जनता का हक छीना जाएगा और हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- गांव की समस्या के ऊपर...।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी, शिवरतन जी। जो सदस्य मेरी अनुमति के बिना बोलेंगे वह कार्यवाही का अंश नहीं बनेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [xx][12]

श्री शिवरतन शर्मा :- [xx]

श्री नारायण चंदेल :- [xx]

श्री सौरभ सिंह :- [xx]

सभापति महोदय :- माननीय चंद्राकर जी। याचिकाओं की प्रस्तुति। चंद्राकर जी, यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं दूसरा सब्जेक्ट ले रहा हूं। आप पढ़िये न।

समय :

3:41 बजे

<u>प्रतिवेदनों की प्रस्तुति</u>

<u>लोक लेखा समिति का बयासीवां से नब्बेवां तक 09 प्रतिवेदन</u>

श्री अजय चंद्राकर (सभापति, लोक लेखा समिति) :- माननीय सभापति महोदय, मैं लोक लेखा समिति का बयासीवां से नब्बेवां तक 09 प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

[12] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशासुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- देखिये बृजमोहन जी, जरूरत से ज्यादा। मेरी अनुमति के बिना जो भी बोल रहे हैं वह कार्यवाही का अंश नहीं बनेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप पूरा ध्यानाकर्षण विलोपित करवा दीजिए। हम लोग यह चाहते हैं कि आप पूरा ध्यानाकर्षण विलोपित करवा दीजिए। हम लोग मांग कर लेते हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं। हमको आसंदी का संरक्षण मिलना चाहिए। आप इतना नाराज होंगे तो कैसे होगा ?

सभापति महोदय :- माननीय कौशिक जी, आप इस सदन के अध्यक्ष रहे हैं। जिन सदस्यों के इसमें नाम थे, मैंने उनको अनुमति दी है। लेकिन यदि हर सदस्य बोलेगा तो कैसे चलेगा ? यह कार्यवाही नियम-प्रक्रिया के तहत चलेगी।

सभापति महोदय :- याचिकाओं की प्रस्तुति।

समय :

3:42 बजे

<u>याचिकाओं की प्रस्तुति</u>

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्री चंदन कश्यप
2. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
3. श्रीमती छन्नी चंदू साहू
4. श्री बघेल लखेश्वर
5. श्रीमती इंदू बंजारे
6. श्रीमती ममता चन्द्राकर

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, कार्यवाही बढ़ गई, तब भी आपसे आग्रह है कि हमारे दल की ओर से लिख कर दे देते हैं। आप पूरा ध्यानाकर्षण विलोपित कर दीजिए।

सभापति महोदय :- जैसा आप ठीक समझे।

श्री अजय चंद्राकर :- बिल्कुल हम लिखकर दे देते हैं।

सभापति महोदय :- दे दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- हम इसको कार्यवाही से विलोपित करने की अनुमति चाहते हैं।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

3:43 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 17 सन् 2022)

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 17 सन् 2022) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 17 सन् 2022) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 17 सन् 2022) का पुर:स्थापन करता हूं।

सभापति महोदय :- मैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 17 सन् 2022 पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित किया है।

मैं, समझता हूं कि सदन सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

सभापति महोदय :- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 5 सन् 2022) । माननीय मंत्री जी।

(2) छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 5 सन् 2022)

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 5 सन् 2022) पर विचार किया जाये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति जी, हम लोग अध्यक्ष महोदय से अभी मिलना चाहते हैं । हमारा ध्यानाकर्षण विलोपित होना चाहिए । आप अनुमति दीजिए, इसके लिए सदन 5 मिनट स्थगित कीजिए ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । विधेयक पर चर्चा एवं माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर दिया जाएगा । श्री अजय चन्द्राकर जी अपनी बात रखें ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- आपसे आग्रह है कि आप सदन 5 मिनट के लिए स्थगित कर दीजिए, हम लोग अध्यक्ष जी के पास अपनी बात रखेंगे और हमारा पूरा ध्यानाकर्षण विलोपित होना चाहिए । हम तो विलोपित करवाना चाहते हैं । आप सदन 5 मिनट के लिए स्थगित कर दीजिए, हम लोग अध्यक्ष जी से मांग करने जाएंगे ।

सभापति महोदय :- अध्यक्ष जी से मिल लीजिए और बात खतम करिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप हमें अनुमति दे दीजिए, हमें सदन का समर्थन चाहिए ।

सभापति महोदय :- अध्यक्ष जी से मिलने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है । आप अध्यक्ष जी से मिल लीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हमारा पूरा विधायक दल जाएगा ।

सभापति महोदय :- श्री शैलेश पाण्डे जी अपनी बात रखें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चूंकि बहुत सारे निर्णयों का अधिकार सभापति को नहीं होता, अध्यक्ष जी निर्णय लेते हैं इसलिए हम चाहते हैं कि आप सदन को 5 मिनट स्थगित कर दें । हम सभी सदस्य अपनी भावना से अध्यक्ष जी को अवगत कराना चाहते हैं और उसके लिए आप सदन स्थगित कर दें और स्थगित करके उसके बाद में हम कार्यवाही में भाग लेना चाहते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम तो सदन चलाएंगे । हम आपसे अनुमति चाहते हैं। आप सदन 5 मिनट के लिए स्थगित कर दें ।

सभापति महोदय :- माननीय अजय चन्द्राकर जी, आप भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक में आप बोलना चाह रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि 5 मिनट के लिए सदन स्थगित करके विपक्ष का सम्मान कर दीजिए । अगर आप सदन स्थगित नहीं करते तो आसंदी से घोषणा कर दीजिए और हमारे तीसरे नम्बर का पूरा ध्यानाकर्षण आप विलोपित करवा दीजिए ।

श्री शैलेश पाण्डे :- सभापति महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत भू राजस्व संहिता विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- वैसे ही पास कर लो न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति जी, आप हमें उधर जाने के लिए समय नहीं देंगे ?

सभापति महोदय :- जाईए न, मैंने मना कब किया है ? मैं कह रहा हूं कि आप जाईए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति जी, आप समय देंगे न ?

सभापति महोदय :- आप अपना भाषण चालू करिए, मैंने आपका नाम दो बार पुकारा है । पाण्डे जी, आप बैठ जाईए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- मैंने कहा कि मैं सहयोग करूंगा, हमने कहा कि हम लोग सहयोग करेंगे, लेकिन आप समय दिलवाईएगा ।

सभापति महोदय, पट्टा को 20 साल के लिए भूमि स्वामी हक देंगे । अमूमन जब विधेयक आता है तो उसकी परिभाषा आती है कि पट्टा किसको माना जाता है । विधेयक में यह कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हम राजस्व भूमि का पट्टा किसको मानेंगे । नजूल भूमि का पट्टा है, पुरानी आबादी को पट्टा दे रहे हैं, नये पट्टे में है या वन भूमि का पट्टा है । वन भूमि पट्टा के अंदर भी उस क्षेत्र में राजस्व भूमि का पट्टा है, चारागाह जमीन का पट्टा है, यह कौन सा पट्टा है । राजस्व मंत्री जी, आपके विधेयक में पट्टा कहीं पर परिभाषित नहीं है और 20 साल में लीज़ वाली जमीन को भी आप स्वामित्व देंगे क्या ? 30 साल की लीज़ बहुत सारी संस्थाओं को मिली है, काम करते समय अमूमन उसका नवीनीकरण हो जाता है तो लीज़ की जमीन को पट्टा के अंदर दायरे में रखेंगे, किसमें रखेंगे । पहली बात यह है कि पट्टा के मामले में आपका विधेयक पूरी तरह से अस्पष्ट है, जिसमें आपने पट्टा को नियमत: परिभाषित नहीं किया है, आप बिना परिभाषित किये उसको कानून नहीं बना सकते । सदन को आपको यह बताना पड़ेगा कि पट्टा का अभिप्राय क्या है और आपके मौखिक उत्तर में नहीं चलेगा । चूंकि यह कानून है और संशोधन हो रहा है । आज एक मूल विधेयक भी आएगा तो आप कृपा करके इन आपत्तियों का ध्यान रखिए । मैं तो कहूंगा कि पुर:स्थापन के समय चूंकि विधेयक की कॉपी वितरित नहीं हुई थी, नहीं तो मैं उसी समय आपत्ति करता और वह और पुर:स्थापित हुआ था ।

सभापति महोदय, सबसे महतवपूर्ण दूसरी बात यह है कि इसकी खरीदी-बिक्री के बाद इसका नामांतरण होगा या नहीं होगा ? आप पट्टा देंगे, वह उद्देश्य ठीक है। पट्टा परिभाषित नहीं किया है । अब इसकी खरीदी-बिक्री, नामांतरण हो सकेगा या नहीं हो सकेगा । अगर होगी तो जो कर सकता है, उसको भूमि स्वामी हम मिलेगा तो कृपा करके इसको भी आप स्पष्ट कर लीजिए । क्योंकि असली आपत्ति वही है और आप दोनों को बता दीजिए कि आप उसका नामांतरण करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते और पट्टे से आपका अभिप्राय क्या है ? लीज की जमीन, नजूल की जमीन, भूमि स्वामी हक, चारागाह भूमि या जंगल के अंदर की राजस्व भूमि, वन भूमिग्राम क्या है? दूसरी बात, उसमें पट्टा As it is काबिज है, उसको दोगे या कृषि उद्देश्य से दे रहे हैं या मकान के उद्देश्य से दे रहे हैं, आवासी उद्देश्य से दे रहे हैं, पट्टा किस उद्देश्य से दे रहे हैं ? इस विधेयक में आपका अभिप्राय कहीं पर स्पष्ट नहीं है। तो कृपा करके मैं कहना चाहता हूं कि आपका अभिप्राय सही है, इसको सुधारकर ठीक से परिभाषित करें ताकि आपकी नीयत पर ऊंगली ना उठे, सरकार की नीयत पर ऊंगली ना उठें। आप इसको वापस ले लीजिये, आप इसे अगले सत्र में ले आईये। यदि आप परिभाषित नहीं करते हैं, यदि आप मुझे कहेंगे कि नियम और निर्देश में यह सब शामिल रहेगा तो मैं अगले विधेयक में बताऊंगा कि आपने मूल विधेयक में इसके आफिस का पता भी लिखा है, कार्यालय यहां खुलेगा, कहकर लिखा है। आप जो

मूल विधेयक ला रहे हैं, उसमें आफिस का पता लिखा है। मैं अपनी जिन्दगी में पहला विधेयक देखा हूं, जिसमें आफिस का पता है। मान लो दूसरी जगह खोल देता है तो क्या उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही करेंगे ? तो आप यह बताने का कष्ट करें। मैं आग्रह करता हूं कि आप इसको वापस लेकर ठीक से बनाकर लाईये।

सभापति महोदय :- माननीय शैलेश पाण्डेय जी।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिये। आप खुद पढ़ लीजिये।

सभापति महोदय :- अब गाड़ी आगे बढ़ चुकी है।

श्री धरम लाल कौशिक :- नहीं, आगे नहीं बढ़ी है।

सभापति महोदय :- पुर:स्थापन होने के बाद कैसे होगा ?

श्री धरम लाल कौशिक :- मंत्री जी, इसको एक बार ड्राप्ट कर लें।

सभापति महोदय :- मंत्री जी को जो कहना है, अपने जवाब में कहेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम में है कि कोई भी सदस्य विचार किया जाये का जिस समय प्रस्ताव आये।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी, पुर:स्थापन के समय आपत्ति करना था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- विचार किया जाये, उस समय भी आपत्ति कर सकते हैं। यह हमारे विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम में है। अगर उसमें कुछ त्रुटि है, उस पर विचार किया जाये, का अवसर तो उस समय आपत्ति कर सकते हैं। माननीय सदस्य ने जो आपत्ति की है, उस आपत्ति का निराकरण हो जाये, उसके बाद इसे आगे बढ़ाया जाये, तो औचित्यपूर्ण होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं। वह भी नहीं चाहेंगे कि अस्पष्ट हो, परिभाषित ना हो और उसको अस्पष्ट करके ला दें। फिर नियम निर्देश में कुछ भी शामिल कर दें तो अधिकारी इसका गलत फायदा उठायेंगे, जनता लूटी जायेगी, मैं आपको यह बता रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- दूसरा, जब उनको भू-स्वामी हक दिया जायेगा, तो भू स्वामी हक दिए जाने में क्या उनसे कोई पैसा लिया जायेगा ? कोई शुल्क लिया जायेगा ? इसके बारे में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है कि इसको विहित किया जायेगा, नियम बनाये जायेंगे। साथ ही अगर इसमें कोई आर्थिक पहलू शामिल है, तो उसके आर्थिक पहलू से संबंधित उपबंध इसमें लागू होने चाहिए, इसमें लगना चाहिए। इस विधेयक में आर्थिक उपबंध नहीं लगा है। इसलिए इसके ऊपर विचार किया जाना उचित नहीं है। क्योंकि हमारा यह सदन Legislative Assembly है। Legislative Assembly का सबसे बड़ा काम कानून बनाना है। अगर हम कोई गलत कानून बना देंगे तो उससे पूरा प्रदेश प्रभावित होगा। इसमें उनसे कोई शुल्क लिया जायेगा, इसके कोई नियम जारी किये जायेंगे, इस बारे में भी कहीं कोई

उल्लेख नहीं है कि जो जारी किये जायेंगे, उसके अनुसार यह अधिकार दिया जायेगा, यह भी किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है।

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, आज हमारी सरकार ने विधानसभा में जो विधेयक लाया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। क्योंकि पिछले कई वर्षों से हमारे प्रदेश में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, जो शहरों में भी रहते हैं तो स्लम एरिये में रहते हैं। वर्षों से नदी के किनारे रहे हैं। चाहे किसी भी एरिये में रहते हो, सामान्यतया नदी के किनारे ही बहुत सारे अवैध कब्जे, पट्टे वगैरह दिए जाते थे। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो हजारों की संख्या में गरीब लोग आश्रय लिये हुए थे।

श्री धरम लाल कौशिक :- इसमें कहां लिखा हुआ है कि गरीब लोगों को दिया जायेगा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- हम तो सहमत हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- आबादी पट्टा दिया जायेगा, इसमें कहां लिखा हुआ है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- हम तो इसके उद्देश्य से सहमत हैं। हमारी आपत्तियों को दूर करिये, फिर से ले आईये।

श्री धरम लाल कौशिक :- आपत्ति तो वही है कि इसमें लिखा क्यों नहीं है ?

श्री शैलेश पाण्डेय :- आपने अपनी बात रख दी है, मैं अपनी बात रख रहा हूं।

श्री धरम लाल कौशिक :- आप अपनी बात करोगे तो उसमें लिखा रहता है कि गरीब लोगों को दिया जायेगा, इसमें लिखा रहता है कि झोपड़ पट्टी में रहने वाले को दिया जायेगा।

श्री शैलेश पाण्डेय :- नेता जी, सुन रहे हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- सुन रहे हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ ही नहीं है तो उसमें सुनेगा क्या ?

सभापति महोदय :- ये मंत्री जी जवाब देंगे। माननीय पाण्डेय जी, इजाजत है।

श्री शैलेश पाण्डेय :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में जब से आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार आई है, तब से लेकर जितने भी जमीन है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, जो आपत्ति आई है, इसके बारे में मंत्री जी लिखित में सदन में दे सकते हैं कि विहित रीति से इसके नियम बनाये जायेंगे।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी, मैंने पहले ही बताया कि पुर:स्थापन के समय आपत्ति नहीं आई । माननीय मंत्री जी उत्तर में बतायेंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :-आप नियम देख लें । जब विचार किया जाये, उस समय भी मंत्री चाहे तो उसमें संशोधन दे सकता है । इसमें वित्त विधेयक नहीं लगा है, आर्थिक जुड़ा हुआ है, ऐसा विधेयक जिसमें वित्तीय ज्ञापन नहीं लगा है, वह सदन में प्रस्तुत ही नहीं हो सकता । अगर पट्टे को मालिकाना

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हक देंगे तो मालिकाना हक देने के लिए कोई शुल्क तो वसूल करेंगे कि मुफ्त में देंगे ? शुल्क वसूल करेंगे तो वित्तीय ज्ञापन होना चाहिये । हम विनियोग विधेयक क्यों लाते हैं ? खर्च करने का अधिकार देने के लिए । वित्तीय ज्ञापन इसमें लगा ही नहीं है, हमें नियम प्रक्रिया संचालन के तहत आपके अधिकार है कि हम विचारण के समय भी इस प्रकार की आपत्ति ले सकते हैं ।

श्री शैलेष पाण्डेय :- आदरणीय बृजमोहन भईया, जब मंत्री जी बोलेंगे तो आपकी बातों का जवाब देंगे । मैं अपनी बात रख देता हूँ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, मैंने राजनीतिक भाषण नहीं दिया । मैंने तकनीकी बात कही है । यदि आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो राजनीतिक भाषण देना पड़ेगा ।

सभापति महोदय :- मूल विधेयक में सब कुछ लिखा हुआ है, वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है ।

श्री शैलेष पाण्डेय :- माननीय सभापति महोदय, विपक्ष की इस प्रकार की बार-बार टोकाटोकी से अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहा हूँ । मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि अपनी बात पूरी हो जाने दीजिए । अपनी बात फिर से रख लेने दीजिएगा । सभापति महोदय, जब से भूपेश बघेल जी की सरकार आई है, तब से हमारी सरकार ने लगातार बहुत सारे संशोधन राजस्व विभाग के अधिनियमों में किये हैं, आपको शुरूआत में याद होगा कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे राजस्व मंत्री श्री जयसिंह जी अग्रवाल ने 5 डिसमिल जमीन के लिए भी रजिस्ट्री की परिमिशन दी है । जनता के लिये जो जरूरी चीजें हुआ करती थी, उसके लिये जनता की मांग हमेशा से बनी रही । कई वर्षों से उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है । छोटी-छोटी जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई थी, इस प्रकार से अनेक कानूनों में जो परिवर्तन है, हमारी सरकार ने किया है जिससे कि जनता को राहत मिल सके, जिससे कि जनता सरकार के पास रह सके । माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने लगभग 90 के आसपास तहसीलें इसीलिए बनाई कि सरकार जनता के पास रहे, जनता के दरबार में रहे । छत्तीसगढ़ की हमारी सम्माननीय जनता है, वह अपने कामकाज के लिए दूर न जाये, सरकार के पास रहे । आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो यह विधेयक लाये हैं, इसमें जो 20 वर्ष से काबिज लोग हैं, जिनको वहां पर पट्टा दिया जाना चाहिये, उनको अधिकार दिया जाना चाहिये, ताकि वह उसकी रजिस्ट्री करा सके, अपना जीवन यापन कर सके, परमानेंट उनके लिये जमीन हो सके और हमेंशा वहां पर रह सके ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, वह अभी-अभी कब्जा करेगा, बोल देगा कि 20 साल से कब्जा है । पटवारी खुद लिखकर दे देगा कि 20 साल से कब्जा है । वह खुद ही कर देगा ।

श्री शैलेश पाण्डे :- अधिनियम की भावना के अनुसार यदि हम बात करेंगे सरकार के द्वारा जो अधिनियम लाये गये हैं, वह अधिनियम उन लोगों के लिये बहुत जरूरी है, जो वर्षों से उस जमीन पर रह रहे हैं । हमारी सरकार आज अगर यह अधिनियम ला रही है, मैं समझता हूँ कि पूरे सदन को एकमत

होकर इस पर सहमति देनी चाहिये । छत्तीसगढ़ की गरीब जनता, भोली-भाली जनता के लिये यह बहुत जरूरी था, जो आज सरकार यहां पर कर रही है । मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस अधिनियम को लाकर गरीब लोगों को एक बहुत बड़ा अवसर दिया है। मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ । सभापति महोदय जी, धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- माननीय सौरभ सिंह जी ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी ने सारी बातें रख दी है । इस पर दो चीजें हैं, वर्ष 1992 के पहले के जो पट्टे हैं, उनको भूमि स्वामी अधिकार दिया जाये । इसमें कहीं पर यह नहीं लिखा है कि अगर फर्जी पट्टा पकड़ा जायेगा तो उस पर क्या कार्यवाही होगी । इससे फर्जी पट्टों की बाढ़ आयेगी । वर्ष 1992 के पहले के कागज में लिखकर कौन सा आदमी पटवारी के पास दस्तावेज प्रस्तुत कर देगा, पटवारी अपनी व्यवस्था लेकर उसको चढ़ा देगा । इसमें यह चीज स्पष्ट आनी चाहिये, जो माननीय अजय चन्द्राकर जी ने कहा, ए बी सी डी ई एफ किस-किस तरह के पट्टों को मान्य रखा जायेगा, 6 पट्टे, 7 पट्टे, 8 तरह के पट्टे..।

सभापति महोदय :- जो रूल्स बने हैं, उसमें सब बातें आ जायेगी ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, रूल्स तो बन ही रहे हैं...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, रूल्स नहीं बनेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कानून में उल्लेख होगा, तभी को रूल्स बनेंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- राज्य सरकार या कलेक्टर, राज्य सरकार के अंतर्गत सभी विभाग आ जाते हैं । अगर वन विभाग ने पट्टा दिया है तो कैसे होगा । माननीय सभापति जी, रूल्स नहीं बनेंगे। राज्य सरकार या कलेक्टर, राज्य सरकार के अंतर्गत सभी विभाग आ जाते हैं। अगर वन विभाग ने पट्टा दिया है तो कैसे होगा? राज्य सरकार के अंतर्गत तो वह भी आ गये। क्या उनको संपत्ति दी जा सकती है?

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या वन विभाग का पट्टा देने के लिए राजस्व विभाग सक्षम है?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वन विभाग के पट्टों के मामले में क्या राजस्व विभाग, सरकार सक्षम है? उसके लिए forest conservation act बना है, उसके लिए पट्टे का अधिनियम बना है। क्या उनको भी मालिकाना हक मिलेगा? ये यहां का कानून है ही नहीं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से यही आग्रह है कि ये पट्टों की लिस्ट होनी चाहिए। अगर कोई फर्जी पट्टा बनवाता है और उसके नाम पर जमीन चढ़ जाती है। क्योंकि अभी 152 प्रतिशत में शासकीय जमीनों का एक ध्यानाकर्षण लगा था और उस ध्यानाकर्षण में 152 प्रतिशत देकर सारी शासकीय जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। इस पट्टे के बाद अगर आप

पट्टे को देना चालू करेंगे तो कोई न कोई व्यक्ति कोई न कोई पुराना दस्तावेज निकाल कर ले आयेगा और बोलेगा कि यह पट्टा मेरा है। माननीय सभापति महोदय, आप 20 साल के पहले के पट्टे की बात कर रहे हैं। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि जमीनदारी उन्मूलन, राजशाही उन्मूलन के पहले पट्टे आ जायेंगे। वहां तक के पट्टे और खाली स्टाम्प के पेपर उपलब्ध हैं। वह 10-10, 15-15, 20-20 एकड़ जमीनों के पट्टे बाहर आ जायेंगे। उस परिस्थिति में यह स्पष्ट होना है कि किस तरह के पट्टों की मान्यता होगी। नहीं तो सारी शासकीय जमीन इस ढंग से बंदरबाट करके चली जायेगी। मेरी यही आग्रह है।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूं। राजस्व मंत्री जी के द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है जिसमें 20 साल से जो लोग रह रहे हैं, उनको वहां पर भूमि अधिकार दिया जाये, इसकी बात कही गई है। यह निश्चित रूप से ऐतिहासिक कदम होगा। राजनीति से ऊपर उठकर इसे सभी दलों के लोगों को समर्थन करना चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मुख्यमंत्री जी आप जरा विभाग को निर्देश दीजिए कि जब कोई ऐसा विधेयक आता है तो उसकी 5-10 कापी विस्तृत तौर पर बनाकर विधायकों को दें। देवेन्द्र यादव जी बोल रहे थे, उनको कुछ नहीं मालूम है। वह बाजू में पाण्डे जी से विधेयक की कापी लिये हैं। जो एक परंपरा है।

श्री शैलेश पाण्डे :- नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, हम इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहे हैं। 20 साल के पट्टों को आप मालिकाना हक दीजिए, हम उसके समर्थन में हैं। परंतु नियम-प्रकियाओं के तहत यह विधेयक आये तो ये ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो लोग इसके जाल में फंस जायेंगे और फर्जी पट्टे मिलेंगे। हम ये नहीं कर रहे हैं, हम इसके विरोधी नहीं हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- विधेयक कई बार सरकारों ने वापिस लिया है, वापिस लेना प्रक्रिया में है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप इसको लें। आप 20 साल पट्टे वालों को मालिकाना हक दें। परंतु नियम प्रक्रिया कानून के तहत पूरे स्पष्टीकरण के साथ दें जिससे कि इसका दुरूपयोग न हो। हमारा इस बात का आग्रह है। इसलिए हम नियम-प्रक्रियाओं के बारे में मामला उठा रहे हैं। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- माननीय देवेन्द्र यादव जी।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, जैसा कि हमारे विपक्ष के वरिष्ठ साथी अपनी बात रख रहे थे। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि वह लगभग 15 साल सरकार में रहे, तब उनको ये सब बातें याद नहीं आई। अब जब हम किसी प्रक्रिया के तहत लोगों के लिए नई योजना

बनाकर उनको लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं तो वह उसमें कमी निकाल रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम विरोध नहीं कर रहे हैं।

श्री देवेन्द्र यादव :- आपने चीज के रिजल्ट के लिए कोई फार्मूला नहीं बनाया। हम बना रहे हैं तो उसमें भी आपको आपत्ति है। यह आपकी राजनीतिक मंशा के कारण आप ऐसा कर रहे हैं। आपके समय आपने समस्याओं का समाधान ही नहीं किया। उसके यथावत छोड़कर रख दिया। लोग 15 साल चिल्लाते रह गये। 20 साल के पुराने लोगों के पट्टे की रजिस्ट्री हो रही है, इसमें क्या आपत्ति की बात है। अगर कोई अच्छे सुझाव हैं तो लिखित रूप से दीजिए। लेकिन इस तरीके से जो आपत्ति कर रहे हैं और राजनीतिक रवैया है, वह उचित नहीं है। इनकी तरफ से बात आई कि कागज देना चाहिये और यह सब चीजें करना चाहिये। यह होम वर्क भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को कराती है। इसके बाद वह आकर रट्टू तोते जैसा बोलते हैं। हमारे यहां कांग्रेस में Spontaneous behavior को मदद की जाती है, Spontaneous behavior को आगे बढ़ाया जाता है तो आपके यहां यह रट्टू तोते होते हैं। आप मुझे यह मत बताईये। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये धन्यवाद। मैं मंत्री जी की बातों का पूर्ण सहमति के साथ समर्थन करता हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- विधेयक में भाजपा, कांग्रेस नहीं होती है। आपने अच्छा वक्ता उतारा है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति जी, कई बार ऐसा हुआ है कि सरकार विधेयक को वापस ले लेती है। मान लीजिये उसको सरकार प्रतिष्ठा से जोड़ती है और विपक्ष की आपत्ति में उनको कुछ लॉजिक दिखता है कि हां यह सही है और छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा करेगा। क्योंकि हमने नैतिक रूप से पट्टा देने में कोई असहमति व्यक्त नहीं की है। ज्यादा होगा तो प्रवर समिति को दे दो, यदि सरकार को विधेयक वापस लेने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वह प्रवर समिति को दे दें। ...।

सभापति महोदय :- मंत्री जी का जवाब तो सुन लीजिये। मंत्री जी क्या कह रहे हैं आप सुन तो लीजिये। माननीय मंत्री जी।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय सभापति महोदय, मेरा वक्तव्य छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, 1959, (क्रमांक 20 सन् 1959) धारा 158 में यह प्रावधानित है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय, किन्हीं भी वर्गों का हो, भूमि स्वामी कहलायेगा और उसे वे समस्त अधिकार होंगे, जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन भूमि स्वामी को प्रदत्त किये गये हैं तथा वह उन समस्त दायित्वों के अध्यधीन होगा, जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन भूमि स्वामी पर अधिरोपित किए गये हैं।

संहिता की उपधारा (3) में प्रत्येक व्यक्ति (एक) जो राज्य सरकार या कलेक्टर या आवंटित अधिकारी द्वारा उसे छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ पर या उसके

पूर्व मंजूर किये गये किसी पट्टे के आधार पर भूमि स्वामी अधिकारों ने भूमि धारण किये हैं। ऐसे प्रारंभ की तारीख से और

(दो) जिससे राज्य सरकार या कलेक्टर या आवंटन अधिकारी द्वारा भूमि का आवंटन भूमि स्वामी अधिकार में, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 1992 के प्रारंभ के पश्चात किया गया है। ऐसे आवंटन की तारीख से ऐसी भूमि के संबंध में भूमि स्वामी समझा जायेगा। उन समस्त अधिकारों तथा दायित्वों के अध्यधीन होगा जो इस संहिता द्वारा या उसके अधीन किसी भूमि स्वामी को प्रदत्त और उस पर अधिरोपित किये गये हैं परंतु ऐसा कोई भी व्यक्ति पट्टे या आवंटन की तारीख से 10 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी भूमि को अंतरित नहीं करेगा।

प्रदेश में लगभग 1,29,000 से अधिक शासकीय पट्टेधारी है। उक्त लीज पट्टे में आवंटित भूमि पर उन्हें बैंकों से ऋण या अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। साथ ही उक्त प्रचलित आवंटन के तहत पट्टा आवंटन की तारीख से 10 वर्ष की समयावधि के भीतर पट्टे की भूमि को किसी अन्य को विक्रय या अंतरित नहीं कर सकते हैं। 10 वर्ष की कालावधि के पश्चात ही सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेकर ही पट्टे की भूमि को अंतरित कर सकते हैं।

ऐसे पट्टाधारी, जिन्हें राज्य सरकार या कलेक्टर या आवंटन अधिकारी ने स्वीकृत पट्टे के आधार पर भूमि धारण करने की अनुमति दी गयी है। पट्टा आवंटन की तिथी से 20 वर्ष की समयावधि के पश्चात ऐसी पट्टे की भूमि का भूमि स्वामी होगा। इसे बिना रोक टोक के बगैर किसी से अनुमति प्राप्त किये भूमि का निर्बाध रूप से अंतरण कर सकेगा।

इस संशोधन से पट्टे पर आवंटित भूमि का भूमि स्वामी हक के साथ-साथ अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होगी। अत: आपने जो कहा और मैंने बताया कि कुल कृषि पट्टे की संख्या 1,28,080 और रकबा 1,38,700 हेक्टेयर और आपने शुल्क के बारे में जो कहा तो कृषि पट्टेधारों भूमि स्वामी का हक प्रदान करने में कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा, सिर्फ कृषि कार्य हेतु। खरीदी बिक्री का अधिकार होगा और नामांतरण में कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रस्ताव को...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, क्या इसके बारे में शासन के द्वारा कोई नियम जारी किये जायेंगे? आपने इसके बारे में कहा कि हर विधेयक में विहित रीति से इसके नियम जारी किये जायेंगे। जिस विहित रीति के नियमों के आधार पर इनका अंतरण किया जायेगा। आपने एक शब्द बड़ा गलत बोल दिया है कि जो भी धारित होगा, उसको किसी प्रकार से कहीं परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। अगर वह आवेदन नहीं देगा, परमिशन नहीं लेगा तो उसको पट्टा कैसे मिलेगा ? उसको आवेदन तो देना ही पड़ेगा।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- पट्टा थोड़ी देना है इसमें तो भूमि स्वामी हक की बात हो रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, भूमि स्वामी हक कैसे मिलेगा ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- भूमि स्वामी हक क्यों नहीं मिलेगा ? बिना शुल्क के मिलेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, भूमि स्वामी हक कैसे मिलेगा ? आज के समय पर जो आबादी भूमि हैं। आबादी भूमि का भी नामांतरण, करवाने के लिए, परमिशन के लिए अभी आपका सर्वे चल रहा है कि आपको आबादी भूमि को भी निर्माण करने के लिए परमानेंट पट्टा लेना पड़ेगा। आबादी भूमि का भी नामांतरण करवाना पड़ेगा, फ्री होल्ड करवाना पड़ेगा, दो प्रतिशत शुल्क लेना पड़ेगा। यह आपके नियम हैं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय सभापति महोदय, लगातार माननीय सदस्य लोग इस विषय को उठा रहे हैं कि यह कौन सी भूमि है ? तो सबसे पहली बात है कि समय-समय पर विभिन्न सरकारों ने कृषि योग्य भूमि को आंवटित किया है और उसमें यह रहता है कि 10 साल बाद वह सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर, बेच पाएगा। तो ऐसी जितनी भी भूमि हैं चाहे किसी समय में 20 सूत्रीय समिति के द्वारा बांटा गया हो, चाहे आपकी सरकार रही हो या हमारी सरकार रही हो। आप सरगुजा तरफ चल देंगे तो तिरंगा पट्टा, सिंहदेव पट्टा, इस प्रकार से बहुत सारे पट्टे हैं तो उन पट्टों को, उसके पास पहले से पट्टा है उसका मालिकाना हक हो जाएगा। वह तो राजस्व रिकॉर्ड में है। माननीय सौरभ सिंह जी बोल रहे हैं कि अभी पट्टा बना लेंगे। जो पहले रिकॉर्डेड है, उससे फायदा यह होगा कि वह कृषि कार्यों के लिए लोन भी ले सकता है और यदि आवश्यकता पड़े तो उसे विक्रय भी कर सकता है। तो इसलिए इसको दिया गया है। फारेस्ट राईट एक्ट को तो चूंकि भारत सरकार के द्वारा वह नियम बनाया गया है और इस कारण से तो आप उस पट्टे पर कोई निर्णय कर ही नहीं सकते। केवल वितरीत कर सकते हो, लेकिन आप उसमें पट्टा नहीं दे सकते। उसमें भारत सरकार ही फैसला करेगी। जो राज्य सरकारें, चाहे मध्यप्रदेश के समय हो या बाद में हो, जितने भी इस प्रकार से कृषि योग्य भूमि के लिए जो पट्टा दिया गया है, उसका मालिकाना हक मिल जाएगा ताकि उनको अनावश्यक दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े। बल्कि वह उन लोगों को मिला है जो गरीब थे, भूमिहीन थे अब वह पट्टाधारी हो जाएंगे तो उनको कृषि लोन लेने और अनाज बेचने, सारी सुविधाएं मिल जाएंगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी बातों से बिल्कुल भी असहमति नहीं है। आप किसान हैं। छत्तीसगढ़ के अधिकांश लोग भूमि के बारे में जानते हैं। पटवारी रिकॉर्ड में हर तरह की भूमि की कैफियत लिखी रहती है। हमने इतनी आपत्ति की। सिर्फ और सिर्फ की पट्टा किन-किन प्रकार की भूमि का बांटा जाएगा। वह 10 साल बाद बेच सकता है, वह तो ठीक हो गया, उनको मिलेगा। आप पट्टा को ठीक से परिभाषित कर दीजिए। उसके बजाए, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कुछ नहीं दिया। जो लिखा दिया गया, वह पढ़ दिया गया। हमारी आपत्ति पर उत्तर नहीं दिया। आपने उसके उद्देश्य या प्रभाव पर कहा, हम उसमें असहमत नहीं है। सवाल जो कैफियत में जितने प्रकार की जमीन होती है

चलिए वन भूमि को छोड़ दें तो बाकी भूमि में एरिया कितना देंगे, आवासीय देंगे, इसको पट्टा माना जायेगा। इस तरह का होगा उनको बता देना चाहिए।

श्री भूपेश बघेल :- इसमें स्पष्ट है कि वह कृषि भूमि के लिए है। वह भले आज नगर पंचायत बन गया हो, ग्राम पंचायत। वह कृषि भूमि के लिए है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, भू राजस्व संहिता 157, 158 में इस बात का उल्लेख है कि 10 वर्ष से अधिक जिसके पास में पट्टा है उसको भूमि को बेचने का अधिकार दे दिया गया है। यह भू राजस्व संहिता में उल्लेख है।

श्री भूपेश बघेल :- अनुमति देता है, भई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, नहीं। वह आपत्ति आदिवासी जमीन के लिए है। वह जो आपत्ति है वह आदिवासी जमीन के लिए है कि कलेक्टर से अनुमति लेना पड़ेगा, परंतु अगर सामान्य किसान हैं अगर उसकी 10 साल से ज्यादा पट्टे की जमीन है तो उसको बेचने का अधिकार है। यह भू राजस्व संहिता 157, 158 में है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, आप गुमराह मत करिये। माननीय बृजमोहन जी आप राजस्व मंत्री रहे हैं। आप जानते हैं। अब जो काबिल कास्त के तहत बांटा गया, उस समय सर्वोदय में भू दान के लिए जो जमीन बांटी गई, नियम में स्पष्ट है कि अहस्तांतरणीय है। यह सारी भूमि है। अहस्तांतरणीय है मतलब उसका मालिकाना हक है ही नहीं। अब उसका मालिकाना हक दे दिया। उसका पट्टा बना दिया जायेगा, इतना तो ही है। उसका मालिक बन जायेगा। पट्टा है, लेकिन अहस्तांतरणीय है। अब विक्रय करेंगे तो कलेक्टर से अनुमति लेना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपकी बात से सहमत हैं, उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। अगर उसके लिए नियम स्पष्ट हो जाए तो लोगों को परेशानी नहीं होगी, नहीं तो लोगों को परेशानी होगी। इसलिए इसके नियम, इसके विधेयक में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया है। क्योंकि इसमें आदिवासी को छोड़कर बाकी को भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत भी अधिकार है। मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं। मैं भू-राजस्व संहिता की किताब पढ़ रहा हूं। इसमें इस बात को लिखा हुआ है।

श्री अजय चंद्राकर :- आप भी राजस्व मंत्री रहे हैं।

सभापति महोदय :- एक्ट बनने के बाद रूल्स बनते हैं।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 5 सन् 2022) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 5 सन् 2022) पारित किया जाय।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 5 सन् 2022) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, विधेयक पारित हो गया। मैं केवल एक बात का निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री जी इस बात को इस सदन में कह दें कि इसके संबंध में नियम जारी किये जाएंगे जिससे किसी भी प्रकार की कोई असुविधा और दुविधा किसी को न हो। सामान्यत: विधेयकों में इस बात का उल्लेख मंत्री जी अपने भाषण में कहते हैं कि इसके नियम अलग से जारी किये जाएंगे और उसके आधार पर यह लागू होगा। इसके बारे में मंत्री जी को सदन में कह देना चाहिए तो यह सदन की प्रापर्टी बन जाएगी। हमने इसका विरोध नहीं किया है। मंत्री जी को इस बात का उल्लेख यहां पर करना चाहिए।

श्री अजय चंद्राकर :- चलिए, पारित हो गया। आगे बढ़ जाएं।

सभापति महोदय :- चलिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(3) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 6 सन् 2022)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 6 सन् 2022) पर विचार किया जाए।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। माननीय श्री अजय चंद्राकर जी।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय हमारे छोटे भाई देवेन्द्र जी, बिना विधेयक देखे विधेयक में भाजपा, कांग्रेस ला दिए थे। सभापति जी, आप आसंदी में हैं। इस विधेयक से आपका बड़ा गहरा लगाव भी है। इसलिए गहरा लगाव है कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य था। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जब मंत्री बने तो 125 निजी विश्वविद्यालय थे। उसमें लगभग डेढ़ लाख बच्चे थे। उन बच्चों को अलग-अलग विषय में कहां नियोजित करने जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने आपके इस नियम को रद्द कर दिया। ऐसे कुलपति भी थे जो पंचर बनाते हुए लूना में भी दिखे कि कुलपति फलाना विश्वविद्यालय के हैं करके।

सभापति महोदय :- एक, दो का नाम बता सकते हैं ? (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- आप अभी वहां हैं, इसलिए नहीं बताऊंगा।

सभापति महोदय :- मैं जब वहां होता तो जवाब देता।

श्री अजय चंद्राकर :- आज तक तो नहीं दिये। मैंने कई बार इस बात को कहा।

सभापति महोदय :- आपने इसके पहले यह बात नहीं कही।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं अभी आपसे बहस नहीं कर सकता।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति जी, मैंने विधेयकों में भाजपा, कांग्रेस नहीं लाया। मैंने कार्यप्रणाली बताई कि उनकी कार्य प्रणाली कैसी है और हमारी कार्य प्रणाली कैसी है।

श्री अजय चंद्राकर :- मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट के आलोक में छत्तीसगढ़ सरकार ने फिर से जो निजी विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया है। यदि पूरे देश में प्रचलित है, उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण के राज्य से लेकर, पश्चिम के राज्य हों या चाहें पूर्व के। वे सब हमारे एक्ट को मांग कर ले गये कि साहब हम आपके एक्ट को देखते हैं फिर उन्होंने अपनी सुविधा से थोड़ा बहुत संशोधन किया होगा । इसमें जो मूल भावना उस समय की थी कि जिन क्षेत्रों में जी.आई.आर. कम हैं उन क्षेत्रों में बजट के आकार कम होते थे तो इसको प्रोत्साहन दिया जाये। शिक्षा, उच्च शिक्षा अभी रायपुर, दुर्ग या बिलासपुर में सीमित है। जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं वे सभी। जहां दूसरी जगह बनाये हैं। आपने दो जगह विश्वविद्यालय बनाये हैं। माननीय चौबे जी आपने विश्वविद्यालय और भी बनाये हैं।

क्या स्थिति है ?उन दोनों विश्वविद्यालयों की अच्छे से जानते हैं। इसके बाद यदि कोई विश्वविद्यालय बनता है, मैं विरोध इसका नहीं करता हूं क्योंकि मैं तो कभी विरोध नहीं किया हूं कि हम गरीब से गरीब से गरीब की स्थिति में थे जिस दिन मैं उच्च शिक्षा मंत्री बना । उस दिन सरकार को यह मालूम नहीं था कि छत्तीसगढ़ का जी.आई.आर. कितना है ? अब जिन क्षेत्रों की आप चिंता करते हैं, हम सब चिंता करते हैं, वह शाब्दिक होगा, यदि इसके बाद का विश्वविद्यालय सिर्फ रायपुर, बिलासपुर या दुर्ग में आप अनुमति देते है तो । यह शिक्षा के लोक व्यापीकरण भावनाओं के विरूद्ध होगा जो इसके बाद होगा। मूल भावना जो मैंने प्रस्तावना में कहा था कि इसको लाने और सुधारने का मतलब ये है। दूसरी बात समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। आप इसमें एक चीज जोड़ दीजिये। जो भी इसका छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय में एक नया विषय कोईखोलने आता है तो उसके लिये भी विधानसभा आने की जरूरत को अब खत्म कर दीजिये। इसे शिक्षा मंत्री के पास दे दीजियेया निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के पास दे दीजिये। उसके नियम बना दीजिये कि जिस तरह के कोर्स हों उसमें इतनी फैकल्टी होगी, इतना बिल्डिंग होगा, जो भी नियम होगा, उसमें संशोधन कर दें। लेकिन एक नया कोर्स को विश्वविद्यालय वाला शुरू करना चाहें तो उसके लिये विधानसभा अब आना पड़े, यहअच्छा नहीं है। क्योंकि 30 साल बाद इस देश को नई शिक्षा नीति मिली है । वर्ष 1987 में आपने बनाई थी। उसके अभी शिक्षा नीति मोदी सरकार ने बनाई है। उस शिक्षा नीति के आलोक में भी यह बात होगी कि शिक्षा को कौशल से जोड़ा जाये। शिक्षा का सरलीकरण किया जाये। साथ-साथ हम ऐसे कोर्स केरिकुलम बनाये, जो डिग्री के साथ-साथ कौशल भी हमको दे। यह नई शिक्षा नीति का सबसे अभिन्न अंग है। एक विश्वविद्यालय वाला जो इतना निवेश करेगा, एक नया सब्जेक्ट आया। मान लो वह किसी विदेशी विश्वविद्यालय से उसने अपना कर लियाहो तो आपके लिये वह विधानसभा आयेगा। शिक्षा मंत्रीआपके लिये और 5 साल उसको, खैर 5 साल तो मिलेगा नहीं और मिलेगा भी तो राज्य की शिक्षा नीति बन नहीं सकती है। उसका कारण है क्योंकि यह आपकी प्राथमिकता में नहीं है। उधर मैं नहीं जाना चाहता हूं । दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि अबकी बार यदि आप अनुमति देते हैं तो निश्चित रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में कुछ छूट के साथ भीउसको जोड़िये कि दंतेवाड़ा में खोलिये हम सरकार की ओर से एक सुविधा देंगे। आपको याद होगा कि मैंने जी.आई.आर. को सुधारने के लिये ही निजी क्षेत्र का कॉलेज खोलने के लिये कानून बनाया था कि जो जशपुर में खोलेगा, उसको 2 एकड़ जमीन देंगे, 5 लाख रूपये देंगे,तीन साल का तनख्वाह हम सरकार की ओर से देंगे, आप खोलिये करके। देख लीजियेगा आपके पास होगी वह कानून। विधानसभा से पारित है। अब एक चीज की आशंका है। इस विधेयक से थोड़ा सा एक लाईन हट कर बोल रहा हूं। वह आशंका ऐसी है कि कल आपके जिले में जहां से सर्वाधिक मंत्री हैं पुराने दुर्ग जिले से। आप उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं । मोदी स्कूल है, मोदी निजी विश्वविद्यालय। उसका विदेशी यूनिवर्सिटी से संबंध भी है, वहां की किसी भी चीज को देखने आते हैं । एक लड़के ने कल रात को मुझे

फोन किया कि कल विधेयक आयेगा तो आप बोलियेगा करके । जितनी तरह की असामाजिक गतिविधियां हैं, उस कैम्पस के बाहर दारू की भी भट्ठी है, सारी चीजें हैं। चूंकि बाहर के लोग देखने आते हैं, हमारा Collaboration है तो इससे हमारे प्रदेश की छवि खराब हो रही है, जिले की छवि खराब हो रही है और हमारा शैक्षणिक वातावरण खराब हो रहा है करके । मैंने बोला कि मैं इस बात को रख दूंगा । मैं आश्वस्त तो नहीं कर सकता । चूंकि मैं शिक्षा के विषय में बोल रहा हूं इसलिये आरोप भी नहीं लगा सकता । मैं शिक्षा के विषय में यह चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जो वर्कफोर्स है, वाइब्रेंट है, मेरी इन विषयों में बहुत असहमति है । आपका जो कौशल उन्नयन है और मेरे कौशल उन्नयन का जो दृष्टिकोण है, उसमें बहुत अंतर है । कभी अवसर आयेगा तो उसमें बहस होगी लेकिन यह चीजें नयी शिक्षा नीति के आलोक में आप जितनी सरलीकृत कर सकते हैं, करिये । मेरा यह कहना है कि छोटी-छोटी बातों के लिये विधानसभा न आना पड़े । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2022 का समर्थन करती हूं और समर्थन के पक्ष में मेरा अपना विचार इस प्रकार है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के बारे में अपनी बात रखूं इसके पहले मैं हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को याद करना चाहूंगी । मैं उनकी दूरदर्शिता की प्रशंसा करना चाहती हूं क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया था और काफी लोगों ने उसकी आलोचना की थी, सहमति नहीं दी और अंत में आपातकाल भी लगाना पड़ा लेकिन अगर हम उस समय उनकी दूरदर्शिता को मान लेते, सभी पक्ष के लोग स्वीकार कर लेते तो आज स्थिति निजी विश्वविद्यालयों की ओर नहीं जाती लेकिन आज सूचना क्रांति और युवा वर्ग की सोच अत्याधुनिक होने के कारण छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) बहुत जरूरी हो गया है और इसलिये जरूरी हो गया है क्योंकि अब हमें देशी विश्वविद्यालय के साथ-साथ विदेशी विश्वविद्यालयों या छात्रों को कहें अथवा विद्यार्थियों को कहें, कॉम्पीटिशन की भावना है । शिक्षा का प्रचार-प्रसार बहुत जरूरी है । सबको शिक्षा समान रूप से मिले । हमारे यहां संविधान में अनुच्छेद-16 में अवसर की समानता प्रदान की गयी है और सबको समान रूप से शिक्षा मिले लेकिन सरकारी विश्वविद्यालयों में प्रवेश न मिलने के कारण निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना बहुत जरूरी है, उसका संचालन भी बहुत जरूरी है । इसकी सिफारिश करने के लिये विनियामक आयोग की स्थापना की गयी है और इनकी सिफारिशों से ही निजी विश्वविद्यालयों की स्वीकृति मिलती है । अभी 9 राज्यों के विश्वविद्यालय हैं और 16 निजी विश्वविद्यालय हैं । यदि निजी विश्वविद्यालय स्थापित हैं तो सभी लोगों को कहीं न कहीं से शिक्षा मिल रही है, एडमिशन हो रहा है, कोई भटक नहीं रहा है और जो निजी विश्वविद्यालय है वह अत्याधुनिक शिक्षा राज्य के विश्वविद्यालय

की तुलना में बहुत जल्दी ही ला रहे हैं जिसका लाभ समूचे छत्तीसगढ़ को मिल रहा है और इसी निजी विश्वविद्यालय के तहत् जब वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ बना था तो इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलता था । बहुत सारे निजी कॉलेज खोले गये, लगभग 45 से ज्यादा निजी कॉलेज खोले गये । जिसके कारण लोगों को इंजीनियरिंग की शिक्षा मिली, कौशल उन्नयन की शिक्षा मिली और हमारे जो बहुत सारे विद्यार्थी हैं उनको रोजगार भी मिला और उद्योग-धंधे भी स्थापित किये गये । हमारी जो ग्रामीण जनता है, जो इधर-उधर भटकती थी, उनको भी आसानी से आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ हमारी जो परंपरागत शिक्षा है उसे भी वह लेने में कामयाब हुए तो इसलिये मेरा विचार यह है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) का जो विधेयक लाया गया है, मैं विधान सभा के सभी सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाये। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय श्री शैलेश पाण्डे जी।

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, बहुत खुशी की बात है कि आज हमारी सरकार एक और निजी विश्वविद्यालय की स्थापना छत्तीसगढ़ के लिए करने जा रही है। मुझे वह दिन याद है, जब हमारी ही सरकार ने एक बड़ी सोच के अंतर्गत देश में पहली बार निजी विश्वविद्यालय की एक कल्पना की थी और उस कल्पना को छत्तीसगढ़ में सबसे पहले लागू किया था, लेकिन किसी कारणवश बाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार नये अधिनियम आये, नये नियम आये और नयी सरकार आयी तो सबसे पहले वह दिन मुझे याद है कि 2 अगस्त, 2006 की बात है। उस वक्त आदरणीय श्री अजय चन्द्राकर जी उच्च शिक्षा मंत्री हुआ करते थे जब पहला निजी विश्वविद्यालय का विधेयक विधान सभा में आया और कांग्रेस की सरकार की जो कल्पना थी, उस कल्पना को साकार करते हुए आगे एक कदम छत्तीसगढ़ ने और बढ़ाया और नये अधिनियम के अनुसार निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी। अगर उस वक्त की स्थिति देखते हैं तो जो छत्तीसगढ़ का gross enrolment ratio (G.E.R.) है, जिसे माननीय अजय चन्द्राकर जी उल्लेखित कर रहे थे, वह उस वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ करता था। मेरे ख्याल से उस वक्त 12-13 प्रतिशत G.E.R. रहा होगा, जब पहला निजी विश्वविद्यालय बना होगा। आज हम 18 से 22 प्रतिशत के gross enrolment ratio के लक्ष्य पर छत्तीसगढ़ में खड़े हुए हैं। आज हमारे प्रदेश का लगभग जो 22 से 25 प्रतिशत युवा है, वह उच्च शिक्षा को प्राप्त कर रहा है या तकनीकी शिक्षा को प्राप्त कर रहा है या जितने भी उच्च शिक्षा के सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें प्राप्त कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, पहले अधिनियम में यह समस्या हुआ करती थी कि जो विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय बनेगा, उसमें जो कोर्स प्रस्तावित किये जायेंगे और उन कोर्सेस का बजट नोटिफिकेशन होगा, उसके अतिरिक्त उसे फिर से नया पाठ्यक्रम शुरू करना होगा तो उसे फिर से सरकार विधान सभा में लायेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार पहले ही यह अधिनियम ला चुकी है कि बार-बार जिस किसी भी निजी विश्वविद्यालय को नया पाठ्यक्रम शुरू करना होगा तो उसे

बार-बार सदन में विधान सभा में नहीं लाना होगा। उसे जो विभागीय मंत्री है, वह विभागीय मंत्री उसका अनुमोदन करके गजट नोटिफिकेशन कर देते हैं और उसे अनुमति मिलती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा है तो नियामक आयोग में ही निपटा लीजिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, अगर हम देखते हैं तो केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर के जो राज्य हैं, उन राज्यों में भी पूरे देश में आज इस बात को समझा जाता है कि आज अगर पूरे देश का gross enrolment ratio निकालते हैं तो 26 प्रतिशत है। यानी कि आज पूरे देश में निजी विश्वविद्यालय स्थापित है। मैं समझता हूं कि हमारे अधिकारी भी होंगे। आज हजार से ज्यादा निजी विश्वविद्यालय देश में स्थापित हो चुके होंगे और लगभग साढ़े 700 से 800 के आसपास हमारे पास शासन के विश्वविद्यालय भी देश में हैं, लेकिन इतने विश्वविद्यालय होने के बावजूद भी आज देश का gross enrolment ratio केवल 26 प्रतिशत ही है। अगर हम बाहर के देशों की तुलना करते हैं, जो हमसे बहुत आगे हैं, जिनका gross enrolment ratio 70 प्रतिशत है। किसी का 80 प्रतिशत है। किसी का 85 प्रतिशत है, लेकिन आज हम केवल 26 प्रतिशत पर खड़े हुए हैं। यह हमारे लिए चुनौती है। यह केन्द्र सरकार के लिए भी चुनौती है और राज्य सरकार के लिए भी चुनौती है। आज हमारी सरकार ने, माननीय मंत्री जी ने यह विधेयक लाया, इसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत बधाई देता हूं। हमारा छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है। इस आदिवासी बाहुल्य राज्य के हिसाब से हमारे आदिवासी भाई-बहन, हमारे बच्चे उच्च शिक्षा को, तकनीकी शिक्षा को प्राप्त करें, इसे लेकर हमारे सुदूर अंचलों में भी विश्वविद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए और मैं तारीफ भी करूंगा। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री, माननीय उमेश पटेल जी आज यहां पर नहीं है, जिनसे मेरे कुछ दिनों पहले ही अधिकारियों के साथ चर्चा हुई थी और हम लोगों ने इस बात का उल्लेख किया था और मीटिंग में चर्चा में बात भी हुई थी कि हमारी सरकार निजी विश्वविद्यालयों को या निजी महाविद्यालयों को यह प्रस्ताव देने वाली है कि बहुत जल्दी शासन एक नई नीति बनाने वाली है, शासन एक नई नीति बनाने वाली है कि हमारी सरकार उन विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों को या उनके प्रायोजक निकायों को शासकीय भूमि भी आवंटित करेगी, उनको फंड भी देगी और अगर आदिवासी क्षेत्र में काम करने जाते हैं तो उनको और भी सहयोग करेगी, यह कार्य हमारी सरकार करने जा रही है, मैं इसका भी स्वागत् करूंगा, आने वाले समय में जरूर हमारी सरकार केबिनेट से पास करके सभी के लिए लाएगी । मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सभी से अनुरोध करता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाए ताकि उच्च शिक्षा में एक और मंदिर बने ताकि छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं का भला हो सके । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका धन्यवाद् ।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- सभापति जी, इस विधेयक पर 3 विद्वान सदस्यों ने अपनी बात कही । एक तो स्वयं उच्च शिक्षा मंत्री रहे, दूसरीं कॉलेज की प्रोफेसर रहीं डॉ. लक्ष्मी जी और तीसरे निजी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार रहे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, आप मेरे लिए विद्वान शब्द का प्रयोग मत करिये, मैं नम्रता से कह रहा हू । यह लेजिसलेशन का जो समय चलता है, वह सीखने का समय रहता है । विद्वान अन्य लोग हैं और आप स्वयं विद्वान हैं ।

श्री कवासी लखमा :- कोई भी बात बोलने से नाराज क्यों होते हो ?

श्री रविन्द्र चौबे :- हम सब लोग आपकी विद्वता के कायल हैं । सभापति जी, हमारे छत्तीसगढ़ में 9 शासकीय विश्वविद्यालय हैं और 15 विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं । आज यह प्रस्ताव आया है जिसको सदन अनुमति दे रहा है यह सोलहवां निजी विश्वविद्यालय है । सभापति महोदय, अजय जी ने भी प्रश्न उठाया और शैलेश जी ने उत्तर दिया और दोनों ने स्वीकार किया कि छत्तीसगढ़ में ग्रॉस एनरोलमेंट का इलाफा होना जरूरी है । देश में इसको लगभग 30 प्रतिशत के लगभग मानते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में हम अभी तक केवल 18 प्रतिशत तक पहुंच पा रहे हैं । अभी तो आवश्यकता न केवल इस विश्वविद्यालय की है । यह तो नाम से स्पष्ट है आंजनेय विश्वविद्यालय, हमें तो उम्मीद है कि जैसा नाम है वैसा इस विश्वविद्यालय का काम भी रहेगा और लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी । लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ में और विश्वविद्यालयों की चाहे वह शासकीय हों या निजी हों, जिस तरह से एनरोलमेंट का रेश्यो है, अभी हम लोग इसकी आवश्यकता छत्तीसगढ़ में महसूस करते हैं । सभापित जी, प्रक्रिया है । मैं आपको भी बधाई दे देता हूं आपने कहा कि आपके कार्यकाल से निजी विश्वविद्यालय विधेयक का प्रारूप बना उसकी शुरूआत हुई थी, हालांकि आपने पिछली सरकार की कुछ आलोचनात्मक बातें कहीं । लेकिन उस समय से ही शुरूआत तो हो ही गई थी कि छत्तीसगढ़ में एज्युकेशन और हायर एज्युकेशन को हम कितना आगे बढ़ा सकते हैं । अब उसका स्वरूप क्या था, क्या नहीं था, तब क्या था और आपने बनाया तब क्या था, यह एक अलहदा बात हो सकती है । लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ में इस क्षेत्र में बहुत काम करने की आवश्यकता है । छत्तीसगढ़ में लगभग 3 लाख से अधिक हायर एज्युकेशन में हमारे स्टूडेंट अध्ययनरत् हैं । अभी निजी क्षेत्र में जो 15 विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, उनके छात्रों का स्ट्रेंथ देखेंगे तो 30 हजार से ज्यादा नहीं है । आशय यह है निजी विश्वविद्यालय खुल जरूर रहे हैं लेकिन बच्चों का जो प्रवेश होना चाहिए, हमें आज की तारीख में यह सोचना है उसका भी स्टैंडर्ड कैसे बढ़ सके ? वहां भी अच्छे कोर्सेस किस तरह से आ सकें ? आपने अच्छी बातें कहीं, इसका कार्यक्षेत्र रायपुर राजधानी, दुर्ग, बिलासपुर में नहीं होना चाहिए । हमारी कोशिश है कि रूरल एरियास में भी ये जाएं । अभी थोड़े दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको निर्देश दिया हुआ है, चाहे वह एज्युकेशन के सेक्टर में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे हार्टीकल्चर हो, यदि हम

नई इंस्टीट्यूशन प्रारंभ करें, नये कॉलेजेस प्रारंभ करेंगे, दूरस्थ क्षेत्र में प्रारंभ करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी जी ने आपने जैसा कहा, उस तरीके से अभी..।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय चौबे जी, जब मैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री था। जब एन.सी.आई. पी.जी. की सीटें एलॉट नहीं करती थी तो महाराष्ट्र की एक डिग्री जो एन.सी.आई. से मान्यता प्राप्त है। हमने महाराष्ट्र से एक समझौता किया और दो-तीन जगहों के मेडिकल कॉलेजों में उसकी डिग्री की सीट खुलीं। मैं अभी उस डिग्री का नाम भुल रहा हूं। 30 हजार प्राईवेट यूनिवर्सिटी के हैबिट को भी ठीक करना जरूरी है। हमने उस समय इतना पैसा डिपॉजिट किया, दो करोड़ डिपॉजिट होगा, बिल्डिंग इतनी होगी, जमीन इतनी होगी, यह जरूरी कर दी थी। आप पड़ोस के राज्यों से समझौता करिये और कानून में यह प्रावधान करिये कि आपके राज्य में हम कैंपस खोल सकते हैं तो शायद निजी विश्वविद्यालयों का हेल्थ भी मजबूत होगा। आप पड़ोस के राज्य उड़ीसा, भुवनेश्वर में कलिंगा निजी विश्वविद्यालय को देखिये। उसका ब्रांच यहां भी है। लेकिन कलिंगा का कैंपस पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है। मान लीजिये कि उसका हमारे यहां 8 कैंपस हैं तो सरकार की मंशा से आप यहां कैंपस खोल सकते हैं। आप चाहें तो निकटस्थ राज्यों से एम.ओ.यू. करके कर सकते हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति जी, इस बात में सच्चाई है, लेकिन आप ओड़िसा में कलिंगा यूनिवर्सिटी का कैंपस देखें हैं या सुने हैं और छत्तीसगढ़ के कैंपस में जमीन और आसमान का अंतर है। यदि छत्तीसगढ़ में हमारी संस्थाएं आयें, प्राईवेट रूप से इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज आयें तो इसके स्टैण्डर्ड में किस तरीके से सुधार हो सकें। आपने जिस समय प्रावधान किया था कि अभी हम आंजनेय विश्वविद्यालय जो निजी क्षेत्र में लाने जा रहे हैं, वह सारे प्रावधानों की पूर्ति करता है। यदि भवन के लिए एक लाख वर्ग किलोमीटर में उसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिये। आंजनेय विश्वविद्यालय तो अभी तीन लाख वर्ग किलोमीटर में है।

श्री अजय चंद्राकर :- उस समय 8 कैंपस थे।

श्री रविन्द्र चौबे :- निश्चित रूप से। लेकिन इसका दुरूपयोग भी ना हो, इस बात को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय डिस्टेंस एजुकेशन के नाम से कैंपस प्रारंभ जरूर कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को भी परेशानी होती है और आप समझ रहे हैं कि फिर शिक्षा का बाजार बन जाता है। तो ऐसी स्थिति नहीं है। आपने दो-तीन और छोटी-छोटी बातें कहीं कि रोजगारमूलक एजुकेशन की दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिये। आपने कौशन उन्नयन के बारे में बात कहीं। मैं समझता हूं कि आजकल के सारे एजुकेशन सिस्टम में यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, निजी क्षेत्र में जो लोग आ रहे हैं, उनकी भी यह प्रायरिटी है, क्योंकि ट्रेडिशन कोर्सेस में बच्चों का जो रूझान हैं, वह यूं ही कम होता है। बच्चे 12वीं करने के बाद यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस में जाते हैं तो वे दूर से ही सपने देखने लगते हैं कि हमारा भविष्य का क्या होने वाला है? इस यूनिवर्सिटी के बारे में भी आगे जो कोर्सेस दिया हुआ है, मैं

उसको पूरा पढ़कर नहीं सुनाना चाहता। वह सारे कोर्सेस हैं, जिससे बच्चे आकर्षित होंगे और उसमें एडमिशन लेंगे। जहां तक आपके नये कोर्सेस प्रारंभ करने का प्रश्न किया, जिसका माननीय शैलेश जी ने उत्तर दिया, आप भी समझते हैं, हम सब लोग भी समझते हैं, यदि मेडिकल के क्षेत्र में कोर्स प्रारंभ करना है, नर्सिंग के क्षेत्र में कोर्स प्रारंभ करना है, टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में कोर्स प्रारंभ करना है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में कोर्स प्रारंभ करना है, तो उसके जो ऑल इंडिया संस्थाएं हैं, उनसे उनको परमीट की जरूरत होती है, परमीशन की जरूरत होती है। यदि वह हो जाए तो संस्थाएं स्वतंत्र होती हैं, केवल विभाग को सूचित करके इस प्रकार स,। इसके लिए तो हमने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग बनाया हुआ है, जो इसकी संरचना को देखता है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के बच्चों के हित में एक निजी विश्वविद्यालय आज आ रहा है। माननीय सभापति महोदय, पूरा सदन इसको सहमति प्रदान करें।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 6 सन् 2022) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 6 सन् 2022) पारित किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 6 सन् 2022) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 7 सन् 2022) ।

(4) छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 7 सन् 2022)

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 7 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय सभापति महोदय, आदिम जनजातियों की निजी भूमि पर खड़े हुए वृक्षों में उनके हितों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 बनाया गया है। अधिनियम की धारा 2, 4, 8, 9 में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर से अनुभागीय अधिकारी, राजस्व को किया जाना प्रस्तावित है। अधिनियम की धारा 5 एवं 6 में संयुक्त बैंक खाता से संबंधित प्रावधान को निजी बैंक खाता हेतु सरलीकृत किया जाना प्रस्तावित है। अधिनियम की धारा 9 में कोई व्यक्ति आदिम जनजाति की निजी भूमि पर खड़े वृक्ष को कांटता है, उनका कांट-छांट या नुकसान पहुंचाने की दशा में जुर्माना राशि में वृद्धि करना प्रस्तावित है। आदिम जनजातियों को शोषण से बचाने की दृष्टि से उनकी भूमि पर विद्यमान वृक्षों में उनके हितों से संबंधित नियमों को समेकित करने के उद्देश्य से परिवर्तित परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने के अनुक्रम में यह संशोधन लाया गया है। अत: इसे ध्वनि मत से पारित करने का अनुरोध है।

सभापति महोदय :- माननीय अजय चंद्राकर जी।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक में 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। सरलीकरण के नाम पर एस.डी.एम. को प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है। पहली बात यह है कि अभी तक जो अनियमितता हुई है या होती रही है, क्या यह सिर्फ एस.डी.एम. या कलेक्टर के शब्द को नियोजित करने से रूक जाएगी ? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने 10 हजार रूपये की जगह में 1

लाख रूपये जुर्माना किया। मान लीजिए कि यदि आदिवासी, आदिम जाति के व्यक्ति ने ही पेड़ को कांट दिया तो क्या वह 1 लाख रूपये जुर्माना देने के लिए सक्षम रहेगा ? सामान्य आदमी या चोर, माफिया है तो ठीक है। यदि वह पकड़ में आएगा तो वह छूटने के लिए 1 लाख नहीं कई लाख रूपये दे देगा। आपने विधेयक में आदिम जाति के हितों का संरक्षण वृक्षों के हित में लिखा है तो अधिकांश जंगल में जहां आदिवासी बाहुल्य लोग हैं। वहां जो चोरी होती है उसमें वह लोग एक-दूसरे के ही पेड़ को कांट देते हैं तो आप उसमें भी पैसा कमाने का रास्ता मत खोजिये। जुर्माने की राशि को 10 हजार रूपये की जगह 1 लाख रूपये करने से आप बहादुर नहीं हो जाएंगे। आपने प्रक्रिया को सरलीकरण किया है। यदि एस.डी.एम. की अनुमति लेंगे और यदि आप उसको सरलीकरण मानते हैं तो उससे आप समझ लें कि इसका अभी तक दुरूपयोग नहीं रूका है। अब आप दुरूपयोग की संभावनाओं को और बेहतर बना रहे हैं। कलेक्टर की जगह में एस.डी.एम. को प्राधिकृत अधिकारी करके। कम से कम आई.ए.एस. आदमी कलेक्टर बनता है और मैं ऐसा मानता हूं कि उसकी दृष्टिकोण रहती है उसमें प्रशिक्षण रहता है। एस.डी.एम.। उसमें परमिशन क्या और कैसे मिलती है उस पर कुछ बोलना बेकार है। हर बार आरोप-प्रत्यारोप करना अच्छा नहीं लगता है। इसमें तीसरी विशिष्टता यह है कि आपने उपधारा 3 एवं 4 को विलोपित कर दिया, जिसमें यह नियम था कि कोई भी शासकीय सेवक पेड़ों की कटाई या अन्य प्रकार से क्षति पहुंचाता है तो पहले उसमें कार्रवाई का प्रावधान था, लेकिन अब आपके संशोधन विधेयक के अनुसार उसके ऊपर अब कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी । उसके ऊपर जो कार्रवाई का प्रावधान था, उसे हटाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है ? जब हमने आपके पहले विधेयक बोला कि हम समर्थन कर रहे हैं, आप पट्टे की परिभाषा तय कर दीजिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ा । उसका लाभ सिर्फ इतना ही है कि वह सदन के रिकार्ड में है । विधेयक तो ज्यों का त्यों है । आपने बात नहीं मानी, हमने तो कहा कि हम वापस नहीं लेंगे, पर चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बारे में परसों बात करेंगे, आज नहीं करते । इसमें तीनों चीज जो आप कर रहे हैं, वह अनुचित है । सरल कर रहे हैं, 10 हजार की पेनाल्टी को 1 लाख रूपए कर रहे हैं और तीसरा, जो पहले कार्रवाई होती थी, आप उसको भी हटा रहे हैं । आप उसको क्यों हटा रहे हैं, यह मेरे समझ से परे है । इनको ठीक कीजिए, नहीं तो आप आदिवासियों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ क्षति पहुंचाने का अवसर दे रहे हैं, आप इस सरलीकरण से वृक्ष के हितों संरक्षण नहीं कर रहे हैं । यह सरलीकरण नहीं है और दूसरी बात यह है कि आप वृक्षारोपण अभियान करते हैं। बड़े-बड़े लोग कहते हैं कि जल के लिए अगला विश्व युद्ध होगा । अभी आपका भू-जल विधेयक आ रहा है । वह विधेयक क्यों आ रहा है, उसमें बात करेंगे । आप उसको बड़े उद्देश्य से नहीं ला रहे हैं, उसको 200 करोड़ की इंट्री के लिए ला रहे हैं, लेकिन आप वृक्ष मत काटिए, कम से कम कटे । जरूरत में कटे, लड़की की शादी है, कोई कमी हो गई है तो पेड़ कटे । आज अंग्रेजों के समय का साल और सागौन का प्लांटेशन देखेंगे तो

सागौन के कई प्लांटेशन अभी भी तैयार नहीं हुए हैं तो वह बड़ी सम्पत्ति है और आप सरलीकरण करके हित नहीं, अहित कर रहे हैं । जो गड़बड़ी करेगा, उसके लिए शास्ति का प्रावधान था, उसे आपने हटा दिया । जय हो प्रभु ।

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 संशोधन विधेयक का मैं समर्थन करती हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तै जंगल में थोड़ी रहिथस, न तोर कर पेड़ हे ।

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- मैं केवल उदाहरण दे रही हूं, आप ऐसा आरोप मत लगाईए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये बात सही हे कि तोर घर में एकोठन पेड़ नहीं हे ।

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- मेरी बात तो सुनिए । जब मैं विधायक बनीं तो एक कामड़े नाम का व्यक्ति है, उसके पास सागौन का पेड़ है और वह परमिशन के लिए घूम रहा है, आज साढ़े तीन साल हो गए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कामड़े जनजाति नो है । यह विधेयक आदिवासियों के हितों के लिए है ।

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- कामड़े आदिवासी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं है ।

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आदिवासी है, मैं उसको जानती हूं । सागौन के पेड़ को काटने के लिए उसने कलेक्टर साहब के पास आवेदन लगाए उसको साढ़े तीन साल हो गए हैं । अब 10 बार वहां पटवारी गया, पटवारी ने उसको बहुत तंग किया, 10 बार कलेक्टर के पास गया । कलेक्टर के पास आने-जाने के लिए उनको कितना पैसा खर्च करना पड़ा होगा । जितने कीमत की उसकी लकड़ी नहीं है, उससे ज्यादा वह गोल-गोल चक्कर काटना पड़ रहा है । मैं साढ़े तीन साल बाद उसके गांव गई तो वह बड़े उदास और एकदम आशा भरी दृष्टि से देख रहे थे कि मैडम, मेरा काम करवा दो । जो दूर-दराज के व्यक्ति हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जहां आवागमन की कमी है, उनको बार-बार जिला कलेक्टर के पास चक्कर लगाना बहुत कष्टप्रद है तो यदि यह अधिकार कलेक्टर साहब से अनुविभागीय अधिकारी को मिल जाएगा तो कानून में भी सरलता होगी और लोगों को भी आसानी होगी और काम आसानी से होगा । यदि कोई व्यक्ति वृक्षों को नुकसान पहुंचाता है, उसके लिए तीन वर्ष की सजा और 10 हजार रूपए जुर्माना है । कलेक्टर साहब को तो एक लाख रूपये तक जुर्माना कर सकते हैं, जैसे-जैसे लकड़ी का मूल्य है, उसके अनुसार जुर्माना लगा सकते हैं। तो यह प्रावधान उचित है। मैं जंगल एरिये में रहती हूं और जंगल-जंगल तक जाती हूं तो मैं देखती हूं कि लोगों को कितना कष्ट होता है। उनकी अपनी सम्पत्ति को बढ़ाने में कितना इंतजार करना पड़ता है और जब फल आने का समय हुआ तो उसको बार-बार प्रशासनिक कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता है, जो उसके साथ अन्याय है। ऐसे लोगों का अधिक धन

प्रकाशन के लिए नहीं

खर्च होने से रोका जाये और उसको आसानी से अनुमति मिल जाये। जब वह उसका धन है, उसकी जमीन पर लगा है, तो यह अनुमति आसानी से मिलना चाहिए। यह जो विधेयक लाया गया है, मैं उसके लिए सभा से निवेदन करती हूं कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाये और लोगों को सुविधा प्रदान किया जाये। ब्रिटिश सरकार में जो तकलीफ पाये सो पाये, लेकिन आपकी 15 साल तक सरकार थी, उसमें भी उन लोग तकलीफ पाये। अब कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार है, हमारे भूपेश भईया की सरकार है, उनको पूरा भरोसा है कि यह अनुमति मिलेगी तो उनको आसान होगा। इसलिए मैं निवेदन करती हूं कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाये। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें धारा 5 और धारा 6 में संयुक्त खाते का प्रावधान होगा और उसमें निजी बैंक भी शामिल होगा, प्रस्तावित है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि यह राष्ट्रीयकृत बैंक तक रहे, इसमें निजी बैंकों को शामिल ना किया जाये। मैं आपको उसका एक ज्वलंत उदाहरण बताता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जितने भी निजी बैंक हैं, निजी बैंक का आशय, वह प्रायवेटाइजेशन बैंक को लेकर नहीं बोल रहा हूं, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, एक्सिस बैंक बाकी सारे जितने बैंक हैं, वे बहुत दिनों से प्रचलित हैं। ये जो बैंक हैं, जब किसान का कुछ अधिग्रहण होकर जाता है या बैंक में कुछ पैसा जाता तो वह अपने एजेंटों को घुमाते हैं और जब खाते में पैसा जमा हो जाता है तो उसमें से इंश्योरेंस करा देते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल समस्या बता रहा हूं। उस आदमी को तो पता नहीं कि वह किस कागज पर दस्तखत कर रहा है। उसका हर साल 20 हजार रूपया इंश्योरेंस का कट रहा है और अंत में 3 साल बाद उसके इंश्योरेंस पालिसी से पैसा निकाल लिया, उसकी इंश्योरेंस पालिसी लेप्स हो जाती है, जिसके लिए घूमता रहता है। मिनिमम बैलेंस 5 हजार रखना होता है। उसका सर्विस चार्ज होता है। तो जब इस विधेयक में यह संशोधन हो रहा है, ये सारी चीज उन लोगों के लिए बन रहा है तो मेरा आग्रह है कि निजी बैंक को हटा दिया जाये और राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, को-आपरेटिव बैंक हैं, ग्रामीण बैंक हैं, वहां उनके खाते हैं, उनको किया जाये। अन्यथा उससे प्रैक्टिकल समस्या आती है। उनको पता नहीं रहता कि उनके साथ क्या होता है और बैंक वालों के द्वारा उनके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर दी जाती है, यही मेरा आग्रह है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, आज बहुत सारे विधेयक हैं, इसलिए माननीय अजय चन्द्राकर जी को ऐसा लगा कि मैं अगले विधेयक की तैयारी में हूं। हमारी सभी विधेयकों पर तैयारी है। हमारी सरकार जो भी विधेयक लाती है |

श्री अजय चन्द्राकर :- महाराज, जो आशुकवि होते हैं न, तुरन्त कविता बना देते हैं, ये हैं आशुकवि। विधेयक में दोनों आजू-बाजू वाले आशु हो, आशु वक्ता हो। तुरन्त फटाक से तैयार कर लेते हो। इंटेलीजेंसी, जोरदार।

श्री शैलेश पाण्डे :- विधानसभा द्वारा पहले ही कार्यसूची जारी कर दी जाती है, हम पढ़ लेते हैं कि कौन-कौन से विधेयक आने वाले हैं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह बहुत अच्छा विधेयक लाया है। चाहे वह आदिवासियों की जमीन हो, चाहे जंगल हो उसको बचाने के लिए हो, अगर देखा जाये तो छत्तीसगढ़ में किसी ने प्रयास किया है तो वह केवल और केवल कांग्रेस की सरकार ने ही किया है। मुझे याद है, 4-5 साल पुरानी बात है। जब पिछली सरकार, आपकी सरकार सत्ता में थी, तब एक विधेयक लाया गया था, जिस पर काफी विरोध हुआ था कि आदिवासियों की जमीन के लिए कलेक्टर से अनुमति नहीं लेना पड़ेगा और सीधे-सीधे आदिवासियों द्वारा जमीन बेच दी जायेगी। हमने इसका विरोध किया, उस वक्त हमारी सरकार विपक्ष में थी, हमारे सब लोग विपक्ष में थे, उसका विरोध किया गया था, उसके बाद वह कानून नहीं बन पाया था। तो लगातार चाहे आदिवासियों की जमीन का मामला हो चाहे आदिवासी क्षेत्रों में वृक्षों के सरंक्षण का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, चाहे आदिवासी क्षेत्र में वृक्षों के संरक्षण का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, हमारी सरकार आदिवासियों के लिए और आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए

हमेंशा तत्पर रहती है । आज का जो विधेयक है, इस विधेयक में जो सरलीकरण किया गया है, एस.डी.एम. के पास जो पॉवर डेलीगेट की गई है, उससे निस्संदेह बहुत सरलता होगी । हमारे आदिवासी भाई, बहनों को, क्षेत्र के लोगों को एक सरलता होगी कि वह एस.डी.एम. के पास जाकर अपना आवेदन कर सकेंगे । वहीं उनका निराकरण भी हो सकेगा । मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और स्वागत करता हूँ तथा माननीय मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ । धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी ।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 7 सन् 2022) पारित किया जाये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, शुरूआत में हो या आखिरी में हम लोग जो प्रश्न उठाते हैं, माननी मंत्री जी उनका उत्तर देते हैं, माननीय मंत्री जी ने बिना उत्तर दिये पारित करने का निर्णय कर दिया । आप एक काम करिये, जब भी जयसिंह अग्रवाल जी कोई विधेयक लाते हैं तो

बिना बहस के पारित करवा दिया करें । नाम-वाम हम लोग नहीं देंगे । सर्वसम्मति से पारित कर देंगे । तय कर दीजिए । हम लोग बोलें उसका कोई मतलब नहीं है । डायरेक्ट पारित होगा ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- आदिवासियों के हित में है भई ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 7 सन् 2022) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 7 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 2 से 7 इस विधेयक का अंग बने ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह यहै कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- सभापति महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि- छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 7 सन् 2022) पारित किया जाये ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 7 सन् 2022) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

(5) छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2022 (क्रमांक 8 सन् 2022)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 8 सन् 2022) पर विचार किया जाये ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- सभापति महोदय, बहुत संक्षिप्त सा यह संशोधन विधेयक है, केवल 2 खण्डों में संशोधन है । एक तो प्रदेश के सभी लगभग सभी विश्वविद्यालयों में कुलपति का कार्य करने का, पद पर रहने का जो कालावधि है, वह 5 वर्ष है, तकनीकी विश्वविद्यालय में पहले 4 वर्ष का था । इसको धारा 13 में संशोधन करके 5 वर्ष किया जा रहा है । दूसरा यह है कि हम लोगों ने जो विश्वविद्यालय प्रारंभ किया था, भिलाई इस्पॉत संयंत्र से एम.ओ.यू. किया गया था। उसकी 250 एकड़ भूमि अधिग्रहण करके विश्वविद्यालय की स्थापना का काम किया गया था । उस समय यह तय किया गया था कि भिलाई स्टील प्लांट के कार्यपालक निदेशक में से 2 या 1 सदस्यों को यहां के कार्य परिषद के लिए नामजद किया जाये। वह संशोधन धारा-22 में संशोधन करके आज प्रस्तुत किया गया है। इससे लाभ यह होगा भिलाई स्टील प्लांट और सेल से अगर हमारी कार्य परिषद में लोगों का जुड़ाव होगा तो आने वाले समय में सेल प्रबंधन के अनुभव का और भिलाई स्टील प्लांट के तकनीकी एजुकेशन का भी यूनिवर्सिटी को लाभ होगा। इन दो उद्देश्यों के लिए यह संशोधन प्रस्तुत किया है। यह बहुत संक्षिप्त सा संशोधन है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको सदन पारित करे।

सभापति महोदय :- माननीय अजय चन्द्राकर जी।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- सामने वाले को भी बोलने दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमारे विधि विशेषज्ञ यहीं हैं।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- मैं विधि विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं सीखने वाला आदमी हूं, लेकिन हम 14 लोग हैं।

श्री कवासी लखमा :- हमारे पास एक खुराक के एक डॉक्टर साहब हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं अभी परसों बता दूंगा कि इनके पास कौन-कौन चीयरलीडर है या मुख्यमंत्री जी के पास, आज उसका विषय नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा कर देता हूं। इसलिए प्रशंसा कर देता हूं कि lagislation का पार्ट चलता है जब सदन दूसरे ऑवर में शुरू होता है तो अमूमन मुख्यमंत्री गण नहीं बैठते। वह वहां अपनी फाईल दस्तखत करते हैं या और किसी मीटिंग में व्यस्त रहेंगे। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी कम से कम

lagislation के समय उपस्थित हैं, मैं आपकी हृदय से प्रशंसा कर रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- इनके पास उनका खुद का भी है इसलिए बैठे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आसंदी की आपकी ओर से भी प्रशंसा करता हूं और माननीय रविन्द्र चौबे जी की भी मैं प्रशंसा कर रहा हूं। इसलिए प्रशंसा कर रहा हूं भारत की जितनी legislative assembly हैं, उनका एक छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड है। उसमें आप सब का सहयोग रहा कि एक दिन में हमने 03 यूनिवर्सिटी legislate की। वह सौभाग्य आपके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से, बृजमोहन जी, धर्मजीत जी हैं, जो भी वरिष्ठ सदस्य उन सदन में थे, सबके आशीर्वाद से वह सौभाग्य मुझे मिला। आज तक किसी विधानसभा में 03 यूनिवर्सिटी legislate नहीं हुई और एक दिन में 02 यूनिवर्सिटी legislate करने का रिकॉर्ड भी इसी विधानसभा ने बनाया। एक दिन में 02 यूनिवर्सिटी भी कभी legislate नहीं हुई है, वह इस कार्यकाल में इस विधानसभा में हुआ है। छतीसगढ़ की lagislation की बड़ी महान परंपरा है और हम लोग इसमें एकमत दिखते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उस परंपरा को बनाने वाले भी महान अजय चन्द्राकर जी हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अब मुख्य रूप से उच्च शिक्षा में कभी-कभी बहस होती है। जिस आई.ए.एस. को स्कूल शिक्षा में भेज दिया जाये, आप तो स्कूल शिक्षा मंत्री रहे हैं। जिस मंत्री को स्कूल शिक्षा या उच्च शिक्षा मंत्री बना दिया जाये उसको वह पाप समझता है कि मुझको सिविल सजा मिल गई है, क्या-क्या काम दे दिये हैं। आज की तारीख में तकनीकी शिक्षा में जब ये यूनिवर्सिटी बनी, उस समय की जो महत्वपूर्ण बात चल रही थी, मैंने नैनो टेक्नॉलाजी में कार्यशाला करवाई थी। हमारी टेक्नीकल यूनिवर्सिटी में इसमें शोध हो। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा काम हो रहा है, वह artifical intelligencey में हो रहा है। क्या हमारी यूनिवर्सिटी को हम वैसा बनायेंगे कि छत्तीसगढ़ के नौजवान भी दुनिया के इस नवाचार में भाग ले सकें? हमारा curriculum खास तौर पर कम्पयूटर साइंस में एप के जमाने आने को आज वूम है। अडानी या अंबानी जी या कोई भी अरबों, खरबों रुपये खर्च करते हैं, पर यह दिमाग यदि एक फेसबुक, ट्विटर बना दिया तो कम्पयूटर साइंस में दुनिया में इतना वूम है कि उसके विशेषज्ञ decode, code करने के चाहे साफ्टवेयर, हार्डवयर या जो भी, क्या हम उस स्तर की शिक्षायें यहां देंगे? अभी हालत यह है, मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं इसलिए मैं विधेयक के बाहर एक लाईन बोल रहा हूं, इस तरह की चीजों में कभी बात नहीं होती। क्या आज हमारे छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय का curriculum आई.आई.टी की परीक्षा के समकक्ष है या आई.आई.एम. के समकक्ष है? हमारे किसी भी जगह के Curriculum कब सुधारे जाते हैं? उसके विशेषज्ञ कौन है? जो विशेषज्ञ है, वह इसके बारे में जानता है या नहीं जानता है? विद्या परिषद की कितनी बैठकें हुई हैं? हमने आज तक यह जानने और समझने का कोई सिस्टम तैयार नहीं किया और यदि छत्तीसगढ़ की सभी समस्याओं का कोई हल है तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है। मैंने कहा कि मेरा मतभेद है, यह आज बोलने का

विषय नहीं है। यदि नक्सलवाद अंदर आया, उसकी जिम्मेदार कोई भी सरकार हो तो वह बेचारे अबुझमाढ़ के लोग, इलाज, पानी, शिक्षा के क्षेत्र में, वे जिस दिन अपने बारे में फैसला लेने के लिये सक्षम हो जायेंगे, राजनीति से लेकर समाज विज्ञान और सभी चीजें बदल जायेंगी। दुर्भाग्य से शासन ने उनको वोट बैंक की तरह समझ लिया है। मैं यह नही कहूंगा कि इधर का शासन या उधर का शासन।

अब आप जो संशोधन लाये है, छोटा-सा है, आपको उसमें भी एक लाइन बता देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा के पीछे भी मेरा स्वार्थ था, छत्तीसगढ़ का स्वार्थ था, मेरा व्यक्तिगत नहीं था। मैंने अर्जुन सिंह जी को लाया और उस Communication में बृजमोहन जी भी गये थे। अर्जुन सिंह जी ने मेरे भाषण की प्रशंसा की। मैं उनको लाने, निमंत्रित करने के लिये गया था। मैंने उन्हें बताया कि उस समय जितने जिले थे, उसमें से 5 जिले तकनीकी शिक्षा विहीन है। उन्होंने मंच से कहा कि मैं पांचों जिलों के लिये अभी राशि देता हूं। जांजगीर वाले विधायक बैठे हैं, कोरिया वाले विधायक बैठे हैं। उस समय कांकेर, दंतेवाड़ा सब बन गये थे। मैंने बोला साहब कि मुझे खैरागढ़ के विश्वविद्यालय के Heritage Style को बनाए रखना है, मैंने तो सब तैयार करके रखा था। वह बोले कि कितने का एस्टीमेट है? मैंने कहा कि 10 करोड़ 24 लाख कुछ का था, वह बोले अभी स्वीकृत, देरी नहीं।

इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिये यहां का प्रशासन, वहां यू.पी.ए. का शासन था। मैं और प्रेम प्रकाश पाण्डेय जी तत्कालीन मंत्री जी के पास गये। उन्होंने पहले 175 एकड़ दिये और हम लोगों ने तय करके रखा था कि 250 एकड़ और 300 एकड़ ही लेंगे क्योंकि परीक्षा लेने की संस्था की जगह में जो नयी चीजें आयेंगी, उनके रिसर्च के लिये अलग अलग विभाग बनायेंगे। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण विषय इंजीनियरिंग होता है। विषयों का विषय गणित को ही कहा जाता है, फिर फिजिक्स का नंबर आता है, तो हम उसको उस तरह से बनायेंगे। जब राजनैतिक सौहार्द्रता होती है तो बहुत सारे लाभ मिलते हैं। चूंकि आप संसदीय कार्यमंत्री है इसलिये आपको बता देता हूं कि उस दिन गिरीराज सिंह जी आये थे, उनकी विचारधारा कुछ भी होगी। वहां पर न विभागीय मंत्री थे, न विभागीय सचिव थे, दो-तीन इंजीनियर स्वागत के लिये बाहर खड़े थे, गाड़ी के पीछे-पीछे नाश्ता-पानी लेकर चलने के लिये। जब आपका शासन था तब जिस विभाग के जो भी मंत्री आते थे, मैं स्वयं एयरपोर्ट जाता था, उसके नाश्ते उसके पानी उसके डिनर के लिये। मैं एक बार उनको बुलाकर डिनर भी किया था। आप चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगाईये पर हर बात में जहां पर छत्तीसगढ़ का हित आता है, तो साहब मैं दण्डवत होने के लिये तैयार हूं।

मैंने तो मनमोहन सिंह जी को भी लाया। मुख्यमंत्री जी को खुशी होगी कि इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन माननीय मनमोहन सिंह जी ने किया था। आपको खुशी होगी कि आप एस.आई.आर.डी. जायेंगे तो उसका उद्घाटन माननीय मनमोहन सिंह जी ने किया था। मैं बताऊंगा तो अब आपको यह दुख होगा कि उस दिन आपकी बैठक में हुल्लड़ हो गयी तो मनमोहन सिंह जी का फोन आया कि मैं कांग्रेस भवन की बैठक छोड़कर जल्दी आना चाहता हूं, आप समझ रहे हों? हितों के लिये जहां पर

सौहार्द्रता की जरूरत पड़ती है, मुझे दुख है इस बात को कहते हुए कि आप वह राजनीतिक सौहार्द्रता नहीं दिखा रहे हैं, जिसकी अभी छत्तीसगढ़ को बहुत जरूरत है। आपने जो संशोधन विधेयक लाया है, सभी में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिये।

अब सारी नियामक संस्थाएं खत्म हो रही है। जब नयी शिक्षा नीति लागू होगी तो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर को छोड़कर सारी नियामक संस्थाएं एक बैनर के नीचे आ जायेंगी। इसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन आपने एक चीज छिपा लिया कि 6 महीने की वृद्धि 5 साल और 70 साल करने के बाद, यही पर राजनीति होती है। कुलाधिपति कौन रहे, इससे क्या अंतर पड़ता है? हम असहमत है कि जे.एन.यू. को जो भी अड्डा बोलते हैं, वारंगल को जो भी अड्डा बोलते हैं। लेकिन यह नहीं लिखे कि इसका विजिटर या चांसलर, राष्ट्रपति को हटाया जाये। यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप आम सहमति से चले और आगे बढ़े। दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ में ऐसी चीजों को प्राथमिकता दी जा रही है जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को क्षति कर रही है। मंत्री जी, आप कम से कम इतने छोटे विषय में मत पड़िये। कभी विचारधाराएं खत्म नहीं होंगी। आपने किसी कालखण्ड तक सुभाष चन्द्र बोस जी की आजाद हिन्द फौज को मान्यता नहीं दी, यह स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, लेकिन उनको एक कालखण्ड में मान्यता मिल गई। एक कानून ले आने से विचारधाराएं खत्म नहीं होती। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है। आप यूनिफारमेटी तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ ऐसी जगह बने, आपके नेतृत्व में बने, हम हर चीज में समर्थन के लिए तैयार हैं। एक उदाहरण देकर, मैं अपनी बात समाप्त कर देता हूँ, इसका समर्थन कर देता हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में 1400 से ऊपर राईस मिल है। मेरा थोड़ा सा स्वार्थ था। मैंने कुरूद आई.टी.आई. मिल ड्राईवर का कोर्स खोला। मेरा विधान सभा क्षेत्र था। किसी भी आई.टी.आई., मैंने उसके लिए रूड़की आई.आई.टी. से curriculum बनाने के लिए समझौता किया। छत्तीसगढ़ में 1400 से ऊपर राईस मिल है। छत्तीसगढ़ के एक भी माईलर अटेंडेंट नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के मिल ड्राईवर कितने लोग हैं, आप देखिए। आप समझ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की जरूरत के हिसाब से आई.टी.आई. या पॉलिटेक्निक में रायगढ़ और कोरबा में कौन से उद्योग हैं, यदि उसके हिसाब से हमारी आई.टी.आई. या पॉलिटेक्निक में कोर्स और curriculum अपग्रेड होते हैं और वहां उनके हिसाब से खोले जाते हैं। अभी आप राजनीतिक ढंग से खोले। अभी तो आप कोई विषय खोल ही नहीं पायें। अभी तक तो कोई नया विषय नहीं खुला है। केवल 2-4 ही विषय खुला है। मेरे पास है। तो इन चीजों को राजनीति से मुक्त करिये। आप जरूरत के हिसाब से खोलिए। जैसे मुझे इतना ही कहना था। मैं ज्यादा लम्बा इसलिए बोला क्योंकि कभी-कभी शिक्षा पर बात होती है और कभी कभी legislation hour में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहते हैं। यह छत्तीसगढ़ की जरूरत है। आपके विधेयक में कोई विशेष बात नहीं है। वह 6 महीने वाला छिपा दिये थे। आगे-पीछे हो गया, राज्यपाल महोदया की अनुमति आएगी या नहीं आएगी। कुछ करना पड़ेगा इसलिए हमको 6 महीने का समय मिले, आप ऐसी बातों से दूर रहिए। आप कम से कम कैबिनेट में भी

बोला करें। कुलाधिपति वारंग विश्वविद्यालय बताया। हमने कभी जे.एन.यू. में नहीं लिखा। इसके visitor राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे। तो इतना विशाल हृदय हो। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ।

माननीय सभापति महोदय, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में कुलपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, किन्तु छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में जो कुलपति का कार्यकाल है, वह 4 वर्ष का है मतलब जो छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि करना है अर्थात् जो 4 साल का कार्यकाल है उसको 5 वर्ष करना है तो इसको किया जाना उचित प्रतीत होता है। यह पहला है और दूसरा इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन तकनीकी शिक्षा विभाग एवं स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड भिलाई इस्पात संयंत्र के मध्य दिनांक 10 जनवरी, 2008 को निष्पादित समझौते में एम.ओ.यू. के अंतर्गत 250 एकड़ भूमि का छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया । इसमें जो दो भिलाई इस्पात संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् के सदस्य होने में शामिल किया जाना है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन्हें शामिल किया जाए क्योंकि शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र दोनों के बीच सेतु का निर्माण होगा। अगर शिक्षा के क्षेत्र और तकनीकी शिक्षा में जो बच्चे हैं और भिलाई इस्पात संयंत्र के साथ-साथ प्रबंधन का कार्य होगा तो यह बहुत अच्छा है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाये। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 (क्रमांक 25, सन् 2004) की धारा 13 और 22 में संशोधन किया जाना आवश्यक है। मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूं। कुलपति बनना, बहुत कठिन है, आसान नहीं है। हर किसी को मौका नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा अनुभव, बहुत ज्यादा तकनीकी ज्ञान, विषय के प्रति समर्पित और प्रशासन करने की क्षमता, विद्यार्थियों के हितों के बारे में निरंतर सोच, कर्मठ, लगनशील व्यक्ति ही कुलपति बनता है। मैं भारतीय संविधान के बारे में पुन: कहना चाहूंगी कि अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता का अधिकार है। बाकी विश्वविद्यालयों में कुलपति की 5 साल कार्यवधि है तो इस विश्वविद्यालय में कुलपति का कार्यकाल 4 वर्ष क्यों किया गया है ? सभापति जी, मैं सम्माननीय सदस्यों ने निवेदन करती हूं कि 4 वर्ष की जगह इनको भी 5 वर्ष का मौलिक अधिकार मिलना चाहिए और इनकी कार्यवधि भी 4 वर्ष की जगह 5 वर्ष होनी चाहिए। बी.एस.पी. ने स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय को 250 एकड़ जमीन दी है। इतने बड़े कार्य किए हैं, जिसके कारण

विश्वविद्यालय चल रहा है तो उनके कार्यकारी परिषद में भिलाई स्टील प्लांट के प्रभारी निर्देशक और सेल के दो सदस्य नियुक्त होने चाहिए। इससे एक फायदा यह है कि छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा भिलाई स्टील प्लांट है। उनके सहयोग से वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी एक मौका मिलेगा, रोजगार का मौका मिलेगा। पूरे भारत में जो उद्योग धंधे हैं, कहीं न कहीं उनका कनेक्शन रहता है। हमारे इंजीनियरिंग के विद्यार्थी जो पास होते हैं, उनको अवसर का लाभ होगा। मैं यह कहना चाहूंगी कि जो कुलपति हैं, उनका शैक्षणिक स्तर बहुत उच्च होता है। उनको प्रशासनिक क्षमता का अनुभव रहता है। कार्यालयीन अनुभव रहता है। विद्यार्थियों की क्या रूचि है, उनको भली-भांति समझते हैं। छत्तीसगढ़ के जितने भी टेक्निकल कॉलेज हैं, चाहे वह इंजीनियरिंग कॉलेज हो या पॉलिटेक्निक कॉलेज हो। उनके बारे में वे ज्ञाता होते हैं और उनके दिशा निर्देश के अनुसार पूरी व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाते हैं और विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करते हैं। समय के अनुसार नयी-नयी सूचना क्रांति है। वे नये कोर्स को समझते हैं और लाते हैं। निश्चित तौर पर हमारे छत्तीसगढ़ के जो विद्यार्थी हैं, उनको नया अवसर मिलेगा। न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि भारत से विदेशों में भी वह अपने छत्तीसगढ़ के बच्चों को ले जा सकते हैं। उनके पास इतना ज्यादा अनुभव रहता है। यहां पर केवल एक वर्ष के लिए उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जाना चाहिए। उसका मौलिक अधिकार मिलना चाहिए और कार्यकाल को 5 वर्ष के लिए बढ़ाना चाहिए। धारा 13 एवं धारा 22 में संशोधन आवश्यक है। मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करती हूं और सभी सदस्यों से निवेदन करती हूं कि इस विधेयक को सर्व सम्मति से पारित किया जाए। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नारायण चंदेल :- चौबे जी, एकाध विश्वविद्यालय का कुलपति बना देते हैं। (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- श्री नारायण चंदेल जी का प्रस्ताव है कि इनको एकाध विश्वविद्यालय का कुलपति बना दीजिए। (हंसी)

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय.....।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसके सबसे योग्य तो शैलेश पाण्डे जी हैं।

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, आज बहुत खुशी की बात है। मैं भी एक टेक्निकल ग्रेजुएट हूं आज। 25 साल पहले ...।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, एक मिनट बृजमोहन जी प्रस्ताव कर रहे हैं कि शैलेश को बना दें करके। तो कुलपति शैलेश या कोई रहे, चलेगा उन्हीं का ही। (हंसी) इसलिये उन्हीं को बना दें तो ठीक है।

श्री शैलेश पाण्डे :- आज से 25 साल पहले मैं भी छत्तीसगढ़ से इंजीनियरिंग करके निकला था। 25 साल विभाजित मध्यप्रदेश हुआ करता था। इसलिये राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी रहा करती थी। हालांकि मेरी यूनिवर्सिटी रविशंकर यूनिवर्सिटी थी जब मैं मैकनिकल इंजीनियरिंग किया। आज मुझे

पासआउट हुये 25 साल हो चुके हैं । आज बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ के टेक्निकल यूनिवर्सिटी के विधेयक पर संशोधन की बात आयी। माननीय सभापति महोदय, हम जानते हैं आप तो उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं और यहां इस सदन में बहुत सारे हमारे विधायक हैं जो कि उच्च शिक्षा मंत्री, श्री अजय चंद्राकर भी रहे हैं। हमारे आदरणीय श्री रविन्द्र चौबे जी भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो मानव संसाधन की समस्या हुआ करती थी। अगर यू.जी.सी. की बात करते हैं। यू.जी.सी. में एक शिक्षक बनने के लिये नेट, स्लेट, पी.एच.डी. के सारे अनिवार्य मापदंड हुआ करते थे।

श्री अजय चंद्राकर :- हम लोग यहां पर नेट का परीक्षा केंद्र खुलवाये थे।

श्री शैलेश पाण्डे :- हमारेबहुत सारे सदस्य इस बात को जानते हैं कि जब छत्तीसगढ़ में महाविद्यालय खोलने की बात होती थी, चाहे विश्वविद्यालय खोलने की बात होती थी, तो हमारे पास शिक्षक नहीं हुआ करते थे। शिक्षक क्यों नहीं हुआ करते थे ?क्योंकि यू.जी.सी. का जो मापदंड हुआ करता था, वह बड़ा कठिन हुआ करता था। उतने पी.एच.डी.धारक हमारे पास नहीं थे। क्यों नहीं थे ?क्योंकि हमारे पास मात्र दो विश्वविद्यालय हुआ करते थे। एक रविशंकर विश्वविद्यालय और दूसरा गुरू घासीदास विश्वविद्यालय। ये दो विश्वविद्यालय हमारे पास थे। उसमें जितने टीचर थे, उतने ही जितने गाइड होते थे, उतने ही हमारे पास रिसर्च करने के लिये बच्चे जाया करते थे। उसके बाद धीरे-धीरे विश्वविद्यालय बढ़ने लगे और विश्वविद्यालय बढ़ने से छत्तीसगढ़ के लोगों को लाभ मिलने लगा और बहुत सारे बच्चे जो हैं वे छात्र हों, छात्रायें हो या टीचर्स हो, वे सभी पी.एच.डी. करने लगे। पी.एच.डी. करने के बाद यू.जी.सी. के मापदंड के अनुसार उनके पास एक डिग्री हुआ करती थी और वहडिग्रीउनके पास होने लगी और धीरे-धीरे हमारेछत्तीसगढ़ में शिक्षा का जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है। आखिरकार हम छत्तीसगढ़ में महाविद्यालय खोल सकते हैं। हम विश्वविद्यालय खोल सकते हैं। लेकिन उसमें हम योग्य शिक्षक की भर्ती भी हमको करना पड़ेगा और उस योग्य शिक्षक की भर्ती यू.जी.सी. के मापदंड या अन्य जो सेंट्रल रेगुलरिटी बॉडीस हैं उनके मापदंड के अनुसार उनकी भर्ती करनी पड़ती हैं और आज भी करनी पड़ती है।

सभापति महोदय, आज खुशी की बात है कि पहले कुलपति जी की जो कार्य करने की आयु थी वह 70 साल की नहीं हुआ करती थी। पहले 65 साल हुआ करती थी। बाद में 70 साल की गई है। यह इसलिये किया गया क्योंकि टीचर्स ही उपलब्ध नहीं थे। कहां से बनाते वाइस चांसलर ?वाइस चांसलर बनायेंगे तो 60-62 साल का व्यक्ति जब रिटायर होता है तो 3 साल वाइस चांसलर बनने में लगेगा और वह 3 साल ही रह पाता था। इसलिये यू.जी.सी. इस बात को समझा कि पूरे देश में शिक्षकों की किल्लत है। पूरे देश में शिक्षकों की भारी कमी है और हमको महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर बनाने हैं तो इसके लिये यू.जी.सी. ने पूरे देश के विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर के लिये 70 वर्ष का प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ ने भी इस बात को अडॉप्ट किया है और यह खुशी की बात है कि आज छत्तीसगढ़ में कोई प्रोफेसर जो 65 साल में रिटायर होता है। शायद लक्ष्मी ध्रुव दीदी हमारी प्रोफेसर हैं

और 65 साल रिटायरमेंट की आयु है। अगर 65 साल आयु रिटायरमेंट की होती है तो हम किसी बहुत ही योग्य अच्छे व्यक्ति को अगरहम वाइस चांसलर बनाते हैं तो उसको एक कार्यकाल पूरे 5 साल का मिलना चाहिये। जिससे कि वह अपना कार्यकाल पूरा कर सके और अच्छे से विश्वविद्यालय को रन कर सके। इसलिये आज एक वर्ष जो है विश्वविद्यालय की ...।

सभापति महोदय :- पाण्डे जी एक सेकण्ड। आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 7 का कार्य पूर्ण होने तक सभा की समयवृद्धि की जाये। मैं समझता हूं कि सभा सहमत है। चलिये पाण्डे जी।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- चौबे जी, 64 को 65 करना है और भिलाई स्टील प्लांट के साहब लोग को मीटिंग में बुलाना है। कर दो ना भैय्या पास। हमको मंजूर है। लंबा-चौड़ा क्या लेना देना है, बढ़िया तो है। आपने बहुत अच्छा किया है। भिलाई वाले आयेंगे तो कुछ काम बतायेंगे। कुछ काम देंगे, कुछ काम करेंगे और ढाई सौ एकड़ जमीन, हमारा, आपका तो वे लोग दिये हैं भैय्या। बुला दिये, कुछ माल टाल अच्छा से यूनिवर्सिटी में दे और कौन- कौन सी नौकरी मिल सकती है बच्चों को बतायें। ताकि वही पढ़ाई करा दो। महाराज बिल्कुल ठीक है। पास करा दो। (हंसी)

श्री शैलेश पाण्डे :- सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं कि आदरणीय धरमजीत भैय्या चूंकि सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी भी है और हमारे वरिष्ठ मंत्री भी हैं। आप लोग भी हैं। माननीय सभापति महोदय ...

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अभी तो एक घंटा का भाषण है उसमें।

श्री धर्मजीत सिंह :- रात को 12 बजे तक बोलेंगे तो हम तो जायेंगे नहीं, हम तो सुनेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा आगे बढ़ जाये।

समय :
5:30 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

श्री शैलेश पाण्डे :- मंत्री जी, एक घंटे का भाषण नहीं है । मैं बस अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक बात जरूर कहना चाहता हूं । चूंकि आप आसंदी पर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं और सभी लोग हैं । परसों की बात है, शुक्रवार को छुट्टी हुई और हम लोग अपने-अपने क्षेत्र में गये । उसी दिन कक्षा दसवीं और बारहवीं का सी.बी.एस.ई. का रिजल्ट आया और बहुत खुशी की बात है कि बिलासपुर की एक बेटी जिसका नाम शुभी शर्मा है, उसने पूरे छत्तीसगढ़ में सी.बी.एस.ई. में टॉप किया है । यह बहुत खुशी की बात है कि हमारे बिलासपुर की बच्ची ने पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है । मैं उसके घर में मिलने गया, मैंने उससे पूछा कि तुम क्या बनना चाहती हो, वह बोली कि मैं एक आई.ए.एस. अधिकारी बनना चाहती हूं । मैंने उससे पूछा कि तुम कहां पढ़ना चाहोगी तो उस बच्ची ने बताया कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहती हूं । मुझे खुशी हुई,

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

खैर उसने दिल्ली में पढ़ने की अपनी रजा बताई लेकिन मुझे यह लगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में उसके लिये ऐसी कोई जगह नहीं है जिसे वह अपनी पढ़ाई के लिये उसका चयन करती । उसको पढ़ने के लिये वह यहां रहती जिससे हमारे छत्तीसगढ़ का मान और बढ़ता । हमें उस स्तर तक छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों को, अपने कॉलेजों, अपने स्कूलों को लेकर जाना है । माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से आपने स्वामी आत्मानंद स्कीम प्रारंभ की, यह विश्वविद्यालय, ये विद्यालय हैं, यही क्रांतिकारी सोच थी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार से चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे संस्थान बनें जिसमें कि इस तरह के बच्चे पढ़ने का सपना देखें, मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ माननीय मंत्री जी को इस विधेयक के लिये बहुत-बहुत बधाई देता हूं और इसका स्वागत करता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित विधेयक के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । निश्चित रूप से इस विधेयक में जो एक वर्ष की विसंगति है, जिसको अन्य विश्वविद्यालय के मुकाबले अगर मैं टेक्निकल विश्वविद्यालय की बात करूं तो वहां पर 5 वर्ष की सीमा देनी चाहिए इसका मैं समर्थन करता हूं । इस विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र के रूप में भी चूंकि मुझे इस बात की खुशी है कि विश्वविद्यालय के विषय में मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक अनुरोध है कि इसमें 2 सदस्यों को कार्यकारी परिषद में रखने की बात कही गयी है । इसमें अगर छात्रसंघ की तरफ से भी एक सदस्य को रखेंगे तो उससे छात्रों की बातों को भी परिषद अच्छे से समझ पायेगा । अगर यह संभव हो सके तो कृपया इसको इसमें शामिल किया जाये और इसके साथ ही साथ मैं जिस प्रकार से हमारे पूर्व के वक्ताओं की बातें सुन रहा था । आदरणीय बृजमोहन भैया कह रहे थे कि हमारे विधि विधेयक विशेषज्ञ अजय चंद्राकर जी इस पर अपनी बात रखेंगे तो मैंने उनको 10 मिनट तक बड़े ध्यान से सुना । विधेयक पर उनकी एक चर्चा आयी कि मैं समर्थन करता हूं उसके बाद मुझे उनकी चर्चा का जो पूरा सार दिखा तो कहीं न कहीं मुझे यह लगा कि वे थोड़े पीड़ित दिख रहे हैं । वे किस बात से पीड़ित थे, इसको मैं आखिरी में समझ पाया । उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी और जितनी संस्थाएं हैं, उसके आधार पर शिक्षा होनी चाहिए। उन्होंने राईस मिल की बात की और भी उद्योगों की बात की तो मुझे यह लगा कि इनको इस बात की पीड़ा है क्योंकि उन्होंने उसका उदाहरण पहले दिया । इन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी के साथ काम करके बहुत आनंद आया ।

अध्यक्ष महोदय :- वे बहक गये थे, आप भी बहक रहे हैं ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि अर्जुन सिंह जी ने इनके एक कहने पर तुरंत स्वीकृति दे दी तो यह वर्ककल्चर की बात है । ये कहीं न कहीं इस बात से दुखी दिख रहे हैं कि ये जिस सरकार में रहे वहां इन विषयों को, बातों को तवज्जो नहीं दी जाती थी इसलिये इन्होंने अपनी सरकार में वह सब काम करने में असमर्थता दिखायी तो मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं, सत्कार करता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं । आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद । माननीय मंत्री जी ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 8 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 8 सन् 2022) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, एक बार और पारित करने के लिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज जल्दी थक गये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- नहीं मेहा पढ़ डारेव रहे हो तेखर सेती कहे हों कि पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- उतना ही बोल दीजिए। मैं कर दूंगा।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- आज थक गे हस।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं नहीं थके हो।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 8 सन् 2022) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 8 सन् 2022) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(6) छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 14 सन् 2022)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 9 सन् 2022) पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक 10 सन् 1949) के राज्य उपभोक्ता द्वारा देय शुल्क के लिए प्रावधान है तथा अन्य वितरक को विद्युत के थोक विक्रय के लिए वितरकों पर शुल्क अधिरोपित करने का भी प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो विद्युत शुल्क ऊर्जा प्रभारों के प्रतिशत के अनुसार 1996 से 1997 की अवधि में अधिसूचित की गयी तथा उस अवधि के दौरान ऊर्जा प्रभार बहुत कम थे। ऊर्जा प्रभारों में मौलिक वृद्धि के लिए टैरिफ नीति में परिवर्तन के कारण वर्ष 2012-13 में विद्युत शुल्क की दरों में अनुपातिकरण किया गया, जिसके विद्युत शुल्क के रूप में उपभोक्ता द्वारा देय राशि में मामूली वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित को विक्रय किये गये थोक विद्युत पर देय विद्युत शुल्क के भुगतान से छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित को छूट प्रदान कर उपभोक्ताओं को विद्युत बिल में पर्याप्त रियायत भी दी गई है।

उपरोक्त परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया है कि नियमित अंतरालों में विद्युत शुल्क की दरों का अनुपातिकरण किया जाए।

उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत शुल्क अधिनियम 1949 (क्रमांक 10 सन् 1949) का और संशोधन करना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- विधेयक पर चर्चा की शुरूआत श्री अजय चन्द्राकर जी करेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- सिंगल खुराक, डॉ. हरिदास भारद्वाज जी ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- अध्यक्ष महोदय, आप विराजमान हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी विराजमान हैं, भगवान वामनदेव माननीय संसदीय कार्यमंत्री जिनका कद लगातार बढ़ रहा है, वे विराजमान है ।

अध्यक्ष महोदय :- वे तो वामनदेव कभी नहीं रहे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरा भ्रम टूट गया । मुझे इस विधेयक का ख्याल ही नहीं आ रहा था, मुझे आश्चर्य हो रहा है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दे दिया कि वे विधि-विधायी के समय में कैसे बैठे हैं ? अब ध्यान आया कि इस विधेयक के कारण बैठे हैं। उसके बाद भी मैं अपनी बधाई पर कायम हूं ।

श्री भूपेश बघेल :- वापस ले सकते हैं आप (हंसी)।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुख्यमंत्री जी, मैं विधेयक पर थोड़ी देर बाद बिंदुवार बात करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- विधेयक पर ही तो बात करनी है आपको ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुख्यमंत्री जी आजकल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हो गए हैं । भले ही वह कांग्रेस पार्टी सवा दो राज्य में है । अब राष्ट्रीय पार्टी तो कहना ही पड़ेगा । राष्ट्रीय पार्टी है तो उनको कई तरह के बयान भी देने पड़ते हैं । जिसमें एक बयान जैसे उन्होंने बयान दिया तो उनके तीन-चार चीयर लीडर हैं । उसको खड़े होकर तीन-चार चीयर लीडर बताएंगे और वाह वाह, वाह वाह करने लगेंगे ।

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, जब-जब सम्मानित सदस्य खड़े होते हैं तो चीयर लीडर, (xx) यही सब सुनने को मिलता है । मेरा अनुरोध है हम नये विधायक यहां कुछ सीखने के लिए आते हैं, यह सब जानने नहीं आते, जिसमें आपकी रूचि रहती है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलो छोड़ो यार ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय देवेन्द्र यादव जी, जिस भाषा और जिस तरीके से मेरे अर्थों को लिया है न, उतने निम्न स्तर पर मैं भाषण कभी नहीं दे सकता । मैंने राजनीतिक भाषण नहीं दिया था, मैंने कहा था राजनीतिक सौहार्दता । जिसको आप कांग्रेस-भाजपा में ला रहे थे । माननीय मुख्यमंत्री जी देश भर में घूमकर बयान देते हैं कि जुमलेबाजी सरकार है, प्रधानमंत्री जी अब एक पार्टी के नेता जेब काटने का काम करते हैं, हम गोबर खरीदकर, धान खरीदकर जेब भरने का काम करते हैं । अब शायद पेशाब खरीदकर जेब भरेंगे या पेशाब को ही जेब में भर देंगे । अभी उसका कोई नियम आया नहीं है । लेकिन उनका कहना है कि वे जेब भरते हैं । यह विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल है, ऐसा बताते हैं । इसकी चर्चा पूरे देश भर में है । वे जब भूमिका रख रहे थे तो उद्देश्य को बताते हुए बहुत स्टाइल से

कई चीजों को गोल कर दिया । कभी भी लेजिसलेटिव वर्क होता है तो मैं अमूमन राजनीतिक भाषण नहीं देता, मुद्दों पर बात करता हूं । कानून बनाने के पहले मुद्दों पर बात करो तो वह ज्यादा अच्छा लगता है । जयसिंह जी होते तो इस विधेयक को देखते । इसमें एक-एक चीज की परिभाषा है, जिस परिभाषा की हम पट्टा में मांग कर रहे थे । खान क्या है, यह भी इसमें लिखा है । अध्यक्ष महोदय, 1949 विद्युत शुल्क अधिनियम में संशोधन किया । इस समय नियामक आयोग नहीं बना था, जब इसमें 2012-13 का जिसका उन्होंने उल्लेख किया तो 14 आइटम थे । उन्होंने स्टाइल से यह छिपा दिया कि हमने 14 को 21 कर दिया है । अब जो विद्युत वितरण कंपनी है, विद्युत शुल्क को इन्होंने परिवर्तित किया, जिसे नियामक आयोग लगाएगा । नियामक आयोग से तो इसका संबंध नहीं है क्योंकि यह दूसरे चीजों से प्रभावित है । जो विद्युत प्रदाता कंपनी है, विभिन्न टैरिफ जो लगाया है, इन्होंने टैरिफ में 7 प्वाइंट और जोड़ा है । 7 आइटम को और शामिल किया है । इससे प्रस्तावित इंकम कितनी होगी इसको आप सब पढ़ लीजिए । कांग्रेस की सरकार या मुख्यमंत्री यदि सभी टैरिफ को बढ़ा रहे हैं तो जनता की जेब नहीं कट रही है, इससे मंहगाई नहीं बढ़ेगी । इससे छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर भार नहीं पड़ेगा । जब यही कार्य दिल्ली की सरकार करती है तब छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर भार पड़ता है । दोनों की मुद्रा अलग-अलग है । आजकल नई परिभाषा आ गई है, फिर कूदने लगेंगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा । 14 में इन्होंने 7 आइटम नए जोड़े हैं और टैरिफ को पढ़िये, मैं नहीं पढ़ूंगा । अब इसका दूसरा पक्ष, अध्यक्ष महोदय, कोरोना का एक सेस लगा, मैंने उस दिन बोला और उसमें आपने गलत उत्तर दिया है इसलिए मैंने प्रश्न संदर्भ समिति को भी दिया । मैंने आज भी एक प्रश्न में प्रश्न संदर्भ समिति को दिया है । यहां भाभीजी बैठी हैं, उनके प्रश्न का उत्तर गलत दिया है, उन्होंने पिछले सत्र का स्वीकार किया है और इस सत्र में ऐसा है । उसके लिए भी मैंने एप्लीकेशन लगा दिया है । मैं उस सेस का उल्लेख का क्यों कर रहा हूं, उसको सुनिये। कोरोना सेस के नोटिफिकेशन में ऐसा-ऐसा लिखा था कि देशी शराब के हर साईज में इतना-इतना पैसा, गोठान सेस के नोटिफिकेशन में अंग्रेजी शराब के इस साईज में इतना-इतना पैसा लगाया जायेगा। जब आपने उत्तर दिया तो कोरोना के लिए निरंक राशि, विपक्ष के लोग व यहां पर जितने लोग बैठे हैं, वह भी नहीं जानते। मुख्यमंत्री अधोसरंचना उन्नयन बोर्ड, दो बार करके आठ सौ रूपया ले लिया गया, उसमें से आधे पैसे खर्च हुए हैं, आधे रखे हैं। हम लोगों का उस पैसे का कोई अधिकार नहीं है, वह मुख्यमंत्री की पॉकेट मनी है। वह विधानसभा के पटल पर नहीं रखा जायेगा, उसका उद्देश्य नहीं बताया जायेगा, उसका क्या अधोसंरचना है, उसका कार्य नहीं बताया जायेगा। कुछ भी नहीं बताया जायेगा। पैसा जनता का है और उसको हमको जानने का अधिकार नहीं है। यदि पुल-पुलिया का अधोसंरचना बना रहे हैं तो आप बताते कि आप लोग भी एक पुल-पुलिया के लिए लिख दीजिये। या अधोसंरचना की परिभाषा बता दे कि अधोसंरचना क्या है? यदि वे राजस्व व्यय भी कर रहे हैं, उसमें खरीदी कर रहे हैं, तो वह भी अधोसंरचना माना जाता है क्या, यह कभी बहस नहीं हुई।

हम उस बात को नहीं जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि आप उसको जानते हैं तो यह आपका विषय है। दूसरा, मुख्यमंत्री सहायता कोष, मुख्यमंत्री सहायता कोष बना, वह और स्पेशल है। वह कोषालय में नहीं है, उसका अलग बैंक अकांउट हैं, उसका के लिए अधिकारी हैं। हमको इस विधानसभा उसके लिए Term, conditions नहीं मालूम है कि उसमें किन-किन चीजों में खर्च किया जायेगा। यदि हमारी constituency में कोई दुर्घटना होती कि हम भी मदद मांग लेते यह Term, conditions है, इससे यह मदद दिया जायेगा। तो यह चीज गोपनीय है। राष्ट्र की सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए उन्नयन बोर्ड का, मुख्यमंत्री सहायता कोष के बारे में विपक्ष को कम से कम जानकारी नहीं दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- क्या आप ऐसा मानते हैं कि विपक्ष के किसी सदस्य को इससे धनराशि नहीं दी गई है? क्या आप ऐसा मानते हैं कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से धनराशि देते समय पक्ष और विपक्ष देखा जाता है और विपक्ष को राशि नहीं दी गई?

श्री अजय चंद्राकर :- हमको Term, conditions मालूम ही नहीं है, इसलिए हम बिल्कुल मानते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं नहीं मानता।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, आप जिस जगह पर बैठे हैं, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो राजनीतिक भाषण दे रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- आप आगे सुनिये।

श्री अमरजीत भगत :- हमारे क्षेत्र के लोगों के कई आवेदन आते हैं, उनको मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं। हम उसमें पक्ष और विपक्ष नहीं देखते हैं। जिनको भी मदद की जरूरत पड़ती है, मुख्यमंत्री जी पूरे विशाल हृदय के साथ उनकी मदद करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- सबको मिलता है।

श्री अजय चंद्राकर :- आपको नियम-प्रक्रिया मालूम होगा, आप सहायता देते होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह बताईये कि विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को अपनी फ्लैगशिप योजनाओं में बहस करने में, वित्तीय व्यवस्था में बहस करने में जो संस्थाएं बनाई हैं, उसमें बहस करने में क्यों पीछे हटते हैं, क्यों विधानसभा या इतनी बड़ी पंचायत में विश्वास में नहीं लेते हैं। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? यह एक तरह का सेस है। यह पैसा राज्य शासन को जायेगा और इसमें भी हजार करोड़ रूपये आयेगा। अब यह अलग से रखा जायेगा या किस मद में उपयोग किया जायेगा? क्या उपयोग किया जायेगा? अभी तक के जितने सेस लगाये हैं, उसको किसी में लगाये? पकड़े उस कान को और डंडा डाल दिये इस कान में। इस कान में खुजला रहा है और डंडा उस कान में डाल दिये। यह तो आपकी सरकार चल रही है। तो 1,012 करोड़ रूपया जो मिलेगा, जो टैरिफ में आप वृद्धि कर रहे हैं, वह पैसा किसमें

उपयोग होगा? इसमें यह मौन हैं। यह विधेयक सिर्फ इतना ही है कि जनता का जेब काटना है, उद्योग का जेब काटना है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अजय जी, यह कान में डंडा डालन वाला प्रसंग हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। कान पकड़ने वाला बात तो सुने थे लेकिन कान में डंडा डालने वाला प्रसंग, आप यह शब्द कहां-कहां से ईजाद करते हैं?

श्री अजय चंद्राकर :- आप परसो और नया-नया शब्द सुनेंगे। अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में कहा कि हम टैक्स लगा नहीं सकते, हम उप कर लगाने के लिए एक कमेटी बनायेंगे। तो उपकर के लिए कमेटी में कौन होंगे, कितनी बैठक हुई? यह मेरा एक प्रश्न है, आपको इसका उत्तर पढ़ा दूंगा। आप हसेंगे कि ऐसा भी उत्तर दिया जाता है। क्या उस कमेटी की रिपोर्ट आई, जिसके कारण यह सेस टैरिफ में वृद्धि की गई । जब हम किसी एक सरकार के ऊपर नई चीजों का, मैंने जी.एस.टी. में माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिभाषण पढ़ा है, अब तो डब्बा बंद। अब तो डब्बा बंद तो ऐसा होगा। अब तो ऐसा होगा। मैं जेब में गोबर डाल रहा हूं। मैं जेब में पेशाब डाल रहा हूं और वह डब्बा बंद घी में टैक्स बढ़ा रहे हैं। अब इससे छत्तीसगढ़ का क्या होगा और यह पैसा कहां उपयोग होगा ? अभी तक तो जितने सेस लगे हैं उनका दुरूपयोग होगा और यह एक तरह का सेस ही है। आपको हाऊस को यह बताना ही पड़ेगा कि यह पैसा कहां से आया है ? बिजली विभाग के यहां से आया है। मैंने 14 से 21 टैरिफ को बढ़ाये हैं और सालाना इससे इतने पैसे होंगे। उसका प्रतिवेदन विधानसभा में रखा जाएगा। यह सब राज्य के लिए है। उन्नयन बोर्ड और मुख्यमंत्री सहायता कोष और गौठान विकास का सेस नहीं है। मंत्री जी, गौठान विकास का पैसा चला गया। उसको भी आप दूसरे में खर्च किये हैं तो यह वित्तीय ट्रांसपिरेंशी नहीं है। सरकार जो इकोनॉमिकल हैल्थ को खराब कर रही है वह इसी कारण से है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इस तरह की अनियमितता होती रही। मैं भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ खर्च में अनियमितता को कह रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री जी के ऊपर कमजोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं उनको एक संस्था मानता हूं। मैं उनको इस सदन का नेता मानता हूं। आपने जो कहा कि आपको दिया है या नहीं दिया है तो आप इधर के 19 लोगों से पूछ लीजिए कि यदि किसी को भी 1 रूपये भी मिला है और अधोसंरचना में जो उन्नयन बोर्ड है उसमें कौन-सा राजस्व व्यय है और कौन-सा पूंजीगत व्यय है और उसकी क्या व्यवस्था है ? उसको हम नहीं जानते हैं। यदि हम जानते होते तो हम भी लिखते कि आप हमको भी पैसा दीजिए। आप हमारे भी मुख्यमंत्री हैं तो यह रिपोर्ट सदन में रखी जानी चाहिए और यदि यह रिपोर्ट सदन में नहीं रखी जाती है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉकेटमनी को बढ़ाने के लिए यदि छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर किसी भी क्षेत्र में टैक्स बढ़ता है तो टैरिफ बढ़ेगा, बिजली बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी। आप एक लाईन लिख दिये हैं कि इससे पेयजल और

सिंचाई को थोड़ा-सा मुक्त रखा गया है। वह तो शुरू से मुक्त था, वह ऐसा कभी नहीं था। यदि यह व्यवस्था नहीं होती है तो यह असंगत व्यय का और असंगत करारोपण का एक उपक्रम है। छत्तीसगढ़ में वित्तीय मामलों में इस तरह की जो अस्पष्टता है वह किसी भी राज्य में कभी नहीं होती है और वह इसके उद्देश्यों में स्पष्ट नहीं लिखा है इसलिए इसकी पूरी संभावना है कि जो-जो सेस लगे हैं उसका दुरूपयोग हुआ है और वैसे ही इसका भी दुरूपयोग होगा। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। देवेन्द्र यादव जी, क्या आप इनके तर्क पर कुछ कह पाएंगे ? यदि आप कह पाएंगे तो कहिये।

श्री देवेन्द्र यादव (भिनाई नगर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक पारित किया गया है।

श्री अजय चंद्राकर :- पारित नहीं किया है।

श्री देवेन्द्र यादव :- यह जो विधेयक पेश हुआ है निश्चित रूप से मैं इसके समर्थन में खड़ा हूं। विपक्ष के साथी बहुत सारी दलील दे रहे थे और मैं उनकी सारी बातें सुन रहा था। ये बहुत सारे डायरेक्ट-इनडायरेक्ट आरोप भी लगा रहे थे। मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहता हूं कि वह बहुत सारे फंड्स की बात कर रहे थे, क्या वह हम लोगों को पी.एम. केयर फंड के बारे में भी उल्लेखित करके बताएंगे कि पी.एम. केयर फंड का उपयोग और उसकी राशि देश भर में कहां-कहां से ली जाती है और उसकी क्या उपयोगिता सुनिश्चित होती है ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित रूप से इस विधेयक से छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के लोगों के जो विषय हैं, उनके समाधान के लिए इस पैसे का उपयोग होगा और जहां तक हमारे पिछले वक्ता केवल आरोप-प्रत्यारोप की ही बात कर रहे थे लेकिन मैं आरोप-प्रत्यारोप की बात करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं लेकिन चूंकि अब चर्चा हो रही है तो मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप बहुत गहराई से समझेंगे, जानेंगे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मुख्यमंत्री सहायता कोष से मदद नहीं मिली है। अभी विधायक दल की बैठक के दिन ही हम बात कर रहे थे और हमारी रश्मि दीदी बता रही थीं कि हमारे सम्मानित विधायक धर्मजीत सिंह जी के लेटर पर भी मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृतियां हुई हैं।

मैं अपनी बहुत पुरानी बात बताऊंगा कि दूसरे दल के भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनके ईलाज के लिए दो दिन पहले ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से दस्तखत कराया और उनको बताकर दस्तखत कराया कि यह उस दल के सदस्य हैं लेकिन उनको इस मदद की जरूरत है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उदारता से हर विषय पर ध्यान देते हैं और सबकी मदद करते हैं तो यह राजनीति का विषय नहीं है। जिसको राजनीतिक ढंग और ढांचा दिया जा रहा है और यदि आपको जवाब

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

चाहिए तो सबसे पहले आप पी.एम. केयर फंड का जवाब दीजिए, फिर हम आपसे बात करेंगे और इस पूरे विषय का समर्थन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। सौरभ सिंह, क्या आप इस विषय पर बोलेंगे या आपका नाम गलत आ गया है ?

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- नहीं-नहीं, मैं बोलूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया है । शुल्क बढ़ाने की आवश्यकता है, वह इकानॉमी का हिस्सा है, परन्तु एक बात का दुर्भाग्य है । कभी हमारा राज्य बिजली में सरप्लस स्टेट होता था । अब हमारा राज्य डिफेसिएट स्टेट में पहुंच गया । पानी हमारा, बिजली हमारा, कोयला हमारा, जमीन हमारी है, उसके बाद भी हमें बिजली का रेट बढ़ानी पड़ रही है, यह बड़े दुख की बात है । मैं माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । राज्य निर्माण से लेकर अभी तक जितने भी पॉवर के M.O.U. हुए थे, इनकी सरकार में तो शायद अभी तक पॉवर के M.O.U. नहीं हुए हैं । उसमें वेरीएबल कॉस्ट का जिक्र था । माने जिस लागत में बिजली के उत्पादन का रेट होगा, उसके आधार पर बिजली कम्पनी को प्राईवेट कम्पनियां बिजली देंगी, परन्तु मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि वेरीएबल कॉस्ट की बिजली क्यों नहीं ले रहे हैं ? अगर ले रहे हैं तो जवाब में बता दें कि किससे-किससे वेरीएबल कॉस्ट की बिजली ले रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछता हूं । आप विद्वान सदस्य हैं। इनकी सरकार में M.O.U. नहीं हुए तो कृपया आप बताएंगे कि आपकी सरकार में बिजली के कितने M.O.U. हुए थे ?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, जितने बिजली के M.O.U. हुए थे ।

अध्यक्ष महोदय :- कुल कितने M.O.U. हुए थे ?

श्री सौरभ सिंह :- M.O.U. हुए थे, M.O.U. होते हैं । इनकी सरकार में भी 90 हजार करोड़ के M.O.U. हुए हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए पूछ रहा हूं । आपके जिले में, जिसको आप हमेशा मेरा जिला कहकर उद्बोधित करते हैं, आपके जिले में विद्युत के कितने M.O.U. हुए थे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपको कल बता दूंगा ।

श्री सौरभ सिंह :- मैं अभी बता रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आज बताओगे या कल बताओगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं पूरा परिशिष्ट दूंगा । पूरे छत्तीसगढ़ के हैं, दो लोग बाहर के हैं, जिसमें से एक कोलकाता से और दूसरा दिल्ली से था ।

श्री सौरभ सिंह :- जांजगीर में 16 M.O.U. हुए थे । 5 कम्पनी का प्रोडक्शन चल रहा है, दो जगह जमीन खरीदी की गई थी ।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामकुमार यादव :- सौरभ भैया, तुहर जमाना में अतका अकन कम्पनी खोले हव कि चिरई मन दिखत नहीं हे, जेमन जम्मों तार में फंस-फंस गे हें ।

श्री सौरभ सिंह :- बिजली की जरूरत है, हम उस पर बात कर रहे हैं । तार की बात करेंगे तो फिर बिजली कहां से मिलेगी ।

अध्यक्ष महोदय :- उसको छोड़िए, यह सामान्य बात है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वेरीएबल कॉस्ट पर जो बिजली मिलती है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हम वह वेरीएबल कॉस्ट की बिजली ले रहे हैं ? अगर हम वेरीएबल कॉस्ट की बिजली लेंगे तो 1.80 रूपए, 1.90 रूपए में वह बिजली हमारे पास आएगी, फिर टैरिफ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी । अगर हम वेरीएबल कॉस्ट में बिजली नहीं ले रहे हैं तो हम कहीं न कहीं उद्योगपति को अनुग्रहित कर रहे हैं, उनको फ्री कर रहे हैं कि अपनी बिजली खुले बाजार में बेच लो। वह तो हमारा अधिकार है इसीलिए तो 10 प्रतिशत का M.O.U. हुआ है तो उसको लेना चाहिए । अगर हम उसको लेंगे तो इस तरह का टैरिफ बढ़ाने की आवश्यकता कम होगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि एक शुल्क होता है- Wheeling Charges । जब कोई प्राईवेट बिजली उत्पादक या केप्टिव बिजली उत्पादक *independent power producers Captive Power Producers* हमारे पोषण लाईनों का इस्तेमाल करता है तो हम उससे Wheeling Charges लेते हैं । कुल मिलाकर जो कॉरीडोर है, उसका टोल टैक्स वसूलते हैं कि वह हमारे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं । Wheeling Charges के बारे में इसमें कुछ नहीं है । क्यों उद्योगपतियों कर रहा है, Wheeling Charges उसमें पैसा आएगा । आप उपभोक्ता का रेट बढ़ा रहे हैं । माननीय अजय चन्द्राकर जी ने कहा कि महंगाई बढ़ेगी । मैं दो बिन्दुओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यानाकृष्ट करना चाहूंगा । Wheeling Charges बढ़नी चाहिए, हम किसी उद्योगपति को अनुग्रहित न करें । माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको पता है कि टैरिफ का वेरीएशन होता है, बिजली का रेट 18 रूपए प्रति यूनिट तक चले जाता है और कभी 2 रूपए प्रति यूनिट में भी बिजली आ जाती है । टैरिफ का जो खेल उद्योगपति करता है, वह टैरिफ के खेल से हम कहीं न कहीं बचें और टैरिफ के खेल से बचकर हमारे छत्तीसगढ़ को बिजली मिले क्योंकि पानी हमारा है, कोयला हमारा है, जमीन हमारी है और यही मूल उद्देश्य था, जो आप M.O.U. करने की चर्चा कर रहे थे । क्योंकि इस बार हम 29 सौ मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं और जब हम 29 सौ मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमको कहीं से बिजली खरीदना पड़ेगा तो अगर आप टैरिफ पर बिजली खरीदेंगे तो हमको नुकसान तो होगा ही न और जिस रेट पर उस समय बिजली मिलेगी, ग्रीड को तो फेल्यर नहीं करा सकते तो ग्रीड का जो 49 का सरक्यूलेशन है, उसको तो तोड़ नहीं सकते। जिस रेट पर एक्सचेंज में बिजली मिलेगी, उसको खरीदना पड़ेगा, लेकिन हमारे बिजली का उत्पादन क्यों नहीं बढ़ रहा है, जो आपने मूल चर्चा की ?

श्री अजय चन्द्राकर :- घट रहा है ।

श्री सौरभ सिंह :- घट रहा है । हमारे 4300 मेगावाट का प्रोडक्शन था और सारे एम.ओ.यू. इसलिए हुए थे कि पीट हाईट पर बिजली हो । आज जो समस्या आ रही है कि रेल्वे की लाईन नहीं चल रही है । रेल्वे की लाईन पर कोयला भेजना हो तो रेल केंसिल हो रही है । अगर पीट हाईट पर बिजली होगी तो बिजली सिर्फ ट्रक से नहीं जाएगी, सीधा-सीधा बिजली जाएगी । इसलिए वह एम.ओ.यू. किया गया था कि छत्तीसगढ़ की सरकार बिजली में आत्मनिर्भर हो । अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्वान सदस्य आदरणीय अजय जी, देवेन्द्र यादव जी और सौरभ सिंह जी ने अपनी बातें रखीं। माननीय अजय जी तो स्वेच्छा अनुदान, गोधन, कोरोना, सेस सब में चले गये, इसको भी उसी श्रेणी में ले आये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जब उदेद्श्य और कारण के बारे में बात की तभी मैंने स्पष्ट कर दिया था कि वर्ष 1996-97 में इसको अधिसूचित किया गया था और वर्ष 20212-12 में विद्युत शुल्क की दरों में अनुपातिकरण किया गया था। जब मैं वर्ष 2013-13 की बात कर रहा हूं तो उस समय आप शासन में थे, सत्ता में थे, तब आपने अनुपातिकरण किया था। वर्ष 2012-13 के बाद अब 2022-23 में, 10 साल बाद इसका अनुपातिकरण किया जा रहा है। इसलिए इस विधेयक को लाया गया है। उस समय आप राशि किसमें डालते थे ? उस समय पैसा किसमें जाता था ? यह भी उसी में ही जायेगा। अध्यक्ष महोदय, यह सीधी सी बात है कि विद्युत शुल्क का उपयोग राज्य की संचित निधि के रूप में ही होगा। हमने इसका अलग से उल्लेख नहीं किया है, जिसके बारे में आप प्रश्न उठा रहे हैं। दूसरी बात, सौरभ सिंह जी पॉवर सरप्लस स्टेट, डेफिसियेट स्टेट के बारे में बोल रहे थे। हमारी सरकार अभी भी सरप्लस स्टेट है, डेफिसियेट स्टेट नहीं है। पावर प्लाण्टों से बिजली से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो इसके बारे में स्थिति यह है कि वेरियेबल कास्ट में ही पावर प्लाण्टों से 5 प्रतिशत विद्युत प्राप्त होती है और हम लोग बिजली ले रहे हैं। इसमें अभी दो सौ से ढाई सौ मेगावाट बिजली प्राप्त होती है। तो आप इस मामले में निश्चिंत रहे। यह जो शुल्क लगाया गया है, वह सेस नहीं है, यह उपकर नही है। मैं समझता हूं कि काफी समय हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, आप बोलेंगे तो बहुत कुछ बोल सकता हूं। आप कुछ बोलेंगे ?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के पास बेहतर जानकारी होगी। आप एक बार एम.ओ.यू. को चेक करवा लीजिये। मेरी जानकारी के हिसाब से 10 प्रतिशत है। 5 प्रतिशत नहीं है, 10 प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ठीक है, चेक करा लेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- भईया, मैंने तो एक भी पावर प्लाण्ट का एम.ओ.यू. नहीं किया है। पिछली सरकार में एम.ओ.यू. हुए हैं और वेरियेबल कास्ट में 5 प्रतिशत ही है। जब भिलाई स्टील प्लाण्ट और

एन.टी.पी.सी. का पावर प्लाण्ट लगा, उसमें मैं आंदोलन भी किया था, जेल भी गया था, 7 दिन जेल में भी रहा। जो बात आप कह रहे हो वही बात मैंने भी कहा था कि कि कोयला हमारा, पानी हमारा, सब कुछ हमारा तो बिजली तो दो। वह बिजली गोवा तक जा रहा है। इस बारे में मंत्रालय में भी बैठक हुई, यहां भी बात हुई, फिर आखिर में 5 प्रतिशत उनसे बिजली लेने का एग्रीमेंट किया गया। हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़े, जेल भी जाना पड़ा। लेकिन हम जेल गये लेकिन बात भी मनवाये और 5 प्रतिशत वेरियेबल कास्ट में वहा से बिजली मिलता भी है। तब से वह व्यवस्था है और वह आज भी जारी है। चूंकि मैंने सभी माननीय सदस्यों को जवाब दे दिया है। माननीय अध्यक्ष महोयद, तो आपसे निवेदन है, यह जो विधेयक है, उसे पारित करायें।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 9 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 9 सन् 2022) पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 9 सन् 2022) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(7) छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 14 सन 2022)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) विधेयक 2022 (क्रमांक 14 सन् 2022) पर विचार किया जाये ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आखिरी में दूं कि पहले दे दूं ।

अध्यक्ष महोदय :- एक लाईन का अभी दे दीजिए, चार लाईन का बाद में दे दीजिएगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, भू-जल निकासी को विनियमित और नियंत्रित करने के लिये केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण सेंट्रल ग्राऊंड वाटर अथारिटी, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 24 सितम्बर 2020 द्वारा दिशानिर्देश जारी किये गये इसी तारतम्य में भारत सरकार द्वारा समस्त राज्यों को राज्य भूमि जल प्राधिकरण के गठन संदर्भ में निर्देशित किये गये ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके आशय की शुरूआत यह है कि यह जो सेंट्रल ग्राऊंड वाटर अथॉरिटी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, निर्देशित किया गया है और सभी राज्यों को इस संदर्भ में आगे बढ़ना है । माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग जानते हैं, जल ही जीवन है, ऐसा कहावत है, जीवन की उत्पत्ति भी जल से हुई है । वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भूमिगत जल का जो अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, उसका यह संभावना है कि आने वाले भविष्य पर जल की आवश्यकता का दुष्प्रभाव अवश्यंभावी रूप से पड़ेगा । माननीय अध्यक्ष जी, इसी तारतम्य में (एन.जी.टी.) राष्ट्रीय हरित अभिकरण ने वर्ष 2014 में एक आदेश जारी किया, जिसके तहत प्राधिकरण को निर्देश जारी किये हैं कि कोई भी व्यक्ति भू-जल निष्कर्षन या अन्य साधन का संचालित करता है, उसको अनुमति प्राप्त करनी होगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उनमें इन सारी बातों का उल्लेख किया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में लगभग 5000 के करीब उद्योग हैं, बड़े उद्योग भी सरफेस वॉटर के साथ भू-जल का अत्यधिक दोहन करते हैं, यह रेगुलेरिटी अथॉरिटी जो बनाया जा रहा है, इसके द्वारा हम उसको अधिनियमित करेंगे, उसको नियंत्रित करेंगे, अभी वर्तमान में माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के द्वारा चूंकि वॉटर स्टेट सबजेक्ट में है, केवल अनापत्ति देने के नाम से फीस वसूल किया जाता है । छत्तीसगढ़ में जब यह प्राधिकरण का गठन हो जायेगा, मैं ऐसा समझता हूँ कि प्राधिकरण के गठन होने के बाद हमने जिन प्रावधानों को प्रावधानित किया है, यह बड़े उद्योग और सारे उद्योग भू-जल का जिस तरीके से दोहन करेंगे, राज्य के सरकार को भी इससे रेवेन्यू जनरेट होगा । माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों ने इस पर कुछ कानूनी प्रावधान भी किया हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा क्रिमिनल एफेंस जैसा बहुत ज्यादा प्रावधानित नहीं है, सिविल अफेंस जैसा इसमें अधिकांश बातों को कम्पाऊंडेबल रखा गया है । दो-दो बार इसमें समझौता करने का प्रावधान किया गया है । आशय

कुलमिलाकर यह है कि हम अंडरग्राऊंड वॉटर को अधिनियमित करें, नियंत्रित करें, उससे कुछ रेवेन्यू भी जनरेट करें, उद्योग अगर चाहें तो कहीं कोई प्राब्लम या त्रुटि हो रही है तो उसको कम्पाऊंड भी करें । कुलमिलाकर बात केवल यह है कि आदरणीय अजय भाई आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भू-जल दोहन की क्या स्थिति बन रही है, छत्तीसगढ़ में दो विकासखण्ड गुरूर और धरसींवा रेड जोन में पहुंच चुका है । अगर यहां पर हम लोग अंडर ग्राऊंड वॉटर का बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे तो स्थिति बहुत खराब होने वाली है । छत्तीसगढ़ में 22 विकासखंड जिसमें बालोद, बेमेतरा, साजा, नवागढ़, धमधा, दुर्ग, पाटन, धमतरी और आपका कुरूद भी शामिल है । राजिम, बसना, पिथौरा, डोगरगांव, राजनांदगांव..।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप पाटन का नाम काट दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- किसका नाम काटना है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- पाटन का।

श्री रविन्द्र चौबे :- क्यों ? अब पाटन से आपको इतनी क्या एलर्जी है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- पड़ोस में आमने-सामने हैं, भारी मोहब्बत है।

श्री रविन्द्र चौबे :- इतनी मोहब्बत है तो केवल आप पाटन का नाम क्यों लिये?

श्री अजय चन्द्राकर :- हम पड़ोसी धर्म निभाते हैं, आमने-सामने हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं नाम बता रहा था। कुरूद, राजिम, बसना, पिथौरा, डोगरगांव, राजनांदगांव, कवर्धा, पंडरिया, बिल्हा, तखतपुर, मालखरौदा, बरमकेला, पुसौर ऐसे 22 विकासखंड हैं जो लगभग रेड जोन में पहुंचने की स्थिति है। हम अंडरग्राउण्ड वॉटर को अगर नियंत्रित नहीं करेंगे तो मैं ऐसा समझता हूं कि थोड़ा आने वाले समय में आने वाली जनरेशन के लिए बहुत तकलीफ होने वाली है। हम समझ सकते हैं, अधिकतम भू-जल दोहन 82 प्रतिशत दुर्ग जिले में किया जा रहा है। आने वाले समय में कितनी तकलीफें होंगी। मालवा में 800 फिट तक पानी नहीं निकलता। इस स्थिति में हम लोग पहुंचने की स्थिति में हैं। यह भारत सरकार के एन.जी.टी. का निर्देश है। उसके कानून के परिपालन में छत्तीसगढ़ में भी कानून बनाना है और भू-जल के संरक्षण की दिशा में भी हम लोगों को काम करना है। इसलिए इस विधेयक को लाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सदन से सर्वानुमति से इस विधेयक को पारित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये विषय विशेषज्ञ अजय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विषय विशेषज्ञ तो नहीं हूं। संख्या बल के कारण मुझे बोलना पड़ता है और कुछ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- संख्या बल तो बहुत है, मगर दो ही लोग बोल रहे हैं, अजय चन्द्राकर और सौरभ सिंह।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक के उद्देश्य और कारणों में एक शब्द का उपयोग किया है, भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। जरा मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की अभी ऐसी स्थिति नहीं है। इसमें ऐसा शब्द नहीं लिखना चाहिए कि भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई बार अधिकारीगण उसको ज्यादा करने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ कम से कम अभी देश के बाकी राज्यों से ठीक है। उद्देश्य और कारणों में भयावह शब्द जैसे शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, चिंता का कारण है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- भयावह नहीं, हॉ चिंता लिख सकते हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने इसीलिए आपको विकासखंडों के नाम भी गिनाये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- लोगों का डराना नहीं चाहिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। अंडर ग्राउण्ड वॉटर को संरक्षित करना, हमको इस दिशा में पहल करना है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- शायद मुझे लगता है कि आप पढ़ते तो यह भयावह शब्द को हटवा देते।

श्री रविन्द्र चौबे :- चिंतनीय।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हॉ, चिंतनीय।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- भैया, मेरे क्षेत्र मोंहदी में गरमी में बहुत भयावह स्थिति थी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वैसे तो रायपुर में भी 1000 फिट में पानी नहीं मिलता है। यह हालत है। व्ही.आई.पी. रोड में 1000 फिट, 1200 फिट में पानी है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बोलिये। विषय बहुत अच्छा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- लेकिन इसका उद्देश्य अच्छा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- आप उद्देश्य को छोड़िये। मैं आपकी बात सुनने आया हूं इसलिए अच्छी बात सुनाईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा और भगवान वामन को मैं बधाई भी दूंगा कि इस सरकार के पास दृष्टिकोण है। यह इस सरकार का साढे तीन साल में तीसरा मूल विधेयक है जिसमें दो विधेयक माननीय रविन्द्र चौबे जी ने प्रस्तुत किये हैं। लेकिन आपसे शिकायत तो नहीं कह सकता, माननीय जयसिंह अग्रवाल जी के दो लाईन के संशोधन में 1 घंटा का समय है और मूल विधेयक में चर्चा के लिए 45 मिनट का समय है। पिछली बार भी हम उद्यानिकी यूनिवर्सिटी में बिन्दु-बिन्दु में बहस कर रहे थे, आपने कह दिया कि अब हो गया, चलो जल्दी खत्म करो। पूरी बहस नहीं हो पाई और हमारी अच्छी बहस का उद्देश्य उसमें पूरा नहीं हो पाता।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब आप शुरू करिये न। उसमें 30 मिनट तो है, 01 घंटा कहा है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप ऊपर वाले को देखिये न। उसमें निर्धारित समय 01 घंटा लिखा है। यह आज की कार्यसूची है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अब आगे बढ़िये न।

श्री अजय चन्द्राकर :- निर्धारित समय 1 घंटा, जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। संशोधन में 01 घंटा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सुझाव है, वह तो जल्दी-जल्दी होगा। मैं जानना चाहता था। अध्याय-2 में जो संस्थागत ढांचा है राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक तथा जिला भू जल प्रबंधन के परिषद के सदस्य जो आप मनोनीत करेंगे तो उसमें गृह निर्माण मंडल में जो क्रेडाई है, व्यापारिक संगठन है, चेम्बर है, कृषक संगठन के प्रतिनिधि का कोई उल्लेख आपने नहीं किया है, जो जल का लोग उपयोग करते हैं। वॉटर रिचार्जिंग के लिए क्रेडाई का सहयोग लेना...।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, पहला, केन्द्र सरकार ने जो निर्देश जारी किये हैं, उसमें जिस तरीके से भू-जल दोहन करने वाले लोगों के ऊपर पंजीयन और सारे प्रावधान किये है, उसमें किसान भी शामिल है। लेकिन हमने जब यह विधेयक बनाया तो हम लोगों ने तय किया हुआ है कि हमारे किसान को पंजीयन की जरूरत नहीं होगी। As per electric connection जो नाम दर्ज होंगे, हम उसी को पंजीकृत मानेंगे।

दूसरा, उसमें पेयजल का भी उल्लेख किया गया है। आप उसमें भी आगे आयेंगे। हम लोगों ने पेयजल में भी यह नियम बनाये हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं पढ़ लिया हूं। मैं 4-5 बिंदु में ही बोलूंगा। वैसे जैसे आप भगवान वामन है, वैसे आपके जल संसाधन के सचिव और ई.एन.सी. कौन है?

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं उत्तर दूंगा तब बता दूंगा।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या इधर अधिकारी दीर्घा में दिख रहे हैं? कौन है? अच्छा ठीक, समझ गया।

श्री रविन्द्र चौबे :- लगता है कि आपको फिर वही आपत्ति करना था? थोड़ा आगे बढ़ो, यहां सारे अधिकारी मौजूद है। मैं समझ रहा हूं, आपने पूछा उसका कारण मैं समझ रहा हूं। ई.एन.सी. भी मौजूद है, सेक्रेटरी भी मौजूद है।

श्री अजय चंद्राकर :- साहब, अब बिंदु 4(1) में देख लीजिये। भू-जल प्रबंधन परिषद, क्रियान्वयन हेतु कर्मचारियों, अभियंताओं के नियोजन हेतु, वर्तमान में जल संसाधन विभाग में कोई दिशा निर्देश नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है जबकि उसके उत्तरदायित्व सबसे अधिक है। आपके यहां कर्मियों की अत्यधिक कमी है। आपके पास जितने कर्मचारी है, क्या आप यह अतिरिक्त कार्य उनसे करवा सकते हैं, यह बताईये?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह एक-एक क्रम में सवाल पूछ ही रहे हैं। आपने कहा कि कर्मियों की, अधिकारियों की कमी है, मैं स्वीकार करता हूं। छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग में पिछले 15 साल में भर्तियां नहीं हो पायी थी। इसलिये मेरे पास अधीक्षण यंत्री, चीफ इंजीनियर, मुख्य अभियंता से लेकर लगभग सारे पद के कर्मचारी है। आप जो समस्या सोच रहे हैं, वैसा ही है। लेकिन सौभाग्य से अभी हमने 400 सब इंजीनियर और 100 असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती की है। आने वाले समय में यह जो कमी है, आप जिसकी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, उसमें यह है कि नियामक प्राधिकरण के बिंदु 7(क) के अनुसार प्रस्तावित प्रदत्त नियोजन के अधिकार जिला भू-जल प्रबंधन परिषद को भी प्रावधानित कर दें तो शायद जो केंद्रीय बोर्ड है, उसके ऊपर कुछ लोड कम होगा क्योंकि आपके पास कर्मचारियों की कमी है, जो इस विधेयक में नहीं है।

श्री रविन्द्र चौबे :- हां, ठीक है।

श्री अजय चंद्राकर :- अब आप स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं, यह आपके ऊपर है।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, अभी तो मूल विधेयक की दो-तीन लाइनें पढ़ देता हूं, बाकी को छोड़ दूंगा।

आप अध्याय 4(1) जो व्यक्ति प्रत्यायोजित करेंगे। प्रत्यायोजित किये जाने वाले व्यक्ति के पद एवं योग्यता तथा प्रत्यायोजित किये जाने की प्रक्रिया स्पष्ट करने की आवश्यकता है। मैं नहीं जानता कि छत्तीसगढ़ में भू-जल या जल प्रबंधन करने के लिये राजेन्द्र सिंह जी जैसा कोई जल पुरूष है, जो जल प्रबंधन की चिंता करें और जिनको विशेषज्ञता है। मैं इस बात को आपके डिपार्टमेंट को भी बोल रहा हूं। इसलिये इसमें कौन मनोनित होगा? जो इस विषय का विशेषज्ञ हो। आपने छत्तीसगढ़ के जो 22 विकासखण्ड बनाये हैं, उसको संकट से निकाल सके और उसके लिये आवश्यक सुझाव दे सके कि हम गुरूर और धरसींवा को भू-जल या जल प्रबंधन के संकट से कैसे निकालेंगे। बाकी जो 18-20 विकासखण्ड हैं, उनको कैसे निकालेंगे। अब मैं दो-तीन बिंदु ही पढ़ देता हूं।

अभी 4 ही पढ़ रहा था। शक्तियां और कृत्य के 9 में भू-जल के घरेलू उपयोगकर्ता के द्वारा उपयोग किये जाने वाला जल का परिणाम अत्यंत अल्प है। इस हेतु आम नागरिक के पंजीकरण की बाध्यता रखना अतिरिक्त कार्यालयीन प्रकिया के लिये..। मतलब आपने उसकी भी बाध्यता रखी है। अब बेचारा जो नल चलायेगा, उसका क्या पंजीयन होगा?

प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- इसीलिये मैं जब Subject Introduce कर रहा था, मैंने तभी आपसे कहा कि पेयजल और कृषि के संदर्भ में हम उसी प्रकार निर्देश जारी करेंगे। आप यह जो पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से एन.जी.टी. का निर्देश है, जिस तरीके से होना चाहिये। लेकिन हम छत्तीसगढ़ में यह नहीं करना चाहते। मैंने Subject Introduce करते हुए ही आपसे इस बात का अनुरोध किया।

श्री अजय चंद्राकर :- मेरे ख्याल से आप विधेयक को भेजोगे तो एन.जी.टी. भी इससे सहमत हो जायेगी। अब आप 13(1) को देख लीजिये। अब उसके बाद नहीं पढ़ता। मेरे पास और बहुत सारे हैं। राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण, जल संसाधन विभाग के परामर्श से भू-जल निकालने की सीमा नियत करने का प्रावधान केवल गैर अधिसूचित क्षेत्र हेतु ही लागू होना चाहिए। अधिसूचित क्षेत्रों में वाणिज्यिक और औद्योगिक भू-जल का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखना चाहिए, यह मेरा सुझाव है। भाषण के बजाए, आप अब इसमें दो-दो मिनट बोल दीजिए। आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? इसमें क्यों गैर अधिसूचित क्षेत्र और अधिसूचित क्षेत्र है। जल के संकट में भी आपका गैर अधिसूचित क्षेत्र और अधिसूचित क्षेत्र है। यह तो समझ से परे है। आप यह बोल देंगे कि इसको भी एन.जी.टी. ने कहा है। जल का संकट तो पूरी पृथ्वी का है। तीसरा विश्व युद्ध जल के लिए होने वाला है। वर्ष 2040 तक हिमालय के ग्लेशियर की क्या स्थिति होगी ? आप पढ़ लीजिएगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अजय जी, मैं अभी हिमालय नहीं पहुंच रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वामन भगवान हस, एक कुर्सी भर आड़ हे। ओति तेहा पहुंच जबे।

श्री रविन्द्र चौबे :- लेकिन छत्तीसगढ़ में जिन विकासखण्डों की जैसी परिस्थितियां हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें पूरे क्षेत्र में संकट है या नहीं है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- श्रीमान्, मैंने कहा कि अब गुरूर तो बिल्कुल गंगरेल के नीचे है..।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह तादुंला से भी लगा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एम.आर.पी. में इतना पानी भरे होने के बावजूद भी गुरूर में समस्या क्यों होती है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गुरूर एक ऐसा विकासखण्ड है उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को श्योर एरिगेशन सिखाया। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले उसी विकासखण्ड में बोरिंग हुआ। उसी विकासखण्ड गुरूर और पुरूर में वर्ष 1965-66 में श्योर एरिगेशन हुआ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप एकदम सच कह रहे हैं उसका कारण है। पानी ऊपर में भरा हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय,वह समय निकल गया।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिये वहां ट्यूबवेल हुए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 55 साल हो गये। 55 सालों में ऐसी स्थिति बनेगी ही। तो गैर अधिसूचित क्षेत्र और अधिसूचित क्षेत्र का बताया। अब उसको देख लीजिए। अब आखिरी बोल देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- आप क्या चाहते हैं ? गैर अधिसूचित क्षेत्र के बजाए ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह होना ही नहीं चाहिए या जल संकट समान रूप से जो 20 और 2, ब्यालीस विकासखण्ड प्रभावित हैं उसके अतिरिक्त जो बाकी क्षेत्र हैं यदि हम भावी पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ना चाहते हैं तो उसमें भी हमको अभी से चिंता करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- आपके सुझावों पर विचार किया जायेगा। आपके सभी अनपढ़े सुझावों पर विचार किया जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नियम अधिसूचित क्षेत्रों में वाणिज्य एवं उद्योग उपयोग हेतु निरूद्ध किया जाना चाहिए। यह जो 14 (1) है, आप इस 14 (1) को देख लीजिए। मैंने अपने और चीट निकाल दिये हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि दुनिया का..।

अध्यक्ष महोदय :- मैं समझ रहा हूँ कि आप कितने चिंतित हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दुनिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय जलवायु परिवर्तन है और जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण अंग जल है। अनियमित वर्षा, अनियमित ठण्ड, कभी बुखार आ जाना, कभी कुछ हो जाना, इधर पानी है, इधर सूखा है, यह सब इसी के प्रभाव हैं। एन.जी.टी. इन्हीं बातों की चिंता करती है, उसमें और सुझाव हैं, लेकिन अब मैं विद्वान मंत्री के ऊपर छोड़ता हूँ। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इसलिए इसमें गंभीरता नहीं है, यह कहा। यह सरकार दाने-दाने का तरस रही है। राजस्व व्यय बढ़ा रही है। फोकट में बांट रहे हैं। मोदी जी ने अभी कहा है कि रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। हिमाचल, गुजरात के चुनाव में मुफ्त में देने की कोई भी स्किम से हमको बचना चाहिए। यह उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी को कहा है। अब मैं व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ यह मेरा किसी भी छूट का, किस भी प्रकार के छूट का सिवाए खाद में जो किसानों को छूट मिलती है, छत्तीसगढ़ के किसान ओरिजनल रेट में खरीद नहीं पायेंगे, उसको छोड़कर। वैसे भी हिन्दुस्तान में बाकी दुनिया के मुकाबले अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया या जापान के मुकाबले कृषि क्षेत्र में काफी कम सब्सीडी है तो यह छत्तीसगढ़ भू जल बोर्ड, एन.जी.टी. का निर्देश कब का है। 2015 का है। अभी इसलिए बना रहे हैं ये उद्योग वालों से भूमिगत जल का पैसा लेंगे और 200 करोड़ रूपये मिलेगा। इसका असली उद्देश्य यह है। बाकी इनकी सब चिंता नकली है।

अध्यक्ष महोदय :- वह इसमें नहीं लिखा है क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लिखा है या नहीं लिखा है। अभी वह बतायेंगे। यह दिखावे की चिंता है और वह इतने जागरूक मंत्री हैं। अब आप बहस करने के लिए देते तो मैं और सुझाव देता।

अध्यक्ष महोदय :- अब बाद में करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बाद में कहां यह आयेगा।

अध्यक्ष महोदय :- यह आयेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ नहीं आता। यह कहां आयेगा, लेकिन एक बात बता देता हूँ कि यह टोटल और टोटल औद्योगिक क्षेत्र से जो दिल्ली प्राधिकरण को पैसा चल देता था, यहां प्राधिकरण बनाकर, उस पैसे को जो दो-ढाई करोड़ आएगा, उसको रखें। कुछ हमारे जो दाने-दाने के लिए तरस रहे हैं उसमें कुछ हो जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय शैलेश पाण्डे जी, आप इसमें कुछ कहेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- शैलेश पाण्डे जी, इसमें भी कुछ कहेंगे क्या ?

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आज बहुत ही अच्छा विधेयक आया है। मैं समझता हूं कि यह एक ऐतिहासिक दिन है...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, वे स्वयं दाने-दाने के लिए तरस रहे हैं तो पानी के लिए का क्या होगा ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- वे सम्मानित सदस्य हैं।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष जी, वे स्वयं कुपोषण के शिकार हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐतिहासिक दिन है। आज छत्तीसगढ़ की इस सदन में हमारी सरकार ने भू-जल के बारे में इतना बड़ा कदम उठाया है और आज यह विधेयक लाया है। आज से एक साल पहले....।

अध्यक्ष महोदय :- आप अजय चंद्राकर जी की नकल करना सीख रहे हैं क्या? आप यहां से वहां तक झूल-झूल कर बात कर रहे हैं, जैसे वे करते हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :- नहीं, मैं अपनी बात रख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर जी, आपकी ही तरह नकल कर रहे हैं, उसको भी जरा देखिए। उन्होंने मेहनत करके सीखा है।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डेढ़ साली पुरानी बात बताता हूं। माननीय मंत्री जी बजट सत्र में विभागीय बजट पेश कर रहे थे, तब मैंने इस बात का उल्लेख किया था। आज फिर

उस बात का उल्लेख कर रहा हूं। यह छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे पास जो सतही जल है, यानी सरफस लेवल वॉटर है, वह हमारे पास 4,17,200 क्यूबिक मीटर है। यह हमारे पास सतही जल है। अगर हम भू-जल की बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि आपका जिला सर्वाधिक सिंचित होता है, इसलिए इस फीगर को आपको जरूर जानना चाहिए। हमारे पास जो भू-जल है, वह 1,45,480 क्यूबिक मीटर है। यानी कि हमारे पास जो सतही जल है, वह सतही जल ज्यादा है, धरती के नीचे जो जल है, वह बहुत कम हो गया है। आज हम वर्ष 2022 में हैं। अगर हमने वर्ष 2040 तक इस प्रकार के अधिनियम नहीं बनायी तो वर्ष 2040 तक छत्तीसगढ़ में नीचे धरती से पानी खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास कभी भी कोई अल्टरनेटिव प्लान नहीं था। हमारे किसान भी वहां पानी लेते हैं। हमारा जो पीने का पानी होता है, वह भी हम नीचे से खींचते हैं। जल संसाधन विभाग के पास कितना जल संरक्षण है, कितनी चीजें हैं ? आप स्वयं देखिए। आज छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ष कम से कम 11 हजार क्यूबिक मीटर पानी सिंचाई के लिए लगता होगा।

श्री अजय चंद्राकर :- पाण्डे जी, एक मिनट सुनिए। एक गंभीर बात है। आप एक विधायक हैं। यह मूल विधेयक है। आपको लगता है कि आप ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित हैं तो सुझाव दीजिए। आप भूमिका को छोड़िए, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा है। आप अधिनियम को पढ़िए। आप अधिनियम रखते नहीं हो।

श्री शैलेश पाण्डे :- आदरणीय अजय भैया, मैं वही सुझाव दे रहा हूं। मैं अधिनियम पर ही आ रहा हूं। जो बात साफ है, मैं वही बात कहना चाहता हूं। आप इधर बैठे हैं या उधर बैठे हैं, उससे संबंधित बात नहीं है। छत्तीसगढ़ की गंभीरता की बात हो रही है। अगर एन.जी.टी. ने कोई निर्देश दिया है, अगर भारत सरकार ने कोई निर्देश दिया है तो उनके पास भी तो आंकड़ा होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है ? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अगर छत्तीसगढ़ में पांच हजार उद्योग हैं, आप किसी भी उद्योग में चले जाईए। जल को बेतहाशा नीचे से निकाला जाता है और उसके बाद वह वॉटर प्लांट में बहता है और वह पानी बेचते हैं। उसका पैसा लेते हैं। हमको क्या मिला ? हमको कुछ नहीं मिलता है। बात यह नहीं है कि उनसे टैक्स लेना है। बात यह है कि छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को इस प्रकार से गंभीर होना पड़ेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में पानी, चाहे एक नागरिक हो, वह घर में बोर कराता हो, चाहे वह इंडस्ट्री का व्यक्ति हो, पानी का उपयोग करता है। उनको पानी की सुरक्षा, पानी की रक्षा और पानी की बचत करनी होगी। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आज जो ऐतिहासिक विधेयक लाया गया है, यह छत्तीसगढ़ के लिए हमेशा एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं माननीय जल संसाधन मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस गंभीरता का परिचय दिया है। हमारी सरकार ने आज छत्तीसगढ़

में जल संरक्षण को यहां पर सुरक्षित किया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- माफ कीजिएगा। श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा। पहली बार बोलोगी। बोल चुके हैं तो उन्हें इतने कठिन शब्द में क्यों बोलवा रहे हैं। उसका मैडन भाषण है। बेचारी, पहली बार बोलेंगी, क्या बोलेगी ? चलिए बोलिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, मैडन स्पीच है, बधाई दे दीजिए। मेज थपथपाकर बधाई दीजिए। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- इसलिए तो मैं बोल रहा हूं। उनका नाम इसमें किसने दिया?

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा (खैरागढ़) :- धन्यवाद अध्यक्ष महोदयजी, मैं यहां पर उपस्थित सारे मंत्रिमंडल को धन्यवाद देती हूं, प्रणाम करती हूं और सारे विधायकगण को मैं प्रणाम करती हूं। आप सबके सहयोग औरआशीर्वाद से आज सबके बीच मुझे विधानसभा में उपस्थित होने का मौका मिला है। इसके लिये आप सबको मैं दिल से धन्यवाद देती हूं। मैं कुछ बोलना भी चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय :- बोलो, बोलो।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जहां तक मैं जा रही हूं, वहां देखी हूं कि आदिवासी, बैगा आदिवासी क्षेत्र में, वहां के आदिवासी क्षेत्र में वहां जो जहां किसानी करते हैं, उन लोग भी बहुत खुश हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी जो बहुत अच्छी योजना निकाले हैं और उनको जो खेती करने के लियेभूमि,जो उनको जीवन जीने के लिये जो सुविधा दिये हैं, जो हक, अधिकार दिये हैं, जो पट्टा दिये हैं। उसके लिये वनांचल क्षेत्र वाले आदिवासियों ने मुझे और हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया को भी बहुत-बहुत धन्यवाद दिया है। मैंइस सदन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि हमारे विधानसभा के आदिवासी क्षेत्र में जो गरीब के बच्चे हैं उनके पढ़ने के लिये स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित किये गये हैं। हमारे खैरागढ़ में भी संचालित किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने हमारे चारों ब्लॉक में इंग्लिश मीडियम स्कूल के माध्यम से गरीब से गरीब बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की जो सुविधा दी है, उसके लिये मैं पूरे खैरागढ़ विधानसभा की ओर से उनका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं और मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये भी में आपको दिल से धन्यवाद देती हूं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- अभी मेरी बातसुनो, सुनो। जब तैं अपन गांव में जाथस, अपन क्षेत्र में, त तोला तोर गांव के किसान, आदिवासी मन, बैगा मन कहथे कि नहीं कि हैण्ड पंप सुखावथे। टेढ़े में पानी नहीं आवथे। ज्यादा समय लगत हे। हैण्ड पंप सुखावत हे या नहीं सुखावत हे, कुछ कहिथे ।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहती हूं कि हमारे विधानसभा में अभी वाटर लेवल की बहुत कमी है।

अध्यक्ष महोदय :- हां, ईही ला गोठिया।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- सन् 1999 में जब मैं अपने ग्राम पंचायत के सरपंच थी तब हम उस समय सारेग्राम पंचायत को निर्देशित किये थे कि सोखता गढ्ढा का उपयोग किया जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, से मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि अभी भी अगर सोखता गढ्ढा बनाया जाये तो वाजिब ही हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर लेवल की कमी दूर हो जायेगी। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद (मेजों की थपथपाहट)माननीय श्री रामकुमार यादव जी।

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो नया कानून लावत हावे तेखर समर्थन में मैं खड़े हंव। वैसे छत्तीसगढ़ में हमर पुरखा मन केहे हावे कि "छत्तीसगढ़ के पानी, अउ छत्तीसगढ़ के जवानी"तेकर कोई मुकाबला नहीं हे। हमर पुरखा मन केहे हावे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी इधर है जवानी उधर है।(हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- अउ केहे हावे, चंद्राकर जी, पुरखा मन ए गोठ ला सुरता करत हावे, ओकरे लिये हमर पुरखा, हमर मंत्री जी मन करत हावे। "छत्तीसगढ़ के पानी, छत्तीसगढ़ के जवानी अउ कोस-कोस में पानी बदले अउ 15 कोस में बानी।" ये छत्तीसगढ़ के पुरखा के हाना हरे। अउ का काहय। " जल में रह के मीन प्यासी, मोहे सुन सुनावे हांसी" एला हमर पुरखा के कबीर साहब ह केहे हावै। अउ का केहे हे। " गुरू बना ले जान के अउ पानी पी ले छान के" । ये तमाम प्रकार के बात ला, हमर पुरखा मन बोल के गेहे, लेकिन 15 साल में आप मन का करेव। आप मन ला जल्दबाजी रिहिस हावे। जैसने पाये तैसने वो कंपनी मन ला परमिशन दे देव।

श्री नारायण चंदेल :- रामकुमार, ऐ रामकुमार।

श्री रामकुमार यादव :- राहन भैय्या । कले चुप बैठ जा तहूं हा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :-बिना छाने पी दिस एमन ह भैय्या।

श्री रामकुमार यादव :- बैठ-बैठ तोरे नंबर आही। ले गोठिया ले भैय्या।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष जी, हम सब लोग आपसे निवेदन करते हैं कि "साहेब बदंगी और दूर कर गंदगी" (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद । (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- भैय्या, तोला पांव लागी हे। माननीय अध्यक्ष जी, आज छत्तीसगढ़ में मैं वो दिन ला याद करथव। जब मैं गांव में पिता जी सन गरवा चरांव। अउ जब गौंटिया मन घर कोई शादी बर बिहाव होवय। हमन दोनों बाप-बेटा महतारी मोर दाई करके हमन पानी भरे बर जावन। त जे

बोरिंग में हमन पानी ला टेड़न ता ओ पानी हर बढ़िया मजा के देत रहय लेकिन आज उही बोरिंग मा जाथन ता ओमा तें हा 5 घा, 10 घा करिहा ता पहिली ओमा हवा निकलथे । ओकर बाद में ठेस-ठुसी के लटपट में एक घघरा पानी हा भरत हे लेकिन 15 साल तक एमन ला कोई ध्यान नइ रिहिस हे जबकि छत्तीसगढ़ में आज दुनियाभर के इंग्लेंड, जर्मनी, रूस, फ्रांस, इटली के फैक्ट्री मन काबर आथे ? इंहां पानी हे कहिके आवत हांवय । मैं आपसे निवेदन करिहओं चूंकि आज हमर सरकार है, आज हमन विधायक हन । कल ऐमन हे ता परसों कोई और होही लेकिन ये पीढ़ी अऊ ये संसार तो निरंतर चलत रइही । हमन ला अइसे व्यवस्था बनाना चाहिए कि आने वाला हमन के जो पीढ़ी हे ओहर इंहां सुरक्षित रहय और ओ मन ला कहे गे हे एक समय जल के लिये युद्ध होही ओहा झन होवय । ओकर बात कहना चाहत हंओं कि जइसे फैक्ट्री ले एमन पानी देबर बड़े-बड़े डेम बनाय हे अऊ पानी ला ओमन ले जावत हे । हमन कई जगह मा देखे हन तरी मा पानी जात हे, ऊपर के खेत हा मरत हे । मोर क्षेत्र मा बड़े-बड़े 5 ठन बैराज है कलमा, साराडीह, मिरौनी, बसंतपुर, शिवरीनारायण । 5 ठन बैराज इही मन ओला खोलवाय हे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मोर सरकार ला धन्यवाद देत हंओं जेन हा हर व्यक्ति के चिंता करथे । आज इंहां के टैक्स के जो पैसा है ओहा उढ़िया करके जहाज मा दिल्ली तक चल दिस । हमन के जमीन जात हे, बाढ़ आथे ता हमन बूड़ के मरत हन अऊ दिल्ली के मन पइसा ला खाय अऊ उहू ला मौका में मांगथन ता देवए नइ । आज हमन ला ओकर हिस्सा मिलत हे । आज हमर सरकार हा नाना प्रकार के योजना बनाकर काम करत हे ये काबिलेतारीफ है । आज मैं हमर मंत्री जी ला बहुत-बहुत धन्यवाद दिंहा, जेन अइसे-अइसे योजना बनात हे । मैं तो कइहंओं कि हमर सरकार हा बड़े-बड़े महापुरूष मन के विचार मा चलत हे । समतामूलक समाज, सबके भाईचारा बनाय के लिये हिंदू-मुस्लिम, सिख-ईसाई सर्वसमाज के हित मा काम करत हे, दलगत राजनीति से ऊपर बढ़कर काम करत हे, एकर बर हमर चौबे जी ला एक स्वर में धन्यवाद देना चाहिए । माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मोला बोले के मौका दे हओ एकर बर बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चौबे जी, इसमें अगर सतही जल के माध्यम से हम कैसे अंदर का वाटर लेबल बढ़ा सकते हैं अगर इसकी व्यवस्था आप करते है और वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसका भी इसमें उल्लेख करते तो निश्चित रूप से हमारा भू-जल स्तर बढ़ाने में उपयोगी होता । मैं चाहूंगा कि भविष्य में इसके संबंध में चूंकि छत्तीसगढ़ में वाटर हार्वेस्टिंग भू-जल प्रबंध, जमीन के नीचे का पानी बढ़ाने में और सतही जल को कैसे जमीन में...।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अग्रवाल जी बोल रहे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- आपको 10 साल बाद मिलाने के लिये पानी नहीं मिलेगा।

श्री कवासी लखमा :- हम लोग तो नरवा से लेकर नाला तक बांधे हैं, आप लोग 15 साल कहां गये थे ?

श्री अजय चंद्राकर :- दारू में मिलाने के लिये पानी नहीं मिलेगा । लोगों को नीट पीना पड़ेगा ।

श्री कवासी लखमा :- आप नीट पी लेना ।

श्री अजय चंद्राकर :- सरफेस वाटर की पॉलिसी बढ़नी चाहिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, इसमें सतही जल को कैसे हम भू-जल में परिवर्तित कर सकते हैं इसके लिये इसमें कुछ आना चाहिए था वह नहीं आया है । अगर वह आता तो मुझे लगता है कि हम भू-जल प्रबंध में और अच्छा काम कर सकते थे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत देर से यह सोच रहा हूं। खैर यह कायदा-कानून तो अच्छा बन रहा है, बढ़िया है । भू-जल जो नीचे जमीन के अंदर का पानी है उसका तो बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है । उद्योग वाले तो पूरा 2-2, 4-4, 5-5 फीट का अंदर से पानी खींच लेते हैं तो आप यह बताईये कि कानून बनने के बाद अब जो नये उद्योगपति आयेंगे उन लोगों को अंदर खोदने की अनुमति तो नहीं देंगे न ? उसमें नियम बना दीजिये न कि उनको देना ही नहीं है करके, ऊपर से जो ले सकते हैं लें, सरफेस वाटर देंगे । वे अंडरग्राउंड वाटर नहीं देंगे, आप नियम बना दो क्योंकि अगर एक उद्योग ने भी अंडरग्राउंड वाटर लिया तो कई ब्लॉक यानी 22 ब्लॉक का जो पानी है वह एक-तरफ और एक उद्योगपति का पानी एक-तरफ इसलिए छत्तीसगढ़ के हित में आप नियम बना दीजिये कि आज तारीख के बाद कोई भी उद्योग यहां खुलेगा उसको अंडरग्राउंड वाटर का पानी नहीं मिलेगा और अभी जो ले रहे हैं उनसे आप लंबी वसूली करिये । मान लो कि अभी अगर 500 रूपये है तो उसको 5 लाख रूपये कर दीजिये, कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री नारायण चंदेल :- आप उनसे बहुत लंबी वसूली करिये । माननीय चौबे जी, मेरा एक सुझाव था कि हमारे क्षेत्र में जैसे रवी फसल के लिये आप पानी देते हैं । चूंकि आप जलसंसाधन मंत्री हैं । कई बार जिस क्षेत्र में खेत की बोआई नहीं करते, वहां पानी बेकार बहता है । छोटे-छोटे पेलारी नहर के माध्यम से, काडा नाली के माध्यम से हम निस्तारी तालाब को कैसे भर सकते हैं इसके लिये भी हमें कोई योजना बनानी चाहिए, वह भी वाटर को रिचार्ज करता है ।

अध्यक्ष महोदय :- पाईप से मिलाकर भर देना चाहिए । उसमें ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हैं भई, पाईप लगाओ और पानी को भर दो । उसमें भी नियम-कानून बनाओगे तो गड़बड़ हो जायेगा ।

श्री नारायण चंदेल :- वह भी वाटर रिचार्ज करता है। तालाब में 12 महीने पानी रहेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- पूरा वाटर फोर्स तो नंदा गे। पूरा कब्जा होगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- देखिए साहब, कोई उद्योग वाला न तो ऐश डस्ट में पानी डालता है। जो राखड़ निकलता है, उसमें पानी नहीं डालता। रोड में जो गाड़ी चलती है, उसमें पानी नहीं डालता। कोयला जो जाता-आता है, उसमें पानी नहीं डालता। मतलब नियम में, कायदे में जो भी लिख ले तो वह पानी तो डालता नहीं है और पानी पूरा निकालता है। आप उसे कोई भी पानी नीचे से मत दीजिए। जितना पानी उसे चाहिए, वह आप उसे ऊपर से दे दीजिए। आप इसमें ऐसा नियम बना दो। नियम तो बढ़िया है। आप भू-जल की सुरक्षा के लिए बनाये हैं, इसलिए हम आपका समर्थन कर रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- चौबे जी, मेरा भी एक सुझाव है। बरसात का पानी गिरने के बाद नदी से निकल जाती है। अब भू-जल प्रबंधन विधेयक में कुछ नहीं दिया है कि हम उस पानी को कैसे रोके? हमने एनीकट बनवाना शुरू किया था और एनीकट के माध्यम से वाटर रिचार्ज हुआ। अभी क्या कर रहे हैं कि एनीकट का उपयोग रेत निकालने के लिए हो रहा है और लोग रेत निकालकर पानी को निकाल देते हैं तो एनीकट का जो वाटर रिचार्जिंग का उपयोग होना चाहिए, वह खत्म हो रहा है। दूसरा, हम पॉवर जनरेशन कंपनी लगा रहे हैं ताकि पॉवर का उत्पादन हो। मुझे लगता है कि उसमें कई जगह अब अनिवार्य करना पड़ेगा कि नदी से उसे केनाल के माध्यम से कैसे पानी दे। किसान का जो पंप है, वह 5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर का होता है। उनका पंप 50 हॉर्स पावर का होता है और एक बार में एक पंप नहीं, वे कम से कम 5 से 10 50 हॉर्स पावर के पंप चलाते हैं, तब वह पानी उनके प्रोडक्शन में काम आता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में यदि ऐसी स्थिति रही तो जो आप बोल रहे हैं न जल स्तर 800 फीट में जा रहा है, 1000 फीट में जा रहा है। चाहे रायपुर की ही बात करें। बिलासपुर में एक समय ऐसा था कि ड्रिल करने वाला जाता था और ड्रिल करके वह 2 घंटे के अंदर में वह आपको नल लगाकर दे देता था। आज कल रिग मशीन से वहां खुदाई करनी पड़ रही है। मुझे लगा कि ये 2-3 बातें हैं। आने वाले समय के लिए जब हम यह व्यवस्था कर ही रहे हैं तो उसमें इन बातों पर विचार करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- सरफेस वाटर के उपयोग लिए यदि आप पॉलिसी बनायेंगे तो आप जल पुरूष बन जायेंगे। एक मंत्री के साथ-साथ एक्टिविस्ट बन जायेंगे, मैं बता देता हूं। उस दिन प्रश्नोत्तर के दिन आपके मंत्री माननीय श्री गुरू रूद्र कुमार बता रहे थे कि सरफेस वाटर से 156 समूह नल जल योजना बनाये हैं और बताते हैं कि वह घासीदास संग्रहालय में बनाकर रखा है। वास्तव में आपको ऐतिहासिक क्षण मिला है। छत्तीसगढ़ का सरफेस वाटर बहता ज्यादा है और उपयोग कम होता है। यदि आप उसकी पॉलिसी बनायेंगे तो भू-जल स्रोत आप ही आप मिलेगा। बस आप 200 करोड़ रूपये वसूली मत करना।

जल संसाधन मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, माननीय अजय जी ने आखिरी में जो सुझाव दिया, उसी से शुरू करता हूं। उन्होंने कहा कि सरफेस वाटर के लिए हमारी कोई पॉलिसी बननी चाहिए।

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय गजेन्द्र सिंह शेखावत जी ने प्रदेशों के जल संसाधन मंत्रियों की बैठक बुलायी थी, तब भी मैंने यह बात कही कि देश में आप जल जीवन मिशन लागू करना चाहते हैं। हर घर नल से जल ऐसी आपकी योजना है तो सबसे पहले आपको सरफेस वाटर कहां से सुरक्षित हमारे रिजर्वायर में कैसे किया जा सकता है, जलाशयों का निर्माण कैसे किया जा सकता है, इसमें केन्द्र सरकार को पहल करनी चाहिए। केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए नारा लगा देने से..।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी आपने कहा। देखिए, आप इसमें राजनीतिक भाषण मत दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने कहां कुछ बोला?

श्री अजय चन्द्राकर :- सुनिए, अभी आपने कहा कि जो पानी है वह स्टेट इश्यू है। अब आपने बीच में केन्द्र सरकार को क्यों ला लिया? बोलिए न मैं पहला आदमी बनूंगा। छत्तीसगढ़ पहला राज्य बनेगा जो सरफेस वाटर पॉलिसी बनायेगा, यह कमिटमेंट कीजिए न।

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- मंत्री जी ने जो बोला, उनके बोल देने से तुम्हारा दिमाग खराब क्यों होता है?

श्री अजय चन्द्राकर :- नीट पीना पड़ेगा। मिलाने के लिए पानी नहीं मिलेगा। (हंसी)

श्री कवासी लखमा :- तुम्हारे मंत्री का नाम नहीं लेना है।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपने सरफेस वाटर के बारे में जो कहा, इसलिए मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में यह प्रॉब्लम है। आप 10 साल मंत्री थे। माननीय बृजमोहन जी 15 साल मंत्री थे। प्रॉब्लम क्या है, यह आप समझ रहे हैं न। महानदी बेसिन के विवाद के कारण छत्तीसगढ़ के जितने भी रिजर्वायर और जलाशय की हमारी योजनाएं हैं, आप समझ रहे हैं कि उनमें प्रॉब्लम क्या है ? दूसरी बात, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि एनीकट में संधारण होना चाहिए । आदरणीय बृजमोहन जी ने रैन वाटर हार्वेस्टिंग के संबंध में काम होना चाहिए । खंड 25 और 27 में प्रावधान है कि रैन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में । मूल रूप से विधेयक अंडर ग्राउंड वाटर के बारे में हम लोग किस तरह निर्धारण करेंगे, नियामक के द्वारा किस प्रकार से नियंत्रित ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें से एक बात को और डिलिट कर दीजिए । मैं पहले बोलना भूल गया था । आपने कानून में यह भी लिख दिया है कि इसका कार्यालय कहां होगा । वे बचारे कार्यालय दूसरी जगह खोल देंगे तो उन्हें सज़ा हो जाएगी, शास्ति लग जाएगी । उसको कानून से हटाइए, किसी कानून में नहीं लिखा होता कि कार्यालय कहां पर होगा ।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, उनकी कुर्सी बदल दीजिए । बार-बार उठते हैं, वहां कुछ तो होगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरा सुझाव सही है या गलत है, उधर पूछिये ना ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपने पूरा विधेयक पढ़ा और कहा कि ज़िले में कौन रहेगा, प्रदेश में कौन रहेगा । जल संसाधन विभाग के अधिकारी रहेंगे । आप ही ने सुझाव दिया कि राजेन्द्र सिंह जैसा विशेषज्ञ होना चाहिए । देश में राजेन्द्र सिंह तो केवल एक है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कई जने हैं । मैं और नाम बता दूंगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी भी हमारे पास आई.आई.टी. रूढ़की, खड़गपुर के पढ़े हुए क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं । विशेषज्ञ रहेंगे, आप उसकी चिंता मत करें और आपने केवल शेड्यूल एरिया और नोटिफाई एरिया के बारे में पहली लाईन में डिसकस किया ना, वह शेड्यूल एरिया नहीं है कि अधिसूचित क्षेत्र उधर होगा । नोटिफाइड का आशय यह है कि 22 विकाखंड प्लस 2 विकासखंड ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नो, मैंने शेड्यूल एरिया नहीं कहा । मैंने अनुसूचित क्षेत्र ही कहा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- लेकिन आपका आशय केवल वही था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नो, नो । मेरा आशय आप कैसे परिभाषित करेंगे । लेकिन हमारे पास आई.आई.टी. के हों या न हों । आप सबसे सीनियर विधायक, सबसे सीनियर मंत्री हैं । आप नीति बना सकते हैं, आप विशेषज्ञ बन सकते हैं । यदि कमिटमेंट हो तो ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने आदरणीय धर्मजीत भइया से लेकर माननीय नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक जी ने, माननीय रामकुमार जी से लेकर शैलेश पाण्डे जी और हमारी पहली बार की विधायक यशोदा नीलाम्बर ने सुझाव दिये । आदरणीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसको पारित करें ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ भू-जल प्रबंधन और विनियमन विधेयक, 2002 (क्रमांक 14, सन् 2022) पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा ।

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 30 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 2 से 30 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ भू-जल प्रबंधन और विनियमन विधेयक, 2002 (क्रमांक 14, सन् 2022) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हआ ।

प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ भू-जल प्रबंधन और विनियमन विधेयक, 2002 (क्रमांक 14, सन् 2022) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, हमने विधान सभा के अंदर आपसे मिलने के लिए 5 मिनट का समय मांगा ।

अध्यक्ष महोदय :- कब ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज । हमको सूचित किया गया कि आप आराम कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, नहीं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम सारे विपक्ष के साथियों को आप 5 मिनट का समय देने का कष्ट करें ।

अध्यक्ष महोदय :- इसकी चर्चा के पहले समय चाहिये?

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, जो भी विषय होगा, उसको हम आपको कक्ष में बतायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- इस चर्चा के पहले समय देना है?

श्री अजय चंद्राकर :- सत्र में 5 मिनट का समय स्थगित करके हम लोगों को 5 मिनट मिलने का समय दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, श्री जयसिंह अग्रवाल।

(8) छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 15 सन् 2022)

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि - छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 15 सन् 2022) पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तु हुआ। मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- मैं बिना चर्चा के पारित करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको 5 मिनट का समय देना है। मैं इसे बिना चर्चा के पारित करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको 5 मिनट का समय देना है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, स्थगित होने के बाद, विषय को कक्ष में बतायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- हाँ तो इसको बिना चर्चा के पारित कर दीजिये, इसमें किस बात की दिक्कत है? मंत्री जी, आपको कुछ कहना है। आपको जो भी भाषण देना है, दीजिये।

श्री अजय चंद्राकर :- साहब, आप इसको पारित मत करवाईये।

अध्यक्ष महोदय :- क्यों? आज जितने विधेयक आये हैं, सब में आप शार्ट में भाषण दे रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- यह विधेयक प्रिंटेड नहीं है। वे दोनों विशेषज्ञ लोग विधेयक को बिना पढ़ चर्चा नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय :- इसीलिये तो बिना पढ़े पारित करवा रहा हूँ।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, कल, कल, कल करवाईये।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, अभी पारित होगा।

श्री अजय चंद्राकर :- आप अभी लेंगे तो ऐसी पारित कर दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- हाँ, मैं अभी ऐसी पारित रहे हैं। मैं आपकी भावना को समझ गया।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, इसको कल के लिए रखिये। हमारी इस विधेयक की कोई तैयारी नहीं है। आप बिना चर्चा के पारित कर दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- मैं कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 15 सन् 2022) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, इस विधेयक के लागू होने से उपकर लगाया जा रहा है और उपकर लगने के जमीनों के दाम बढ़ेगें, किसानों को इससे परेशानी होगी और 12 परसेंट जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा, उस पर 12 परसेंट उपकर लगाया जा रहा है। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं कि उपकर लगाने से जमीनों के रेट बढ़ेंगे, किसानों को उपकर लगेगा और जमीनों को खरीदने वाले लोगों के ऊपर उपकर लगेगा। इसके लिए हम इसका विरोध करते हैं और इसका विरोध में हम बहिर्गमन करते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

6:52 बजे

बहिर्गमन

विधेयक पर चर्चा न किये जाने के विरोध में

(श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2022 पर चर्चा न किये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महादेय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- जयसिंह जी, विधेयक पारित करने के लिए निवेदन करिये।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि - छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 15 सन् 2022) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 15 सन् 2022) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

समय :

6:54 बजे

नियम '52' के अधीन आधे घंटे की चर्चा

अध्यक्ष महोदय :- नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा परसो के लिए स्थगित कर दिया जाय?

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- अध्यक्ष महोदय, अभी चर्चा कर लेते हैं।

अशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आपके ही सदस्य जा रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। थोड़ा-थोड़ा चर्चा करिये।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- जी। अध्यक्ष महोदय, मैं दिनाँक 21 जुलाई, 2022 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्रमांक-339) के विषय पर चर्चा करना प्रारंभ करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 21 जुलाई, 2022 के लिए जो प्रश्न लगा था और 21 जुलाई को इसका उत्तर मंत्री जी को देना था, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया और उत्तर नहीं आने के बाद में उसमें आधे घंटे की चर्चा के लिए हमने निवेदन किया था और आपने उसको स्वीकृत किया। आज इस चर्चा को स्वीकृत करने के बाद उसमें जो उत्तर आना था, आज भी वह उत्तर नहीं आया। मुझे लगता है कि 23 साल में छत्तीसगढ़ में इस विधानसभा के बनने के बाद यह प्रथम अवसर है कि प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है और यदि प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है तो यह इस बात को दर्शा रहा है कि मंत्री जी का इस विधानसभा के प्रति कितना उत्तरदायित्व है। प्रश्न का उत्तर नहीं आना और उसके बाद आधे घण्टे की चर्चा में भी प्रश्न का उत्तर नहीं आना मंत्री जी की गंभीरता को दर्शा रहा है। एक प्रकार से मैं यह कह सकता हूं कि यह इस विधायिका का अपमान है। इस विधायिका के अपमान लिए मंत्री जी से पहले तो मैं यह आग्रह करूंगा कि क्या सरकार इतनी अक्षम हो गई है ? क्या सरकार के मंत्रियों में इतनी अक्षमता है कि वह अपने अधिकारियों से जवाब न दिला सके ?

समय :

6:56 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, हम 21 दिन पहले प्रश्न लगाते हैं और 21 दिन पहले प्रश्न लगाने के बाद में उसके उत्तर की तिथि नीयत रहती है। यदि 21 दिन पहले प्रश्न लगाने के बाद उत्तर न आये तो आखिर इस विधानसभा के प्रति मंत्री जी की क्या जवाबदारी है ? क्या मंत्री जी इतने अक्षम हो गये हैं कि अपने अधिकारियों से उत्तर दिलाने में उनकी अक्षमता है ? यदि यह उनकी अक्षमता है तो मैं यह कहूंगा कि मंत्री जी, यदि आप उत्तर नहीं दिला सकते और यदि आप में इतना भी साहस नहीं है तो आपको पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, विश्वस्त सूत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि कुछ अधिकारियों ने उसमें जवाब दिया है लेकिन कुछ अधिकारियों ने उसमें जवाब नहीं दिया है और इसके कारण मंत्री पेशोपेश में थे कि इसको प्रस्तुत किया जाए या न प्रस्तुत किया जाए ? यदि प्रस्तुत करने या नहीं करने की स्थिति निर्मित हो रही है और इस स्थिति के निर्मित होने के बाद में यदि इस प्रकार की इस प्रकार की परिस्थिति बन रही है तो उसका प्रमुख कारण क्या है और उसका जो प्रमुख कारण है, उसका जवाब मंत्री जी नहीं दे रहे हैं। उसका प्रमुख कारण इसमें भ्रष्टाचार है क्योंकि इस प्रश्न में मैंने जो सवाल किया था,

उस सवाल में मैंने पूछा था कि जो इनकी गाईडलाईन हैं, वह गाईडलाईन भण्डार क्रय नियम के हैं। उसमें दिया हुआ है कि उन्होंने दो बार परिपत्र जारी किया। एक बार 14 फरवरी को जारी किया गया और उसके पहले 29 दिसम्बर को एक और लेटर जारी किया और विधिवत् लेटर जारी करने के बाद में उसमें यह बताया गया था कि 31 मार्च, 2021 को जो खरीदी के ऑर्डर दिये गये हैं, उसको पूर्ण किया जाए। इसके लिए पहला लेटर 29 दिसम्बर को जारी हुआ है और दूसरी बार 14 फरवरी को लेटर जारी हुआ। 14 फरवरी को जो लेटर जारी हुआ और उसमें यह दिया गया था कि इनके द्वारा 31 मार्च, 2021 तक खरीदी पूर्ण की जाए और इस संबंध में व्यवस्था की गई थी। वह इस आशय का था कि 31 मार्च, 2021 के उपरांत जेम पोर्टल से क्रय नहीं किया जाएगा। अब भण्डार क्रय नियम के अंतर्गत संचालित सही अनिवार्य सामग्री की क्रय पूर्ण की जाये। अब यह जो आदेश जारी हुआ है वह उनके प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगवा के द्वारा जारी हुआ है। मनोज कुमार पिंगवा के द्वारा एक नहीं बल्कि दो-दो लेटर जारी किया लेकिन इनकी साहस कितनी है कि हमने प्रश्न लगाया और प्रश्न लगाने के बाद भी इनके द्वारा खरीदी की गई है।

समय :

7:00 बजे

मतलब विभागीय अधिकारी के पत्र का भी कोई महत्व नहीं है, उनके कार्यालय का कोई महत्व नहीं है । यदि उनके कार्यालय का महत्व नहीं होगा, उनके अधिकारी का महत्व नहीं होगा और ताक पर रखकर यदि अधिकारी मनमानी करेंगे और मंत्री बेबस और लाचार बैठे रहेंगे तो ऐसे में हम कैसे उम्मीद करें और क्या उम्मीद करें कि जिस प्रकार से सारे नियमों की अवहेलना की जा रही है और अधिकारियों के द्वारा मनमानी की जा रही है । उस मनमानी के पीछे जो मुख्य कारण है, जो शायद मंत्री जी को भी मालूम न हो, ऐसा मैं समझता हूं कि इसमें 200 करोड़ रूपए के भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं और उसको छिपाने के लिए उसमें जवाब नहीं आना उचित नहीं है । मैं समझता हूं कि यदि हम इस सदन की बात करेंगे, इस सदन के सम्मान की बात करेंगे, संसदीय कार्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, उनकी भी संयुक्त जवाबदारी है कि यदि प्रश्न का उत्तर नहीं आयेगा तो हमारा प्रश्न लगाने का औचित्य क्या है ? यदि प्रश्न लगाने का औचित्य नहीं है तो फिर विधान सभा का सत्र चलाने का क्या औचित्य है ? यदि हम विधान सभा का सत्र चलाते हैं तो कितना खर्च आता है, यह हम सब लोगों को मालूम है । सत्र चलाते हैं तो विधिवत् रूप से नोटिफिकेशन जारी होता है । नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में प्रश्नों का जवाब न आये तो मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसी स्थिति कभी निर्मित नहीं हुई है ।

समय :

7:02 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आधे घंटे की चर्चा पहली बार नहीं आई है, अनेक बार ऐसे अवसर आये हैं, जब हम लोग विपक्ष में थे, तब भी आधे घंटे की चर्चा के लिए आसंदी से व्यवस्था दी जाती थी और हम लोग चर्चा में भाग लेते थे, लेकिन नेता जी आधा घंटा तक पूरा भाषण देंगे ? आप प्रश्न पूछ लेते, उसमें जवाब आ जाता, लेकिन आपकी ओर से कोई प्रश्न ही नहीं आ रहा है, केवल भूमिकाएं चल रही हैं । मेरा यह निवेदन था कि आप प्रश्न कर लें ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो प्रश्न करने के लिए ही यह प्रश्न लगाया है और मैं उम्मीद करता था कि उत्तर आ जाये । उत्तर आ जाये तो मैं पूरक प्रश्न कर लूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता प्रतिपक्ष की क्षमता पर या भूमिका पर आपने प्रश्न उठाया ?

श्री भूपेश बघेल :- नहीं, आप गलत इंटरप्रिटर मत करिए । जो कहा है, उसका आशय यह नहीं लगा सकते । मैं बोल रहा हूं, उसका आशय मत लगाईए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने भूमिका कहा न ।

श्री भूपेश बघेल :- मेरे वक्तव्य पर आप आशय मत लगाईए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने भूमिका कहा न ।

श्री भूपेश बघेल :- ना । मैंने नेता जी से बात कर ली, आप बीच में कहां आ गये दाल-भात मूसरचंद । आप बैठिए ।

श्री अमरजीत भगत :- दाल भात में मूसरचंद कहां से आ गए । नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री जी की बात हो रही है । आप बीच में कहां से आ गए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, काश माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मंत्री और उस विभाग के अधिकारियों की उस बारे में टिप्पणी करते और उसकी कार्यप्रणाली में सुधार की बात करते तो मैं ज्यादा आनंदित होता ।

श्री भूपेश बघेल :- मैं बहुत देर से यही इंतजार कर रहा हूं कि अध्यक्ष जी अंदर गए, सभापति जी बैठे । फिर अध्यक्ष जी आ गए, तब तक भूमिका चल ही रही है । मेरा यह निवेदन था कि प्रश्न आ जाता, हम लोग भी सुन लेते और मंत्री जी जवाब दे देते ।

श्री धरम लाल कौशिक :- मंत्री जी कहां जवाब दे पाये । यदि मंत्री जी जवाब देते, तब तो मैं उसमें पूरक प्रश्न करता । अब मंत्री जी ने ही जवाब नहीं दिया तो यही मुख्य कारण है । अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है, उसके लिए दोषी कौन है और उसके खिलाफ में मंत्री जी क्या कार्रवाई करेंगे ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी प्रश्न बहुत व्यापक स्वरूप का हो, जिसमें बहुत अधिक जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता है तो मेरे खुद के पास ऐसे 20 उदाहरण है, जब तत्कालीन सरकार के समय मैंने प्रश्न लगाया तो उसमें इस प्रकार का जवाब आया कि

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जानकारी एकत्रित की जा रही है । अब वह जानकारी व्यापक स्वरूप का होने के कारण ऐसे अनेक बार मैंने मांग की कि आधे घंटे की चर्चा की जाये, लेकिन मुझे चर्चा नहीं दी गई । अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय नेता जी का सम्मान रखते हुए बगैर सहमति के आदेश किया, हम आपके आदेश का पालन कर रहे हैं । जहां तक व्यापक स्वरूप होने के कारण यह नहीं मिल पाया । दूसरी बात यह है कि आपने जिन विषयों पर बात उठाई, आपका प्रश्न है कि 29 दिसम्बर, 2020 को विभाग से जारी अधिसूचना में 31 मार्च, 2021 तक जेम पोर्टल से सामग्री क्रय करने की छूट दी गई थी तथा आपने 14 फरवरी, 2022 के पत्र का भी उल्लेख किया। उसमें आपने कहा कि जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 31 मार्च, 2021 के उपरांत जेम पोर्ट से क्रय नहीं किया जाना है। अब इसका उत्तर यह है कि शासन से आदेश हुआ था, उसमें वर्ष 2020-21 में जिन विभागों के द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी की प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी है, उनके द्वारा प्रक्रिया को 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण किया जाना है, उसका पालन किया गया और उसको पूर्ण किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद जिनमें खरीदी की प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी थी उनको प्रक्रिया के दौरान 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था दी गई थी। इसका आशय यह था कि 31 मार्च, 2021 के उपरान्त जेम से क्रय नहीं किया जाना है, जो आपकी चिंता है। अब जो क्रय किया गया, मैं उसके बारे में भी जानकारी दे देता हूं। शासन का दिनांक 18.4.2022 का आदेश है, वित्त विभाग से कुछ वाहन क्रय के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई थी। वित्त विभाग से वाहन क्रय करने की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात विभागीय स्तर पर सक्षम अनुमोदन प्राप्त कर जेम पोर्टल से वाहन क्रय करने की कार्यवाही की जायें। यह राज्य शासन का ही आदेश है, जिसके आधार पर पालन करते हुए जेम पोर्टल से खरीदी की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में किए गए वहान क्रय का कार्योत्तर अनुमोदन तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में आगामी व्यवस्था होने तक उपरोक्त व्यवस्था लागू रहेगी। अब आपकी चिंता है कि इसमें कौन दोषी है ? इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जेम पोर्टल भी भारत सरकार का जेम पोर्टल है। जैसा कि आपने उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें बीडिंग होता है, उसमें वेण्डर का रजिस्ट्रेशन होता है और उसके आधार पर किया जाता है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न कर लेता हूं। मैंने जो पूछा उसका जवाब नहीं आया है। मैंने आपसे यह आग्रह किया कि उसके लिए दोषी कौन है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो ? मंत्री जी ने जवाब दिया। अब मैं मंत्री जी को बता देता हूं कि 31 मार्च, 2021 तक जेम पोर्टल से छूट दी गई थी। 14 फरवरी, 2022 को पत्र भी लिखा गया। उसके बाद जो खरीदी हुई, उन्होंने इसको स्वीकार किया है और उसके बाद इसमें आया है कि सामग्री क्रय करने के सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यह सही है कि विधानसभा प्रश्न में 21 सामग्री जेम पोर्टल के

माध्यम से खरीदी करने की दी गई है। छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल तथा छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक न्यायालय द्वारा सामग्री क्रय करने के सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आपने 22 जुलाई के दूसरे प्रश्न में जवाब दिया है। आपने कहा कि उनके खिलाफ शासन ने पत्र जारी किया। पत्र जारी करने के बाद गलती नहीं है तो यह जवाब कैसे आया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ? आप इसके सन्दर्भ में कुछ बतायेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस आशय का भी आदेश है कि शासकीय खरीदी के लिए जारी किए गए उपरोक्त निर्देश के अतिरिक्त विभाग को योजना के अधीन आवश्यक होने पर शासन से अनुमति प्राप्त कर अति आवश्यक वस्तुओं की खरीदी जेम पोर्टल से की जा सकती है। यह आदेश है।

श्री धरम लाल कौशिक :- नहीं, मैं उस आदेश का नहीं पढ़ रहा हूं। आपने जो जवाब दिया है।

श्री मोहम्मद अकबर :- आपका प्रश्न उसी जेम पोर्टल पर है और जेम पोर्टल में 31 तारीख के बाद खरीदी हुई या नहीं हुई, यह है। मैं उसी का बता रहा हूं।

श्री धरम लाल कौशिक :- जो खरीदी हुई, आपने उसके लिए कहा है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मतलब यह तो साबित हो गया कि 31 तारीख के बाद खरीदी की गई है और आपने उसको स्वीकार भी किया है कि प्रक्रियाधीन है। यह तो एक विभाग का हो गया। बाकी विभागों में कितनी खरीदी की गई है, यह तो एक विभाग का हो गया, जो मैंने पढ़कर बता दिया। बाकी विभागों में जो खरीदी की गई है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जिस स्वीकारोक्ति की बात कर रहे हैं, सवाल इस बात का है कि जब प्रश्न लगा था तो उत्तर नहीं आया था तब आधे घण्टे की चर्चा हुई। आधे घण्टे की चर्चा में आने के बाद ऐसे अलग से उत्तर देने का प्रावधान नहीं है तो फिर यह उत्तर कहां से आ गया ? हम तो कोई उत्तर नहीं दिए हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- यह उत्तर मेरे प्रश्न का नहीं है। यह दूसरे के प्रश्न का उत्तर है।

श्री मोहम्मद अकबर :- अब कोई दूसरे के उत्तर को इसमें जोड़कर ...।

श्री धरम लाल कौशिक :- मैं इसमें पूछूंगा कि आपने जिस बात को नकारा है, इन्कार किया है। यह उसी दिन 22 जुलाई का दूसरे का प्रश्न है, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। दूसरे का प्रश्न है, उसमें एक विभाग का स्वीकार किया है, मेरा यह कहना है कि बाकी विभाग में जो 31 मार्च के बाद में खरीदी की गई है, उसके खिलाफ में, उन अधिकारियों के खिलाफ में, आप क्या कार्यवाही करेंगे ? यह तो प्रक्रियाधीन में है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न से संबंधित सभी जानकारी मुझको है, लेकिन किसी अन्य प्रश्न के बारे में आपकी जो चिन्ता है, मैं इसको दिखवा लूंगा और आपसे बात कर लूंगा ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिखवाने का नहीं है । मैंने कहा कि इसमें बहुत बड़ा करप्शन का मामला है । करप्शन का जो मामला है, जो आया है, आने के बाद मंत्री जी ने इसको स्वीकार किया है ।

अध्यक्ष महोदय :- देखेंगे, तभी तो मामला सामने आयेगा ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने एक विभाग का तो आपको बता दिया । मैं इसमें चाहता हूँ कि इसमें एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बने या सदन की कमेटी बने और इन सारे मामलों की जांच हो, जिससे कि आने वाले समय में इसको नियंत्रित किया जा सके । जिस प्रकार से विभाग के अंदर में जो धांधली चल रही है, उसको रोका जा सके, इसके लिये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं कि जैम पोर्टल से खरीदने में भ्रष्ट्राचार होता है और उसमें भ्रष्ट्राचार हुआ है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ही के बिलासपुर में व्यापार मेला में सभी उद्योगपतियों से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि भई पिछली सरकार ने जैम पोर्टल से खरीदी की व्यवस्था कर दी तो हमारे जो स्थानीय उद्योग हैं, वह तो ठप्प पड़ गया । यहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और हम लोगों को भी कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है । मैंने आश्वस्त किया था कि छत्तीसगढ़ में जितने उद्योग हैं, जो सामग्री का उत्पादन करते हैं, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होगा और यहां जो उत्पादित सामान है, उसको हम एक सी.जी. पोर्टल बनायेंगे, पोर्टल बनाने में 6-7 महीने से अधिक समय लगा । अध्यक्ष महोदय, पोर्टल बनाना कोई साधारण काम नहीं है । इससे स्थानीय उद्योगों को काम मिला । अब बात यह आई कि जो स्थानीय उद्योग काम नहीं करते हैं तो फिर जैम पोर्टल से खरीदे जायें, ऐसा तो है नहीं कि उससे हमारी नाराजगी है, लेकिन स्थानीय उद्योगों को काम देना है, यह भी हमारी जिम्मेदारी है । जब हमारे प्रदेश में उद्योग लगा है । सवाल इस बात का है कि नेता जी कह रहे हैं कि यदि जैम पोर्टल से ले लिये इस कारण भ्रष्ट्राचार हुआ है । अध्यक्ष महोदय, जैम पोर्टल से लेने से भ्रष्ट्राचार कैसे हो जायेगा । यह बात सही है कि यदि स्थानीय उद्योगपति उत्पादन कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई अधिकारी आदेश कर रहे हैं, जिसके बारे में विस्तृत रूप से मंत्री जी जवाब दे चुके हैं, किस तारीख को आदेश हुआ, कब तक उसका पालन होना था, आदेश दे चुके थे, उसमें बात हो सकती है, लेकिन भ्रष्ट्राचार का मामला कहां से आ गया । चाहे जैम पोर्टल से हो या सी.जी. पोर्टल से खरीदी हो । इसमें भ्रष्ट्राचार कहां से आ जायेगा ?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा उसमें सबमिशन है, फिर अधिकारी जो आदेश जारी करते हैं, क्या आज के बाद में आदेश जारी करना बंद कर दें । उसमें आदेश जारी करना बंद

कर दें । आदेश जारी करने की आवश्यकता क्या है ? यदि आदेश जारी किया है तो उसका परिपालन होना चाहिये । इनके ही विभाग के, इनके ही अधिकारी की, वैधता कितनी है, मुख्यमंत्री जी इस बात को बता रहे हैं । मेरा कहना है कि उसको बंद कर दिया जाये । किसी भी विभाग के आर्डर जो निकाल रहे हैं, यदि उसकी कीमत ही नहीं है, मूल्य ही नहीं है तो निकालने की क्या आवश्यकता है । यदि निकाल रहे हैं तो आने वाले समय में बहुत सारी घटनायें घटेंगी ।

श्री भूपेश बघेल :- नेता जी की इस बात से सहमत हूँ । आदेश होने के बाद भी जिन अधिकारियों ने यदि जैम पोर्टल से आदेश दिया है, यहां उत्पादन हो रहा है, सामग्री मिल सकती है, उसके बाद भी आदेश दिये हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही होगी ।

अध्यक्ष महोदय :- बस उनको कह दीजिए । बैठ जाईये ।

श्री भूपेश बघेल :- हो तो गया ।

अध्यक्ष महोदय :- हो तो गया । सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 26 जुलाई 2022 को 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित ।

(7 बजकर 14 मिनट पर विधान सभा मंगलवार दिनांक 26 जुलाई 2022 (श्रावण 4, शक संवत् 1944) के पूर्वान्ह 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक : 25 जुलाई 2022

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं